अष्टम माला, खंड 46, अंक 7

Monday, 24 April, 1989

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B....60....
Date....5/3/90....

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 24 अप्रैल, 1989/4 वैशाख, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
मुख पृष्ठ	6	"तेरहरवां सत्र" के स्थान पर "तेरहवां सत्र" पढ़िये।
53	2	"शोभनाद्रीश्वर राव" के स्थान पर "शोभनाद्रीश्वर राव" पढ़िये।
68	नीचे से 14	"माधव राव सोलंकी" के स्थान पर "माधव सिंह सोलंकी" पढ़िये।
73	नीचे से 5	शीर्षक में "दानपुर" के स्थान पर "दानापुर" पढ़िये।
81	नीचे से 9	"उत्पादन" के स्थान पर "रक्षा उत्पादन" पढ़िये।
93	10	"राज्य मंत्री" के पश्चात् "तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री" अंतःस्थापित करिये।
122	15	शीर्षक में "रिकडिंग" के स्थान पर "रिकार्डिंग" पढ़िये।
129	9	शीर्षक में "खरीद लिये" के स्थान पर "खरीद के लिये" पढ़िये।
144	नीचे से 11	पंक्ति का प्रथम शब्द "मंत्री" पढ़िये।
147	नीचे से 5	"श्री बनातवाला" के स्थान पर "श्री जी0एम0 बनातवाला" पढ़िये।
162	नीचे से 9	"अयध्क्ष" के स्थान पर "अध्यक्ष" पढ़िये।

विषय–सूची

अष्टम माला, खंड 49, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 35, सोमवार, 24 अप्रैल, 1989/4 वैशाख, 1911 (शक)

विषय		पृष्ठ
नियम 32 का निलम्बन किए जाने के लिए नियम 388 के अधीन प्रस्ताव	...	1-14
प्रश्नों मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 697, 701, 703 और 704	...	14-27
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या : 696, 698 से 700 और 705 से 715	...	27-143
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6633 से 6787		
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	144-147 और 163
लोक लेखा समिति		
152वां, 153वां, 154वां और 160वां प्रतिवेदन		163-164
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1986-87	...	164
विवरण		
आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक	...	164-165
पुरःस्थापित		
कर्नाटक राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प		
और		
कर्नाटक के राज्यपाल के व्यवहार के बारे में प्रस्ताव	...	165-202
श्री संतोष मोहन देव	...	165-166
श्री दिनेश गोस्वामी	...	171-178
श्री वीरेन्द्र पाटिल	...	178-194
श्री ई० अय्यपू रेड्डी	...	194-199
श्री बी० आर० भगत	...	199-202

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक स्थिति ... 202-227

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया ... 202-206

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया ... 206-209

श्री तरुण कांति घोष ... 209-211

श्री हन्नान मोल्लाह ... 211-215

श्री अजीज कुरेशी ... 215-218

श्री तम्पन थामस ... 218-122

प्रो० पी० जे० कुरियन ... 222-227

कार्य-मंत्रणा समिति

70वां प्रतिवेदन ... 227

लोक सभा

सोमवार, 24 अप्रैल, 1989/4 वैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

नियम 32 का निलंबन किए जाने के लिए नियम 388 के अधीन प्रस्ताव

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सभा के संचालन के संबंध में एक प्रश्न उठाना चाहता हूं···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं किसकी बात सुनूं ?

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, मैंने प्रश्न काल का निलंबन किए जाने के लिए नोटिस दिया है।...(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एडजर्नमेंट मोशन तो बाद में आता है, अभी तो क्वश्चन आवर है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, शुक्रवार को जब हमने यह मामला उठाया था कि कर्नाटक के राज्यपाल ने कर्नाटक विधानसभा के भंग करने की सिफारिश की थी···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है।

(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप नियम 184 के अन्तर्गत श्री मधु दंडवते के प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति देंगे...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब इंकार किया ?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : उस समय हमने कहा था कि···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं ? आप दूसरों की बात नहीं सुनने देते हो ।

[अनुवाद]

आप किसी को कुछ बोलने नहीं देते । मैं कैसे···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताइए, मैं कैसे सुन सकता हूं ।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, हम प्रो० मधु दंडवते जी के प्रस्ताव पर तुरन्त चर्चा करना चाहते हैं । अब राष्ट्रपति भी कार्यवाही करते हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । उस संबंध में भी उन्हें कोई रोक नहीं पाता । किन्तु उस समय वह प्रश्न काल्पनिक था ।

श्री वसुदेव आचार्य : नहीं, यह अनमकल्त प्रश्न नहीं था···(व्यवधान) हम कर्नाटक के राज्यपाल के आचरण के बारे में चर्चा करना चाहते थे कि उन्होंने किस तरह असंवैधानिक ढंग से काम किया···(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : हमने प्रश्न काल के निलंबन के लिए प्रस्ताव दिया है···(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : हम प्रश्न काल का निलंबन चाहते हैं और कर्नाटक के राज्यपाल के आचरण के बारे में हमारे स्थगन प्रस्ताव पर तुरन्त···(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, सभा के संचालन के बारे में मैं कह रहा हूं कि··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह मैं अनुमति नहीं दे सकता । बैठ जाइए । प्रश्न यह है···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आपके बोलने से पहले मैं आपकी अध्यक्षता में सभा के संचालन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं ।

कृपया मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : समय आने पर, आप यह मामला उठा सकते हैं । यह प्रश्न काल है ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते मैं प्रश्न काल के बारे में प्रश्न उठा रहा हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि दो अनियमितताएं बरती गई हैं । (व्यवधान) महोदय, कुछ सदस्य शुक्रवार को दिल्ली आना चाहते थे । हैदराबाद और मद्रास हवाई अड्डों पर उन्हें दिल्ली आने से रोकने के लिए हवाई जहाजों की उड़ान रोक दी गई । महोदय, दूसरे मेरे पास शुक्रवार को सभा की कार्यवाही संबंधी दस्तावेज हैं । उपाध्यक्ष महोदय ने विदेश मंत्री से कहा था कि हम 6 बजे के बाद चर्चा नहीं करेंगे अपितु सोमवार को करेंगे । मेरे पास वह कार्यवाही सारांश है जिसमें मंत्री महोदय ने कहा है "महोदय हम 6 बजे

के बाद चर्चा जारी रखेंगे" और उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है "हम चर्चा सोमवार को जारी रखेंगे।" उन्होंने यह कहा है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रश्न काल में प्रश्नों के अलावा किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती।

(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, जहां तक प्रश्न काल के निलंबन का संबंध है, इसका निर्णय सदन करेगा। मैं प्रश्न काल के निलंबन किए जाने का विरोध करता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमानुसार चल रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, मैं आपको पहले ही लिखित में दे चुका हूं और हमने आपको सूचना भी दी है कि हम आज ही प्रश्न काल के बाद उद्घोषणा पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्हें प्रश्न काल के दौरान यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। उद्घोषणा पर चर्चा की जाएगी। हम चर्चा के लिए तैयार हैं किन्तु यह चर्चा सभा में 12 बजे के बाद की जाएगी। हम कर्नाटक के संबंध में ठीक 12 बजे चर्चा शुरू करने के लिए तैयार हैं। हम कर्नाटक के बारे में उद्घोषणा के बारे में चर्चा के लिए तैयार हैं। हम 12 बजे चर्चा शुरू कर सकते हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : श्री माधव रेड्डी ने प्रश्न काल का निलंबन किए जाने के बारे में नोटिस दिया है।

महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शुक्रवार को की गई घोषणा के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : उपाध्यक्ष महोदय को सभा की इच्छाओं के अनुसार चलना होता है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास श्री माधव रेड्डी का प्रश्नकाल को निलंबन किए जाने के बारे में

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रस्ताव है।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 32, जहां तक उसमें बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध करने के लिए उपबन्ध हैं, का निलम्बन करती है ताकि सभा कर्नाटक में हुई घटनाओं पर चर्चा कर सके।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 32, जहां तक उसमें बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध करने के लिए उपबंध है, का निलंबन करती है ताकि सभा कर्नाटक में हुई घटनाओं पर चर्चा कर सके।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 5

पक्ष में **11.16 म० पू०**

अठवाल, श्री चरनजीत सिंह

आचार्य, श्री बसुदेव

कुरुप, श्री सुरेश

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गोस्वामी, श्री दिनेश

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

तिरकी, श्री पीयूष

थामस, श्री तम्पन

दण्डवते, प्रो० मधु

दत्ता, श्री अमल

देव, श्री वी० किशोर चन्द्र एस०

बर्मन, श्री पलास

*बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बिश्वास, श्री अजय

महाता, श्री चित्त

मुखर्जी, श्रीमती गीता

रायप्रधान, श्री अमर

*गलती से पक्ष में मतदान किया।

राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर

रियान, श्री बाजूबन

रेड्डी, श्री ई० अय्यपू

रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र

रेड्डी, श्री मानिक

रेड्डी, श्री सी० माधव

रेड्डी, श्री एस० जयपाल

शाहबुद्दीन, श्री सैयद

साहा, श्री अजित कुमार

सिंह, श्री राम नारायण

*सुन्दर सिंह, चौधरी

स्वामी, श्री डी० नारायण

हन्नान मोल्लाह, श्री

विपक्ष में

अंजैया, श्रीमती मनेम्मा

अब्बासी, श्री के० जे०

अहमद, श्रीमती आबिदा

आनन्द सिंह, श्री

उरांव, श्रीमती सुमति

ओडेयर, श्री चनैया

कमलनाथ, श्री

कुन्जम्बु, श्री के०

कुप्पुस्वामी, श्री० सी० के०

कुरियन, प्रो० पी० जे०

कुरेशी, श्री अजीज

खत्री, श्री निर्मल

खां, श्री मोहम्मद अयूब (ऊधमपुर)

गांधी, श्री राजीव

गोहिल, श्री जी० बी०

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

चार्ल्स, श्री ए०

* गलती से मतदान किया गया।

चिदम्बरम, श्री० पी०
चौधरी, श्रीमती ऊषा
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाटव, श्री कम्मोदीलाल
जीवरत्नम, श्री आर०
जेना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री निहाल सिंह
टाइटलर, श्री जगदीश
डेनिस, श्री एन०
तम्बि दुराई, श्री एम०
तिग्गा, श्री साइमन
दास, श्री सुदर्शन
दीक्षित, श्रीमती शीला
देव, श्री सन्तोष मोहन
नामग्याल, श्री पी०
नीखरा, श्री रामेश्वर
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र
पंवार, श्री सत्यनारायण
पटनायक, श्री जगन्नाथ
पनिका, श्री रामप्यारे
पाटिल, श्री एच० बी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री विजय एन०
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पुजारी, श्री जर्नादन
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
प्रधानी, श्री के०
बनातवाला, श्री जी० एम०
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला

बासवराजू, श्री जी० एस०

बीरेन्द्र सिंह, श्री

बूटा सिंह, सरदार

भगत, श्री एच० के० एल०

भूमिज, श्री हरेन

भोई, डा० कृपासिंधु

मकवाना, श्री नरसिंह

महेन्द्र सिंह, श्री

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

रंगा, प्रो० एन० जी०

रथ, श्री सोमनाथ

राज करन सिंह, श्री

राठौड़, श्री उत्तम

रावत, श्री हरीश

व्यास, श्री गिरधारी लाल

शिंगड़ा, श्री डी० बी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

सईद, श्री पी० एम०

सिंगरावडीवेल, श्री एस०

सिदनाल, श्री एस० बी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री के० डी०

सेठी, श्री अनन्त प्रसाद

सोडी, श्री मानकूराम

स्पैरो, श्री आर० एस०

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में—31

विपक्ष में—74

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी विपक्ष में मतदान किया—डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, श्री बी० आर० भगत, चौधरी सुन्दर सिंह, श्री अजीज सेठ, श्री श्रीपति मिश्र, श्री खुर्शीद आलम खां, श्री आंह्कर फर्नान्डीस, श्री एम० वाई० घोरपडे, श्री डी० एन० रेड्डी ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल आरम्भ होता है। श्री बी० एल० रामूवालिया। अगले सदस्य, श्री दिनेश गोस्वामी।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : सभा की कार्यवाही के संचालन संबंधी प्रक्रिया के बारे में आपकी क्या राय है?

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, प्रश्न काल के बाद।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मन थामस : हैदराबाद हवाई अड्डे पर, 30 सदस्यों को ला रहे विमान की उड़ान में विलम्ब किया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है। श्री दिनेश गोस्वामी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दे सकते हैं। प्रश्नों के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा पहले ही प्रश्न काल शुरू करने का निर्णय ले चुकी है। मैंने इस सज्जन को कुछ कहने की अनुमति नहीं दी है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। प्रश्न काल में व्यवधान न डाला जाए।

प्रो० मधु दंडवते : क्या संसद सदस्यों के प्रश्न काल में भाग लेने के अधिकारों की रक्षा करना आपका कर्त्तव्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक स्वतन्त्र देश है। हर एक को यहां आने की अनुमति है। अब कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ भी कहा है मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता। कुछ नहीं होगा। इसकी अनुमति नहीं है। मैं सहमत नहीं हूं।

(व्यवधान)*

प्रो० मधु दंडवते : नागर विमानन मंत्री इस संबंध में वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : किस लिए? आप मुझे नोटिस दे सकते हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उस पर ध्यानाकर्षण की अनुमति दे सकता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : हमें यह जानकारी मिली है कि उन्हें हैदराबाद में रोका गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। आप मुझे नोटिस दीजिए। मुझे नागर विमानन मन्त्री को कहना होगा। इस तरह नहीं। मुझे नागर विमानन मंत्री को बुलाना पड़ेगा। उन्हें इसके लिए तैयार होकर आना पड़ेगा। इस तरह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो इस विषय पर ध्यानाकर्षण पर मैं अपनी सहमति दूंगा। लेकिन अभी नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यही करने जा रहा हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : सांसदों को रोका गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। परन्तु यह धर्मग्रन्थ में बताया गया सच नहीं है। आपने अनेक बार मुझसे झूठ कहा है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्यों का पता लगाना है। जब तक मुझे तथ्यों का पता नहीं चलेगा, मैं निर्णय नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे नोटिस दें तो मैं तथ्यों का पता कर सकता हूं। यदि आप मुझे नोटिस देंगे तो मैं उनसे पूछ सकता हूं। इसके बिना मैं कैसे जान सकता हूं...

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : "झूठ" से आपका क्या तात्पर्य है? कृपया अपने शब्दों को वापस लीजिए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मेरा आपसे अनुरोध है कि कार्यवाही वृत्तांत में मेरे लिए ऐसा रिकार्ड मत कीजिए कि हम अक्सर सभा में झूठ बोलते हैं। कृपया विपक्ष के विरुद्ध ऐसे आरोप मत लगाइए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, यदि मुझे ठीक से याद है तो आपने सभा में क्षमा मांगी थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा वे भी कहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि इस पक्ष की सभी बातें सही हैं। वे भी कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिनका मैं एकदम विश्वास नहीं करता। इसलिए मुझे तथ्यों का पता करना है। तत्पश्चात् आपको बताऊंगा।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आपने कहा है कि हम सभा में अक्सर झूठ बोलते हैं। एक बार

जब वक्तव्य गलत था तो मैंने स्वयं खेद व्यक्त किया था। आपके बिना कहे ही मैंने खेद प्रकट किया था।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं बिना जानकारी के कोई गलत कार्य करता हूं तो मुझे क्षमा मांगनी पड़ती है। प्रोफेसर साहब, आपने भी ऐसा ही किया, एक बार नहीं बल्कि तीन बार।

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष की हैसियत से यह मत कहिए कि आपने मुझसे क्षमा मांगने के लिए कहा था। जब मुझे मालूम पड़ा कि जानकारी गलत है तो मैंने एक बयान के जरिए स्वयं खेद व्यक्त किया था।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसे मुझे न देकर सभा के समक्ष दिया था। सभा के समक्ष क्षमा मांगने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक बात को धर्मग्रन्थों में बताया गया सत्य नहीं मान सकता। मुझे तथ्यों का पता करना है और तदनुसार कार्य करना है। मैं यह नहीं कहता कि वे हमेशा सच बोलते हैं चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों।

प्रो० मधु दंडवते : परन्तु आपको सभी के विरुद्ध, यह सामान्य टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि विपक्ष के सदस्य अक्सर झूठ बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा नहीं कहा है।

प्रो० मधु दंडवते : आप रिकार्ड की जांच कर सकते हैं। आपने कहा है कि हम अक्सर झूठ बोलते हैं। ऐसी बातों को कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित करने की अनुमति मत दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसे जान सकता हूं? यह राजनीति से प्रेरित हो सकता है; मैं नहीं जानता।

प्रो० मधु दंडवते : निदेश 115 के अधीन माननीय सदस्य भी अपने वक्तव्यों में संशोधन करते हैं। परन्तु आप यह कभी नहीं कहते कि वे अक्सर झूठ वक्तव्य देते हैं। यह प्रक्रिया का एक भाग है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा नहीं कहा था।

प्रो० मधु दंडवते : आप अपनी बात की जांच कीजिए। संभवतः आपका यह अभिप्राय नहीं हो परन्तु आपने यह कहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्षमा मांग सकता हूं। प्रोफेसर साहब, यदि मैंने कोई गलत बात कही है तो मुझे क्षमा मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि मनुष्य गलती कर सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि मैने कोई अनुचित बात कही है तो मुझे सभा के समक्ष क्षमा मांगने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि सभा सर्वोच्च है और मैं इसका सेवक हूं। यदि मैंने कोई गलत बात कही है तो मैं सभा के समक्ष क्षमा मांगता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : हमने आपसे क्षमा मांगने के लिए नहीं कहा है। इस बात को हमसे मत कहलवाइये। आपने कहा है कि हम सभा में अक्सर गलत बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा हो सकता है । यदि मैंने ऐसा कहा है तो मुझे खेद है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : हम आपकी बात मानते हैं । परन्तु आपने क्या कहा था । यदि आपका यह अभिप्राय नहीं था······

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि मैंने एकदम से कुछ कह दिया हो । अनेक लोग जोर से चिल्ला रहे थे । मैंने कहा था कि मुझे तथ्यों का पता करना है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के दौरान आप इन सब बातों को पूछ रहे हैं । हम लगभग आधा घण्टे से इन बातों को कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आप इसे गम्भीर मामला क्यों नहीं समझते ? 30 सदस्यों को पकड़ा गया था·····

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, हम जांच करायेंगे···(व्यवधान)

मुझे विश्वास नहीं होता कि माननीय सदस्य कोई जांच कराना चाहते हैं । यदि वे ऐसा चाहते हैं तो वे मुझे लिखित में दें कि क्या समस्या है । हम जांच करायेंगे, यदि कोई दोषी होगा तो उसे दंड दिया जाएगा । परन्तु यदि किसी की गलती नहीं हुई तो सदस्यों को सभा के समक्ष क्षमा मांगनी चाहिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे सभा की कार्यवाही नहीं चलाने देंगे तो मैं इसे स्थगित कर दूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हमने आपको केवल यह जानकारी दी है कि हमें सूचना मिली है कि हवाई अड्डे पर 30 सदस्य गिरफ्तार किए गए थे···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, यदि आप झूठ शब्द से उत्तेजित हैं तो मैं यह शब्द वापस लेता हूं । मुझे कोई परेशानी नहीं है । मैं 'गलत' कहना चाहता था । उत्तेजना में मैंने 'झूठ' कह दिया । कोई फर्क नहीं पड़ता । परन्तु यदि आप चाहते हैं कि मैं बिना सलाह के या तथ्यों का पता लगाये बिना कोई कार्यवाही करूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता ।

प्रो० मधु दंडवते : यह ठीक है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करूंगा । इसमें कोई परेशानी नहीं है । मैं किसी माननीय सदस्य के साथ कोई टकराव नहीं चाहता । मैं केवल निर्णय करने से पहले तथ्यों का पता लगाना चाहता हूं । मैं कैसे जान सकता हूं कि यह बात सच है या वह बात सच है ? कृपया आप मुझे एक नोटिस दीजिए । मैं तथ्यों का पता लगाकर सभा के समक्ष रख सकता हूं या चर्चा की भी अनुमति दे सकता हूं । इसमें कोई परेशानी नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश गोस्वामी···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं सभा स्थगित कर दूंगा। मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब आपके साथी नहीं करने देते, तो मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : क्या सभा कर्नाटक की घटना के बारे में मूक दर्शक बन सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : हम इसकी चर्चा करेंगे। घोषणा हो रही है। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे सभा स्थगित करनी पड़ेगी। मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी कहा था कि घोषणा के बाद हमें इसकी चर्चा करने का अवसर मिलेगा। क्या इसका अभिप्राय यह है कि आप मेरे निंदा प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के निलंबन का प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया था और इसे अस्वीकृत कर दिया गया है। प्रश्न काल की चर्चा के अलावा मैं किसी बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)*

प्रो मधु दंडवते : महोदय, आपने अभी कहा है कि हमें घोषणा के बारे में चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा। मैंने राज्यपाल के विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव रखा है। उसका क्या होगा ? शुक्रवार को आपने कहा था कि आप इसे स्वीकार करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो० दंडवते को जवाब दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। कृपया बैठ जाइए। यदि आप न्यायसंगत बात कहेंगे तो मैं सुन सकता हूं। प्रश्न चर्चा के बारे में है। प्रो० साहब ने नियम 184 के अधीन एक नोटिस दिया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमने भी नोटिस दिया है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, अनेक नोटिस प्राप्त हुए हैं। आप सबने दिए हैं। मुझे देखने दीजिए···

(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : महोदय मैंने भी प्रस्ताव रखा है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आपने भी प्रस्ताव रखा है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या उन्होंने निंदा प्रस्ताव रखा है ? क्या उन्होंने नियम 184 के अधीन नोटिस दिया है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सबने नियम 184 के अधीन मूल प्रस्ताव का नोटिस दिया है। सरकार की ओर से प्रस्ताव है कि घोषणा पर चर्चा की जाए और सभा में उसे पारित किया जाए। यह तो वही बात है। यह मूल प्रस्ताव है। इस पर चर्चा की जा सकती है।

एक माननीय सदस्य : जी नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के पश्चात् इस पर चर्चा की जायेगी।

[हिन्दी]

आप तोड़ रहे हैं नियमों को······

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा है कि जब मंत्री प्रस्ताव रखते हैं तो मैं राज्यपाल के आचरण के बारे में सब कुछ कह सकता हूं। परन्तु नियमों के अनुसार हम नियम 184 के अधीन केवल मूल प्रस्ताव के द्वारा राज्यपाल के आचरण पर चर्चा कर सकते हैं। हम उस प्रस्ताव के द्वारा राज्यपाल के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते जिसे मंत्री महोदय प्रस्तुत कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी को भी अनुमति नहीं है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के बाद पूछिये।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा की इच्छा को समझा जा रहा है। सभा ने यह निर्णय लिया है कि

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्न काल को निलम्बित नहीं किया जाएगा । इसलिए प्रश्नों के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के बाद पूछिये ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय की अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरा निर्णय तो एकदम सीधा और सरल है । यह प्रश्न काल है और मैं प्रश्नों के अलावा किसी भी विषय की अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप किसी और बात का उल्लंघन कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

दिनेश जी आप सवाल करेंगे क्या ?

[अनुवाद]

अथवा यदि आप इस बारे में गम्भीर नहीं हैं तो मैं अगले प्रश्न पर आता हूं ।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दिनेश जी, पूछेंगे क्या ?

[अनुवाद]

श्री एस० बी० सिदनाल ।

———

11.35 म० पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सरकारी उपक्रमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

[अनुवाद]

+

*697. श्री एस० बी० सिदनाल :

श्री जी० एस० बासवराजू :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में 13 मार्च,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

1989 से पांच दिन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त पाठ्यक्रम में, मुख्य सतर्कता अधिकारियों की भूमिका और कार्यों के विशेष संदर्भ में, सतर्कता संबंधी प्रशासन के मुख्य पहलुओं, निरोधक सतर्कता तथा अनुशासनिक कार्यवाहियों को शासित करने वाले नियमों तथा क्रियाविधियों को शामिल किया गया था। प्रशिक्षार्थियों से प्राप्त पुनर्निवेशन (फीड बैक) से इस बात का पता चलता है कि पाठ्यक्रम में शामिल विषय-वस्तु काफी गहन तथा लाभप्रद थी।

श्री एस० बी० सिदनाल : पता चला है कि सरकारी उपक्रमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में 13 मार्च को एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार और चोरी के बारे में नियमित रूप से समाचार पत्रों में छपता रहता है और इन लोगों ने इस पर नियंत्रण रखने में अभी तक अधिक अच्छा कार्य नहीं किया है तब पांच या दस दिन के लिए इन्हें प्रशिक्षण देने का क्या लाभ है। इस बारे में माननीय मंत्री क्या कहना चाहते हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम् : इस समय तैनात 106 मुख्य सतर्कता अधिकारियों में से 93 अधिकारी प्रशिक्षित हैं। हमारा आधार यह है कि मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों का उपयोग करने तथा कार्य निष्पादन की दृष्टि से यह प्रशिक्षण लाभप्रद है।

श्री एस० बी० सिदनाल : यदि ऐसा है तो सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने के लिए कितने अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इस बारे में अनेक बार सार्वजनिक तौर पर भी बताया जाता है और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने भी इन मुद्दों का उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और क्या आपने इन कारणों से किसी अधिकारी को निलम्बित किया है। अन्यथा इस देश में ऐसे सतर्कता अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का क्या लाभ है ?

श्री पी० चिदम्बरम : सरकारी उपक्रमों में निलंबित हुए कर्मचारियों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। ये निर्णय तो कम्पनी का निदेशक मंडल लेता है। इस समय 935 मामले जांच के विभिन्न चरणों में लम्बित पड़े हैं। निलंबित किए गए कर्मचारियों की संख्या ऐसा मामला नहीं है जिसके विषय में जानकारी केन्द्रीय स्तर पर रखी जाए।

श्री जी० एस० बासवराजू : टुमकुर में एच० एम० टी० घड़ी फैक्ट्री संख्या 4 में घड़ी के मुख्य उपकरणों का निर्माण होता है। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है। यहां पर सुरक्षा कर्मियों से सांठगांठ करके कर्मचारियों ने प्रतिदिन कम से कम 2 लाख से 3 लाख रुपये के माल की चोरी की है। स्थानीय पुलिस ने अनेक मामलों का पता लगाया है। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं इस संबंध में यह जानना चाहता हूं कि सरकारी उपक्रमों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सरकार इन मुख्य सतर्कता अधिकारियों पर भी नियंत्रण रखने पर विचार कर रही है।

श्री पी० चिदम्बरम : माननीय सदस्य ने जिस सरकारी क्षेत्र की कम्पनी का उल्लेख किया है, मेरा उससे संबंध नहीं है। मैं तो मुख्य सतर्कता अधिकारियों के प्रशिक्षण पर एक प्रश्न का उत्तर

दे रहा हूं। यदि वह एक जांच विशेष के तथ्य तथा यह जानना चाहते हैं कि क्या मुख्य सतर्कता अधिकारी ने इस पर कार्यवाही की है, तो मेरे विचार से उन्हें अपना प्रश्न संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को सम्बोधित करना चाहिए।

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र की परियोजनाओं में विलम्ब

*701. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में स्थापित की जा रही मेगा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना की मूल स्वीकृत लागत और उसके पूरा होने का समय क्या था;

(ग) किन-किन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रत्येक परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के कारण उसकी लागत में कितनी वृद्धि होने तथा उसका निर्माण कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) पहले से स्थापित परमाणु विद्युत परियोजनाओं और सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में स्थापित की जा रही परमाणु विद्युत परियोजनाओं के बारे में ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

I. वे परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं

परियोजना का नाम	सकल क्षमता	अभ्युक्ति
1. मद्रास परमाणु बिजली घर का दूसरा यूनिट	235 मेगावाट	यूनिट ने अगस्त, 1985 में क्रांतिकता प्राप्त की और इसे मार्च, 1986 में वाणिज्यिक स्तर पर चलाना शुरू किया गया।
2. नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना का पहला यूनिट	235 मेगावाट	यूनिट ने मार्च, 1989 में क्रांतिकता प्राप्त की थी। आशा है कि यह यूनिट सितम्बर, 1989 में वाणिज्यिक स्तर पर काम करना शुरू कर देगा।

II. निर्माणाधीन परियोजनायें

परियोजना का नाम	सकल क्षमता
1. नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना का दूसरा यूनिट	335 मेगावाट

2.	ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना का पहला और दूसरा यूनिट	2 × 235 मेगावाट
3.	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना का तीसरा और चौथा यूनिट	2 × 235 मेगावाट
4.	कैगा परमाणु विद्युत परियोजना का पहला और दूसरा यूनिट	2 × 235 मेगावाट

III. ऐसी परियोजनाएं जिनका काम सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में आरम्भ करना प्रस्तावित है तथा जिनके लिए ऐसे उपस्कर पहले से प्राप्त किए जा रहे हैं जिनके प्राप्त होने में लम्बा समय लग सकता है तथा जिन परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्वीकृति 1989 में मिलने की आशा है।

	परियोजना का नाम	सकल क्षमता
1.	कैगा 3 से 6 तक	4 × 235 मेगावाट
2.	तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना का तीसरा और चौथा यूनिट	2 × 500 मेगावाट
3.	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के यूनिट 5 से 8 तक	4 × 500 मेगावाट

(ख) संस्वीकृत स्कीमों के मामले में नीचे यह बताया जा रहा है कि उन स्कीमों का आरम्भिक स्वीकृत लागत अनुमान क्या है और उनके पूरा होने की आरम्भ में निर्धारित समयावधि क्या है :—

परियोजना का नाम	आरंभिक स्वीकृत लागत अनुमान और संस्वीकृत की तारीख	क्रांतिकता प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं के पूरा होने के वास्ते आरम्भ में निर्धारित समयावधि
1	2	3
1. मद्रास परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट	70.6 करोड़ रुपये (मई, 1971 में संस्वीकृत)	दिसम्बर, 1976
2. नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना का पहला तथा दूसरा यूनिट	209.89 करोड़ रुपये (जनवरी, 1974 में संस्वीकृत)	मार्च, 81 पहला यूनिट मार्च, 82 दूसरा यूनिट
3. ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना का पहला तथा दूसरा यूनिट	382.52 करोड़ रुपये (जुलाई, 1981 में संस्वीकृत)	दिसम्बर, 1990 पहला यूनिट दिसम्बर, 1991 दूसरा यूनिट

1	2	3
4. राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना का तीसरा तथा चौथा यूनिट	711.57 करोड़ रुपये (नवम्बर, 1986 में संस्वीकृत)	मई, 1995 तीसरा यूनिट नवम्बर, 1995 चौथा यूनिट
5- कैगा पहला तथा दूसरा यूनिट	730.72 करोड़ रुपये (जून, 1987 में संस्वीकृत)	जून, 1995 पहला यूनिट दिसम्बर, 1995 दूसरा यूनिट

जिन स्कीमों के मामले में परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्वीकृति अभी दी जानी है, उनकी अनुमानित लागत और उनके पूरा होने के लिए निर्धारित समयावधि के बारे में जानकारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्वीकृति दी जाने के बाद मिल सकेगी।

(ग) ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना—पहला तथा दूसरा यूनिट और राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना—तीसरा तथा चौथा यूनिट और कैगा—पहला तथा दूसरा यूनिट को पूरा करने के लिए आरम्भ में निर्धारित समयावधि में परिवर्तन नहीं किया गया है तथा काम को निर्धारित समयावधि में ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। मद्रास परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट और नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के पहले तथा दूसरा यूनिटों के संबंध में ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

परियोजना	परियोजना को पूरा करने के लिए आरंभ में निर्धारित समयावधि (क्रांतिकता)	वास्तविक क्रांतिक होने की प्रत्याशित तारीख	विलम्ब के मुख्य कारण
1	2	3	4
1. मद्रास परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट	दिसम्बर, 76	अगस्त, 85	(i) सीखने की प्रक्रिया के कारण और निर्माण की प्रौद्योगिकी को देश में ही विकसित करने के प्रयास के कारण महत्वपूर्ण और परिष्कृत न्यूक्लियर संघटकों का विलम्ब से प्राप्त होना। (ii) परमाणु बिजलीघरों को उपस्कर सप्लाई करने के मामले में कुछ देशों

1	2	3	4
			द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और इसके कारण वैकल्पिक साधन विकसित करने की आवश्य-कता ।
			(iii) भारी पानी का देरी से मिलना ।
			(iv) आरम्भ में ऐसी समयावधि का निर्धा-रित किया जाना जिसमें काम पूरा करने के बारे में हम आशावान थे ।
2. नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना पहला यूनिट	मार्च, 1981	मार्च, 1989	(i) डिजायनों में सुधार करके उन्हें ऐसे स्थल की परिस्थितियों के अनुरूप बनाना जहां मामूली भूकम्प आ सकते हैं। इस काम के लिए सुरक्षा संबंधी मानदंड तैयार किए गए और मानकीकरण किया जा सका ।
3. नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना दूसरा यूनिट	मार्च, 1982	मई, 1990	(ii) उपस्करों के डिजा-यनों में परिवर्तन होने के कारण वाष्प जनित्रों, एंड शील्डों आदि जैसे जटिल किस्म के न्यूक्लियर संघटकों को देश में ही तैयार करने के कारण टैक्नोलाजी का विकास करना पड़ा

1	2	3	4
			और परिणामस्वरूप डिलीवरी में विलम्ब हुआ ।
			(iii) संयंत्र को चालू करने की प्रक्रिया के दौरान परीक्षण के परिणामस्वरूप किए गए कुछ परिवर्तन और सामने आई कठिनाइयां ।

(घ) संस्वीकृत स्कीमों के बारे में प्रस्तावित अथवा संस्वीकृत लागत अनुमानों में किए गए संशोधनों का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :

परियोजना	आरंभिक लागत अनुमान	अन्तिम संस्वीकृत/अनुमानित लागत
मद्रास परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट	70.63 करोड़ रुपये (मई, 1971 में संस्वीकृत)	127.04 करोड़ रुपये (अप्रैल, 1983 में संस्वीकृत)
नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना का पहला तथा दूसरा यूनिट	209.89 करोड़ रुपये (जनवरी, 1974 में संस्वीकृत)	532.85 करोड़ रुपये (अनुमोदन विचाराधीन है)
ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना का पहला तथा दूसरा यूनिट	382.52 करोड़ रुपये (जुलाई, 1981 में संस्वीकृत)	745.00 करोड़ रुपये (अनुमोदन के लिए प्रस्तावित)

प्रारम्भिक संस्वीकृति और अन्तिम संस्वीकृति/प्रस्तावित लागत अनुमानों के बीच लागत में जो वृद्धि हुई है वह मूल्य-वृद्धि होने, कार्यक्रम के पूरा करने के लिए निर्धारित समयावधि के बढ़ जाने, डिजायनों में परिवर्तन किए जाने, सांविधिक लेवी में वृद्धि होने और विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन जैसे कारणों से हुई है। ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना के प्रारम्भिक लागत अनुमान नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के लिए सन् 1974 में अनुमोदित प्रारम्भिक अनुमानों पर आधारित थे। यद्यपि ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना के मामले में परियोजना के पूरा होने की प्रत्याशित तारीख वही है जो पहले निर्धारित की गई थी तथापि, नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के लिए डिजाइन में संशोधन होने के कारण इस परियोजना के लागत अनुमानों में संशोधन करना भी आवश्यक हो गया।

ऊपर भाग (ख) तथा (ग) के उत्तरों में यह बताया गया है कि परियोजना का काम कब तक पूरा होगा।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : यह तो आम बात हो गई है कि परियोजना में कई वर्षों की देरी हो रही है और इससे राजस्व पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है। 58 परियोजनाओं में देरी से व्यय में 15897 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। समाचारपत्रों में यह भी छपा है कि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 58 परियोजनाओं में देरी के कारण अनुमानित पूंजीगत लागत प्रारम्भिक अनुमोदित लागत 21,222.54 करोड़ रुपये से बढ़कर 37,119.44 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार इस मामले में भी ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना 1 तथा 2 में आरम्भिक लागत का अनुमान केवल 382.52 करोड़ रुपये था लेकिन अब नवीनतम अनुमानित लागत 7-5 करोड़ रुपये है। देरी के कारण ढूंढना आसान है। लेकिन इस देरी को दूर करना अत्यंत कठिन लगता है।

क्या सरकार इस बारे में कोई व्यवस्था करने पर विचार करेगी ताकि देरी से बचा जा सके और मंत्रियों सहित संबंधित व्यक्तियों पर दायित्व निर्धारित किया जाए और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए ?

श्री के० आर० नारायणन : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, देरी के लिए कारण ढूंढना आसान है। यह कारण बहुत उचित है ··(व्यवधान)···

ये कारण प्रौद्योगिकी तथा नए और आधुनिक उपकरणों के निर्माण में कठिनाई से संबंधित हैं जिनके बारे में निर्माताओं के पास पहले कोई अनुभव नहीं है। माननीय सदस्य को ध्यान होगा कि यह अत्यंत उच्च प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है जिस पर हमें विदेशों से किसी प्रकार की सहायता लिए बगैर ही कार्य करना पड़ा है। हमें स्वयं ही प्रयोगात्मक तौर पर लगभग सारी प्रौद्योगिकी विकसित करनी पड़ी। हमारे निर्माताओं को भी आधुनिक उपकरण बनाने का अनुभव नहीं था। देरी के लिए यह एक मुख्य कारण रहा है। अन्य कारण भी हैं।

लेकिन माननीय सदस्य ने अधिक रचनात्मक मुद्दा यह उठाया है कि भविष्य में हम ऐसी देरी को कैसे रोक सकते हैं। अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां हमें रिऐक्टर उपकरण का डिजाइन तैयार करने और निर्माण करने का पर्याप्त अनुभव हो गया है और हमने इन उपकरणों का मानकीकरण कर दिया है जिससे विलम्ब तथा लागत में भी काफी कमी होगी।

जिन उपकरणों के निर्माण में अधिक समय लगेगा ऐसे अनेक उपकरणों के लिए हम निर्माण के आर्डर काफी पहले से दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि मानकीकरण तथा स्थापनाओं को काफी पहले निर्माण के आर्डर देने से विलम्ब तथा लागत दोनों में काफी कमी आएगी।

मैं समझता हूं कि लागत के बारे में समाचारपत्रों में काफी बढ़ा-चढ़ाकर छापा गया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसा सिर्फ हमारे ही देश में नहीं है बल्कि परमाणु स्थापनाओं के मामले में अत्यधिक विकसित देशों में भी इसी तरह का विलम्ब समय तथा लागत में वृद्धि हुई है। यह तो इस प्रौद्योगिकी में निहित खतरे का एक भाग है।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : इस उत्तर से पता लगता है कि सातवीं योजना के दौरान तीन परियोजनाओं को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। पहली 'कैगा', दूसरी तारापुर और तीसरी राजस्थान परमाणु विद्युत पदियोजना है। मैं यह नहीं जानता कि इसे कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है। केरल में विद्युत की अत्यधिक कमी को देखते हुए क्या सरकार एक इकाई केरल में स्थापित करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

श्री के० आर० नारायणन : महोदय, जहां तक केरल का संबंध है, कुंडगुलम में एक ताप

विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त मद्रास परमाणु विद्युत केन्द्र से भी विद्युत का कुछ भाग केरल को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ की सहायता से जब कुडंगुलम में रिऐक्टर बन जाएगा तब वहां से भी केरल को कुछ बिजली दी जाएगी। जहां तक केरल में एक रिऐक्टर स्थापित करने का संबंध है, हमने पहले ही विभिन्न स्थल चुन लिए हैं। भविष्य में कुछ और स्थलों का चयन होना है। इस बारे में कोई वायदा नहीं किया जा सकता है। यह तो अभी तय होना है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : एक लम्बी अवधि के बाद कोयला भंडारों के समाप्त होने तथा पन बिजली परियोजनाओं में निहित पर्यावरण संबंधी खतरों को देखते हुए नए परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का मुद्दा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नई परमाणु विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में देखा गया है कि देश में कुछ राष्ट्रविरोधी लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है। मंत्री महोदय ने अभी कुडगुलम परियोजना का उल्लेख किया था। पिछले चुनावों के दौरान मैं कुडंगुलम क्षेत्र में गया था। इस क्षेत्र क लोगों को यह गलत जानकारी दी जा रही है कि इस परमाणु परियोजना से इस क्षेत्र के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। मैं कहता हूं कि कुछ राजनैतिक पार्टियों विशेषकर सत्ताधारी पार्टी ने वहां पर राजनैतिक लाभ उठाने के लिए कुडंगुलम परमाणु परियोजना का इस्तेमाल किया। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि इस देश में इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं जानना चाहूंगा कि परमाणु विद्युत परियोजनाओ में बरती गई सावधानियों और किए गए सुरक्षात्मक उपायों के बारे में सही जानकारी देने के लिए सरकार क्या करने जा रही है, ताकि ये गलत फहमी सदा के लिए दूर हो सकें। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या आप एक बार फिर परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए केरल में पुडाटंकट्टा पर विचार करेंगे?

श्री के० आर० नारायणन : परमाणु विद्युत संयंत्रों के खतरों के बारे में काफी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ अफवाहों के पीछे तो अच्छा उद्देश्य है और कुछ के पीछे बुरा उद्देश्य है।

परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस दिशा में बड़े सक्रिय ढंग से कार्य किया है कि आधुनिकतम तकनीक और सुरक्षा संबंधी नए उपकरणों से लैस परमाणु रिएक्टर ऊर्जा का एक सबसे अधिक सुरक्षित स्त्रोत होगा। यदि, कोई दुर्घटना होती है तो निश्चित रूप से इसमें विकिरण इत्यादि का खतरा है परन्तु ऐसी दुर्घटनाओं का सामना करने के लिए भी इन रिएक्टरों में प्रौद्योगिकी उपकरण लगाए गए हैं। हम लोगों को रिएक्टर प्रौद्योगिकी के सुरक्षा उपायों के बारे में और इस वास्तविकता के बारे में सूचना दे रहे हैं कि अभी तक हमारे किसी भी परमाणु रिएक्टर में कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है और उनमें कार्यरत व्यक्ति तथा उनके बाहर रहने वाले व्यक्ति विकिरण से पूर्णतया सुरक्षित हैं जिसे वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध किया जा सकता है। हम अब केवल इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते कि लोग हमसे यह पूछते हैं कि यदि अन्ततः किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न हुआ तो क्या होगा। यह एक परिकल्पित प्रश्न है। हम इस प्रश्न का केवल यही उत्तर दे सकते हैं कि हम ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर प्रकार की सावधानी बरत रहे हैं।

परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ने बहुत-सी प्रचार सामग्री तैयार की है और वे ऐसे सेमिनार और विचार गोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं जिनमें जनता भी भाग लेती है ताकि परमाणु रिएक्टरों में वास्तविक स्थिति का प्रचार किया जा सके।

केरल के बारे में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

विकलांगों के लिए विशेष कार्यक्रम

*703. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व विकलांग दिवस भारत में कब आयोजित किया गया था;

(ख) इस अवसर पर अपंग और विकलांगों की देखभाल के लिए देश में चलाए गए विशेष कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं योजना के दौरान इस प्रयोजन हेतु प्रति वर्ष कितनी राशि आवंटित की गई है ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल रखा गया है।

विवरण

भारत में विश्व विकलांग दिवस प्रति वर्ष मार्च के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 19 मार्च, 1988 को मनाया गया था।

2. यद्यपि भारत सरकार ने इस दिन कोई विशेष कार्यक्रम शुरू नहीं किया फिर भी केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संस्थानों तथा स्वयसेवी संगठनों द्वारा इस अवसर पर अनेक समारोहों का आयोजन किया गया। भारत सरकार ने स्वयंसेवी संगठनों, स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं, विकलांग कर्मचारियों, नियोजकों तथा विकलांगों के नियोजन अधिकारियों और विकलांगों के लिए प्रौद्योगिकीय आविष्कारों पर कार्य कर रहे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। आशा है कि इन पुरस्कारों से ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन और मान्यता मिलेगी। राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों ने विकलांगों के लिए विशेष खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया।

सरकार ने अपनी चल रही योजनाओं के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, प्रशिक्षण, नियोजन, कृत्रिम सहायक यंत्र/उपकरणों आदि की व्यवस्था के लिए कार्यक्रमों को समर्थन देना जारी रखा।

सातवीं योजना अवधि के दौरान विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जिस धनराशि का आबंटन किया गया उसे निम्न प्रकार से देखा जा सकता है :

वर्ष	आवंटित धनराशि
1985-86	रु० 1457.62 लाख
1986-87	रु० 1511.32 लाख
1987-88	रु० 1716.08 लाख
1988-89	रु० 2033.90 लाख
1989-90	रु० 2172.50 लाख

श्री उत्तम राठौड़ : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि नेशनल एशोसिएशन फॉर द ब्लाइंड और रायल कामनवेल्थ सोसायटी फॉर द ब्लाइंड ने नेत्रहीन लोगों के पुनर्वास के लिए और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कुछ योजनाएं प्रस्तुत की हैं। क्या सरकार को वे योजनाएं

प्राप्त हुई हैं, और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रति क्रिया है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : विकलांग व्यक्तियों के लिए, 1 प्रतिशत, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए, 1 प्रतिशत बहरों के लिए और 1 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यवस्था है।

श्री उत्तम राठोड़ : महोदय, हम सभी लोग जानते हैं कि :

[हिन्दी]

"दान नादान बनाता है।"

[अनुवाद]

अतः यह केवल मानवता के आधार पर ही नहीं होना चाहिए। अपितु विचार यह है कि विकास कार्यों के लिए विकलांग व्यक्तियों की प्रतिभा और सेवाओं का उपयोग किया जाए। क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार कैसे इन संस्थाओं की सहायता करने का प्रयास कर रही है ? आपके द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं के अतिरिक्त क्या स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता करने के लिए आपकी कोई नई योजना है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : हमारे अपने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थान हैं और इनके साथ ही हम स्वैच्छिक एजेंसियों को भी वित्तीय सहायता दे रहे हैं और हाल ही के कुछ वर्षों में हमने स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन दिया है। स्वैच्छिक संगठनों को 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है और हम एन०जी०ओ० के लिए भी नए स्वैच्छिक संगठन स्थापित करना चाहते हैं और हम उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। सरकार ने बहुत-सी योजनाओं को आरम्भ किया है और प्रोत्साहन दिया है ताकि हम विकलांगों के प्रति केवल सहानुभूति ही नहीं दर्शाएं अपितु हम चाहते हैं कि समाज को भी विकलांग व्यक्तियों के प्रति अपने रवैये में परिवर्तन करना चाहिए। वे समाज के उपयोगी सदस्य बन सकते हैं और वे राष्ट्रीय सम्पत्ति के निर्माण और विकास में अपना कुछ योगदान दे सकते हैं। हमारे संस्थान अथवा अन्य स्वैच्छिक संगठन जो उन संस्थानों को चला रहे हैं इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन लोगों की सहायता कर रहे हैं जो वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। गम्भीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ स्कूल खोले गए हैं और कुछ एकीकृत स्कूल हैं। वहां बच्चे बड़े होते हैं, वे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और सदन को यह जानकर खुशी होगी कि प्रशिक्षण के बाद बहुत से विकलांग लड़के और लड़कियों ने अपने जीवन को सफल बनाया है।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, विकलांग व्यक्तियों में पोलियो का पूर्णतः उन्मूलन किया जा सकता है और बहुत से विकसित देशों में पिछले कुछ वर्षों में पोलियो के बहुत कम मामले सामने आए हैं। परन्तु दुर्भाग्य से इस देश में केवल पोलियो के कारण ही 80 प्रतिशत व्यक्ति विकलांग हुए हैं और सम्पूर्ण विश्व में 60 प्रतिशत पोलियो से प्रभावित रोगी केवल भारत में ही हैं। हमारी ऐसी दुखद स्थिति है। हमारे पास पोलियो को रोकने के लिए प्रभावशाली टीके उपलब्ध हैं और वर्ष 1978 के बाद सरकार ने इसके लिए एक व्यापक अभियान चलाया था परन्तु उसमें अधिक सफलता नहीं मिली। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या मन्त्री महोदय इस बात का पता लगाने के लिए जांच कराने के लिए आदेश देंगे कि पोलियो का उन्मूलन क्यों नहीं किया जा सकता और क्या सरकार दो वर्षों की अवधि में पोलियो के पूर्णतया उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बनाएगी ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : महोदय, हमने पोलियो उन्मूलन के लिए एक योजना आरंभ की है। हमें आशा है कि वर्ष 2000 तक पोलियो का पूर्णतया उन्मूलन हो जाएगा, जैसे कि हमने अपने देश से चेचक का उन्मूलन कर दिया है।

श्री हरूभाई मेहता : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के प्रयासों के बावजूद यह सच है कि विकलांग व्यक्ति काफी हद तक बेरोजगार हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या अपंग, विकलांग और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण अथवा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केन्द्रीय अथवा राज्य स्तर पर वैधानिक अथवा किसी अन्य प्रकार के बोर्ड की स्थापना की गई है और यदि नहीं तो क्या सरकार ऐसे बोर्ड स्थापित करने के बारे में विचार करेगी ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : हमने रोजगार कार्यालयों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। इसके अन्तर्गत सभी राज्यों में रोजगार के मामले में विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता और आरक्षण दिया जाता है। गत वर्ष हमने इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया था और मैं समझती हूं कि इस अभियान के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के शारीरिक रूप से विकलांग और अपंग लड़के और लड़कियों का नाम दर्ज किया गया था। यह प्रयास केवल दिल्ली में ही जारी नहीं है अपितु केन्द्रीय सरकार ने अन्य राज्यों से भी आगे आकर इसे पूरा करने का अनुरोध किया है।

श्री हरूभाई मेहता : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भांति इसके लिए विशेष बोर्ड की स्थापना करने के बारे में क्या स्थिति है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

उत्तर प्रदेश में पर्यटक केन्द्र

[हिन्दी]

*704. श्री राजकुमार राय : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों को पर्यटक केन्द्र घोषित किया गया है; और

(ख) क्या इन स्थानों को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने का कार्य आरम्भ हो चुका है ?

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पर्यटक रूचि के स्थलों को पर्यटक केन्द्रों के रूप में घोषित करने की प्रथा को नहीं अपनाया है। यह विभाग राज्यों को विभिन्न केन्द्रों पर पर्यटन आधार संरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विभाग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी है—

1. श्रावस्ती में पर्यटक परिसर
2. कार्बेट, दुधवा एवं चिल्हा हेतु मिनी बसें एवं हाथी
3. मथुरा में पर्यटक बंगला
4. गोमती नदी में जल-क्रीड़ा
5. लखनऊ महोत्सव
6. ओपन एयर थिएटर हेतु मंच एवं अयोध्या में मार्गस्थ सुख-सुविधायें
7. हरिद्वार में कुम्भ मेला हेतु स्विस कुटीरें
8. सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती एवं फतेहपुर सीकरी में शौचालय एवं पेयजल की सुविधाएं
9. गढ़वाल क्षेत्र हेतु फाइबरग्लास हट्स
10. संकासिया हेतु मास्टर प्लान
11. इलाहाबाद में यात्री निवास
12. कोसी रेस्तरां का नवीकरण
13. धनगिरि में वनगृह
14. कोसी में पर्यटक परिसर
15. कुम्भ मेला, इलाहाबाद में फास्ट फूड काउंटर

श्रावस्ती में पर्यटक परिसर, इलाहाबाद में यात्री निवास एवं धनगिरि में वनगृह को छोड़कर अन्य सभी परियोजनाओं में कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों है।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में पर्यटन केन्द्र घोषित करने के बारे में प्रश्न था और सरकार ने यह बताया कि पर्यटन केन्द्र घोषित नहीं करते बल्कि कुछ सहायता दे देते हैं और कुछ पर्यटन केन्द्रों की उन्होंने सूची दे दी है लेकिन इसमें जो केन्द्र दिए हुए हैं, उनमें कुम्भ मेला, हरिद्वार और इलाहाबाद जो हैं, उनके लिए सरकार खुद ही अलग से फंड देती है और उसके लिए एक्ट बना हुआ है और सारे इन्तजाम होते हैं। तो ऐसे मामले में, जिसमें पर्यटन विकास के लिए कुछ किया जाना है, उसके लिए या तो सरकार खुद घोषित कर दे कि किन-किन को देना है या उन जगहों पर जहां अलग से पैसा मिलता है, वहां न देने का प्रावधान किया जाए, तो अच्छा होगा। इसलिए मैं सरकार के माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सम्भव नहीं है सरकार के लिए कि जहां अन्य माध्यमों से पैसे दिए जाते हैं विकास के लिए जैसे कुम्भ मेला, हरिद्वार के लिए दिया जाता है, उन जगहों पर पैसा न देकर दूसरी जगहों पर पर्यटन के विकास के लिए पैसा दिया जाए। आज-कल राष्ट्रीय एकता पर बहुत जोर दिया जा रहा है। तो मऊ जिले में जो वन देवी है, ऐसी जगहों पर पैसा दिए जाएं और पर्यटन केन्द्र बनाए जाएं ?

[अनुवाद]

श्री के० आर० नारायणन : राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित और पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत की गई सभी योजनाओं के लिए धनराशि आवंटित की गई है और मैं आपको निर्मुक्त की गई

धनराशि का विस्तृत ब्यौरा दे सकता हूं अथवा मैं माननीय सदस्य को यह सूचना भेज सकता हूं अथवा यदि वह चाहते हैं तो मैं अभी प्रत्येक परियोजना के लिए इसे पढ़कर सुना सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : मुझे उसकी जरूरत नहीं है कि कहां कितना दिया और किस-किस को मिला। मैं तो यह कह रहा हूं कि क्या यह पालिसी चेंज नहीं कर सकते कि या तो खुद पर्यटन केन्द्र घोषित करें या उन जगहों पर पैसा न दें जहां दूसरे माध्यमों से जैसे कुम्भ मेले के लिए पर्यटन विभाग से पैसा जाता है, फौरेस्ट से पैसा जाता है और दूसरे स्रोतों से जाता है। तो ऐसे नियम बनाएं हैं कि जहां पैसा जाना चाहिए वहां न जाए। जब आप सबसे ज्यादा राष्ट्रीय एकता पर जोर देते हैं, हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जोर देते हैं तो वहां तो आप इसको करें। मऊ जिले की वनदेवी है। ऐसे इलाके को लेने में क्या दिक्कत है, राज्य सरकार को क्या दिक्कत है? क्या राज्य सरकार को आप निर्देश देंगे कि मऊ जिले की वनदेवी को पर्यटन केन्द्र घोषित कर आपसे पैसा ले?

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

महाराष्ट्र में आदिवासी परिषद

[हिन्दी]

***696. श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :**
श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या कल्याण यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल जिलों का तीव्र गति से तथा विशेष विकास करने की दृष्टि से एक आदिवासी परिषद की स्थापना की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई बातचीत चल रही है?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) सरकार को ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली नगर निगम द्वारा कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की खरीद

***698. श्री सरफराज अहमद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 फरवरी, 1989 के "जनसत्ता" में "बिना चले कबाड़ कैसे हो गई कूड़ा गाड़ियों" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा तीन वर्ष पहले खरीदी गई नई किस्म की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की खरीद में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) सरकार को इस समाचार की जानकारी है।

दिल्ली नगर निगम के अनुसार वर्ष 1985-86 में 10 कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां (कम्पो-बक्स) खरीदी गई और वर्ष 1986-87 में भी ऐसी इतनी ही गाड़ियां खरीदी गई ताकि कालोनियों की तंग गलियों से कूड़ा इकट्ठा करने/एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए पशुओं द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ियों के स्थान पर इन गाड़ियों को चलाया जा सके।

इस बारे में जनवरी, 1989 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता निदेशक, दिल्ली नगर निगम को एक शिकायत भेजी, जिसमें यह कहा गया है कि इन गाड़ियों की खरीद संबंधी कथित अनियमितताओं की जांच की जाए और उस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। दिल्ली नगर निगम के सतर्कता विभाग द्वारा इस बारे में जांच आरम्भ की जा चुकी है।

"इन्सैट-1बी" और "इन्सैट-1डी" को अन्तरिक्ष में स्थापित करना

[अनुवाद]

*699. श्री एच० ए० डोरा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में "इन्सेट-1बी" और "इन्सैट-1 डी" को अन्तरिक्ष में स्थापित करने के लिए "इंटेलसैट" से खाली स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) "इंटेलसैट" ने इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) इन्सैट-1 बी और इन्सैट-1 डी के प्रचालन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा हमें पहले से ही कक्षीय स्थान दिए गए हैं। दूरसंचार और दूरदर्शन हेतु इन्सैट प्रणाली क्षमता के संवर्धन और संपूर्ति के लिए भारत ने इन्टेलसैट से प्रेषानुकर क्षमता को लीज पर देने का अनुरोध किया है।

(ख) इन्टेलसैट से पहले ही लीज लिए गए दो प्रेषानुकर 1985 से इन्सैट प्रणाली का भाग हैं। अब ग्यारह और प्रेषानुकरों को अतिरिक्त लीज पर देने का अनुरोध किया गया है।

(ग) इन्टेलसैट स्वयं क्षमताओं का अभाव महसूस कर रहा है, इसलिए इन्टेलसैट ने भारत को सूचित किया है कि वह अपने विद्यमान और योजनाबद्ध उपग्रहों में से अतिरिक्त लीज प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। फिर भी, इन्टेलसैट अतिरिक्त उपग्रहों को प्राप्त करने जैसी अन्य संभावनाओं का पता लगा रहा है। इन्टेलसैट से और प्रेषानुकरों की संभावित लीज का मिलना इस प्रयास के परिणाम पर निर्भर करेगा।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शस्त्र विक्रेताओं को गिरफ्तारी

*700. श्री साम्भाजीराव काकड़े : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में दिल्ली स्थित कुछ अन्तर्राष्ट्रीय शस्त्र विक्रेताओं को गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इन शस्त्र विक्रेताओं की जासूसी की कथित

गतिविधियों के बारे में जांच पूरी कर ली है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जून और अक्तूबर, 1988 में कुछ गिरफ्तारियां की हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) इन मामलों में मुकदमें दायर किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल में गंगासागर यात्रिका का निर्माण

*705. **प्रो० एम० आर० हाल्दर :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में गंगासागर यात्रिका के निर्माण के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) क्या निर्माण कार्य शुरू हो गया है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पश्चिमी बंगाल के गंगासागर में यात्रिका के निर्माण हेतु 17,56,800 रु० की सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है।

(ख) काम शुरू हो चुका है।

(ग) मौजूदा स्कीम के तहत विभाग ने भारतीय यात्री आवास विकास समिति को, जोकि परियोजना हेतु निष्पादन-एजेंसी है, सहायता अनुदान की राशि प्रदान की है। समिति और ठेकेदार के बीच में एक विवाद खड़ा हो गया है जिससे कार्य की प्रगति में रुकावट आई है। यह मामला इस समय मध्यस्थ-निर्णय के विचाराधीन है।

मौसम की पूर्व जानकारी देने में सुपर कम्प्यूटर की कार्यकुशलता

*706. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

श्री वी० कृष्ण राव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्राप्त किया गया अमरीका में बना सुपर कम्प्यूटर मौसम की पूर्व जानकारी देने वाले राष्ट्रीय केन्द्र में एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक उपयोगी सिद्ध होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) मध्यम अवधि के लिए, अर्थात् तीन दिन से 10 दिन तक के लिए मौसम की अग्रिम सूचना देने के लिए गणितीय माडलों के लिए एक ट्रिलियन (10^{12}) गणकों की आवश्यकता होती

है। यह सुपर कम्प्यूटर के जरिये ही संभव हो सकता है।

कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगाने के लिए राडार का निर्माण

*707. **श्री पी० एम० सईद** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगाने के लिए भारतीय वायुसेना के उपयोग हेतु आसानी से इधर-उधर ले जाये जा सकने वाले एक राडार का डिजाइन बनाया है तथा इसका निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं,

(ग) इसका निर्माण करने वाला एकक कहां स्थित है तथा इसकी निर्माण क्षमता कितनी है; और

(घ) इस एकक की स्थापना पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी तथा प्रति राडार लागत कितनी है ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) इस राडार की विशेषताओं को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

(ग) गाजियाबाद।

सुस्थिर रूप से उत्पादन आरम्भ होने पश्चात् लगभग 2 राडार प्रति माह बनने लगेंगे।

(घ) यह एकक सार्वजनिक क्षेत्र का मौजूदा उपक्रम है जो रक्षा उपस्करों का उत्पादन करता है। एक राडार की कीमत लगभग 5.0 करोड़ रुपये है।

उत्तर प्रदेश में हिल्ट्रान और आप्ट्रान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित करना

[हिन्दी]

*708. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिल्ट्रान और आपट्रान को उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का निर्माण करने वाली इकाइयां स्थापित करने हेतु आशय पत्र और लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें अब तक कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं और किन किन स्थानों पर कितनी-कितनी इकाइयां स्थापित की गयी हैं;

(ग) क्या इन सभी इकाइयों में उत्पादन आरम्भ हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों के विनिर्माण के लिए, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी निगम (अप्ट्रान) तथा उत्तर प्रदेश पर्वतीय इलेक्ट्रॉनिकी निगम (अपहिल्ट्रॉन) के पास कोई आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस नहीं है। किन्तु, अपहिल्ट्रॉन ने दो पंजीकरण प्राप्त किए हैं।

जिनमें से एक पंजीकरण पिथौरागढ़ जिले में इलेक्ट्रानिक क्वार्टज दीवार घड़ियों तथा उनके अन्दर उत्पन्न होने वाली गति विषयक यंत्रों के विनिर्माण के लिए तथा दूसरा पंजीकरण जिला अल्मोड़ा में सौर प्रकाश वोल्टीय माड्यूलों तथा प्रणालियों के विनिर्माण के लिए है ।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए दिसम्बर, 1988 तक अप्ट्रॉन तथा अपहिल्ट्रॉन को 20 औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण तथा 14 आशय-पत्र जारी किए गए हैं । वे कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, मोहनलाल गंज, टिहरी गढ़वाल, गाजियाबाद, सहिबाबाद तथा अल्मोड़ा में स्थापित हैं । 16 औद्योगिक लाइसेंसों/पंजीकरणों के मामले में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को सूचित किया गया है कि उनमें उत्पादन आरम्भ हो गया है ।

केरल में प्रति व्यक्ति आय

[अनुवाद]

*709. **श्री सुरेश कुरुप :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन तथा राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा परिकलित केरल राज्य की प्रति व्यक्ति आय में कोई अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव राव सोलंकी) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्तर मुख्यतः आंकड़ा आधार तथा अर्थव्यवस्था के कुछक क्षेत्रों में प्राक्कलन पद्धति के कारण हैं । केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा राज्य प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा के पश्चात् प्रयोग की गई स्रोत सामग्री का आदान प्रदान करके सम्भव सीमा तक, इन अन्तरों का समाधान करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं । केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा अन्य राज्यों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की पद्धति का अनुसरण किया जाता है ताकि ऐसे अनुमान तैयार किए जा सकें, जो विभिन्न राज्यों के सम्बन्ध में तुलनीय हों ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार

*710. **श्री बनवारी लाल बैरवा :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंत, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में कमर्शियल पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और इस पाठ्यक्रम की अवधि क्या है;

(ख) पाठ्यक्रम के प्रत्येक बैंच में प्रवेश हेतु कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और उनमें से कितने उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया तथा प्रत्येक बैंच में, विशेषकर पहले बैंच में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवार थे;

(ग) क्या सरकारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आयु, फीस तथा शैक्षिक अर्हता, आदि के मानदण्डों के संबंध में कोई छूट निर्धारित की

गई है और उन्हें दी जा रही है तथा क्या इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए कुछ स्थान आरक्षित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में कमर्शियल पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता की निम्नलिखित शर्तें हैं :—

(1) आयु सीमा : उम्मीदवार को अविवाहित और 23 वर्ष से कम होना चाहिए।

(2) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय या बोर्ड से वरिष्ठ स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) या समकक्ष योग्यता।

(3) उड़ान अनुभव : उम्मीदवार के पास वैध इंडियन प्राइवेट पायलट लाइसेंस सहित कम से कम 60 घंटे का उड़ान अनुभव अवश्य होना चाहिए जिसमें से कमान पायलट के रूप में 30 घंटों का अनुभव भी हो।

(4) उम्मीदवार के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस धारण के लिए आवश्यक वायुसेना केन्द्रीय चिकित्सा स्थापना, नई दिल्ली या विमानन आयुर्विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

(5) उम्मीदवार को भारतीय राष्ट्रिक होना चाहिए।

पाठ्यक्रम की अवधि : 15 महीने (लगभग,

(ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

पाठ्यक्रम संख्या	आवेदन करने वाले सामान्य उम्मीदवारों की संख्या	प्रवेश लेने वाले सामान्य उम्मीदवारों की संख्या	आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति उम्मीदवारों की संख्या	प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति उम्मीदवारों की संख्या
पहला सी० पी० एल०	66	18	1	1
दूसरा सी० पी० एल०	45	19	1	1
तीसरा सी० पी० एल०	53	23	1	—
चौथा सी० पी० एल०	100	30	1	1
पांचवां सी० पी० एल०	119	30	5	2
छठा सी० पी० एल०	106	36	3	2

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को निम्नलिखित छूट दी जाती है :—

(1) छठे बैच से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में दो वर्ष की छूट।

(2) अन्य मानक : प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंकों में 5% की छूट ।

(3) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए आते हैं, उन्हें आने-जाने का रेल किराया दिया जाता है ।

"कोचीन नेवल बेस" के कर्मचारियों के लिए आवास सुविधायें

*711. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "कोचीन नेवल बेस" के सैनिक और असैनिक कर्मचारियों को अधिक आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : कोचीन नौसैनिक अड्डे में सेना कार्मिकों और सिविलियनों के लिए उपलब्ध आवास की स्थिति इस प्रकार है :—

कार्मिकों की श्रेणी	उपलब्ध आवास	निर्माणाधीन आवास
सेना अफसर	461	—
नाविक	1087	860
सिविलियन	—	60

इसके अतिरिक्त 45 सेना अफसरों और 90 सिविलियन कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण के लिए भी मंजूरी दे दी गई है ।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन

*712 **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में और आगे संशोधन करने का कोई विचार है; और

(ख) क्या यह पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है कि उक्त अधिनियम के उद्देश्य किस हद तक पूरे हुए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ख) इतनी जल्दी इसका कोई मूल्यांकम करना उपयुक्त नहीं है ।

जैसलमेर और बाडमेर जिलों के युवाओं की सीमा सुरक्षा बल में भर्ती

*713. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार जैसलमेर और बाडमेर के सीमांत जिलों में पिछले पांच वर्षों से लगातार पड़ रहे सूखे के कारण वहां पैदा हुई बेरोजगारी की गम्भीर समस्या को ध्यान में रखते हुए इन जिलों के युवाओं को सेना में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के बारे में दी गयी छूट को सीमा सुरक्षा बल में भर्ती के लिये भी लागू करने का है; और

(ख) यदि हां तो कब से और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा चल/अचल सम्पत्ति का अर्जन

*714. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना कितने मूल्य तक की चल/अचल सम्पत्ति खरीद सकते हैं;

(ख) क्या सरकार का वेतनमानों में और जीवन यापन लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस सीमा को बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी किसी भी अचल सम्पत्ति को, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो केवल सरकार की पूर्व जानकारी/पूर्व मंजूरी से ही अर्जित अथवा बेच सकते हैं। समूह "क" और "ख" पदों को धारित करने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में यदि सम्पत्ति का मूल्य रु० 10,000/- से अधिक हो और समूह "ग" अथवा "घ" पदों को धारित करने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में यदि सम्पत्ति का मूल्य रु० 5,000/- से अधिक हो तो ऐसी अचल सम्पत्ति के लेन-देन की तारीख से एक महीने के भीतर निर्धारित प्राधिकारी को सूचना देना आवश्यक होता है। पूर्व अनुमति केवल तभी आवश्यक होती है यदि सम्पत्ति का लेन-देन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जा रहा हो जो सरकारी कर्मचारी के साथ सरकारी काम काज में कोई संबंध रखता हो।

(ख) और (ग) चल सम्पत्ति के लेन-देन के लिए कोई सूचना देने अथवा अनुमति लेने के प्रयोजन से निर्धारित वित्तीय सीमाओं को गत अप्रैल, 1988 में संशोधित कर दिया गया है। इन सीमाओं को बढ़ाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर कर्नाटक के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक

*715. **डा० दत्ता सामंत :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के मुख्य मन्त्री ने उनसे अनुरोध किया है कि वह कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद पर विचार-विमर्श करने के लिए कर्नाटक के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिलें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) कर्नाटक के मुख्य मंत्री को उसके शिष्ट-मंडल के साथ दिनांक 3 मई, 1989 को नई दिल्ली में बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की 21 अप्रैल, 1989 की उद्घोषणा के साथ ही अब स्थिति बदल गई है।

नशीले पदार्थों के सेवन की लत

[अनुवाद]

6633. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में नशीले पदार्थों की बिक्री और इनके सेवन की लत में हो रही भारी वृद्धि का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस बुराई को, विशेषकर महाविद्यालय के छात्रों में, समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विस्तार का मूल्यांकन करने तथा समाज के विभिन्न भागों में उसके दुरुपयोग के कारणों का अध्ययन करने के लिए 31 शहरों तथा 2 सीमावर्ती क्षेत्रों में अध्ययन शुरू किए गए हैं। अध्ययनों पर प्रगति हो रही है।

(ग) नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के कुप्रभावों के बारे में विभिन्न वर्गों की जनसंख्या को शिक्षित करने के लिए समेकित तथा व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। सभी प्रकार के संचार माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। कालेजों के छात्रों सहित विभिन्न समूहों को शिक्षित करने के लिए वाद-विवाद, निबंध तथा इश्तहार प्रतियोगिता, सेमिनार तथा सामुदायिक स्तर की बैठकें इत्यादि आयोजित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को भी सहायता दी जा रही है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा युवा कार्य विभाग ने भी इस खतरे का मुकाबला करने के लिए विद्यार्थियों को सहायता देने हेतु कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का आयोजन कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से परामर्श तथा मार्ग-दर्शन सेवाएं भी प्रदान की जा रही है।

दंडकारण्य परियोजना के शिक्षकों को संशोधित वेतनमान

6634. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना में मैट्रिक उत्तीर्ण प्रशिक्षित शिक्षकों को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कटक बैंच की सिफारिश के अनुसार वेतनमान 1 जनवरी, 1973 से नहीं दिए जा रहे हैं;

(ख) क्या परियोजना प्राधिकारियों द्वारा चट्टोपाध्याय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार भी 1 जनवरी, 1986 से इन शिक्षकों को संशोधित वेतनमान नहीं दिए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त न्यायाधिकरण और आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (घ) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कटक न्यायपीठ के फैसले के अनुसार दण्डकारण्य परियोजना के प्रशिक्षित मैट्रिक अध्यापकों के वेतनमान को 1-1-1973 से संशोधित करने के लिए 30-3-89 को आदेश जारी कर दिए गए थे।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कटक न्यायपीठ के 30-11-1988 के फैसले के अनुसार चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशें दण्डकारण्य परियोजना के अध्यापकों पर लागू नहीं होती है।

रोहिणी के लिए गृह-कर की गणना

6635. **श्री भरत सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोहिणी, दिल्ली के विभिन्न सैक्टर गृह कर की गणना के प्रयोजनार्थ विभिन्न जोनों अर्थात् नजफगढ़, नरेला और सिविल लाइन से सम्बद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप रोहिणी के विभिन्न सैक्टरों में समान क्षेत्रफल पर बने मकानों पर गृह-कर लगाने हेतु आंका गया कर योग्य मूल्य अलग-अलग होगा; और

(ग) क्या सरकार का पूरे रोहिणी के लिए गृह-कर की गणना हेतु एक पृथक जोन बनाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) सम्पत्ति कर को अंतिम रूप से निर्धारित करने का काम दिल्ली नगर निगम (दि० न० नि०) के उसी क्षेत्र के अधिकारी द्वारा किया जाता है जिस क्षेत्र में सम्पत्ति स्थित हो। सम्पत्ति के कर योग्य मूल्य पर सम्पत्ति कर लगाया जाता है और क्षेत्र परिवर्तन से उसमें भिन्नता नहीं आती है। कर दाताओं की संख्या और उपलब्ध कार्यालय स्थान को ध्यान में रखते हुए दि० न० नि० द्वारा नए कार्यालय खोले जाते हैं।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को डी० एम० ऋण

6636. **श्री नटवर सिंह सोलंकी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने 105 मिलियन डी० एम० ऋण प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं और अब तक इसमें कितनी धनराशि निकाली जा चुकी है;

(ग) क्या ऋण प्राप्त करने के पश्चात् रुपये के मुकाबले डी० एम० के मूल्य में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने वायदा बाजार का कोई लाभ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा किए गए इस वायदा बाजार से क्या बचत होने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां।

(ख) इस ऋण की वार्षिक ब्याज दर 9.125% (निश्चित) है और इसे 30.9.87 से शुरू होने वाली 13 बराबर छमाही किश्तों में वापिस करना है। इसके अतिरिक्त 0.375% प्रबंध शुल्क (ऋण राशि पर समान दर पर), 10,000 ड्यूश मार्क वार्षिक एजेंसी शुल्क और एक्चुअल आउट आफ पाकेट व्यय, जो 25,000 ड्यूश मार्क से अधिक नहीं होगा, का भी भुगतान किया जाना है। मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऋण की समस्त राशि प्राप्त कर ली है।

(ग) जी, हां।

(घ) मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने बैंकरों की सलाह से वायदा बाजार का

लाभ उठाती है जिससे उन्हें बचत हुई है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

अदायगी की तिथियों को तत्काल दरों पर देय रु1ये का मूल्य (रुपये)	प्रोत्साहित ठेके की शर्तों के अनुसार अदा किए गए रुपये का मूल्य (रुपये)	बचत (रुपये)
3,46,73,256	3,37,63,597	(+) 9,09,659
9,26,79,964	9,02,25,728	(+) 24,54,236
4,92,18,750	4,89,32,038	(+) 2,86,712

आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय विकलांग विज्ञान संस्थान

6637. **श्री सोडे रमैया** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या विकलांग लोगों को चिकित्सा सहायता और सलाह प्रदान कराने के लिए आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय विकलांग विज्ञान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : आंध्र प्रदेश में किसी भी केन्द्रीय विकलांग विज्ञान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, विकलांग व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए एक जिला पुनर्वास केन्द्र की स्थापना पहले ही विजयवाड़ा (कृष्णा जिला) में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा सिकंदराबाद में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की स्थापना की गई है। बधिरों के लिए अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान का एक क्षेत्रीय केन्द्र, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान के अंतर्गत व्यस्क बधिरों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र और राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान के अंतर्गत नेत्रहीनों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र हैदराबाद में स्थित है। भारत सरकार आंध्र प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए अनेक गै सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान कर रही है।

असम में चाय-बागान और पूर्व चाय-बागान जन-जातियां

6638. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में चाय-बागानों और पूर्व चाय-बागानों में जनजातियों के लोगों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या वे स्वयं को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग करते हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके कल्याण और उन्हें अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उनके कल्याण के लिए मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) असम के चाय बागानों में 12 प्रमुख प्रवासित आदिवासी हैं।

(ख) और (ग) अनुसूचित जनजातियों की सूची में व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 342(2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के अधिनियम के द्वारा किया जा सकता है। इस स्तर पर कोई भी और आगे जानकारी नही बताई जा सकती है।

(घ) चूंकि उपरोक्त प्रवासित आदिवासियों को असम की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है इसलिए आदिवासी कल्याण और विकास की निधियों में से उनके लिए कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया जा रहा है।

तमिलनाडु में होटल

6639. **श्री एन० डेनिस** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में मद्रास और अन्य पर्यटन केन्द्रों में इस समय कुल कितने बहुराष्ट्रीय होटल चल रहे हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) तमिलनाडु में विदेशी सहयोग से निम्नलिखित 3 पांच-सितारा होटलों का परिचालन किया जा रहा है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

1. वैलकम ग्रुप चोला शेराटन, मद्रास
2. वैलकम ग्रुप पार्क शेराटन, मद्रास
3. क्वालिटी इन्न सदर्न क्रास, उटकमंड

सिविल सेवा परीक्षाओं में चुने गए उम्मीदवार

6640. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिविल सेवा परीक्षाओं में सफल हुए उम्मीदवारों का उनके मूल राज्य के अनुसार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उम्मीदवार मूल राज्य के अनुसार और उसको आवटित राज्यवार (भारत विदेश सेवा को छोड़कर) और आय वर्गानुसार इस परीक्षा के आधार पर भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुने गए उम्मीदवारों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सिविल सेवा परीक्षा में सफल हुए सभी उम्मीदवारों के, उनके मूल राज्य के अनुसार, ब्यौरों की सूचना केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखी जाती।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों के बारे में उनके मूल राज्य और जिस राज्य को उनका आवंटन किया गया है (भारतीय विदेश सेवा को छोड़कर) उसके अनुसार वर्ष-वार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। उम्मीदवारों का संबंध कौन से आय वर्गों के साथ था— इस आशय की सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

	उम्मीदवारों के मूल राज्यों के अनुसार ब्यौरे									आवंटित राज्यों के अनुसार उम्मीदवारों के ब्यौरे					
	1985			1986			1987			1985		1986		1987	
	भा. प्रशा. सेवा	भा. पु. सेवा	भा. वि. सेवा	भा. प्रशा. सेवा	भा. पु. सेवा	भा. वि. सेवा	भा. प्रशा. सेवा	भा. पु. सेवा	भा. वि. सेवा	भा. प्रशा. सेवा	भा. पु. सेवा	भा. प्रशा. सेवा	भा. पु. सेवा	भा. प्रशा. सेवा	भा. वि. सेवा
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. आंध्र प्रदेश	16	10	3	16	15	—	17	8	1	7	8	6	9	5	2
2. असम मेघालय	1	3	—	1	1	—	1	4	—	6	6	7	4	5	3
3. बिहार	22	24	1	30	27	1	14	20	2	10	8	12	10	9	7
4. गुजरात	2	—	1	—	2	—	1	2	—	8	5	5	6	6	6
5. हरियाणा	4	2	—	6	10	1	4	6	1	7	5	6	3	6	3
6. हिमाचल प्रदेश	3	1	—	3	2	—	1	1	1	3	2	3	2	4	2
7. जम्मू और काश्मीर	—	1	—	—	—	—	—	2	—	4	3	3	4	3	1
8. कर्नाटक	2	4	1	2	4	—	2	1	—	7	3	7	3	8	2
9. केरल	2	2	2	2	3	—	2	1	—	7	6	6	6	5	3
10. मध्यप्रदेश	3	4	—	3	5	—	3	7	—	8	10	9	12	7	12
11. महाराष्ट्र	2	4	1	1	4	2	3	2	—	9	6	7	7	8	7
12. मणिपुर-त्रिपुरा	—	—	—	—	2	—	2	1	1	9	5	8	6	6	3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13. नागालैंड	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	3	—	2	—
14. उड़ीसा	13	2	—	4	7	2	5	7	—	5	6	3	6	3	7
15. पंजाब	15	5	—	7	5	—	6	4	1	5	3	4	5	3	4
16. राजस्थान	10	10	—	6	11	—	6	6	—	5	6	3	5	3	5
17. सिक्किम	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	2	3	1
18. तमिलनाडु	2	4	—	5	6	—	3	2	1	7	8	8	9	5	7
19. ए. जी. एम. यू. टी. (यू. टी.)	10	9	1	10	3	3	15	6	2	7	4	3	3	4	6
20. उत्तर प्रदेश	28	21	2	27	13	2	28	20	—	11	7	11	12	11	11
21. पश्चिम बंगाल	—	2	—	1	1	1	1	2	—	8	7	8	8	8	10

बिलासपुर के स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के मामले

6641. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या गृह मंत्री बिलासपुर के स्वतन्त्रता सेनानियों के पैंशन के मामले के बारे में 27 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3399 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सैनानियों को पैंशन मंजूर करने के लिए बिलासपुर जिले के रहने वाले उन सात स्वतंत्रता सैनानियों के नाम और पते सहित ब्यौरा क्या है, जिन पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए सिफारिश की गई है; और

(ख) इन मामलों में पेंशन कब तक मंजूर की जाएगी और केन्द्रीय सरकार को हिमाचल प्रदेश की सरकार से ये पत्र व्यवहार कब प्राप्त हुए जैसा कि उपर्युक्त प्रश्न में उल्लेख किया गया है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) इन सात मामलों में से केवल दो मामले बिलासपुर जिले से हैं। दो स्वतंत्रता सैनानियों के नाम और पते तथा इन मामलों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	स्वतंत्रता सेनानी का नाम और जिला	वर्तमान स्थिति	हिमाचल प्रदेश सरकार से केन्द्र सरकार को प्राप्त पत्र की तारीख
1.	श्री सुन्दर राम, सुपुत्र श्री जीवानु राम, जिला बिलासपुर (हि० प्र०)	इन मामलों में किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य न होने के कारण पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकी।	19.1.1988
2.	श्री परस राम, सुपुत्र श्री सिहानुराम जिला बिलासपुर (हि० प्र०)		12.1.1988

चीन द्वारा काराकोरम में अधिक ऊंचाई पर युद्धाभ्यास

6642. डा० बी० एल० शैलेश : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष दिसम्बर में चीनी सेनाओं द्वारा काराकोरम पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर अनेक युद्धाभ्यास किए गए थे;

(ख) क्या इन युद्धाभ्यासों से यह स्पष्ट हो गया है कि चीनी सेना पाकिस्तानी सेना का सहयोग कर सकती है; और

(ग क्या भारत ने काराकोरम युद्धाभ्यासों के प्रयोजनों का पता लगाया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश की रक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) सरकार को, दिसम्बर, 1988 के दौरान आयोजित किए गए इन युद्धाभ्यासों की जानकारी है।

(ख) और (ग) सुनिश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इन युद्धाभ्यासों के प्रदर्शन

से चीन की, पाकिस्तानी सेनाओं के साथ सम्पर्क करने की क्षमता का पता चलता है। सरकार उन सभी गतिविधियों पर बराबर नजर रखती है जिनका भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।

विमानन उद्योग का "ओवरहाल"

6643. **श्री के० प्रधानी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, वर्ष-वार, विमानन उद्योग के क्षेत्र में सरकार द्वारा कुल कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ख) क्या विमानन क्षेत्र का कार्यनिष्पादन सातवीं योजना के दौरान इस क्षेत्र में किए गए पूंजी निवेश की तुलना में संतोषजनक रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या विमानन उद्योग के सम्पूर्ण ओवरहाल किए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पटिल) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नागर विमानन क्षेत्र के लिए वर्षवार स्वीकृत आयोजना परिव्यय तथा उस क्षेत्र में प्रत्यक्ष सरकारी निवेश के संकेत के रूप में सरकार द्वारा उसके वित्त पोषण के लिए दी गई बजटीय सहायता इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये)

वर्ष	परिव्यय	बजटीय सहायता
1985-86	313.62	80.66
1986-87	412.81	15.03
1987-88	441.18	10.00
1988-89	449.58 (बजट में शामिल)	15.00
1989-90	473.00 (बजट में शामिल)	20.00

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अलौह-धातुओं सम्बन्धी कार्यदल

6644. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में तांबा खनन उद्योग की संभावनाओं के साथ-साथ अलौह धातुओं के बारे में अध्ययन करने और आठवीं योजनावधि के लिए निवेश के तरीकों के संबंध में सुझाव देने हेतु एक कार्यदल गठित किया है;

(ख) क्या इस कार्य दल ने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो उसकी विस्तृत रूप-रेखा क्या है और निवेश संबंधी सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में देश में कितने खनिज निक्षेप होने का अनुमान है; और

(घ) योजना आयोग ने इस रिपोर्ट/अध्ययन पर क्या कार्यवाही की है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) उक्त (ख) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठते ।

कर्नाटक में इलेक्ट्रॉनिकी एककों की स्थापना हेतु आवेदन

6645. **श्री एच० जी० रामुलु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक से इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के निर्माण कारखाने स्थापित करने हेतु राज्य तथा वहां के उद्यमियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में शीघ्र अन्तिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) जी, हां । वर्ष 1988 के दौरान कर्नाटक राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली इकाइयों की स्थापना के लिए 49 औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र तथा 17 पंजीकरण जारी किए गए हैं । उद्योग मन्त्रालय द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई की जाती है ।

आयुध कारखाना, चांदा में वस्तुओं के खरीद मूल्य में वृद्धि

6646. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदा और वरनगांव स्थित आयुध कारखानों में आम वस्तुओं के खरीद मूल्य में गत तीन वर्षों के दौरान अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इस खरीद मूल्य के साथ-साथ कारखानों के उत्पादन मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस अवधि में खरीद मूल्य और उत्पादन मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/कम्पनियों से खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सामान्य वस्तुओं की खरीद अधिक से अधिक सरकारी क्षेत्र से करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ङ) आयुध निर्माणी, वरणगांव द्वारा खरीदी गई सामग्रियों की कीमत में 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के दौरान 9.27 प्रतिशत की कमी हुई । इस अवधि में उत्पादित सामान के मूल्य में 44.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई । आयुध निर्माणी, वरणगांव ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जो मदें खरीदी हैं उनमें ये शामिल हैं —एन्टीमनी, लिक्विड पैट्रोलियम गैस, तेल लुब्रीकेन्ट तथा मैग्नीशियम मिश्रधातु ।

2. आयुध निर्माणी, चांदा द्वारा खरीदी गई सामग्रियों की कीमत 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के दौरान 10.74 प्रतिशत बढ़ गई। इस अवधि के दौरान उत्पादित सामान के मूल्य में 36.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयुध निर्माणी, चांदा ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जो मदें खरीदी हैं उनमें गोलाबारूद के लिए हार्डवेयर, तेल और लुब्रीकेन्ट शामिल हैं।

3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने और आयुध निर्माणियों में निवेशों में किफायत करने के हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

4. इन दोनों निर्माणियों में उत्पादित सामान के मूल्य और खरीदे गए सामान के मूल्य के ब्यौरे देना लोकहित में नहीं है।

विमान खरीदने का कार्यक्रम

6647. श्री सतीश चन्द्र सिन्हा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इंडियन एयरलाइन्स के विमान खरीदने के प्रस्तावित कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) क्या योजना आयोग ने विमान यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या कम करने के लिए किराए में पर्याप्त वृद्धि करने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(घ) बहुमुखी विकास तथा प्रगति में सहायता देने के लिए तीव्र संचार माध्यम सुलभ कराने हेतु उक्त सुझावों को अमल में न लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, योजना आयोग ने विमान यातायात की वृद्धि पर 8 प्रतिशत तक की सीमा लागू कर दी है। विमान यातायात की वृद्धि को 8 प्रतिशत रखने के लिए विमान सेवाओं और किराए ढांचे को युक्तिसंगत बनाना होगा। आयोग द्वारा निर्धारित सीमा तक यातायात वृद्धि को पूरा करने के लिए इंडियन एयरलाइंस की विमान लगाने की योजना है।

भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण विमानों की दुर्घटना

6648. श्री विजय एन० पाटिल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण के लिए प्रयोग में लाए जा रहे भारतीय वायुसेना के विमानों की दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं; और

(ग) दुर्घटनाएं कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जो कि लगातार चलने वाली

प्रक्रिया का एक भाग है। प्रत्येक दुर्घटना की जांच पूरी तरह से जांच अदालत द्वारा की जाती है जिनमें विशेषज्ञ शामिल होते हैं। उनके निर्णयों और सिफारिशों के आधार पर जब भी अपेक्षित होता है आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

"माही" को केरल में मिलाना

6649. **श्री के० मोहनदास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के निकट "माही" नाम का क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के भाग के रूप में केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माही पूरी तरह केरल राज्य से घिरा हुआ है तथा इसके लोगों की भाषागत एवं सामाजिक अवस्था केरल के लोगों के समान है, इसे केरल राज्य के साथ मिलाने पर विचार कर रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) भारत में फ्रांसीसी व्यवस्था का "माही" एक भाग था तथा भारत और फ्रांस के बीच हुए दिनांक 21.10.54 के डिफैक्टो समझौते के अनुसार, इन सभी क्षेत्रों को, प्रशासन कार्य के लिए एक इकाई के रूप में, भारत सरकार को हस्तान्तरित किया गया था। डिफैक्टो समझौते के अनुच्छेद "1" के अनुसार विलय किए गए क्षेत्र के प्रशासनिक स्तर में किसी प्रकार का संवैधानिक परिवर्तन उस क्षेत्र के निवासियों की इच्छाएं जानने के बाद ही किया जा सकता है। इसके संवैधानिक स्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए यह उचित समय नहीं है।

सागरपुर कालोनी, दिल्ली में पुलिस चौकी

6650. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सागरपुर कालोनी, दिल्ली में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां एक पुलिस चौकी स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विकलांगों के बारे में व्यापक अध्ययन

6651. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विकलांगों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए कोई व्यापक अध्ययन किया है; यदि हां, तो ग्रामीण शहरी और विकलांगों की प्रत्येक श्रेणी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अधिकांश संस्थायें महानगरों और अन्य बड़े नगरों में स्थित हैं जिससे वे ग्रामीणों से सम्पर्क नहीं कर पाती हैं और यदि हां, तो ग्रामीण स्तर पर ऐसी संस्थायें स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार विकलांगों के लिए बनी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना बन्द कर रही है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अपंगता निवारण और विकलांगों के पुनर्वास के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1981 में देश भर में विकलांग व्यक्तियों पर नमूना सर्वेक्षण किया था । इस सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 12 मिलियन व्यक्ति एक या अन्य विकलांगता अर्थात अस्थि विकलांग, दृष्टिहीन विकलांग या श्रवण विकलांगता से पीड़ित थे । मानसिक विकलांगों को इसमें शामिल नहीं किया गया था । विकलांगता के मामले तथा प्रचलन के राज्यवार ब्यौरे अनुबन्ध-1, अनुबन्ध-2, अनुबन्ध-3, अनुबन्ध-4 में देखे जा सकते हैं ।

कल्याण मंत्रालय ने अनुसंधान, अध्यापकों तथा परा चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए तथा विकलांगता के प्रत्येक क्षेत्र में सेवा माड्यूल्स बनाने के लिए चार राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की है । ये संस्थान राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान देहरादून तथा राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकन्दराबाद है । इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, कटक और जन विकलांग संस्थान, दिल्ली में है । इन संस्थानों के क्षेत्रीय केन्द्र भी हैं । सम्पूर्ण देश के ग्रामीण तथा शहरीय क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से भी सेवा प्रदान की जाती है । ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के व्यवसायिक पुनर्वास सहित व्यापक तथा समेकित सेवाएं प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने प्रौद्योगिक परियोजना के रूप में जिला पुनर्वास केन्द्र योजना भी प्रारम्भ की है । अभी तक ऐसे 11 जिला पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं । इन सभी उपायों के द्वारा सरकार ने विकलांगता को रोकने तथा विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वासित करने के लिए उपाय किए हैं ।

इन संस्थानों को वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार, विकलांगों के कल्याण के लिए योजनाओं पर प्रति वर्ष अपने वित्तीय परिव्ययों में वृद्धि कर रहा है । जिसे वर्ष प्रति वर्ष के इन कार्यक्रमों पर बढ़े हुए बजट सहायता द्वारा दर्शाया गया है ।

अनुबन्ध-1

चुने गए राज्यों के लिए चलन विकलांग व्यक्तियों की अनुमानित संख्या (प्रति 1,00,000)

राज्य	ग्रामीण	शहरी
आन्ध्र प्रदेश	1030	849
असम	271	296
बिहार	895	696
गुजरात	769	646
हरियाणा	1006	973
हिमाचल प्रदेश	811	564

राज्य	ग्रामीण	शहरी
जम्मू और काश्मीर	915	485
कर्नाटक	835	660
मध्य प्रदेश	686	637
केरल	874	842
महाराष्ट्र	775	635
मणिपुर	300	477
मेघालय	302	244
नागालैंड	ग्रामीण सर्वेक्षण नहीं	241
उड़ीसा	729	629
पंजाब	1392	854
राजस्थान	1023	892
तमिलनाडू	848	769
त्रिपुरा	695	683
उत्तर प्रदेश	810	694
पश्चिम बंगाल	676	431
चंडीगढ़	640	1058
दादर और नगर हवेली	398	शहरी क्षेत्र नहीं
दिल्ली	844	443
गोवा, दमन, द्वीव	923	591
मिजोरम	487	365
पांडिचेरी	1182	836
अखिल भारत	828	679

अनुबन्ध-2

5 वर्ष तथा अधिक की आयु के श्रवण विकलांग व्यक्तियों की अनुमानित संख्या (प्रति 1,00,000)

राज्य	ग्रामीण	शहरी
आन्ध्र प्रदेश	749	510
असम	381	354
बिहार	495	365
गुजरात	338	274
हरियाणा	662	538

राज्य	ग्रामीण	शहरी
हिमाचल प्रदेश	612	207
जम्मू और काश्मीर	598	262
कर्नाटक	599	405
केरल	489	413
मध्य प्रदेश	314	205
महाराष्ट्र	448	275
मणिपुर	333	187
मेघालय	635	146
उड़ीसा	842	382
पंजाब	592	384
राजस्थान	505	426
तमिलनाडु	829	728
त्रिपुरा	484	447
उत्तर प्रदेश	490	337
पश्चिम बंगाल	656	350
चंडीगढ़	680	359
दादर और नगर हवेली	407	शहरी क्षेत्र नहीं
दिल्ली	480	195
गोवा, दमन और द्वीव	224	106
मिजोरम	896	494
पांडिचेरी	1292	1307
नागालैंड	सर्वेक्षण नहीं किया गया	87
अखिल भारत	553	390

अनुबन्ध-3

चुने गए राज्यों के लिए 5 वर्ष से अधिक आयु के वाणी विकलांग व्यक्तियों का अनुमानित संख्या (प्रति संख्या 1,00,000)

राज्य	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	443	373
असम	244	213

1	2	3
बिहार	334	258
गुजरात	169	164
हरियाणा	269	625
हिमाचल प्रदेश	279	127
जम्मू और काश्मीर	523	298
कर्नाटक	343	291
केरल	418	470
मध्य प्रदेश	174	161
महाराष्ट्र	194	199
मणिपुर	131	116
मेघालय	513	11
नागालैंड	सर्वेक्षण नहीं किया गया	31
उड़ीसा	503	214
पंजाब	270	291
राजस्थान	250	272
तमिलनाडु	372	358
त्रिपुरा	319	329
उत्तर प्रदेश	307	342
पश्चिम बंगाल	341	168
चंडीगढ़	355	419
दादर और नगर हवेली	213	शहरी क्षेत्र नहीं
दिल्ली	522	319
गोवा, दमन और द्वीव	249	841
मिजोरम	640	359
पांडिचेरी	568	379
अखिल भारत	304	279

अनुबन्ध-4

दृष्टिबाधितार्थ व्यक्तियों की अनुमानित संख्या (प्रति 1,00,000)

राज्य	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	769	426
असम	190	168

1	2	3
बिहार	518	291
गुजरात	481	244
हरियाणा	530	473
हिमाचल प्रदेश	398	348
जम्मू और काश्मीर	248	141
कर्नाटक	593	315
केरल	255	303
मध्य प्रदेश	484	309
महाराष्ट्र	528	307
मणिपुर	203	68
मेघालय	251	139
नागालैंड	सर्वेक्षण नहीं किया गया	36
उड़ीसा	758	501
पंजाब	727	373
राजस्थान	635	376
तमिलनाडु	565	637
त्रिपुरा	585	395
उत्तर प्रदेश	664	394
पश्चिम बंगाल	364	219
चंडीगढ़	143	111
दादर और नगर हवेली	318	शहरी क्षेत्र नहीं
दिल्ली	419	173
गोवा, दमन और द्वीव	451	216
मिजोरम	226	95
पांडिचेरी	814	1259
अखिल भारत	553	356

दिल्ली में डकैतियां और चोरियां

6652. श्री विष्णु मोदी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1989 में जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान डकैती/चोरी की कितनी घटनाओं का पता लगा है;

(ख) प्रत्येक महीने के दौरान नकदी, आभूषणों तथा अन्य घरेलू सामान के रूप में कुल कितनी हानि हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने मामले सुलझाये गए तथा डकैती/चोरी के लिए जिम्मेदार कितने व्यक्तियों की शिनाख्त की गई; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० पी० चिदम्बरम्) : (क) जनवरी से मार्च, 1989 की अवधि के दौरान, डकैती के दो मामले और चोरी के 3301 मामले सूचित किये गए।

(ख) डकैती/चोरी के मामलों में नकदी, आभूषण और अन्य घरेलू सामान के रूप में हुई माहवार हानि नीचे दी गई है :—

माह	डकैती	चोरी इत्यादि
जनवरी, 89	15,000	45,12,013
फरवरी, 89	—	36,57,233
मार्च, 89	10,000	66,99,515

(ग) डकैती का एक मामला तथा चोरी के 617 मामले निपटाए गये। उक्त अवधि के दौरान चोरी के मामलों में 782 व्यक्ति और डकैती के मामलों में 7 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये।

(घ) डकैती, लूटपाट इत्यादि जैसे घृणित अपराधों को रोकने के लिए डाग स्कवैड/अपराध दल, के० जा० ब्यू०, सी० एफ० एस० एल० के विशेषज्ञ अभिकरण और अपराध रिकार्ड कार्यालय, दस्तावेजों के परीक्षक, लाई डिटैक्टर, बम निष्क्रिय करने वाले दल इत्यादि जैसे तहकीकात के आधुनिक वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं। सामरिक महत्व के स्थानों पर टुकड़ियां तैनात की जाती हैं। क्षेत्रों में पुलिस नियंत्रण कक्ष के वाहनों से समन्वय करके कार्य करने हेतु मोटर साइकिलों पर गश्त लगाने की प्रणाली को आसान बनाया गया है।

अनुसंधान और विकास प्रयासों के समन्वय के लिए एजेंसी

6653. **श्री आर० एम० भोये** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं द्वारा किए जा रहे अनुसंधान और विकास प्रयासों के समन्वय के लिए कोई एजेंसी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे समन्वयन की क्रियाविधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) चूंकि देश में सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों, विश्वविद्यालयों और अनुसधान संस्थानों के समस्त प्रयासों को शामिल करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रयासों को समन्वित करने के लिए कोई एकल अभिकरण नहीं है, अतः अनेक क्रिया-विधि कार्यरत हैं, यथा — योजना आयोग जो योजना से योजना और वार्षिक योजनाओं में भी अनुसंधान और विकास प्रयासों के लिए

आवंटन निश्चित करने के विभिन्न अभिकरणों के कार्यों पर विचार करता है; वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई० सी० एम० आर०) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई० सी० ए० आर०) जैसे संगठन जो अपनी-अपनी परिषदों के अधीन अनेक प्रयोगशालाओं और संस्थानों के कार्य को समन्वित करते हैं, अनेक विश्वविद्यालयों में किये गए कार्य को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से समन्वित किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, पर्यावरण विभाग, महासागर विकास विभाग अपने-अपने विभागों से सम्बद्ध विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य को समर्थन प्रदान करते हैं।

विशाखापत्तनम के लिये बोइंग विमान सेवा

6654. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशाखापत्तनम के लिए बोइंग विमान सेवा आरंभ करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इस समय इंडियन एयरलाइन्स कलकत्ता-विशाखापत्तनम-मद्रास और वापसी सैक्टर पर सप्ताह में छः दिन की बोइंग-737 सेवा (आई० सी०-541/542) और हैदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच एक दैनिक बोइंग 737 सेवा (आई० सी०-561/562) का पहले ही परिचालन कर रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बंजारा जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना

6655. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वार बंजारा जनजाति के लोग अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में कोई प्रस्ताव अथवा ज्ञापन प्राप्त हुआ है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) तथा 342(2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है। इस स्तर पर कोई आगे सूचना नहीं दी जा सकती।

प्रशासनिक प्रणाली में परिवर्तन

6656. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :**
श्री बी० बी० रमैया :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान प्रशासनिक प्रणाली बहुत पुरानी है जिससे कार्य में विलम्ब और कार्य क्षमता में कमी आयी है;

(ख) क्या सरकार ने कार्यक्षमता बढ़ाने, कार्य में विलम्ब न करने और प्रशासनिक खर्चों को कम करने के लिए वैकल्पिक तरीकों/प्रणालियों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) प्रशासनिक सुधार एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। दक्षता में सुधार लाए जाने, विलम्ब को कम करने तथा कार्य निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की दिशा में किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) क्रिया-विधियों का सरलीकरण तथा युक्तिकरण।

(2) मंत्रालयों द्वारा अपने-अपने कार्यात्मक क्षेत्रों के सम्बन्ध में समयबद्ध कार्य योजनाएं तैयार करना तथा प्राप्त हुए परिणामों को नियमित रूप से मॉनीटर करना।

(3) विभिन्न किस्म के मामलों पर निर्णय लेने के स्तरों तथा निर्णय लेने में तेजी लाने तथा जवाबदेही लागू करने के लिए मामलों के प्रस्तुत किए जाने के माध्यम का निर्धारण।

(4) वित्त मन्त्रालय द्वारा प्रशासनिक मन्त्रालयों को और प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अपने निम्नस्तरीय कार्यालयों को शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(5) जन साधारण से लाईसेंसों/अनुमोदन के प्रयोजन से प्राप्त आवेदनों के निपटान के लिए समय-सीमा का निर्धारण।

(6) मन्त्रालयों तथा कार्यालयों में विशेषकर उनमें जिनका जनता के साथ वास्ता पड़ता है, लोक शिकायतों को दूर करने के तन्त्र स्थापित करना/सुदृढ़ बनाना तथा

(7) मॉडल कार्यालय स्थापित करके तथा कम्प्यूटर जैसी आधुनिक सहायक सामग्री का उपयोग करके कार्यालयों का आधुनिकीकरण करने के लिए मंत्रालयों/विभागों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना/सहायता देना।

राष्ट्रीय आवास विकास निगम के निदेशकों की गिरफ्तारी

6657. **श्री शांतिलाल पटेल :**
श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास विकास निगम के निदेशकों को निगम के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कितने निदेशक शामिल पाये गये हैं;

(ग) इसके लिए उत्तरदायी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) धोखाधड़ी की इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) इस मामले में चार निदेशकों का ग्रस्त होना बताया जाता है।

(ग) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के तहत इनके विरुद्ध मोती नगर पुलिस स्टेशन में दिनांक 10.8.88 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 241 पर एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में ग्रस्त चार निदेशकों में से तीन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है तथा चौथे अभियुक्त को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

(घ) ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर अपराधियों के विरूद्ध उचिय कानूनी कार्यवाही की जाती है। ऐसे अपराधों का पता लगाने के लिए पुलिस भी सदा सतर्क रहती है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की वित्तीय समस्याएं

6658. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की वित्तीय समस्याओं से निपटने के लिए कितनी सहायता दी गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की पूंजी व्यय संबंधी आवश्यकताओं के वास्ते वित्त-व्यवस्था करने के लिए सरकार उन्हें ऋण और/या इक्विटी के रूप में सहायता प्रदान करती है। सरकार कार्य-पूंजी सहायता प्रदान नहीं करती है।

बिहार में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति

[हिन्दी]

6659 **श्री कुंवर राम** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार बिहार में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या कितनी है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का विचार है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) वर्ष 1983-84 के अनुमानों के अनुसार बिहार में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की कुल

संख्या 365.5 लाख थी। बिहार में 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) यद्यपि 1989-90 में लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए कोई लक्ष्य नहीं है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दिए जाने वाले परिवारों की संख्या अखिल भारतीय आधार पर वर्ष 1989-90 के दौरान 29.11 लाख आंकलित की गई है, तथा बिहार में इसी वर्ष 42939 परिवारों को सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है।

नागर विमानन के संबंध में चीन के साथ समझौता

[अनुवाद]

6660. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन परिवहन के संबंध में भारत और चीन के बीच प्रस्तावित समझौते को अन्तिम रूप दिया गया है और उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस समझौते को कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) से (ग) जी, हां। इस करार से दोनों देशों की एयरलाइनों को एक दूसरे के भू-भाग में सेवाओं का परिचालन करने का अधिकार मिल गया है। भारतीय एयर लाइनें बीजिंग तक सेवाओं का परिचालन कर सकती हैं जबकि चीनी एयरलाइन्स को दिल्ली तक परिचालन करने का अधिकार है। इस सेवा का शुरू किया जाना प्रत्येक के पास विमान क्षमता का उपलब्ध होना और विपणन योजना पर निर्भर करेगा।

चुनाली कोली जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना

6661. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात की चुनाली कोली जाति को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341(2) तथा 342(2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है। इस स्तर पर कोई आगे सूचना नहीं दी जा सकती।

जेलों में बन्द बच्चों के बारे में सर्वेक्षण

6662. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने समूचे देश में विभिन्न राज्यों में ऐसे अनेक बच्चों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है, जो जेलों में बन्द हैं तथा जिन पर मुकदमे चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा कराए गए पिछले सर्वेक्षण के अनुसार पूरे देश में और विशेष रूप से गुजरात राज्य में ऐसे अनेक बच्चों की संख्या कितनी है जो जेलों में बन्द हैं तथा जिन पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों से सम्बद्ध उच्च न्यायालयों द्वारा किशोर अपराधियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए कोई विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए थे; और

(घ) इन किशोर अपराधियों के मुकदमों का शीघ्र निपटान करने और बच्चों को राहत दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) 1986 में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके समक्ष दायर की गई रिट याचिका में दिये गये निर्देशों के उत्तर में सम्पूर्ण भारत के जिला न्यायाधीशों ने अन्य बातों के साथ-साथ, उनके संबंधित क्षेत्राधिकारी के नियमित जेलों में पाए गए बच्चों के बारे में चल रहे मुकदमों और दोषी बच्चों के विवरण दिए हैं। उपरोक्त रिपोर्टों के आधार पर, उच्चतम न्यायालय ने पाया कि असम, बिहार, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल की जेलों में बच्चों की संख्या क्रमश: 64, 247, 60, 63 और 437 थी। गुजरात की किसी भी नियमित जेल में ऐसा कोई बच्चा नहीं था। परन्तु अन्य राज्यों में यह संख्या 30 से 35 के बीच थी। इसके बाद कुछ राज्यों ने उच्चतम न्यायालय को इन बच्चों को रिहा करने या उन्हें जेलों से हस्तांतरण करने के सबंध में सूचित किया और यह भी बताया कि अब स्थिति बहुत भिन्न है और संख्या या तो शून्य है या नगण्य है।

(ग) और (घ) दिसम्बर, 1986 में संसद द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 1986, के अधिनियमन से, जो जम्मू काश्मीर को छोड़कर, संपूर्ण देश में लागू है और जिसे 2 अक्तूबर, 1987 से लागू किया गया था स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है। अधिनियम में यह व्यवस्था है कि किसी भी बच्चे को पुलिस स्टेशन या जेल में न रखा जाए। अब किशोर अपराध के मामले केवल अधिनियम के अन्तर्गत गठित किशोर न्यायालयों द्वारा ही निपटाए जाएगे और किसी भी जांच की विचाराधीनता के दौरान, किशोर को जेल में रखने के बजाय पर्यवेक्षण गृह में रखा जाएगा।

विदेशी पर्यटकों का कुम्भ मेले में आना

6668. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुम्भ के पावन अवसर पर प्रयाग संगम पर पवित्र स्नान करने के लिए विदेशी पर्यटकों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रयास किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने, विदेशी पर्यटक आगमन में वृद्धि करने के लिए, प्रचार ब्रोशरों, फिल्मों एवं अन्य संवर्धनात्मक सामग्रियों के माध्यम से भारत के सभी प्रमुख मेलों एवं महोत्सवों का संवर्धन किया है, जिसमें कुम्भ मेला भी शामिल है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को उप-सचिव के रूप में पदोन्नति

6664. **श्री सीताराम जे० गवली : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की उप-सचिव के रूप में पदोन्नति की स्वीकृति के लिए वर्ष 1987 के पैनल में कितने अधिकारियों के नाम शामिल किए गए थे;

(ख) क्या उक्त पैनल में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को शामिल किया गया था;

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की उप-सचिव के रूप में पदोन्नति के लिए वर्ष 1988 के पैनल को स्वीकृति दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त पैनल में कितने अधिकारियों के नाम हैं और उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) उप सचिव के स्तर पर पदोन्नति के लिए तैयार की गई वर्ष 1987 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा (चयन ग्रेड) की प्रवर सूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के 27 अधिकारियों को सम्मिलित किया गया था।

(ख) रिक्तियों की अनुमोदित संख्या के भीतर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के केवल एक अधिकारी का नाम सम्मिलित हुआ था। इस अधिकारी के सम्बन्ध में चयन समिति की सिफारिशों को "मुहरबन्द लिफाफे" में रखा गया है क्योंकि उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां लम्बित पड़ी हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

मानसून संबंधी पूर्वानुमान के लिए सुपर कम्प्यूटर का आयात

6665. **श्री भद्रेश्वर तांती : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मानसून संबंधी पूर्वानुमान के लिए अपेक्षित सुपर कम्प्यूटर की सप्लाई के लिए किसी विदेशी फर्म को कोई आशय पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कुल कितने कम्प्यूटरों का आयात किया जाएगा और उनका उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) भारत ने हाल ही में सुपर कम्प्यूटर की आपूर्ति के लिए किसी विदेशी फर्म को आशय-पत्र नहीं दिया है। किन्तु इससे पहले वर्ष 1986 में भारत ने क्रिस्टल संविरचना विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, जैव इंजीनियरी मानसून अनुसंधान आदि के क्षेत्रों में अनुप्रयोग के लिए बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के लिए आवश्यक एक सुपर कम्प्यूटर की आपूर्ति के लिए एक विदेशी फर्म को एक आशय-पत्र जारी किया है। भारत ने पहले ही मौसम पूर्वानुमान के लिए एक सुपर कम्प्यूटर प्राप्त कर लिया है तथा भारतीय विज्ञान संस्थान के लिए एक और सुपर कम्प्यूटर प्राप्त करने का विचार है।

विघटनाभिक अपशिष्ट से कांच बनाना

6666. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री नाभिकीय विद्युत अपशिष्ट के बारे में 27 मार्च, 89 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3436 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांच बनाये बिना कुल कितना विघटनाभिक अपशिष्ट पड़ा हुआ है;

(ख) यह कहां पड़ा हुआ है;

(ग) इसका कांच कब बनाया जायेगा; और

(घ) क्या उसके स्थायी भंडारण के लिए स्थान निर्धारित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) इस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का आयतन लगभग 300 घनमीटर है।

(ख) इन अपशिष्ट पदार्थों को ट्राम्बे और तारापुर स्थित पुनर्संसाधन संयंत्रों में स्टेनलैस स्टील की परतों वाले भूमिगत कक्षो में स्थित स्टेनलैस स्टील से बने उच्च विश्वसनीयता वाले कुंडों में रखा जाता है।

(ग) लगभग तीन वर्ष में।

(घ) उन क्षेत्रों के बारे में विचार किया जा रहा है जिनके भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त रहने की सम्भावना है। इस समय उन स्थलों की जांच की जा रही है।

भुवनेश्वर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करना

6667. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भुवनेश्वर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) क्योंकि वर्तमान चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को भारत के लिए और भारत से अन्तर्राष्ट्रीय यातायात संचालन करने के लिए पर्याप्त समझा गया है, इसलिए, भुवनेश्वर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गुलमर्ग अशोक होटल की क्षमता

[हिन्दी]

6668. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा जम्मू-कश्मीर में बनाए गए गुलमर्ग अशोक होटल की क्षमता कितनी है और यह कब तक चालू हो जाएगा;

(ख) इस निगम द्वारा निकट भविष्य में कौन-कौन से अन्य नये होटल/रेस्तरां किन-किन स्थानों पर शुरू किए जायेंगे; और

(ग) इस समय उत्तर प्रदेश में निगम के ऐसे कितने प्रतिष्ठान हैं तथा आगामी वर्ष में ऐसे प्रतिष्ठान किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम गुलमर्ग में 51 कमरों की क्षमता वाला एक 4 सितारा होटल 2 चरणों में स्थापित कर रहा है। 31 कमरों का पहला चरण 1989-90 में पूरा होने की आशा है।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम की 1989-90 की वार्षिक योजना में उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में नए होटल/रेस्तरां खोलने के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे होटलों/रेस्तराओं के नामों के संबंध में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

एकक का नाम	सितारा वर्ग	क्षमता	
		कमरे	शैया
1. होटल आगरा अशोक, आगरा	4 सितारा की सुविधाएं प्रस्तुत करते हैं	55	110
2. होटल वाराणसी, अशोक, वाराणसी	4 सितारा	84	163
3. ताज रेस्तरां, आगरा			
4. एयरपोर्ट रेस्तरां, आगरा			
5. कोसी रेस्तरां, कोसी			
6. एयरपोर्ट रेस्तरां, वाराणसी			

टिप्पणी : भारत पर्यटन विकास निगम इस समय मसूरी में गढ़वाल अशोक टेरेस रेस्तरां, चलाने के लिए प्रबंधकीय सेवायें उपलब्ध कर रहा है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों को लाभ/घाटा

[अनुवाद]

6669. **श्री दौलत सिंह जी जडेजा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों को कितना लाभ और घाटा हुआ तथा वर्ष 1988-89 के लिए अस्थायी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनके प्रबंध को सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :—

वर्ष	भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का लाभ और हानि (कर पूर्व) (लाख रुपयों में)
1987-88	644.91
1988-89 (अनन्तिम)	714 70

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम की कार्यचालन कुशलता एवं लाभकारिता में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है तथा भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा इस सम्बन्ध में किए गये उपाय निम्नलिखित हैं :—

—अधिभोग स्तर को उठाने के लिए पुरजोर विज्ञापन

— प्रोत्साहनों के रूप में छूट की पेशकश

—व्यय पर नियंत्रण

— उत्पाद सुधार आदि ।

बस्तर के लिए जनजातीय विकास योजनायें

6670. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र के लिए कुछ विशेष जनजातीय विकास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बस्तर क्षेत्र में सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान विभिन्न जनजातीय विकास योजनाओं के लिए उक्त राज्य सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की गई और वस्तुतः इस राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) बस्तर के विकास के लिए 494.34 करोड़ रु० के परिव्यय से एक विशेष विकास योजना तैयार की गई थी और 1985- 6 में अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने हेतु योजना आयोग को प्रस्तुत की गई थी। फिर भी राज्य सरकार को योजना आयोग द्वारा परामर्श दिया गया था कि वह राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए किए गए आवंटन में से बस्तर की विशेष योजना के अन्तर्गत धनराशि की आवश्यकताओं को पूरा करें जो कि छठी योजना की तुलना में वास्तविक रूप से अधिक थी।

(ग) विभिन्न क्षेत्रीय योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता (राज्य को वार्षिक रूप से दी गई थी) में से बस्तर को दी गई धनराशि के अतिरिक्त, बस्तर के लिए विभिन्न आदिवासी विकास कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित धनराशि भी दी गई। बस्तर के लिए जनजातीय विकास योजनाओं के संबंध में श्री प्रताप भानु शर्मा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 6670, दिनांक 24 अप्रैल, 1989 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

कार्यक्रम का नाम	आबंटित की गई धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
1. इमली की खरीद के संबंध में आदिवासियों को समर्थन मूल्य के लिए	50	50
2. अभुजमारियस के विकास के लिए अभुजमर विकास एजेंसी	71	71
3. कोंडागांव में कोसा विकास केन्द्र	18.02	18.02
4. जगद्लपुर में काष्ठ शिल्प केन्द्र को सुदृढ़ बनाना	0.50	0.50
5. बस्तर के विकास के लिए आठवें वित्त आयोग एवार्ड	800	800

स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के लिए उड़ीसा से प्राप्त आवेदन पत्र

6671. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा से स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के लिए वर्ष-वार कितने नए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने मामले निपटाये गए;

(ग) इस समय कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और

(घ) लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के लिए उड़ीसा से पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 920 नए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनका वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

1986	205
1987	337
1988	378

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 608 मामले निपटाए गए। इन मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

1986	49
1987	241
1988	318

(ग) अब कुल 312 मामले लम्बित पड़े हैं।

(घ) उन मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनके बारे में राज्य सरकार की सत्यापन रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं।

वायुसेना शक्ति प्रदर्शन के लिए बरती गई सावधानियां

6672. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मार्च, 1989 के इंडियन एक्सप्रेस में "बॉय डाइज इन ब्लास्टर नियर तिलपत रेंज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने व्यक्ति मारे गये/घायल हुए और इ.के लिए यदि कोई मुआवजा दिया गया है तो कितना मुआवजा दिया गया; और

(ग) वायुसेना शक्ति प्रदर्शन के दौरान किए गये बम विस्फोटों से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए तिलपत रेंज क्षेत्र में किए गये सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम वायुसेना कमान ने तिलपत रेंज में वायुसेना शक्ति प्रदर्शन किया और उसके पास किसी व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने के बारे में कोई सूचना या सरकारी सूचना नहीं है।

(ग) तिलपत रेंज में वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन के दौरान बम विस्फोटों के कारण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपाय किए गये :—

(1) भारतीय वायुसेना ने स्थानीय पुलिस को रेंज में होने वाले कार्यकलापों के समय के बारे में सूचित कर दिया था। इसके अनुसरण में पुलिस ने आसपास रहने वाले सभी लोगों को चेतावनी दे दी थी और इस बात को रोकने के लिए कि यहां अनधिकृत रूप से लोग न घुसने पाएं इस क्षेत्र के चारों ओर पहरा भी लगा दिया गया था।

(2) खतरे वाले क्षेत्र के बारे में जनता को चेतावनी देने के लिए इस रेंज की परिधि के चारों ओर नोटिस बोर्ड लगा दिए।

(3) जनता को इस बात की चेतावनी देने के लिए भी नोटिस लगा दिये गये थे कि यह एक निषिद्ध क्षेत्र है और इसमें अनधिकृत प्रवेश करने वालों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जायेगा।

(4) रक्षा सेनाओं के सुरक्षा गार्डों ने इस क्षेत्र में गश्त लगाई ताकि यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पता लगाया जा सके और पकड़ा जा सके।

(5) रेंज के चारों तरफ और नियंत्रण टावरों पर लाल झंडियां लगा दी गई थीं ताकि लोगों को पता लग सके कि रेंज में कारंवाई चल रही है।

(6) गोलाबारी होने के पश्चात् वायुसेना के विशेषज्ञ दल द्वारा उन बमों/हथियारों का पता लगाया गया जिनका विस्फोट नहीं हुआ और उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया तथा उसके बाद ही रेंज को सुरक्षित घोषित किया गया।

वायुदूत के लिए रात में उतरने की सुविधा

6673. **श्रीमती डी० के० भंडारी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत विमान के रात में उतरने की सुविधा कौन-कौन से हवाई अड्डों पर उपलब्ध है ;

(ख) क्या अन्य हवाई अड्डों पर और विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र के हवाई अड्डों पर रात के दौरान वायुदूत विमान को उतरने की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या इस बीच गुवाहाटी में विमानों के उतरने के लिए हवाई पट्टी खोल दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) प्रचालकों द्वारा बनाए गए प्रचालन ढांचे को ध्यान में रखकर रात्रि अवतरण सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं । जिन हवाई अड्डों पर वायुदूत प्रचालन होते हैं वहां वायुदूत द्वारा दी गई योजनाओं के आधार पर रात्रि अवतरण सुविधाएं प्रदान करने पर विचार किया जाएगा ।

जहां तक पूर्वी क्षेत्र के हवाई अड्डों का संबंध है, फिलहाल सूर्यास्त के बाद (गुवाहाटी को छोड़कर) बागडोगरा के पूर्व में सिविल विमानों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा हुआ है ।

(ग) और (घ) वायुदूत ने 28 अक्तूबर, 1988 तक गुवाहाटी में एक एफ-27 विमान रखा। 19 अक्तूबर, 1988 को गुवाहाटी में दुर्घटना में नष्ट हुए एक एफ-27 विमान और कलकत्ता में भू-दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त एक अन्य एफ-27 विमान की गैर-अनुसूचित ग्राउंडिंग के कारण, वायुदूत ने अस्थायी तौर पर गुवाहाटी में विमान रखना बन्द कर दिया है जैसे ही ढांचे की मरम्मत के लिए गया हुआ विमान परिचालनात्मक हो जाएगा, वायुदूत का गुवाहाटी बेस को पुनः खोलने का प्रस्ताव है और वह वहां एक एफ-27 विमान रखेगी ।

विवरण

क्र०सं०	हवाई अड्डे का नाम
1.	दिल्ली
2.	आगरा
3.	जयपुर
4.	खजुराहो
5.	चण्डीगढ़
6.	जोधपुर
7.	लखनऊ
8.	भोपाल
9.	कलकत्ता
10.	पटना
11.	गया

क०सं०	हवाई अड्डे का नाम
12.	गुवाहाटी
13.	बम्बई
14.	इन्दौर
15.	अहमदाबाद
16.	गोआ
17.	पुणे
18.	नागपुर
19.	मद्रास
20.	बंगलौर
21.	हैदराबाद
22.	विज़ाग

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा गैर सरकारी कंपनी को प्रौद्योगिकी अन्तरण

6674. **श्री शरद दिघे : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने अपनी रासायनिक इंजीनियरिंग डिवीजन द्वारा विकसित जिरकोनियम आक्साइड तथा आक्सीकलोसाइड के उत्पादन की प्रौद्योगिकी मैसर्स सी० एस० जिरकान प्रोडक्ट्स को अन्तरित की है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रौद्योगिकी को एक गैर सरकारी कम्पनी को अन्तरित करने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां, लेकिन इस शर्त के साथ कि प्रौद्योगिकी का अन्तरण औरों को भी दिया जा सकता है ।

(ख) मैसर्स इंडियन रेअर अर्थ्स लि० ने सन् 1980 तक वाणिज्यिक ग्रेड की जिरकोनियम आक्साइड तथा आक्सीकलोराइड सप्लाई की थी । उस समय तक भारत में इन उत्पादों की काफी मांग होने लगी थी । तब यह निर्णय लिया गया कि इन पदार्थों के उत्पादन की प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा विभाग के बाहर के संगठनों को उपलब्ध करा दी जाए ताकि गैर-नाभिकीय अनुप्रयोगों के लिए इन पदार्थों की जो मांग देश में है उसे पूरा किया जा सके । इस प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने का काम उस प्रक्रिया को अपनाकर किया गया जो भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र से परमाणु ऊर्जा विभाग के बाहर के संगठनों को तकनीकें उपलब्ध कराने के लिए मौजूद थी तथा जिनके अन्तर्गत वे तकनीकें अन्य संगठनो को भी उपलब्ध कराई जा सकती थी ।

आंध्र प्रदेश में आदिवासी होस्टल

6675. **श्री सो० सम्बु** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के किन किन स्थानों पर वर्ष 1987-88 के दौरान आदिवासी होस्टल स्थापित किये गये;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश में आदिवासी होस्टल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने की कोई व्यवस्था की है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 के दौरान आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में वर्ष 1988-79 के दौरान ऐसे और होस्टल स्थापित किये जायेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो किन स्थानों पर और ऐसे प्रत्येक होस्टल की अनुमानित लागत कितनी है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) 1987-88 में आन्ध्र प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर आदिवासी होस्टल स्थापित किए गए :—

1. हानीपुर, आदिलाबाद जिला।
2. आदिलाबाद (एडील) आदिलाबाद जिला।
3. पासरा, वारान्गल जिला।
4. गुण्डाला, खम्माम जिला।
5. गुम्माला, काह्मीपुरम्, विजियनगरम् जिला।
6. मुण्डम, कोथा विधि, विशाखापट्टनम, जिला।
7. कल्यानदुर्ग, अनन्तपुर जिला।
8. पीतलाम निजामाबाद जिला।
9. तुरुक्पल्ली, नलगोन्डा जिला।
10. तिरुमलगिरी, नलगोन्डा जिला।

(ख) "अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल" की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के होस्टलों के निर्माण/विस्तार के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता दी जाती है। राज्यों को अनुमोदित दरों पर परिकलित लागत का 50% तक केन्द्रीय सहायता सीमित है।

(ग) 1987-88 के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार को 48.06 लाख रुपये की सहायता दी गई थी।

(घ) और (ङ) 1988-89 में आन्ध्र प्रदेश में किसी आदिवासी होस्टल की स्थापना नहीं की गई।

दिल्ली पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध न्यायालयों के अवक्षेप

6676. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान न्यायालयों द्वारा दिल्ली पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध वर्ष-वार कितनी बार अवक्षेप पारित किये गये; और

(ख) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :(क)

वर्ष	मामलों की संख्या
1986	3
1987	8
1988	47

(ख) चूक करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गयी है।

फ्रांस द्वारा भारत में खगोलीय दूरबीन (एस्ट्रानामिकल टेलिस्कोप) की स्थापना

[हिन्दी]

6677. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी खगोल शास्त्रियों ने भारत में एक बड़ी खगोलीय दूरबीन एस्ट्रानामिकल टेलिस्कोप स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अब तक इस प्रस्ताव पर विचार कर चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में लिये गये निर्णय का ब्योरा क्या है और यह दूरबीन कब तक और कहां स्थापित की जायेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) फरवरी, 1989 में दिल्ली में हुई भारत-फ्रांस बैठक में फ्रांसीसी पक्ष ने फ्रांस में लगी एक बृहत खगोल विज्ञानी दूरबीन को भारत में किसी उपयुक्त स्थान पर लगाने का अनौपचारिक प्रस्ताव रखा। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या देश में इस प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है।

वी० सी० पी०/वी० सी० आर० का निर्माण

[अनुवाद]

6678. **श्री चिंतामणि जेना : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वी० सी० आर०/वी० सी० पी० का निर्माण करने के लिए किन-किन कम्पनियों को आशय पत्र जारी किये गये हैं;

(ख) किन-किन कम्पनियों ने उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ग) प्रत्येक कम्पनी का वी० सी० आर०/वी० सी० पी० का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से यह सिफारिश की है कि वहां वी० सी० आर०/वी० सी० पी० का एक निर्माण एकक स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र जारी किया जाये; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) निम्नलिखित कम्पनियों को प्रत्येक वर्ष 3 लाख वीडियो कैसेट रिकार्डरों/वीडियो कैसेट प्लेयरों के विनिर्माण के लिए एकीकृत सुविधाएं स्थापित करने की दृष्टि से आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं :—

1. मेसर्स वी० पी० एल० सैन्यो लिमिटेड, बंगलौर
2. मेसर्स भारत फोर्ज लिमिटेड, पुणे
3. मेसर्स वीडियोकोन इन्टरनेशनल लिमिटेड, अहमदनगर

इन इकाइयों ने अभी उत्पादन करना आरम्भ नहीं किया है।

(घ) और (ङ) उड़ीसा सरकार ने अनुरोध किया है कि मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई० टी० एण्ड० टी०) की प्रस्तावित परियोजना को भुवनेश्वर में स्थापित किया जाए। ई० टी० एण्ड टी० ने अभी इसके स्थापना स्थल का अध्ययन नहीं किया है।

प्राचीन आदिवासियों की भाषाई पहचान

6679. डा० फूलरेणु गुहा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने देश के विभिन्न भागों में रहने वाले आदिवासियों विशेष कर प्राचीन आदिवासियों की संस्कृति भाषाई पहचान तथा परम्पराओं को सुरक्षित रखने हेतु क्या उपाय किये हैं?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : संरक्षण एवं संवर्धन सहित "संस्कृति" मुख्यतः एक राज्य विषय है परंतु भारत सरकार ने प्राचीन आदिवासियों सहित आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उपाय किए हैं। इनमें राज्यों में आदिवासी संग्रहालयों की स्थापना करना, आदिवासी उत्सवों/आदिवासी मेलों का आयोजन करना, आदिवासी जीवन और संस्कृति पर वृत्त चित्रों का निर्माण करना, आदिवासी कला एवं संस्कृति आदि के संरक्षण एवं संवर्धन में कार्यरत पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों को अनुदान/रियायतें देने की व्यवस्था शामिल हैं। ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और आदिवासी अनुसंधान संस्थानों जैसी संस्थाओं ने कला, चित्रकला, संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में आदिवासी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का प्रलेखन कार्य शुरू किया है।

जहां तक आदिवासियों की भाषाई पहचान के संरक्षण का संबंध है, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और आदिवासी अनुसंधान संस्थान, आदिवासी बोलियों में प्रवेशिकाएं और पाठन सामग्री तैयार करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। अनेक दूसरे उपायों के ब्यौरे भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट किए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ नई शिक्षा नीति में भी पाठ्यक्रम के विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया है और प्रारंभिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा में परिवर्तन करने की व्यवस्था करने के साथ-साथ आदिवासी भाषाओं में पाठन सामग्री तैयार करने पर भी जोर दिया गया है।

पर्यटन स्थलों के लिए विमान सेवा

[हिन्दी]

6680. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी पर्यटन केन्द्रों के लिए विमान सेवा उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो इन सभी पर्यटन केन्द्रों के लिये कब तक विमान सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) अधिकतर महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र इंडियन एअरलाइंस/वायुदूत द्वारा हवाई सेवा से जुड़े हुए है। इस समय इडियन एअरलाइंस और वायुदूत की देश में सभी पर्यटक केन्द्रों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है। नए स्टेशनों के लिये हवाई सेवाओं का विस्तार निम्नलिखित पर निर्भर करता है :—

—परिचालनों की आर्थिक सक्षमता;

—आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता;

– प्रमुख मार्गों पर सेवा उपलब्ध कराने की संभाव्यता;

—क्षेत्र में नए स्टेशनों का बेस और अन्य स्टेशनों के साथ संपर्क आदि।

गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार को आवंटन

6681. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गरीबी उन्मूलन के लिए योजना आयोग द्वारा वर्ष 1989-90 के लिए वर्ष 1988-89 की तुलना में कितना और प्रावधान किया गया है; और

(ख) यह धनराशि किन कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यय की जाएगी ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्री (श्री माधव राव सोलंकी) : (क) और (ख) बिहार सहित सम्पूर्ण देश में 1988-89 के दौरान कार्यान्वियन के अन्तर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०); राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०); तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) तीन प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1989-90 के दौरान जारी रहेगा। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को 1989-90 से "जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना" के नए कार्यक्रम के साथ मिला दिए गए हैं। यह सम्मिलित कार्यक्रम "जवाहर रोजगार योजना" के रूप में जाना जाता है।

वर्ष 1989-90 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत बिहार को राशियों का कुल आवंटन (केन्द्र तथा राज्य हिस्सा) वर्ष 1988-89 के दौरान 9609.33 लाख रु० के कुल आवंटन के मुकाबले 11025,89 लाख रु० है। बिहार के सन्दर्भ में 1988-89 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कुल आवंटन 22896.36 लाख रु० था। इसके मुकाबले वर्ष 1989-90 के लिए बिहार को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कुल आवंटन 29744 लाख रु० (20 प्रतिशत राज्य हिस्से सहित) है।

उस्मानाबाद और बम्बई के बीच वायुदूत सेवा

[अनुवाद]

6682. **श्री अरविंद तुलसीराम कांबले** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस्मानाबाद और बम्बई के बीच वायुदूत सेवा प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो कब से;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान महाराष्ट्र में अन्य कौन-कौन से नगरों को वायुदूत सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। वायुदूत को जल्दी ही उस्मानाबाद को बम्बई के साथ विमान सेवा जोड़ने की योजना है।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विमान क्षमता की उपलब्धता, आधार संरचनात्मक सुविधाओं के विकास और परिचालनों की आर्थिक साध्यता के आधार पर, वायुदूत की चालू योजना अवधि के शेष समय में महाराष्ट्र राज्य में, कोल्हापुर, जलगांव और चन्द्रपुर को विमान सेवा से जोड़ने की योजना है।

एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस द्वारा हिन्दी में लिखे गए पत्र

6683. **श्री कमल चौधरी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1988 के दौरान एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की दिल्ली डिवीजन कार्यालय द्वारा हिन्दी में कितने पत्र लिखे गये;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन कार्यालयों द्वारा अंग्रेजी में कितने पत्र लिखे गये; और

(ग) इन कार्यालयों में हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिये क्या उपाय किये गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इन दोनों एयरलाइन्सों में प्राप्त होने वाले और बाहर भेजे जाने वाले पत्रों को दर्ज करने की कोई प्रणाली नहीं है। तथापि, वर्ष 1988 के दौरान एयर इंडिया के दिल्ली डिवीजन ने 720 पत्र हिन्दी में भेजे हैं और इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है।

(ग) इन दोनों एयरलाइनों में किये जा रहे कार्य का तकनीकी स्वरूप देखते हुए, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों का यथोचित परिवर्तनों के साथ अनुपालन किया जाता है।

वाहनों के गलत पार्किंग के लिए जुर्माना

6684. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामूली गलत पार्किंग के अपराध के लिये भी दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा वाहन उठा लिये जाते हैं;

(ख) यदि हां तो, पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, इस कार्यवाही द्वारा कुल कितना जुर्माना लगाया गया;

(ग) क्या वाहन ले जाने का कार्य निजी क्रेन मालिकों द्वारा किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार इनको कुल कितना भुगतान किया गया ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) किसी वाहन की पार्किंग को मामूली रूप से गलत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। गलत पार्क किए गए वाहन को, उचित घोषणा पद्धति के माध्यम से जनता को सूचित करने के बाद यातायात पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया कुल जुर्माना इस प्रकार है :—

वर्ष	किया गया कुल जुर्माना
1986	36,24,045 रु०
1987	29,92,115 रु०
1988	46,01,030 रु०

(ग) सरकारी क्रेनों के अलावा वाहन ले जाने का कार्य प्राइवेट क्रेनों द्वारा भी किया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राइवेट क्रेन मालिकों को दिए गए भुगतान की कुल राशि इस प्रकार है :—

1986	33,84,435 रु०
1987	37,98,022 रु०
1988	42,92,555 रु०

कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना के कारण विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा

6685. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैगा में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना से कितने परिवार विस्थापित हुए;

(ख) विस्थापित परिवारों के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या प्रभावित लोगों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सभी विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए क्या प्रबंध किये गये हैं; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) कैगा परमाणु विद्युत परियोजना की स्थापना का प्रभाव कुल मिलाकर 133 परिवारों पर पड़ा है जिनमें से 85 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। शेष 48 परिवार जिनकी कृषि-योग्य भूमि का अधिग्रहण किया गया है, विस्थापित नहीं होंगे क्योंकि वे वहां पर बसे हुए नहीं हैं।

(ख) अब तक प्रभावित परिवारों के 90 व्यक्तियों को परियोजना में रोजगार दिया जा चुका है। प्रभावित परिवारों के शेष ऐसे सदस्यों को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है जो रोजगार के पात्र हैं।

(ग) से (च) मुआवजे का भुगतान और पुनर्वास की व्यवस्था राज्य सरकार के माध्यम से किए जा रहे हैं तथा इनके लिए न्यूक्लियर पावर, कारपोरेशन आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा रहा है। प्रभावित परिवारों की भूमि और संपति के बदले में मुआवजे का भुगतान करने के लिए न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ने राज्य सरकार के पास 116 लाख रुपए जमा कराए हैं तथा इस धनराशि का भुगतान राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को कर दिया है। विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ने राज्य सरकार के पास 38.40 लाख रुपए जमा कराए हैं। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार उपयुक्त भू-खण्ड का पता लगा रही है।

तमिलनाडु में यात्री निवासों का निर्माण

6686. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में यात्री निवास बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा भेजा गया कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) कांचीपुरम में 35.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर तथा नागापत्तनम में 37.27 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 60 शैयाओं वाले एक यात्री निवास के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इन यात्री निवासों का कार्य प्रगति पर है।

(ग) राज्य सरकार से मद्रास में यात्री निवास के लिए एक अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

भूतपूर्व-अपराधशील कबीलों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दर्जा

6687. **डा० ए० के० पटेल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की खानाबदोश कबीले अथवा भूतपूर्व अपराधशील कबीले अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिये जाने की मांग कर रहे हैं; और

(ख) इन कबीलों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में कब तक सम्मिलित किया जायेगा ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। किसी भी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341(2) तथा 342(2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है। इस स्तर पर कोई आगे सूचना नहीं दी जा सकती।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा पर्यटन को बढ़ावा

6688. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र को आमंत्रित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने पर्यटन संबंधी परियोजनाओं में निवेश हेतु प्राइवेट सेक्टर को आकर्षित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ केवल पर्यटन परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु पर्यटन वित्त निगम की स्थापना एवं बहुत सी रियायतें/लाभ यथा ब्याज इमदाद, धारा 80 एच० एच० सी० के अधीन आयकर लाभ, परियोजना आयातों पर सीमा शुल्क में छूट, ब्याज छूट, एम० आर० टी० पी० अधिनियम से छूट, दूरभाष, टेलेक्स एवं गैस कनेक्शनों आदि के आबंटन में प्राथमिकता देना शामिल है।

सुम्बल चाखार गांव के नजदीक सेना का चांदमारी क्षेत्र

6689. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उधमपुर तहसील के सुम्बल चाखार गांव से निकट सेना के चांदमारी क्षेत्र के बन जाने से वहां के लोगों की सम्पत्ति तथा जनजीवन की हानि पहुंच रही है;

(ख) क्या इन गांवों के प्रतिनिधि मांग करते रहे हैं कि या तो इस गांव के समस्त लोगों और जानवरों को दूसरी जगह ले जाया जाए अथवा वहां से चांदमारी क्षेत्र को हटा दिया जाए;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में लिए गए अन्तिम निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) 1967 में इस लघु शस्त्रास्त्र वर्गीकरण रेंज (स्माल आर्मस क्लासीफिकेशन रेंज) के आरम्भ होने से अब तक उधमपुर तहसील के सुम्बल चाखार गांव के लोगों के जान और माल की हानि की कोई रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है।

स्थानीय गांवों में रहने वाले व्यक्तियों को होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1986 में इस चांदमारी रेंज को स्थानांतरित करने के लिए अभ्यावेदन दिया था। इस अभ्यावेदन में लगाए गए सम्पत्ति और मवेशियों को हुई हानि के आरोप जांच करने पर बेबुनियाद

पाए गए। फिलहाल, इस चांदमारी रेंज को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिमी बंगाल से स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदन पत्र

6690. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1982 तक तथा इसके पश्चात् पश्चिम बंगाल से स्वतंत्रता सेनानियों के कितने-कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक कितने पत्रों को स्वीकृत किया गया है; और

(ग) विचाराधीन मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा इस प्रयोजन में कितना समय लगने का अनुमान है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) प्राप्त आवेदन पत्र

31.3.82 तक	— 75,571
31.3.82 के बाद	— 1,849

(ख) 16.911

(ग) जुलाई/अगस्त 1986 के दौरान चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पश्चिमी बंगाल के सभी मामलों को निपटा दिया गया था। तथापि हमें कुछ आवेदकों से सीधे और राज्य सरकार के माध्यम से, उनके उन मामलों पर पुनः विचार करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें विशेष अभियान के दौरान अस्वीकार कर दिया गया था। इन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं।

दानापुर छावनी में भूमि पर अनधिकृत कब्जा

6691. **श्री सरफराज अहमद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर छावनी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कुछ नागरिकों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है,

(ख) क्या दानापुर छावनी बोर्ड और रक्षा सम्पदा अधिकारियों ने अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क, और (ख) जी, हां।

(ग, रक्षा भूमि पर 554 अवैध कब्जों में से 227 कब्जों को हटा दिया गया है। 297 मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं तथा 30 मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं।

दानपुर छावनी के लिए विशेष सहायता

6692. **श्री सरफराज अहमद** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दानापुर छावनी बोर्ड बिहार के लिए छावनी क्षेत्र के विकास हेतु जनवरी, 1987 से 15 फरवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान विशेष अनुदान सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मिशनरियां

6693. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1989 को भारत में कितने विदेशी मिशनरी थे;

(ख) वर्ष 1988 के दौरान भारत में कितने मिशनरियों ने प्रवेश किया तथा कितने मिशनरियों ने भारत छोड़ा; और

(ग) 1 जनवरी, 1989 से राष्ट्रीयता धार्मिक नामकरण तथा भारत में निरन्तर किये गये आवास वर्षों के आधार पर रहने वाले मिशनरियों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों द्वारा जनसांख्यिकी आंकड़ों संबंधी तथ्यों का छिपाया जाना

6694. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद् ने प्रधान मंत्री को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य जनसांख्यिकी आंकड़ों संबंधी तथ्य छिपा रहे हैं और अधिकतर राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए गलत जनसांख्यिकी आंकड़े भेजते हैं कि केन्द्र उन्हें प्रत्येक वर्ष अधिक अनुदान का आबंटन करता है और राज्यों को आबंटित की जाने वाली धनराशि आंशिक रूप से वहां की जनसंख्या पर निर्भर करती है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों को योजना तथा गैर-योजना व्यय के लिए धनराशि आवंटित करते समय इनसे निपटने के लिए योजना आयोग ने क्या प्रणाली अपनाई गई है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) नवम्बर, 1988 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में विज्ञान सलाहकार परिषद् ने जनसंख्या नियंत्रण के एक पूर्व राज्य निदेशक की टिप्पणी को यह कहने के लिए संदर्भित किया है कि अधिकांशः राज्य केन्द्र से अधिक अधिक अनुदान का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए जनसांख्यिकी आंकड़ा सही नहीं देते है। क्योंकि राज्यों का पूर्ण राशि आबंटन उनकी जनसंख्या के भाग पर निर्भर हैं। किसी अधिकारी की टिप्पणी पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि राज्य जनसांख्यिकी आंकड़ा संबंधी तथ्यों को छुपा रहे हैं और इस प्रकार, परिषद् की रिपोर्ट में भी इस प्रकार की कोई टिप्पणी शामिल नहीं होती है।

(ख) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में राज्यों के अन्तर भाग के निर्धारण में 1971 के जनगणना आंकड़ों को लागू किया गया है और राज्य सरकारों द्वारा सूचित अथवा अनुचित नहीं। जहां तक राज्यों की गैर-योजना व्यय का सम्बन्ध है, वे अपने संसाधनों से पूरा करते हैं और इस प्रकार योजना आयोग द्वारा राशियों के आवंटन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लोथल खुदाई में प्राप्त सिंधु घाटी काल के लेख

6695. **डॉ बी० एल० शैलेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लोथल के प्राचीन पत्तन नगर में खुदाई के दौरान शिलालेख के रूप में प्राप्त शिलालेख के रूप में प्राप्त सिंधु घाटी की लिपि का अर्थ निकाल लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत और विदेशों के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक सिंधु भाषा के कुछ कूट शब्दों का गूढ़ अर्थ निकालने में सफल हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इससे अब तक क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) क्या लोथल में प्राप्त लिपि के समान ही पूर्व भारत योरोपीय भाषा की विश्वव्यापी अन्तरिक्ष केन्द्रों की भावी सरकारी भाषा के रूप में विकसित करने तथा उनके अन्तरिक्ष केन्द्रों के माध्यम से विश्वेत्तर जीवन के साथ संचार व्यवस्था के लिये इस्तेमाल करने के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हैलीकाप्टर सेवा का विस्तार

6696. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पवन हंस लिमिटेड के अन्तर्गत कितने और किस ब्रांड नाम के हैलीकाप्टरों का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) ये हैलीकाप्टर किन-किन मार्गों पर प्रयोग में लाये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार देश के अन्य भागों में भी हैलीकाप्टर सेवा शुरू करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इस समय पवनहंस लिमिटेड के बेड़े में 19 वेस्टलैंड डब्ल्यू जी०-30 और 20 एस० ए०-365 एन डाफिन 2 हेलीकाप्टर हैं । कम्पनी अपनी स्वयं की कोई सेवा परिचालित नहीं कर रही है । कम्पनी ने अपने हेलीकाप्टर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और कोल इंडिया को परिचालन के लिए तथा जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, लक्षद्वीप द्वीपसमूह और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को वेटलीज पर दिए हुए हैं । ये हेलिकाप्टर जिन मार्गों पर लगाए जाने हैं । इसका निर्णय लीज पर लेने वाले स्वयं निर्धारित करते हैं ।

(ग) और (घ) योजना आयोग/गृह मंत्रालय/उत्तर-पूर्वी परिषद् द्वारा अनुमोदन किये जाने पर, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उत्तर-पूर्वी परिषद के संरक्षण में एक एकीकृत हेलिकाप्टर सेवा शुरू करने का विचार है ।

मछली पकड़ने के लिए नये यंत्रों का विकास

6697. **श्री बक्कम पुरुषोतमन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरुगप्पाचेट्टिअर रिसर्च सेन्टर ने केन्द्रीय सरकार की सहायता से मछलियों को चारा देना और उन्हें आसानी से फंसाने के लिए मछुआरों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले किन्हीं यन्त्रों का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार परम्परागत तरीकों के विकल्प के रूप में इन यंत्रों को लोकप्रिय बनाने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) मत्स्य एकत्रण युक्तियां शुरू करने पर एक प्रायोगिक अध्ययन में सरकार ने सहायता दी है। ये युक्तियां समुद्र में गहरे पानी में लगायी जाती हैं। इन युक्तियों से सुदूर जल से मछलियों को आकर्षित और इकट्ठा करना सम्भव है, जिससे मछुआरों को मछलियां पकड़ने में मदद मिलती है।

(ग) आठवीं योजना अवधि में समुद्र तटीय राज्यों के लिए मत्स्य एकत्रण युक्तियों पर एक अखिल भारतीय समन्वित परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

अपंगता निवारण तथा अपंग व्यक्तियों के पुनर्वास में समाज की भूमिका पर सेमिनार

6698. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**
श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपंगता निवारण और अपंग व्यक्तियों के पुनर्वास में समाज की भूमिका के बारे में मार्च, 1989 में दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सेमिनार में विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमिति उरांव) : (क) जी, हां। बाल्यावस्था में अपंगता-अपंगता निवारण एवं पुनर्वास में समाज की भूमिका के बारे में एक सेमिनार मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, महिला तथा बाल विकास विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान के द्वारा 13-15 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान द्वारा सेमिनार की रिपोर्ट सरकार को नहीं भेजी गई है।

रानी खेत में निचले माल रोड का निर्माण

[हिन्दी]

6699. **श्री हरीश रावत :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के रानीखेत क्षेत्र में रक्षा मन्त्रालय द्वारा भूमि का हस्तांतरण न किए जाने के कारण निचले माल रोड और चोबटिया बामास्यू मोटर रोड का निर्माण कार्य रुका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से रुका हुआ है;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकार से इन सड़कों को निर्धारित सीध में लाने के लिए आवश्यक भूमि के हस्तांतरण के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो ये प्रस्ताव किन-किन तारीखों को प्राप्त हुए थे;

(ङ) क्या इन्हें स्वीकार कर लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो वे कब स्वीकार किये गए थे और यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) 31.10.88 को।

(ङ) और (च) स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट मिलने पर भूमि के अन्तरण करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

किशोर न्यायालय

[अनुवाद]

6700. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अन्तर्गत किशोर न्यायालयों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन न्यायालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा अभी तक उपलब्ध की गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में किशोर न्यायालयों की स्थापना की जा चुकी है :

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के नाम	स्थापित किए गए किशोर न्यायालयों की संख्या
1	2
1. कर्नाटक	22
2. मिजोरम	3

1	2
3. उड़ीसा	2
4. पंजाब	4
5. राजस्थान	11
6. उत्तर प्रदेश	11
7. दिल्ली	1
8. पांडिचेरी	1

दूसरे राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश किशोर न्यायालय स्थापित करने की कार्रवाई कर रहे हैं फिर भी, जहां किसी क्षेत्र के लिए कोई किशोर न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है, वहां किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अन्तर्गत किशोर न्यायालय को प्रदत्त अधिकारों का जिला मजिस्ट्रेट या उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट या कोई मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायायिक मजिस्ट्रेट जैसा भी मामला हो, उस क्षेत्र में प्रयोग किया जायेगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय को प्रदत्त अधिकारों का भी उच्च न्यायालय द्वारा और सत्र न्यायालय जब अपील, रिविजन या अन्यथा उनके समक्ष कार्रवाई के लिए मामले आएं तो प्रयोग किया जा सकता है।

भूतपूर्व सैनिकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान

[हिन्दी]

6701. **श्री हरीश रावत :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन आदि के भुगतान का कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश में नैनीताल, अल्मोड़ा ग्रामीण बैंक और पिथौरागढ़ ग्रामीण बैंक के माध्यम से पेंशन का भुगतान करने का प्रबंध किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन बैंकों की शाखाओं के माध्यम से इस तरह के प्रबन्ध करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जिन मामलों में रक्षा पेंशन वितरण अधिकारी पेंशनरों के बैंक खातों में पेंशन जमा कराने के लिए, बैंकों को समेकित चैक जारी करके पेंशन वितरित करते हैं उन मामलों में पेंशनरों के अनुरोध पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ब्रांचों को भी इस प्रकार के चैक जारी किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पिथौरागढ़ और नैनीताल में कोई रक्षा पेंशन वितरण अधिकारी न होने के कारण इस प्रकार की व्यवस्था पर विचार नहीं किया गया है।

नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मावना

[अनुवाद]

6702. **श्री एच० ए० डोरा :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा निगम ने नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में आशंकाएं दूर करने सम्बन्धी नौ सूत्र जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ने एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें निम्नलिखित मुद्दे स्पष्ट किए गए थे :

(1) नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में प्रचार।

(2) अपवर्जन क्षेत्र और विसंक्रमण क्षेत्र के बारे में स्पष्टीकरण।

(3) आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने के वास्ते जन-सामान्य को जागरूक बनाने का कार्यक्रम।

(4) निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा विनियमों का अनुपालन।

(5) स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संबंधी पहलू।

(6) इस भ्रम को दूर करना कि नरोरा परमाणु बिजलीघर की अवस्थिति के फलस्वरूप गंगा और राजधानी (नई दिल्ली) के लिए कोई खतरा हो सकता है।

(7) संरचनाओं, प्रणालियों और उपस्करों की डिजायनों की उपयुक्तता।

(8) उपस्करों के कार्य-निष्पादन की जांच संबंधी मुद्दे।

(9) गोपनीयता और जिम्मेवारी संबंधी स्पष्टीकरण।

जापान से ऋण

6703. **श्री एच० ए० डोरा :**
श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इंडियन एयरलाइन्स के लिए 19 एयरबसों की खरीद के लिए हांगकांग में इंडियन एयरलाइन्स और जापान संघ के बैंकों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समझौते में इसके लिए क्या शर्तें रखी गई हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स ने 2000 लाख अमरीकी डालर के ऋण के लिए 23.3.1989 को हांगकांग स्थित जापानी बैंकों के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं। इंडियन एयरलाइन्स और जापानी बैंकों के सहकार के बीच किये गये ऋण करार, जो एक वाणिज्यिक उधार व्यवस्था है, के नियम और शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

1. उधारकर्ता : इंडियन एयरलाइन्स

2. उधार देने वाला	:	जापानी बैंकों का सहकार (12 जापानी बैंकों का एक सिंडीकेट)
3. ऋण की राशि	:	2000 लाख अमरीकी डालर
4. पूरा होने की अवधि	:	10 वर्ष और 3 महीने
5. ब्याज दर	:	लीबोर (लन्दन अन्तर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रस्तावित दर)
6. प्रबंधन शुल्क	:	5/16% सयान दर
7. एजेंसी शुल्क	:	प्रति वर्ष 5000 अमरीकी डालर।

अंटार्कटिका में मैत्री केन्द्र

6704. **श्री एच० ए० डोरा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस बीच अंटार्कटिका में मैत्री केन्द्र स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) मैत्री में भारत का स्थाई केन्द्र स्थापित किया जा चुका है।

(ख) मैत्री केन्द्र का निर्माण कार्य 1987-88 की ग्रीष्म ऋतु में शुरू किया गया तथा उसे 1988-89 की ग्रीष्म ऋतु में पूरा कर लिया गया। एक शीतकालीन दल के 26 सदस्यों को इस केन्द्र पर छोड़ दिया गया है क्योंकि उसमें जीवन की सभी सहायक व्यवस्थाएं क्रियाशील हैं। उपयोगी वस्तुओं का परीक्षण किया जा रहा है और वर्ष के दौरान, सुधारों तथा परिष्करणों सम्बन्धी कार्य किए जाने की आशा है। वैज्ञानिक प्रयोगशाला, आवास, रसोई, भोजन कक्ष, मरम्मत सुविधाओं, इत्यादि के साथ यह केन्द्र 16 वैज्ञानिकों तथा सहायक कार्मिकों के लिए बनाया गया है। इस केन्द्र का अभिकल्प रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा बनाया गया है, इसका निर्माण 7वें तथा 8वें अभियानों के अभियान सदस्यों की सहायता से आर्मी कोर ऑफ इन्जीनियर्स द्वारा किया गया है और महासागर विकास विभाग द्वारा इसका पूर्णतः वित्तपोषण किया गया है।

"फारेस्ट-लाज" स्थापित करना

6705. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या देश में "फारेस्ट लाज" स्थापित किए जा रहे हैं; और

(ख) ये किन स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं और इनमें से प्रत्येक में कितने पर्यटक ठहर सकते हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) देश में निम्नलिखित वन-गृह स्थापित किए जा रहे हैं :—

स्थान	क्षमता (संख्या)
मानस (असम)	67
सीजू (मेघालय)	20
मदुमलाई (तमिलनाडु)	19
परम्बिकुलम (केरल)	32
नय्यर बांध (केरल)	32
धनघड़ी (उत्तर प्रदेश)	42

विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटक केन्द्र

6706. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे पर्यटक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जो केवल विदेशी पर्यटकों के लिये ही होंगे; और

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

देहू रोड आयुध कारखाना, पुणे में विस्फोट

6707. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 मार्च, 1988 को पुणे में देहू रोड आयुध कारखाने में एक विस्फोट हुआ था यदि हां, तो इसमें कितने व्यक्ति मारे गए और कितने घायल हुए;

(ख) क्या विस्फोट के वास्तविक कारण का पता लगाया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के आयुध कारखानों में कार्यरत कामगारों की सुरक्षा के लिए सरकार का और क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां । विस्फोट के परिणामस्वरूप चार औद्योगिक कामगार मारे गए । 16 औद्योगिक कामगारों को मामूली चोटें आई ।

(ख) और (ग) दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड, कलकत्ता ने 26.3.89 को नियन्त्रक, गुणता आश्वासन (सैन्य विस्फोटक) के अधीन एक जांच बोर्ड का गठन किया है । मंत्रालय में जांच बोर्ड की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । आयुध निर्माणियों में इस समय लागू सभी सुरक्षा प्रावधानों के अतिरिक्त आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा जांच बोर्ड की रिपोर्ट को प्राप्त होने पर जांच बोर्ड द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपायों को अपनाने के लिए उचित रूप से विचार किया जाएगा ।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन० डी० ए०) में प्रवेश लेने हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करना

6708. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन० डी० ए०) में प्रवेश पाने वाले कैडेटों की संख्या में गत कुछ महीनों में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का युवाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) हाल ही में शैक्षणिक अर्हता बढ़ा दिए जाने (10+1 से 10+2) और चिकित्सा परीक्षा में अप्रत्याशित रूप से अधिक उम्मीदवारों के असफल होने के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पिछले बैच (जनवरी, 89) में थोड़ी कमी रही है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के स्तर में सुधार लाने और प्रवेश के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।

नागपुर में अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र

6709. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-चुम्बकीय संस्थान के निदेशक ने नागपुर में पूर्ण स्तर के अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का नागपुर में ऐसा केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह केन्द्र कब तक स्थापित कर दिया जायेगा और कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) नागपुर में एक स्वतन्त्र अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पर्यटक सुविधाएं

[हिन्दी]

6710. **श्री राज कुमार राय** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, भऊनाथ भंजन और बलिया जिलों में पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्यों को पर्यटन आधार-संरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर प्रदान करता है। विभाग को आजमगढ़, भऊनाथ भंजन और बलिया जिलों में पर्यटन आधार-संरचना के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

14 नवम्बर, 1988 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करना

6711. **श्री राज कुमार राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में 14 नवम्बर, 1988 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मंत्रालयों में उक्त अवकाश नहीं मनाया गया;

(ग) क्या दिल्ली में डाक-तार विभाग के सभी कार्यालय खुले रहे; और

(घ) यदि हां, तो इस दिन कार्यालय आने वाले कर्मचारियों को क्या सुविधा दी जा रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 14 नवम्बर, 1988 को औद्योगिक स्थापनाओं सहित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के लिए सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई थी।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

नई दिल्ली नगर पालिका में नियुक्तियां

6712. **श्री राज कुमार राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका में पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों में स्थायी और अस्थायी आधार पर कितने कर्मचारी नियुक्त किए गए; और

(ख) इनमें से कितनी नियुक्तियां रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा की गई नियुक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

(1) तदर्थ नियुक्तियां	44
(2) मस्टर रोल से नियमित किए गए	870
(3) नियमित रिक्तियों पर की गई नियुक्तियां	920
	1834

(ख) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 270 व्यक्ति नियुक्त किए गए ।

दिल्ली में अपहरण की घटनाएं

6713. **श्री राज कुमार राय :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1988 तथा मार्च, 1989 तक की अवधि के दौरान अपहरण की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) अब तक कितने अपहृत बालक और बालिकाएं मिले हैं; और

(ग) शेष अपहृतों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) ऐसे मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	अपहरण की घटनाओं की संख्या
1988	119
1989 (31.3.89 तक)	48

(ख) निम्नलिखित व्यक्तियों का पता लगाया गया :—

	पुरुष	महिला
1988	47	52
1989 (31.3.89 तक)	18	.6

(ग) अपहृत व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

सोवियत संघ के साथ विमान किराये पर लेने संबंधी समझौता

[अनुवाद]

6714. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एअरलाइंस को किराये पर दो विमान दिए जाने के लिए सोवियत संघ के साथ उनकी डिलिवरी का क्या समय निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या डिलिवरी निर्धारित समय में विमान प्राप्त हो गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) एक टी० यू०-154 और एक आई० एल०-62 एम० विमान वेटलीज पर लेने के लिए इंडियन एयरलाइन्स और सोवियत रूस के मैसर्स एवरोफ्लोट के बीच पट्टा करार में डिलिवरी का कोई निश्चित कार्यक्रम शामिल नहीं किया गया है । इंडियन एयरलाइन्स को एक टी० यू०-154 विमान 13 अप्रैल, 1989 को पहले ही प्राप्त हो गया है और एक आई० एल०-62 एम० विमान उसे जल्दी ही सुपुर्द किये जाने की आशा है ।

रक्षा अनुसंधान की कम्प्यूटर आवश्यकताएं

6715. श्री पी० एम० सईद : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान की विशेषज्ञता प्राप्त कम्प्यूटर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्प्यूटर प्रणाली का डिजाइन तैयार करने अथवा निर्माण करने के लिए कोई योजना प्रारम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इसके लिए विदेशी सहयोग प्राप्त किया जाएगा अथवा यह एक स्वदेशी उद्यम होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) विशेष रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक उच्च कार्य क्षमता की समानान्तर कम्प्यूटिंग प्रणाली के विकास हेतु एक परियोजना आरम्भ की गई है। इसमें विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए कम्प्यूटर—आर्कीटेक्चर स्ट्रक्चरिंग और सम्बद्ध अनुप्रयोग—सॉफ्टवेयर का देश में विकास करना शामिल है।

(ग) यह परियोजना स्वदेशी प्रयासों पर आधारित है और इसके लिए विदेशी सहयोग लेने की कोई योजना नहीं है।

जम्मू-कश्मीर में तस्करों के गिरोहों की गिरफ्तारी

6716. श्री पी० एम० सईद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 मार्च, 1989 को "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर राज्य में पिछले छ: महीने के दौरान तस्करी तथा विघटनकारी गतिविधियों में सक्रिय चार गिरोहों को पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा विशेष रूप से उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन पर पाकिस्तानी "फील्ड इंटेलिजेंस" के लिये काम करने का आरोप है;

(ग) क्या गिरफ्तार व्यक्तियों का पंजाब के उग्रवादियों और तथाकथित "कश्मीर मुक्ति मोर्चे" के साथ संपर्क था; और

(घ) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) पकड़े गए व्यक्तियों में से जिला बारामुला का एक व्यक्ति श्री मो० युनूस शाह पर पाक फिल्ड आसूचना (जोग्रफीकल सेक्सन) का एजेंट होने का सन्देह था। श्री मो० युनूस शाह को 12 11.88 को पकड़ा गया था और उसके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(ग) हालांकि रिपोर्ट से, पंजाब के उग्रवादियों और तथाकथित जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कार्मिकों के बीच कुछ सम्पर्क होने का पता लगता है, लेकिन इस सन्देह की पुष्टि में कोई

प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बलों को अधिक जन शक्ति, अतिरिक्त सीमा चौकियों, निगरानी बुर्जों सहित गहन गश्त के लिए अत्याधुनिक उपकरण और वाहन उपलब्ध करके सुदृढ़ किया गया है।

साहसिक नौकायन को प्रोत्साहन देने की योजना

[हिन्दी]

6717. **श्री हरीश रावत** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली गंगा-जमना और शारदा नदियों में साहसिक नौकायन को प्रोत्साहन देने की एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार इन क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार में सक्रिय राज्य पर्यटन विकास निगमों को विशेष वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में साहसिक नौकायन को बढ़ावा देने की कोई स्कीम तैयार नहीं की गई है। तथापि, सरकार ऐसे सभी कार्यकलापों को जिनसे समूचे देश में पर्यटक यातायात को आकर्षित करने की संभावना होती है, बढ़ावा दिया जाता है।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तावों पर गुण-दोष, परस्पर प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए विचार किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में भर्ती केन्द्र

6718. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का कोई आकलन किया है कि उत्तर प्रदेश में सेना में भर्ती किये जाने योग्य शारीरिक रूप से कितने व्यक्ति सुयोग्य हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987 और 1988 में ऐसे व्यक्तियों की कितनी संख्या थी;

(ग) क्या सेना की विभिन्न शाखाओं में उनकी भर्ती करने के लिए उपरोक्त संख्या के अनुसार राज्य में भर्ती केन्द्र खोले गए थे; और

(घ) यदि नहीं, तो अपेक्षित संख्या में भर्ती केन्द्र खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या अर्थात् कुल पुरुष जनसंख्या का 10% के

आधार पर भर्ती योग्य जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है । इस समय राज्यवार भर्ती योग्य जन-संख्या का हिसाब 1981 की जनगणना के आधार पर लगाया जाता है ।

1981 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के पुरुषों की कुल जनसंख्या 5,82,87,621 है । तदनुसार भर्ती योग्य जनसंख्या 58,28,762 बैठती है । 5 से 7½ लाख भर्ती योग्य जनसंख्या के लिए एक शाखा भर्ती कार्यालय की स्थापना की जाती है । इस समय उत्तर प्रदेश में 9 शाखा भर्ती कार्यालय और एक क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय है जो कि पर्याप्त भर्ती सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं ।

एयर इंडिया द्वारा कुवैत के लिए लिया जाने वाला हवाई किराया

[अनुवाद]

6719. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया द्वारा दिल्ली से कुवैत, बम्बई से कुवैत और त्रिवेन्द्रम से कुवैत के लिए, लिए जाने वाले हवाई किराये में कुछ अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जीं, हां ।

(ख) दिल्ली और बम्बई दोनों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से कुवैत के लिए एयर इंडिया के माल भाड़े की दर एक ही है । तथापि, त्रिवेन्द्रम से कुवैत के लिए प्रकाशित किराये के अभाव में, भाड़े का हिसाब त्रिवेन्द्रम-बम्बई के अन्तर्देशीय सैक्टर किराए को बम्बई-कुवैत किराए में जोड़ कर लगाया जाता है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा वर्ष 1988 के दौरान मामलों की जांच

6720. **श्री ई० अय्यपु रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने वर्ष 1988 के दौरान कितने मामलों की जांच की; और

(ख) वर्ष 1988 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कितने मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किए ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) 2320

(ख) 425

समारोह दिवसों पर झंडा फहराने के लिए जन-प्रतिनिधियों को अनुमति देना

6721. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन-प्रतिनिधियों को समारोह दिवसों पर झंडा फहराने एवं सलामी लेने की अनुमति दी जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का झंडा संहिता के अन्तर्गत सलामी लेने के लिए "प्रतिष्ठित व्यक्ति" शब्द की व्याख्या करने का विचार है ताकि इसमें चुने हुए प्रतिनिधियों को

शामिल किया जा सके ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस इत्यादि जैसे राष्ट्रीय दिवसों पर देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और जन प्रतिनिधियों द्वारा अपने चुनाव क्षेत्रों अथवा अन्य स्थानों पर आयोजित समारोहों में ध्वज फहराने और सलामी लेने पर कोई रोक नहीं है । तथापि. जहां तक ऐसे अवसरों पर सरकारी समारोहों का संबंध है, अब तक परम्पराएं सुस्थापित हो चुकी है और इनसे अलग हटाने से भ्रम तथा परिहार्य जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं और इसलिए भारत दंड संहिता में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

प्रसूति अवकाश

6722. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की महिला कर्मचारियों को प्रत्येक प्रसव पर कितने दिन का प्रसूति अवकाश दिया जाता है;

(ख) क्या प्रथम प्रसव के दौरान प्रसूति अवकाश की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने के संबंध में सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) विद्यमान छुट्टी नियमों के अधीन ऐसी किसी महिला सरकारी कर्मचारी को, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा छुट्टी प्रारम्भ होने की तारीख से 90 दिन की अवधि तक के लिए प्रसूति छुट्टी मंजूर की जा सकती है । चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर किसी महिला सरकारी कर्मचारी (इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उसके कितने बच्चे जीवित हैं) को गर्भपात सहित गर्भस्राव के मामले में अधिक से अधिक छह सप्ताह की प्रसूति छुट्टी भी मंजूर की जा सकती है ।

(ख) और (ग) विगत में, प्रसूति छुट्टी को बढ़ाकर 120 दिन करने के सुझाव सहित, प्रसूति छुट्टी की मात्रा को बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । चतुर्थ वेतन आयोग ने प्रसूति छुट्टी की मात्रा के संबंध में किसी उदारीकरण की सिफारिश नहीं की थी । किन्तु सरकार ने बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए 90 दिन की प्रसूति छुट्टी के क्रम में अधिक से अधिक एक वर्ष (60 दिन की परिणत छुट्टी तथा अर्जनशोध्य छुट्टी सहित) तक की किसी भी प्रकार की देय तथा अनुज्ञेय छुट्टी, यदि इसके लिए आवेदन दिया जाता है, मंजूर करने की वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार तथा कार्यान्वित कर दिया है ।

बंगलौर हवाई अड्डे पर हवाई अड्डा सुविधा प्रभार वसूल किया जाना

6723. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस द्वारा बंगलौर हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एकतरफा यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री से 10 रुपए प्रभार के रूप में वसूल किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 के दौरान बंगलौर स्थित इंडियन एयरलाइन्स के कार्यालय द्वारा कुल कितनी राशि वसूल की गई;

(ग) क्या उक्त राशि को बंगलौर हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए सुविधाओं पर खर्च किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और क्या-क्या यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) यात्री सेवा शुल्क (पी० एस० एफ०) एकत्र करने के संबंध में हवाई अड्डा वार अलग अलग लेख नहीं रखे जाते हैं। टिकटों की बिक्री के समय सम्पूर्ण भारत में इंडियन एयरलाइंस के बुकिंग कार्यालयों तथा इसके एजेन्टों द्वारा प्रत्येक यात्री सेक्टर के लिए शुल्क एकत्र किया जाता है। विभिन्न स्थानों से सीधे या एजेंटों द्वारा एकत्र किए गए पी० एस० एफ० तथा साथ ही साथ यात्रा रद्द किए जाने के कारण उसकी की गई वापसी अदायगी का हिसाब निगम के केन्द्रीय राजस्व लेखा द्वारा केन्द्रीय रूप से रखा जाता है। अतः इसलिए केवल बंगलूर हवाई अड्डे पर एकत्र निवल राशि का निर्धारण संभव नहीं है।

(ग) और (घ) एकत्र किए गए धन और यात्री सुविधाओं के लिए खर्च किए गए धन के बीच कोई संबंध नहीं है। आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सुविधाएं/सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जहां तक बंगलूर हवाई अड्डे का संबंध है, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निम्न सेवायें उपलब्ध कराई हैं :—

(1) अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संभाल के लिए एक अलग टर्मिनल भवन।

(2) उचित सफाई के लिए यांत्रिक सफाई मशीनें।

(3) कन्वेयर बेल्ट और शुल्क रहित सामान ट्रालियां।

(4) रेस्तरां/जलपान/काफी बार, जूस स्टाल आदि।

(5) उड़ान सूचना का डिजिटल प्रदर्शन क्लोज सर्किट टी० वी० प्रणाली, जल प्रणाली आदि

(6) पर्यटक सूचना काउंटर, बैंक काउंटर डाक काउंटर आदि।

(7) सामान एक्स-रे निरीक्षण प्रणाली सहित अपहरणरोधी सुविधाएं।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बंगलूर हवाई अड्डे पर उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

इंडियन एयरलाइंस के विमान चालकों को अवकाश

6724. **डा० दत्ता सामन्त :**

श्री शरद दिघे :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स के विमान चालकों को वर्तमान अर्जित अवकाश सुविधा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइंस के विमान चालकों पर इस वर्ष अर्जित अवकाश लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इंडियन एयरलाइंस के सेवा विनियमों के अधीन, इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों (विमानचालकों सहित) को सेवा के प्रत्येक 11 पूरे महीनों के लिए 30 दिनों की प्रिविलेज छुट्टी दी जाती है जिसे 240 दिनों तक जमा किया जा सकता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि काफी संख्या में विमानचालकों को 19 एयरबस ए-320 विमानों को सेवा में लगाने के संबंध में फ्रांस में प्रशिक्षण पर भेजा जा रहा है, विमानचालक को यह सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो वे प्रिविलेज छुट्टी न लें। इस पर सहमति हुई है कि 240 दिनों से अधिक की प्रिविलेज छुट्टी, जो न लिए जाने पर अन्यथा व्यर्थ चली जाती, को एक विशेष मामले के रूप में जमा करने की अनुमति होगी। तात्कालिक मामलों में विमानचालकों को भी प्रिविलेज छुट्टी मंजूर की जा रही है।

जिला स्तर पर योजना

6725. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिले को एकक मानकर आठवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बारे में अब तक कोई ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) योजना आयोग आयोजना प्रक्रिया को जिला स्तरों तथा नीचे तक पहुंचाने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करता रहा है। यह कार्यवाही आयोजना के विकेन्द्रीकरण की प्रगति की समीक्षा और गति में तीव्रता के लिए और उपायों के सुझाव देने हेतु योजना आयोग द्वारा प्रो० हनुमन्ता राव की अध्यक्षता में सितम्बर, 1982 में गठित जिला आयोजना संबंधी कार्य दल की सिफारिशों पर की गई है।

इस दिशा में किए गए ठोस उपायों में आयोजना तंत्र (राज्य तथा जिला दोनों स्तरों) को सुदृढ़ करने के लिए सहायता का प्रावधान और आयोजना में स्थानीय प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त राशि का आवंटन शामिल है। योजना आयोग की मंशा आठवीं योजना को तैयार करने में जिला आयोजना को उच्च प्राथमिकता देने की है।

बिहार में होटलों की क्षमता का उपयोग

[हिन्दी]

6726. **श्री कुंवर राम** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के बिहार में स्थापित किए गए विभिन्न होटलों की क्षमता के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या पटना, गया, रांची, जमशेदपुर और दरभंगा में नए होटलों का निर्माण करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित हैं :—

एकक का नाम	सितारा वर्ग	क्षमता	
		कमरे	शय्यायें
अपने स्वामित्व में			
होटल पाटलिपुत्र अशोक पटना	3	46	92
होटल बोधगया, अशोक बोधगया	3 सितारा सुविधाएं प्रस्तुत करते हैं।	30	60
संयुक्त उद्यम सम्पत्ति			
होटल रांची अशोक रांची	—वही—	30	60

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम की 89-90 की वार्षिक योजना में पटना, गया, रांची, जमशेदपुर और दरभंगा में कोई भी नए होटल के निर्माण का प्रावधान नहीं है। परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र में 6 कमरों की क्षमता वाला एक सितारा श्रेणी का होटल स्थापित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। परियोजना का पूरा होना संसाधन और सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

सेनानिवृत्त सेना कर्मचारियों को पेंशन मंजूर करने में देरी

[अनुवाद]

6727. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त सेना कर्मचारियों को पेंशन मंजूर करने के अनेक मामले एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष से अधिक अवधि से निपटान के लिए लम्बित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है और यह किस प्रकार के मामले हैं और इन मामलों को किस तारीख तक निपटाये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणी पाणिग्रही) : (क) और (ख) संबंधित अफसरों या संबंधित कार्यालयों से अपेक्षित सूचना/दस्तावेज न मिलने के कारण, कमीशन प्राप्त सेवानिवृत्त अफसरों के पेंशन के 4 मामले और उपदान के 3 मामले अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के पेंशन संराशीकरण के 13 मामले और निशक्तता पेंशन के 7 मामले एक वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित पड़े हैं। अपेक्षित सूचना/दस्तावेज प्राप्त होने पर इन मामलों को निपटाया जाएगा।

बाल कल्याण कार्यक्रम

6728. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सरकार का बच्चों के लिए कुछ और कल्याण कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) बच्चों के लिए अनेक कल्याण कार्यक्रम पहले से ही कार्यान्वित किए जा रहे हैं। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं को उचित रूप से सुदृढ़ बनाया जा रहा है तथा समय-समय पर उनका विस्तार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चालू परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि

6729. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान शुरू की गई कई चालू परियोजनाएं जिनमें नई रेल लाइन बिछाने, राष्ट्रीय राजमार्ग, पन बिजली उत्पादन संबंधी परियोजनायें शामिल हैं; पर्याप्त धन-राशि सुलभ न होने के कारण रुकी पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की त्रैमासिक प्रबोधन प्रणाली में उपलब्ध सूचना के अनुसार, 12 नई रेलवे लाइन परियोजनाएं जो अपर्याप्त निधि आवंटन के कारण मंद पड़ रही हैं, निम्नलिखित हैं :—

1. जम्मू तवी-उधमपुर (उ० रे०)
2. जोगी-घोपा-गोहाटी, (उत्तरी सीमांत)
3. करूर-दिंदूगल-तूतीकोरिन (द० रे०)
4. मथुरा-अलवर (के० रे०)
5. नांगल-बांध-तलवारा (उ० रे०)
6. तलचर-सम्भलपुर (द० पू० रे०)
7. तमलूक-दिघा (द० पू० रे०)
8. चित्रदुर्ग-रायदुर्ग (द० रे०)
9. गुना-इटावा (के० रे०)
10. लक्ष्मीकांत पुर-नमखाना (पू० रे०)
11. सतना-रीवा (के० रे०)
12. एलीपी-कयनकूलम (द० रे०)

इसका मुख्य कारण समग्र संसाधनों की कमी है।

केन्द्रीय राजपथ और हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं के संबंध में निधि की कमी को बाधा नहीं बताया गया।

दिल्ली में यातायात संकेतों का कम्प्यूटरीकरण

6730. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वाहनों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि और यातायात की तेजी से बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए "पी० एच० डी० चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज" ने सुझाव दिया है कि जिन सड़कों पर अधिक वाहन चलते हैं वहां यातायात संकेतों का कम्प्यूटरीकरण किया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में "पी० एच० डी० चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज" द्वारा दिए गए सुझावों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों से सामान की चोरी

6731. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों से प्रतिवर्ष भारी मात्रा में सामान की चोरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-39 के दौरान प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से चोरी हुए सामान का ब्यौरा क्या है और इसका मूल्य कितना है;

(ग) कितने मामलों का निपटान किया गया है, कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है और विमानपत्तन के कितने कर्मचारी इस काम में शामिल हैं; और

(घ) सामान की चोरी की रोकथाम के लिए क्या एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से माल के चोरी होने के कुछ मामलों का पता चला है। इन मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) पुलिस ने अभी तक इन मामलों की तहकीकात पूरी नहीं की है । पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या अभी उपलब्ध नहीं है । 1986-88 की अवधि में पुलिस द्वारा भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दो कर्मचारियों का नाम आरोप-पत्र में शामिल किया है ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के कार्गो टर्मिनलों से चोरियों को रोकने के लिए निम्नलिखित एहतियाती कदम उठाए गए हैं :—

(क) यात्रियों की तलाशी ।

(ख) परिसीमा नियंत्रण और उन स्थलों पर चौकसी जहां से प्रवेश हो सकता है ।

(ग) जामा तलाशी लेने वाले यथा टी० वी० कैमरा, धातु खोजी यंत्र इत्यादि लगाना ।

(घ) कार्गो काम्प्लेक्स में प्रवेश करने वाले सभी संबंधित व्यक्तियों को फोटो पहचान पास जारी किए गए हैं।

(ङ) सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों/स्थानों पर चौबीसों घंटे व्यक्ति तैनात रहते हैं।

(च) बेहतर और तेज संचार के लिए सुरक्षा एजेंसी को रेडियो टेलीफोनी सैट मुहैया कराए गए हैं।

(छ) इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मद्रास और कलकत्ता हवाई अड्डे पर सामान की डिलीवरी के लिए कम्प्यूटरीकृत गेट पास प्रणाली आरम्भ की गई है।

(ज) चोरी अथवा उठाईगीरी की घटना घटने पर सुरक्षा एजेंसी को जवाबदेह बनाया गया है।

(झ) नियमित नेमी/आकस्मिक जांचों में तेजी लाई गई है।

(य) वाहनों के आवागमन को जांचा और नियंत्रित किया जा रहा है।

(र) चौबीसों घंटे तैनात सामान्य सुरक्षा स्टाफ के अलावा माल का भंडारण और वितरण सीमा शुल्क प्राधिकारियों की संयुक्त निगरानी में किया जाता है।

(ल) सुरक्षा ढांचे को चुस्त बनाने के लिए भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सुरक्षा एजेंसी के अलावा एक विशेष सुरक्षा दल गठित किया है।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सामान के चोरी/उठाईगीरी के ब्यौरे

	मामलों की संख्या	मूल्य (रुपए)	कैफियत
इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा			
1986-87	21	4,16,245	भारत अन्तर्राष्ट्रीय
1987-88	28	9,04,442	विमानपत्तन प्राधि-
1988-89	26	21,56,973	करण द्वारा संधारित
बम्बई हवाई अड्डा			माल गोदामों की
1986-87	2	रु० 40,0 0	सूचना। इसमें वे
1987-88	—	और 1,027	गोदाम सम्मिलित
1988-89	2	अमरीकी डालर	नहीं हैं जिनका
मद्रास हवाई अड्डा			संधारण अलग-अलग
1986-87	11	मूल्य का पता	एयरलाइनों द्वारा
1987-88	12	नहीं	किया जाता है।
1988-89	3		
कलकत्ता हवाई अड्डा			
1986-87	शून्य	—	
1987-88	1	3,000	
1988-89	1	6,820	

अग्नि शमन प्रणाली का आधुनिकीकरण हेतु जापानी सहायता

6732. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन महानगरों के अग्नि शमन व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए जापानी सहायता देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या गुजरात के किसी शहर को भी इस योजना में शामिल किया जायेगा;

(ग) इस उद्देश्य हेतु जापान से कुल कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी;

(घ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ङ) इस योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ङ) सरकार को जापान से भारत के लिए अग्नि-शमन उपकरण हेतु संभावित सहायता मिलने का संकेत प्राप्त हुआ था, जिसमें कोई विशिष्ट राशि नहीं बताई गई । जापान प्राधिकारियों को एक परियोजना प्रस्तुत की गई है । उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है, उसके बाद इससे संबंधित ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

धनराशि की कमी के कारण परियोजनाओं के निर्माण कार्य में विलम्ब

6733. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में पर्याप्त धनराशि के अभाव में मुख्य सिंचाई तथा पन-बिजली परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब हो रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य योजना में सिंचाई परियोजनाओं तथा जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित अन्तर-क्षेत्रकीय प्राथमिकता तथा निधि उपलब्धता के आधार पर, यह प्रत्याशित है कि मूल प्रावधानों के संदर्भ में 7वीं योजना के चौथे वर्ष के अन्त तक लगभग 527 करोड़ रु० तक कमी होगी । इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बढ़त के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) चुनीदा परियोजनाओं के लिए परिव्ययों का निर्धारण करना ।

(2) देशीय संसाधनों को सम्पूर्ण करने के लिए विदेशी सहायता सुनिश्चित करना ।

(3) केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा चुनींदा परियोजनाओं की ठोस मानिटरिंग ।

अस्पृश्यता की प्रथा

6734. **श्री बी० श्री निवास प्रसाद** :
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री हरिहर सोरन :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अस्पृश्यता की बुराई को समाप्त करने के सरकार के भरसक प्रयासों के बावजूद यह प्रथा विशेषकर गांवों में अभी भी प्रचलन में है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बुराई को समाप्त करने हेतु राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के विभिन्न उपबंधों के कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को लिखा गया है। इन उपायों में इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर मुकदमा चलाने और उस पर निगरानी रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना, अस्पृश्यता अपराधों के शीघ्र निपटान हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करना, इस अधिनियम की क्रियान्वित की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए उचित स्तरों पर राज्य सरकार द्वारा समितियों का गठन करना, अस्पृश्यता से पीडितों को कानूनी सहायता देना और फिल्मों, वृतचित्रों, सेमिनारों के जरिये जन संचार माध्यम को गहन गतिशील बनाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की क्रियान्विति के लिए उन द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उपायों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति में वृद्धि

6735. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की दर में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पहले वृद्धि कब की गई थी;

(ग) इस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्येक छात्र को किस दर से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जा रही है; और

(घ) विभिन्न राज्य सरकारों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति में वृद्धि करने के लिए प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) जुलाई, 1981 में छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन किया गया था।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है।

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विभिन्न स्तरों पर मैट्रिकोत्तर शिक्षा के लिए इस समय दी जा रही छात्रवृत्ति की दरें

श्रेणी		छात्रावास में रहने वाले		दिवस छात्र	
		लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
1		2	3	4	5
(क) मेडिकल/इंजीनियरिंग बी० एस० सी० कृषि/बी०	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
वी० विज्ञान इत्यादि।	द्वितीय वर्ष तथा उसके पश्चात	185	200	100	115

1		2	3	4	5
(ख) भारतीय पद्धति की औषधियों, होम्योपैथिक, में डिग्री इंजीनियरिंग/चिकित्सा/प्रौद्योगिकी इत्यादि में डिप्लोमा	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
	द्वितीय वर्ष और उसके बाद	130	145	105	120
(ग) (इंजीनियरिंग/चिकित्सा, प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, कला तथा विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम)	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
	द्वितीय वर्ष और उसके बाद	130	145	105	115
(घ) (सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम)	द्वितीय वर्ष और उसके बाद	115	130	70	85
(ङ) (10+2 पद्धति की कक्षाएं तथा सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष	प्रथम वर्ष	75	85	50	60
	द्वितीय वर्ष और प्रथम वर्ष सामान्य डिग्री	80	95	55	70

पर्यटन कार्यालय

67`6. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने पर्यटन कार्यालय कहां-कहां खोले गए हैं;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान सरकार का और अधिक ऐसे पर्यटन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां खोले जाएंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत में पर्यटक कार्यालयों की संख्या और उनकी अवस्थिति के बारे में एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) जी, नहीं ।

विवरण

राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार पर्यटक कार्यालयों की संख्या तथा उनकी अवस्थिति

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित	अवस्थिति	कार्यालयों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	1
2.	असम	गुवाहाटी	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलगुन	1
4.	बिहार	पटना	1
5.	गोआ	पणजी	1
6.	कर्नाटक	बंगलौर	1
7.	केरल	कोचीन	1
8.	मध्य प्रदेश	खजुराहो	1
9.	महाराष्ट्र	बम्बई	1
		औरंगाबाद	1
10.	मणिपुर	इम्फाल	1
11.	मेघालय	शिलांग	1
12.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	1
13.	राजस्थान	जयपुर	1
14.	तमिलनाडु	मद्रास	1
15.	उत्तर प्रदेश	आगरा	1
		वाराणसी	1
16.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	1
17.	दिल्ली	नई दिल्ली	1
18.	अंडमान निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	1

एवरो विमान उड़ाने वाले विमान चालक

6737. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का अपनी "एवरो" फ्लीट की उड़ानें बन्द करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या "एवरो" विमान के चालक द्वारा उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अन्य विमान उड़ाए जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इंडियन एयरलाइन्स ने 16 अप्रैल, 1989 से विजयवाड़ा, बेलगांव, नासिक और तिरुपति के लिए एच० एस०-748 विमान से परिचालन करना बन्द कर दिया है। इन स्टेशनों के लिए विमान सेवायें उसी समय सारणी के अनुसार वायुदूत द्वारा परिचालित की जा रही हैं।

(ख) और (ग) टर्बो-प्राप विमान चालक बोइंग-737 किस्म के विमानों की उड़ान पर लगाए जायेंगे।

अंटार्कटिका के लिए आठवां अभियान दल

6738. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवां भारतीय अभियान दल अंटार्कटिका से वापस आ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने उनमें से कोई उद्देश्य पूरा किया है जिनके लिए इसे भेजा गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्।

आठवें अभियान ने ग्रीष्म ऋतु की अवधि के लिए उसके लिए निर्धारित सभी लक्ष्यों को पूरा कर लिया है। इनमें भूवैज्ञानिक तथा भूभौतिकीय मानचित्रण, विभिन्न अध्ययनों के लिए नमूनों को एकत्र करना, वायुमण्डलीय विज्ञान सम्बन्धी प्रेक्षण, भू-चुम्बकीय क्षेत्र से सम्बन्धित अध्ययन, सरोवर जीव विज्ञान तथा रसायन विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन, इत्यादि शामिल हैं। मैत्री में दूसरे केन्द्र का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है और सभी क्रान्तिक व्यवस्थायें क्रियाशील हैं। दक्षिण गंगोत्री स्थित केन्द्र के रख-रखाव का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री पर एक-एक शीतकालीन दल छोड़ दिया गया है।

"जर्कोनियम" का उत्पादन

6739. **श्री एन० डेनिस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में "जर्कोनियम" के भंडारों में राज्यवार कितना "जर्कोनियम" उपलब्ध है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : नीचे यह बताया जा रहा है कि हमारे देश में किस-किस राज्य में जरकोन के भंडारों में कितनी-कितनी मात्रा में खनिज मौजूद है :

राज्य का नाम		जरकोन की मात्रा (मीटरी टन)
1	2	3
1.	केरल	1,993,000
2.	तमिलनाडु	7,638,000
3.	उड़ीसा	1,077,000

1	2	3
4.	आन्ध्र प्रदेश	1,185,000
5.	महाराष्ट्र	1,000
6.	पश्चिम बंगाल	386,000
7.	बिहार	80,000
	जोड़	12,355,000

'इण्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड" द्वारा निर्यात

6740. **श्री एन० डेनिस :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड समुद्री मार्ग से निर्यात करता है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कम्पनी ने वर्षवार किन-किन देशों को और किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1986-87 से 1938-39 तक की अवधि में इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा किए गए निर्यात का ब्यौरा

	मात्रा मीटरी टन	1986-87 मूल्य लाख रुपए पोत पर्यन्त शुल्क	मात्रा मीटरी टन	1987-88 मूल्य लाख रुपए पोत पर्यन्त शुल्क	मात्रा मीटरी टन	1988-89 मूल्य लाख रुपए पोत पर्यन्त शुल्क
	1	2	3	4	5	6
खनिज :						
इल्मेनाइट क्विलोन ग्रेड						
जापान	31,092.0	191.45	20,120.0	157.07	39,268 0	405.13
पश्चिम जर्मनी	32,138.0	108.55	18,805.0	165.69	31,106.0	369 04
मानवलाकुरुचि-ग्रेड						
ब्रिटेन	25,100.0	104.18	37,900.0	232.78	—	—
फ्रांस	12,400.0	59.97	—	—	25,200.0	272.63
नीदरलैंड	—	—	—	—	360.0	6.37
ओआर-ग्रेड						
ब्राजील	15,057.0	65.67	9,994.0	43.14	—	—
सोवियत संघ	—	—	—	—	21,302.0	192.63
जापान	12,487.0	53.62	15,829.0	80.70	23,010.0	220.95
मलेशिया	20.0	0.33	25,088.0	169.00	—	—
हालैंड	6,335.0	31.75	—	—	—	—

	1	2	3	4	5	6
गार्नेट-मानवलाकुरुचि-ग्रेड						
जापान	1,830.0	14.31	4,250.0	30.12	2,200.0	16.13
अमरीका	—	—	76.0	0 65	240.0	1.97
नीदरलैंड	36 0	0.40	112.0	1.15	36.0	0.38
बेल्जियम	60.0	0.70	80.0	0.82	20.0	0.20
कोरिया	162.0	1.86	180.0	2.22	403.0	5.71
पश्चिमी जर्मनी	—	—	20.0	0.22	109.0	2.33
सिलिमेनाइट बिल्लौन ग्रेड						
ताइवान	—	—	5.0	0.10	20.0	10.6
जापान	1,018.0	14.42	—	—	920.0	17.33
स्विटजरलैंड	3.0	0.42	—	—	—	—
ओ० आर० ग्रेड						
जापान	—	—	54.0	0.83	—	—
जरकान बिल्लोन ग्रेड						
ब्रिटेन	1,000.0	14.77	—	—	—	—
मानवलाकुरुचि ग्रेड						
ब्रिटेन	1,000.0	14.49	—	—	—	—
पश्चिम जर्मनी	950.0	11.01	—	—	—	—
विरल मृदा उत्पाद :						
विरल मृदा क्लोराइड						
अमरीका तथा कनाडा	2,000.0	285.79	1,820.0	276.86	2,300.0	385.99

	1	2	3	4	5	6
जापान	863.0	121.21	840.0	126.82	790.0	135.46
यूरोप तथा ब्रिटेन	979.0	165.99	845.0	161.11	470.0	93.52
विरल मृदा फ्लुओराइड						
जापान	146.0	157.43	118.0	50.46	145.0	73.94
हांगकांग	—	—	1.0	0.52	—	—
समेरियम सांद्र						
जापान	1.0	3.19	3.0	36.20	5.0	75.74
विरल मृदा आक्साइड/ सीरियम आक्साइड						
दक्षिणी कोरिया	1.0	0.37	—	—	—	—
सीरियम हाइड्रेट						
जापाग	15.0	3.15	25.0	5.57	20 0	6.12
ट्राइसोडियम फास्फेट						
नेपाल	—	—	10.0	0.52	—	—
डिडिमियम कार्बनेट						
जापान	40.0	8.84	—	—	—	—
मिश्रित भारी विरल मृदा सांद्र						
जापान	2.0	5.50	—	—	—	—

भारत और पाकिस्तान के रक्षा सचिवों के बीच वार्ता

6741. श्री शरद दिघे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच किसी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर विचार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत और पाकिस्तान के रक्षा सचिवों के बीच होने वाली आगामी बैठक का उद्देश्य क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) आगामी बातचीत के दौर का उद्देश्य सियाचीन मामले पर विचार-विमर्श करना है।

आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए छात्रावास

6742. श्री सी० सम्बु : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों की लड़कियों के छात्रावास पर्याप्त संख्या में हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए अधिक संख्या में छात्रावास स्थापित करने हेतु सातवीं योजना के पहले चार वर्षों में आंध्र प्रदेश को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों की लड़कियों हेतु कितने छात्रावास निर्माणाधीन हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए 522 छात्रावास हैं। कुछ और अधिक छात्रावासों की आवश्यकता है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए छात्रावास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सरकार को निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है :—

वर्ष	दी गई केन्द्रीय सहायता
1985-86	92,90,000 रुपये
1986-87	98,14,870 रुपये
1987-88	118,72,125 रुपये
1988-89	60,00,000 रुपये

(ग) वित्तीय वर्ष 1987-88 के अन्त में आन्ध्र प्रदेश राज्य में निर्माणाधीन छात्रावासों की संख्या 70 थी।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को छोड़ने वाले वैज्ञानिक

6743. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अथवा विदेश में अन्य स्थानों पर कार्य करने के लिए कितने वैज्ञानिकों ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से अपनी सेवायें छोड़ दी हैं; और

(ख) वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए सुदृढ़ एवं संवेदनशील प्रबन्ध और उचित कार्य-व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) 49 (उनचास) ।

(ख) सरकार का हमेशा यही प्रयास रहा है कि रक्षा वैज्ञानिकों और तकनालाजीविदों को आकर्षित करने और उन्हें सेवा में बनाए रखने के लिए काम करने की अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराई जायें और उन्हें प्रोत्साहन दिए जायें ताकि इस क्षेत्र में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके । इसके लिए प्रोत्साहन की अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं जिनमें उदारतापूर्वक सम्मानित करना, उसी कार्य पर आगे पदोन्नति देना और पुरस्कृत करना आदि शामिल हैं ।

तटीय क्षेत्रों में पर्यटक स्थलों का विकास

[हिन्दी]

6744. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तटीय क्षेत्रों में पर्यटक स्थलों का विकास करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई योजना तैयार कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक लागू किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा पर्यटक रुचि के नए स्थानों का विकास करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) देश में पर्यटन का पुरजोर विकास करने वाले केन्द्रीय पर्यटन विभाग के क्षेत्रो में से समुद्र तट पर्यटन का विकास भी एक क्षेत्र है । इस स्कीम के तहत विभाग राज्यों को पर्यटन आधार-संरचना जैसे आवास, जलक्रीड़ाओं के लिए उपकरणों की व्यवस्था आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है । यह विकास पर्यावरण पहलुओं को ध्यान में रखकर नियंत्रित ढंग से किया जा रहा है । पर्यटक सुविधाओं के निर्माण की उच्च ज्वार-रेखा से 500 मीटर के आगे तक निर्मित किए जाने की अनुमति है सिवाए चार समुद्र तटों को छोड़कर वहां उच्च ज्वार भाटा रेखा से 500 से 200 मीटर के बीच निर्माण करने की अनुमति है, बशर्ते कि कुछ दिशा निर्देशों और सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए ।

विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है और उनके कार्यान्वयन की अनुसूची अलग-अलग राज्यों में परियोजनाओं की स्थिति, उनका आकार, निष्पादन एजेंसी आदि पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सियाचिन क्षेत्र में नई पाकिस्तानी सैनिक चौकियां

[अनुवाद]

6745. श्री पीयूष तिरकी :

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने सियाचिन क्षेत्र के सामरिक महत्व के एस्टोर क्षेत्र में छः नई सैनिक चौकियां स्थापित की हैं तथा वह स्कार्दू में एक संयुक्त सैनिक अस्पताल का निर्माण भी करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इस क्षेत्र में गत छः महीनों में आयोजित फ्लैग बैठकों में भारतीय पक्ष द्वारा किन-किन विषयों पर बातचीत की गई; और

(घ) सियाचिन में, विशेषतः एस्टोर क्षेत्र में, पाकिस्तान द्वारा अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) पाक अधिकृत कश्मीर के एस्टोर क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के साथ-साथ नई पाकिस्तानी चौकियां स्थापित किए जाने के संबंध में कोई विश्वसनीय रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। स्कार्दू जो कि कम ऊंचाई पर स्थित एक कस्बा है, में एक सेना अस्पताल स्थापित किए जाने के संबंध में सरकार ने समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टें देखी हैं।

(ग) सियाचिन क्षेत्र में पिछले 6 महीनों के दौरान पाकिस्तान के साथ कोई ध्वज बैठक नहीं हुई है।

(घ) हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है और रक्षा तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

6746. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वास्तव में वितरित की गई फालतू भूमि तथा इससे लाभान्वित होने वालों की संख्या बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में वर्ष 1988 के दौरान हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है, कितने बंधुआ मजदूरों का वास्तव में पुनर्वास किया गया, समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत कितने अतिरिक्त खंडों को इसमें शामिल किया गया तथा कितनी आंगनवाड़ी स्थापित की गई, मकान बनाने के लिए कितने भूखंड दिए गए और कितने आवंटितियों को निर्माण करने के लिए सहायता दी गई, इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत कितनी आवास इकाइयों का निर्माण किया गया और कितनों का आबंटन किया गया; और

(ख) वर्ष 1988 के दौरान, राज्यवार 1 जनवरी, 1988 को पात्र व्यक्तियों/परिवारों का प्रतिशत कितना है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) वर्ष 1988 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में वास्तव में वितरित फालतू जमीन का क्षेत्रफल

और लाभग्रहियों की संख्या, पुनर्वास किए गए बंधुआ मजदूरों की संख्या, एकीकृत बाल विकास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त अतिरिक्त खंडों की संख्या और स्थापित आंगनवाड़ियों की संख्या, आबंटित आवास स्थलों की संख्या और निर्माण सहायता प्राप्त आबंटियों की संख्या, इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आबंटित आवास एककों की संख्या दर्शाने वाले विवरण-1, विवरण-2, विवरण-3, विवरण-4, विवरण-5, विवरण-6, विवरण-7 और विवरण-8 संलग्न हैं।

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कार्यक्रम की अलग-अलग मदों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है, पात्र व्यक्तियों/परिवारों की सूची के आधार पर नहीं।

विवरण-1

1988 के दौरान फालतू जमीन का वितरण

राज्य	इकाई : एकड़
आंध्र प्रदेश	12915
असम	231
बिहार	17299
गुजरात	4842
हरियाणा	264
हिमाचल प्रदेश	0
जम्मू व कश्मीर	0
कर्नाटक	5753
केरल	1646
मध्य प्रदेश	4981
महाराष्ट्र	10829
मणिपुर	51
उड़ीसा	3007
पंजाब	366
राजस्थान	17827
तमिलनाडु	2250
त्रिपुरा	42
उत्तर प्रदेश	5851
प० बंगाल	0

टिप्पणी : कार्यक्रम अन्य राज्यों में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

विवरण-2

1988 के दौरान फालतू भूमि के वितरण द्वारा सहायता प्राप्त लाभभोगी

	इकाई : सं०
आंध्र प्रदेश	19374
असम	4236
बिहार	19771
गुजरात	शून्य
हरियाणा	329
हिमाचल प्रदेश	0
जम्मू व कश्मीर	0
कर्नाटक	1722
केरल	7248
मध्य प्रदेश	3702
महाराष्ट्र	6110
मणिपुर	85
उड़ीसा	179
पंजाब	89
राजस्थान	761
तमिलनाडु	1135
त्रिपुरा	99
उत्तर प्रदेश	5738
प० बंगाल	0

विवरण-3

1988 के दौरान बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

राज्य	बंधुआ मजदूरों की इकाई संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	1181
बिहार	696
कर्नाटक	8038
मध्य प्रदेश	1248
महाराष्ट्र	35

1	2
उड़ीसा	2772
राजस्थान	110
तमिलनाडु	453
उत्तर प्रदेश	1913

टिप्पणी : योजना अन्य राज्यों में नहीं चलाई जा रही है।

विवरण-4

1988 के दौरान एकीकृत बाल विकास योजना के शामिल किए गए अतिरिक्त खंडों को संख्या

आंध्र प्रदेश	—
अरुणाचल प्रदेश	—
असम	—
बिहार	6
गोवा	—
गुजरात	7
हरियाणा	11
हिमाचल प्रदेश	—
जम्मू व कश्मीर	4
कर्नाटक	—
केरल	—
मध्य प्रदेश	27
महाराष्ट्र	3
मणिपुर	—
मेघालय	—
मिजोरम	—
नागालैंड	—
उड़ीसा	—
पंजाब	—
राजस्थान	29
सिक्किम	—
तमिलनाडु	10
त्रिपुरा	—
उत्तर प्रदेश	—
प० बंगाल	1

विवरण-5

दिसम्बर, 1988 के अन्त तक रिपोर्ट की गई आंगनवाड़ियां

राज्य	संख्या
आंध्र प्रदेश	10851
अरुणाचल प्रदेश	606
असम	5081
बिहार	12915
गोवा	940
गुजरात	11779
हरियाणा	7403
हिमाचल प्रदेश	1870
जम्मू व कश्मीर	2257
कर्नाटक	13172
केरल	8206
मध्य प्रदेश	13912
महाराष्ट्र	14529
मणिपुर	1443
मेघालय	846
मिजोरम	948
नागालैंड	1070
उड़ीसा	6273
पंजाब	4786
राजस्थान	9262
सिक्किम	328
तमिलनाडु	4497
त्रिपुरा	1031
उत्तर प्रदेश	16825
प० बंगाल	14931

विवरण-6

ग्रामीण भूमिहीन कामगारों को गृह स्थलों का प्रावधान (परिवार)

राज्य	वर्ष 1988 के दौरान उपलब्धि
1	2
1. आंध्र प्रदेश	141267
2. असम	5855
3. बिहार	29475

1	2
4. गोवा	219
5. गुजरात	37878
6. हरियाणा	281
7. जम्मू और कश्मीर	256
8. कर्नाटक	53553
9. केरल	6568
10. मध्य प्रदेश	82345
11. महाराष्ट्र	19736
12. उड़ीसा	25555
13. राजस्थान	40100
14. तमिलनाडु	300306
15. त्रिपुरा	3741
16. उत्तर प्रदेश	69263
17. पश्चिम बंगाल	12951

टिप्पणी : (1) अरुणाचल प्रदेश (2) हिमाचल प्रदेश (3) मणिपुर (4) मेघालय (5) नागालैंड (6) पंजाब (7) सिक्किम (8) मिजोरम में योजना चालू नहीं है।

विवरण-7

आबंटित गृह स्थलों के निर्माण में सहायता (परिवार)

राज्य	वर्ष 1988 के दौरान उपलब्धि
1	2
1. आंध्र प्रदेश	113061
2. अरुणाचल प्रदेश	656
3. असम	5855
4. गोवा	139
5. गुजरात	31778
6. हरियाणा	3692
7. जम्मू और कश्मीर	619
8. कर्नाटक	50877
9. केरल	45211
10. मध्य प्रदेश	21407
11. महाराष्ट्र	15770
12. मेघालय	110
13. मिजोरम	0

1	2
14. उड़ीसा	3697
15. राजस्थान	105989
16 सिक्किम	4099
17. तमिलनाडु	21470
18. त्रिपुरा	2690
19. उत्तर प्रदेश	11287
20. पश्चिम बंगाल	4987

टिप्पणी : (1) बिहार (2) हिमाचल प्रदेश (3) मणिपुर (4) नागालैंड (5) पंजाब लक्षद्वीप में योजना चालू नहीं है।

विवरण-8

इंदिरा आवास योजना

निर्मित/आबंटित की गई गृह इकाइयों की संख्या

राज्य	वर्ष 1988 के दौरान उपलब्धि
1	2
1. आंध्र प्रदेश	9417
2. अरुणाचल प्रदेश	64
3. असम	789
4. बिहार	33895
5. गोवा	139
6. गुजरात	6151
7. हरियाणा	920
8. हिमाचल प्रदेश	1127
9. जम्मू और कश्मीर	1199
10. कर्नाटक	5416
11. केरल	5943
12. मध्य प्रदेश	6654
13. महाराष्ट्र	8730
14. मणिपुर	17
15. मेघालय	244
16. मिजोरम	103
17. नागालैंड	271
18. उड़ीसा	6462
19. पंजाब	0
20. राजस्थान	9442

1	2
21. सिक्किम	268
22. तमिलनाडु	3:349
23. त्रिपुरा	855
24. उत्तर प्रदेश	27173
25. पश्चिम बंगाल	6:61

सशस्त्र सेनाओं द्वारा बिहार में छावनी क्षेत्र से बाहर की जमीन पर कब्जा

6747. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के विभिन्न शहरों में छावनी क्षेत्र से बाहर नगर पालिका की उस भूमि का ब्यौरा क्या है जिस पर सशस्त्र सेनाओं अथवा मंत्रालय का कब्जा है;

(ख) इस भूमि को जनहित के प्रयोग में लाने के लिए इसे नगर पालिकाओं का प्राधिकारियों को हस्तांतरित करने हेतु राज्य सरकार और/अथवा नगर पालिकाओं के प्राधिकारियों के साथ यदि कोई बातचीत हुई है तो इस समय में बातचीत किस चरण में है; और

(ग) भूमि को हस्तांतरित करने अथवा इस मामले में समझौता करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) बिहार के किसी भी शहर में, छावनियों से बाहर नगर पालिकाओं की किसी भूमि पर सशस्त्र सेनाओं या रक्षा मंत्रालय का कब्जा नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जाली नामों से यात्रा

6748. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 अक्तूबर, 1988 को अहमदाबाद में विमान दुर्घटना तथा इसी दिन गुवाहाटी में वायुदूत दुर्घटना स्थल से प्राप्त सभी शव उनके सम्बन्धियों अथवा निकट सम्बन्धियों द्वारा ले लिए गए थे;

(ख) यदि नहीं, तो कितने शवों के कोई दावेदार नहीं थे और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अनेक प्राइवेट कूरियर्स जाली नामों से विमानों पर यात्रा कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) दोनों मामलों में सभी शव बरामद कर लिए गए थे। तथापि, इंडियन एअरलाइंस के विमान की दुर्घटना के मामले में, 8 शवों का दावा नहीं किया गया क्योंकि इनकी पहचान नहीं की जा सकी। वायुदूत के विमान की दुर्घटना के मामले में, 3 शवों का दावा नहीं किया गया क्योंकि इनकी पहचान नहीं की जा सकी। एक शव के मामले में जिसकी पहचान कर ली गई थी, उनके संबंधियों ने उसे नहीं लिया।

(ग) और (घ) कुछ स्टेशनों से कूरियन सेवाओं के परिचालन की अनुमति दी गई है। उनके कार्य-करण के लिए कड़ी कार्यविधि निर्धारित की गई है।

ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों का निर्माण

6749. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मन्त्री सी-डॉट द्वारा डिजिटल स्विचन प्रणाली एक्सचेंजों का उत्पादन के बारे में 11 नवम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 697 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 (चौदह) केन्द्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जारी किए गए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस के पश्चात सी-डॉट द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकी पर आधारित ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या 1987-88 में 128 लाइनों के सी-डॉट रेक्स की 50 इकाइयों के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था और 1988-89 में यह उत्पादन बढ़कर 400 इकाइयां हो गया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और दूर संचार विभाग की गति को बनाए रखने के लिए, इस विफलता को दूर करने के लिए क्या सही कदम उठाए गए हैं और नीति अपनाई गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) राज्य/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की 14 इकाइयों में से 8 विनिर्माताओं ने प्रायोगिक उत्पादन का कार्य पूरा कर लिया है तथा वे ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज के उपस्करों की आपूर्ति कर सकते हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1987-88 में 20 यूनिटों तथा वर्ष 1988-89 में 78 यूनिटों के उत्पादन का कार्य पूरा कर लिया गया है वर्ष 1989-90 में 500 यूनिटों का उत्पादन होने की सम्भावना है। इस प्रकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल 600 यूनिटों के उत्पादन होने की संभावना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमानित लक्ष्य 5 लाख लाइनों का है जो 5000 यूनिटों के समतुल्य है।

(घ) कुछ आयातित संघटक पुर्जों को खरीदने में कठिनाई पेश होने के कारण तथा विद्युत संयंत्रों में किए जाने वाले अपेक्षित सुधारों के कारण उत्पादन में गिरावट आई है।

समस्याओं पर काबू पाने के लिए कदम उठाए गए हैं :

1. ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज के जिन सभी विनिर्माताओं, ने अब ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों का उत्पादन सुस्थापित कर दिया है, उन सभी की विनिर्माणकारी क्षमता में वृद्धि करना।
2. विद्युत संयंत्रों के लिए तथा साथ ही ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों के अन्य सहायक उपस्करों के लिए और अधिक विक्रेताओं को तैयार करना।
3. उत्पादन में वृद्धि के लिए ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों की स्वीकार करने की दृष्टि से किए गए परीक्षणों की कार्य विधियों में सुधार लाना।

उपग्रह प्रक्षेपण में उपलब्धियां

6750. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक चार वर्षों के लिए उपग्रह निर्माण एवं प्रक्षेपण के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा कार्यान्वियनाधीन परियोजनाओं का मुख्य ब्यौरा क्या है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में किन-किन योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार है;

(घ) क्या सुदूर संवेदन उपग्रह से प्राप्त ऊंचे स्तर के उपग्रह आंकड़ों का वानिकी, जल विज्ञान, भू-विज्ञान तथा कृषि के क्षेत्रों में उपयोग किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक चार वर्षों में उपग्रह डिजाईनिंग और प्रक्षेपण के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्र०सं०	उपग्रह परियोजना	प्रमोचन तिथि	टिप्पणियां
1.	भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह—1 ए (आई० आर० एस०—1 ए०)	मार्च 17, 1988	सोवियत प्रमोचक राकेट का प्रयोग करते हुए सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। आई० आर० एस०—1 ए० अब प्रचालनात्मक है।
2.	विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला—1 और 2 (श्रोस-1)/(श्रोस-2)	मार्च 24, 1987 ———— जुलाई 13, 1988	इनका प्रमोचन क्रमशः संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट-डी० 1 (ए० एस० एल० वी०-डी०-1) तथा संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट-डी० 2 (ए० एस० एल० वी०-डी० 2) की विकासात्मक उड़ानों द्वारा किया गया। लेकिन ए० एस० एल० वी०-डी० 1 तथा डी० 2 प्रमोचक राकेटों में आई खराबियों के कारण इन उपग्रहों को कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका।
3.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-1 सी (इन्सैट-1 सी०)	जुलाई 22, 1988	फ्रेंच प्रमोचक राकेट, एरियाने का प्रयोग करते हुए सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। यद्यपि इसकी केवल आंशिक क्षमता ही प्रचालन में है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में एवं आठवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की जाने वाली और प्रगति में रहने वाली उपग्रह परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है :

क्रम:सं०	उपग्रह परियोजना	प्रमोचन अवधि	टिप्पणियां
1	2	3	3
1:	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-1-डी० (इन्सैट-1 डी०)	मई, 1989	इन्सैट-1 शृंखला में चौथे उपग्रह को अमरीकी डेल्टा प्रमोचक राकेट से प्रमोचित किया जाना है।
2.	भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-1 बी० (आई० आर० एस०-1 बी०)	1990/1991	आई० आर० एस० शृंखला में यह दूसरा स्वदेशी उपग्रह है तथा यह आई० आर० एस०-1 ए०, जिसे मार्च 17, 1988 को सफलतापूर्वक छोड़ा गया था, के समरूप है। यह उपग्रह पृथ्वी के साधनों के सर्वेक्षण और आंकलन में सुदूर संवेदन आंकड़ों के उपयोग के लिए है। इसका प्रमोचन, सोवियत व्यावसायिक प्रमोचक राकेट द्वारा किया जाना है।
3.	भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-1 इंजीनियरी मॉडल (आई० आर० एस०-1 ई० एम०)	1990/1991	आई० आर० एस०-1 के इंजीनियरी मॉडल को, 1990/1991 के दौरान स्वदेशी ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०-डी० 1) का प्रयोग करते हुए, प्रमोचित करने की योजना है।
4.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-II जांच उपग्रह इन्सैट-II टी० एस० (ए०) : इन्सैट-II टी० एस० (बी०) :	 1990/1991 इन्सैट-II टी० एस० (ए०) के प्रमोचन के एक वर्ष बाद।	स्वदेशी रूप से निर्मित द्वितीय पीढ़ी के इन्सैट जांच उपग्रहों को एरियाने-4 प्रमोचक राकेटों का प्रयोग करते हुए छोड़ा जाना है।

1	2	3	4
5.	विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला-3 और 4 (श्रोस-3 और 4)	—	इनके प्रमोचन की तिथि श्रोस-3/श्रोस-4 को ले जाने वाली ए० एस० एल० वी० सातत्य उड़ानों पर विशेषज्ञ पुनरीक्षण पैनल की सिफारिशों पर निर्भर करती है।
6.	भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-1 सी० (आई० आर० एस०-1 सी०)	1993/1994	आई०आर०एस०-1 श्रृखला की दूसरी पीढ़ी में प्रथम उपग्रह को प्राप्त प्रमोचक राकेट का प्रयोग करते हुए छोड़ा जाना है।
7.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-II सी० और भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-II डी० (इन्सैट-II सी० तथा इन्सैट-II डी०)	199?/1995	स्वदेशी रूप से निर्मित द्वितीय पीढ़ी के इन्सैट प्रचालनात्मक उपग्रहों को प्राप्त प्रमोचक राकेटों का प्रयोग करते हुए छोड़ा जाना है।

(घ) और (ङ) जी, हां। आई. आर. एस.-I ए. से प्राप्त आंकड़ों सहित उच्च गुणवत्ता वाले उपग्रह आंकड़ों का वानिकी, जलविज्ञान, भूविज्ञान तथा कृषि के क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। इसी प्रयास के एक भाग के रूप में, देश में कई राज्य सुदूर संवेदन केन्द्रों और पांच क्षेत्रीय सुदूर संवेदन सेवा केन्द्रों (आर. आर. एस. एस. सी.) /यूनिटों की स्थापना की गई है। वन वनस्पति आवरण मानचित्रण तथा परिवर्तन संसूचन, भूमि जल का पता लगाने, परती भूमि मानचित्रण, क्षेत्रीय भूविज्ञानीय मानचित्रण, बाढ़ मानचित्रण, भूमि उपयोग मानचित्रण, जलविभाजक प्राथमिकीकरण, फसल का एकड़वार आंकलन इत्यादि जैसे अनेक क्षेत्रों में सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों को प्रचालनात्मक बनाया गया है।

वानिकी, जलविज्ञान, भूविज्ञान और कृषि के अंतर्गत विशेष रूप से पूरी की गई परियोजनाओं की उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:

(1) 1972-75 और 1983-85 की दो अवधियों के लिए 1 : 1 मिलियन पैमाने पर वन मानचित्र किया गया।

(2) राष्ट्रीय पेयजल प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत भारत के 164 जिलों के लिए 1 : 250,000 के पैमाने पर भूमिजल के संभाव्य क्षेत्रों का मानचित्रण किया गया। तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, गोआ, आन्ध्र प्रदेश और बिहार के व्यापक क्षेत्रों के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक राज्यों को पूर्णतया आवृत्त किया गया।

(3) कृषि के क्षेत्र में, धान और गेहूं की फसल के एकड़वार अनुमानों के लिए व्यापक पैमाने पर प्रतिपादन किया गया।

(4) 1988 के दौरान प्रमुख बाढ़ों का विस्तार दर्शाने वाले बाढ़ मानचित्र तैयार किए गए।

(5) देश में 146 जिलों के लिए ग्राम स्तर पर परती भूमि मानचित्रण तथा संरेखण किया गया।

(6) देश में 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए विस्तृत भूमि उपयोग मानचित्रण का कार्य शुरू किया गया, जो कि योजना के उद्देश्य से योजना आयोग के लिए मौलिक निवेशों का रूप हैं।

(7) भूविज्ञान सम्बन्धी उपयोगों के अधीन, देश के 16° उत्तरी देशांतर के दक्षिण में सम्भावित खनिज क्षेत्रों का पता लगाने के उद्देश्य से "वसुन्धरा" परियोजना पूरी की गई तथा लगभग 10 सम्भावित खनिज क्षेत्रों को अन्वेषण के लिए चुना गया।

राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती सम्बन्धी मार्गनिर्देश

6751. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को आबंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राज्यों में उपायुक्त/जिला समाहर्ता/जिला मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात करने और उन्हें केन्द्रीय सचिवालयों/मंत्रालयों में तैनाती के बारे में क्या मार्गनिर्देश और प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या ऐसे समकक्ष पद भी हैं जिन्हें विशेष रूप से क्षेत्र अनुभव अर्जित करने के लिए जिला समाहर्ता/उपायुक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद के समान या समकक्ष माना जाता है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने वर्ष तक केन्द्र में सेवा करने के बाद उन्हें उनके आबंटित राज्यों को वापस भेज दिया जाता है; और

(घ) आज तक की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे कितने अधिकारी हैं जो केन्द्रीय सचिवालय और प्रशासनिक मंत्रालयों में सेवारत हैं और जो अपने निर्धारित समय से अधिक समय से वहां तैनात हैं और उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) केन्द्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कार्यकाल विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार है :

(1) अवर सचिव — 3 वर्ष
(2) उप सचिव — 4 वर्ष
(3) निदेशक तथा इससे ऊपर — 5 वर्ष
(4) सचिव — कोई सीमा नहीं।

(घ) दस। इन अधिकारियों का कार्यकाल लोकहित में बढ़ाया गया था।

विवरण-1

राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तैनाती सम्बन्धी मार्गनिर्देश

विभिन्न राज्य संवर्गों को आबंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति तथा तैनाती पूर्णतया सम्बन्धित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अधीन होती है। फिर भी, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवा के शुरू के 9 वर्षों के दौरान उनकी तैनातियों के कतिपय पैटर्न सुझाते हुए समय-समय पर कुछ मार्गनिर्देश जारी किए हैं जिससे कि ऐसे अधिकारियों का कैरियर विकास नियोजित किया जा सके। इन मार्ग-दर्शी निर्देशों के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को प्रशिक्षण के पश्चात् 2-3 वर्षों के लिए उपमण्डल अधिकारी के रूप में, इसके बाद 2-3 वर्षों के लिए अपर जिलाधीश के रूप में अथवा सचिवालय में, जिसके बाद 3-4 वर्षों के लिए जिला समाहर्ता/जिलाधीश के रूप में तैनात किया जाना चाहिए। ये मार्गदर्शी निर्देश परामर्शात्मक है आदेशात्मक नहीं।

विवरण-2

उन पदों की सूची जिन पर प्राप्त किए गए अनुभव को, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पात्रता के प्रयोजनों से फील्ड अनुभव के रूप में गिना जाता है।

I. उप मंडल अधिकारी, उप समाहर्ता, संयुक्त समाहर्ता, अपर समाहर्ता, मजिस्ट्रेट, विशेष समाहर्ता, समाहर्ता (अथवा अन्य कोई पदनाम जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों में इन पदों को जाना जाता है) के पद; तथा

II. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/परियोजना निदेशक/महा प्रबंधक के वे पद जो निम्नलिखित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्य देख रहे हैं :

(क) स्माल फार्मर्स डवलपमेंट एजेंसी/मार्जिनल फार्मर्स एण्ड एग्रीकल्चरल लेबरर्स प्रोजेक्ट (एस० एफ० डी० ए०/एम० एफ० ए० एल०)

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०)

(ग) कमाण्ड एरिया डवलपमेंट (सी० ए० डी।

(घ) एकीकृत ग्रामीण विकास (आई० आर० डी०)

(ङ) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी० आर० डी० ए०)

(च) एकीकृत आदिवासी विकास अभिकरण (आई० टी० डी० ए०)

(छ) जिला उद्योग केन्द्र

III. प्रत्येक के सामने दिखाए अनुसार, विभिन्न राज्य संवर्गों में निम्नलिखित पद हैं :

1.	आन्ध्र प्रदेश	(क) जिला राजस्व अधिकारी
		(ख) परियोजना प्रशासक
2.	असम-मेघालय	(क) बन्दोबस्त अधिकारी
		(ख) प्रधान सचिव, कार्बी ऐंगलोंग जिला परिषद तथा एन० सी० जिला परिषद, असम
3.	बिहार	(क) उप विकास अधिकारी
		(ख) बन्दोबस्त अधिकारी

4.	गुजरात	(क) जिला विकास अधिकारी
		(ख) बन्दोबस्त आयुक्त
		(ग) अतिरिक्त विकास आयुक्त
		(घ) उप विकास आयुक्त
5.	हिमाचल प्रदेश	बन्दोबस्त अधिकारी
6.	कर्नाटक	(क) प्लानिंग आफिसर/प्रोजेक्ट आफिसर
		(ख) मुख्य सचिव, जिला परिषद
7.	केरल	डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर
8.	मध्यप्रदेश	(क) अपर बन्दोबस्त अधिकारी
		(ख) अतिरिक्त आयुक्त, बन्दोबस्त तथा भू-अभिलेख ।
		(ग) बन्दोबस्त अधिकारी
9.	महाराष्ट्र	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
10.	उड़ीसा	(क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी
		(ख) बन्दोबस्त अधिकारी
11.	राजस्थान	(क) कमिश्नर कोलोनाइजेशन कैनाल प्रोजेक्ट
		(ख) बन्दोबस्त अधिकारी
		(ग) अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त
		(घ) अपर समाहर्ता (विकास)
12.	तमिलनाडु	(क) जिला राजस्व अधिकारी
		(ख) जिला विकास अधिकारी
		(ग) बन्दोबस्त अधिकारी
		(घ) अपर समहर्ता (विकास)
13.	संघ राज्य क्षेत्र	विकास आयुक्त
14.	उत्तर प्रदेश	(क) परियोजना प्रशासक
		(ख) अतिरिक्त परियोजना आयुक्त
		(ग) अतिरिक्त बन्दोबस्त आयुक्त
		(घ) उप विकास आयुक्त
		(ङ) उप भू-सुधार आयुक्त
15.	पश्चिमी बंगाल	बन्दोबस्त अधिकारी
16.	त्रिपुरा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद, त्रिपुरा

पांडिचेरी को राज्य का दर्जा

6752. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांडिचेरी विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित इस संकल्प पर ध्यान दिया है जिसमें इसका दर्जा संघ राज्य क्षेत्र से बढ़ाकर उसे पूर्ण राज्य बनाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह संकल्प कब पारित किया गया था और इस मांग पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) पांडिचेरी विधान सभा द्वारा 8 मई, 1987 को पारित संकल्प नोट कर लिया गया है।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में आग लगना

6753. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में मार्च, 1989 में लगी आग से भारी नुकसान हुआ है;

(ख) क्या आग लगने के कारण हुए नुकसान का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) 6.3.1989 को कानपुर डिवीजन में निर्माणाधीन टूलरूम भवन में आग लग गई। इस भवन का निर्माण राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम कर रहा है और इसे अभी हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को सौंपा नहीं गया है। आग उस कमरे में लगी जहां वैल्डिंग का कुछ कार्य चल रहा था तथा इस कमरे का प्रयोग बोरियों, ग्लास बूथों आदि के अस्थायी स्टोर के रूप में किया जा रहा था। अग्नि शमन कर्मचारियों और अग्नि शमन गाड़ी की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की सम्पत्ति को कोई हानि नहीं हुई। कमरे के भीतर रखे राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के कुछ सामान की क्षति हुई है जिनका मूल्य 3 लाख रुपये था।

नेत्रहीन महिलायें तथा उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि

6754. डा० फूलरेणु गुहा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेत्रहीन महिलाओं की कुल कितनी संख्या है और इनमें से कितनी महिलायें शिक्षित हैं; और

(ख) इनमें से कितनी महिलाओं को स्नातकोत्तर एम. फिल. और पी. एच. डी. की डिग्री प्राप्त हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) 1981 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश में 20,32,000 नेत्रहीन महिलाएं हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति के निदेशकों का चयन

6755. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के उप-कानूनों के अनुसार निदेशकों का चयन प्रत्येक तीन वर्षों में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो, उप-कानूनों के अनुसार निदेशकों का चयन न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) निदेशकों का चयन अंतिम बार कब किया गया था और निदेशकों के लिए चुनाव आयोजित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) निदेशकों का चुनाव पिछली बार 30.12.85 को पुराने उपनियमों के अधीन किया गया था जिनके अनुसार दो वर्षों में एक बार चुनाव होना जरूरी है। तथापि 10.4.87 को नए उप-नियम बना दिए गए थे। कतिपय निर्वाचित निदेशकों/प्रतिनिधियों ने नए उप-नियमों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर कर दी थी। निदेशकों के चुनाव कराने की कार्रवाई न्यायालय के निर्णय के बाद की जाएगी।

बिहार में भूकंप रिकार्डिंग केन्द्र

[हिन्दी]

6756. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अगस्त, 1988 में बिहार के कुछ क्षेत्रों में भूकंप आया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन प्रभावित क्षेत्रों में एक भूकंप रिकार्डिंग केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अगस्त, 1988 में आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्र सहित पूरे उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूकंपों के मानीटरन के लिए 79 भूकंप वेधशालाओं का एक नेटवर्क पहले से ही कार्यरत है।

ट्रेवल एजेंसियां

[अनुवाद]

6757. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1989 के अन्त में देश में चल रही मान्यता प्राप्त ट्रेवल एजेंसियों की राज्य-वार संख्या कितनी थी; और

(ख) इन टूरिस्ट एजेंसियों के संचालन के लिए निर्धारित की गई विशेष शर्तें क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग की यात्रा एजेंसियों को मान्यता प्रदान करने हेतु एक स्कीम है बशर्ते कि वे विभाग द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा करें। यात्रा एजेंसियों पर लागू नियम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

31 12.88 को राज्यवार यात्रा एजेंसियों की संख्या निम्नलिखित है :

आसाम-1, आंध्र प्रदेश-8, बिहार-2, चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)-2, दिल्ली (संघ शासित प्रदेश)-42, गोआ-3, गुजरात-5, जम्मू और काश्मीर-3, कर्नाटक-16, केरल-10, महाराष्ट्र-47, मध्यप्रदेश-1, पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)-2, राजस्थान-1, तमिलनाडु-23, उत्तर प्रदेश-4 और पश्चिम बंगाल 19।

विवरण

यात्रा एजेन्टों के रूप में मान्यता प्रदान करने के नियम

1. मान्यता हेतु सभी आवेदन पत्र महानिदेशक पर्यटन, परिवहन भवन, नं० 1, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001, को संबोधित किए जायेंगे, जो कि मान्यता प्रदान करने हेतु शक्ति प्राप्त प्राधिकारी हैं।
2. मान्यता का उद्देश्य भारत में पर्यटक उद्योग के विकास को बढ़ावा देना होगा।
3. मान्यता की मंजूरी हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत किए जायेंगे।
4. किसी भी फर्म को तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसने आवेदन पत्र देने की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक पर्यटक यातायात को सक्रिय रूप से सम्भालने का काम न किया हो।
5. जिन फर्मों को मान्यता प्रदान की जाएगी वे ऐसे अधिकारों और लाभों की हकदार होंगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत किए जायेंगे तथा वे मान्यता के लिए समय-समय पर निर्धारित अनेक शर्तों का पालन करेंगी।
6. जिन फर्मों को मान्यता प्रदान की जाएगी वे अपने स्टाफ के किसी पूर्णकालिक सदस्य के चार्ज में एक कार्यालय स्थापित करेंगी, जो परिवहन तथा आवास सुविधायें, मुद्रा तथा सीमा शुल्क विनिमय और यात्रा आदि के बारे में सामान्य जानकारी सम्बन्धी सही और अद्यतन सूचना देने की स्थिति में हो।
7. मान्यता प्राप्त करने वाली फर्में पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित गाइडों को ही रखेंगी। जो फर्में अनुमोदित गाइडों को नहीं रखेंगी विभाग द्वारा उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
8. यह मान्यता संपूर्ण भारत अथवा किसी सीमित क्षेत्र तक के लिए भी दी जा सकती है।
9. सभी मान्यता प्राप्त फर्में पर्यटन विभाग तथा भारत सरकार के पर्यटक कार्यालय के निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक को अपने कार्यकलापों के बारे में और ऐसी अन्य सूचनाओं के बारे में जिसकी सरकार समय-समय पर अपेक्षा करें, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेंगी वे

वास्तविक रूप से सम्भाले गए पर्यटक यातायात तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में भी जानकारी प्रस्तुत करेंगी।

10. प्राथमिक मान्यता के लिए आवेदन पत्र केवल एक वर्ष के लिए ही लिया जाएगा और तत्पश्चात भावी मान्यताएं एक बार में केवल तीन वर्ष के लिए ही होंगी यदि विभाग इस बात से संतुष्ट है कि फर्म मान्यता के लिए लागू सभी शर्तों का पालन कर रही है।

11. फर्म द्वारा प्राथमिक मान्यता के लिए आवेदन करते समय एक बार एक हजार रुपये की फीस भरनी होगी जो वापिस नहीं की जाएगी। यह फीस बैंक ड्राफ्ट के रूप में वेतन तथा लेखा अधिकारी, पर्यटन विभाग को देय होगी।

12. भारत सरकार को अधिकार होगा कि वह स्वीकृत मान्यता को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द अथवा वापिस ले सकती है।

13. पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत मान्यता से फर्म स्वतः ही रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा रेल टिकटों की बिक्री के लिए एजेंट नियुक्त किए जाने के लिए हकदार नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार मान्यता प्राप्त एजेंसियां रेलवे बोर्ड को अलग से आवेदन करेंगी।

14. फर्म की न्यूनतम पत्र पूंजी 2.00 लाख रुपये की होनी चाहिए और इसके साथ अद्यतन लेखा परीक्षा संतुलन पत्र लगा होना चाहिए।

15. पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता की मंजूरी के लिए आवेदन पत्रों पर केवल तभी विचार किया जाएगा यदि फर्म;

1. आई. ए. टी. ए. द्वारा अनुमोदित हो,
2. रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी विदेशी पासों को बुक करने हेतु वैध लाईसेंस रखती हो,
3. यात्रा कागज पत्रों तथा पासपोर्ट कार्यालयों के साथ कार्रवाई करने के लिए विदेश मंत्रालय की वैध मंजूरी हो,
4. स्थानीय दुकान स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा उसका एक अच्छा नियुक्त कार्यालय हो।

बिजली के उत्पादन की तुलनात्मक लागत

6758. **श्री महेश्वर तांती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परमाणु विद्युत संयंत्रों, ताप विद्युत संयंत्रों और पन विद्युत संयंत्रों से बिजली के उत्पादन की तुलनात्मक लागत कितनी-कितनी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : परमाणु बिजलीघरों, ताप बिजलीघरों और पन बिजलीघरों में उत्पादित बिजली की तुलनात्मक लागत का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

	उत्पादित बिजली की किस्म	प्रतियूनिट बिजली की लागत
1.	परमाणु बिजलीघरों में पैदा बिजली	43 पैसे से लेकर 51 पैसे तक/प्रति किलोवाट।
2.	गैस पर आधारित ताप बिजलीघरों में पैदा बिजली	36 पैसे से लेकर 87 पैसे तक/प्रति किलोवाट ।
3.	कोयले पर आधारित ताप बिजलीघरों में पैदा बिजली	41 पैसे से लेकर 90 पैसे तक/प्रति किलोवाट ।
4.	पन बिजली	19 पैसे से लेकर 80 पैसे तक/प्रति किलोवाट ।

ताशकंद में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सोवियत संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर

6759. श्री हरिहर सोरन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताशकंद में एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सोवियत संघ के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो हवाई अड्डे के निर्माण में सोवियत संघ को किस रूप में भारत की सहायता की आवश्यकता है;

(ग) क्या सोवियत संघ ने उस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भारत से जनशक्ति अथवा तकनीकी सहायता की मांग की है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) भारत सरकार और सोवियत संघ सरकार ने जनवरी, 1989 में संयुक्त उद्यमों में भारत और सोवियत संघ की सहभागिता के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए । इस समझौते में ताशकंद और अन्य हवाई अड्डों पर टर्मिनल भवनों का निर्माण, फ्लाइट किचन और ड्यूटी मुक्त दुकानों की परियोजना सम्मिलित है ।

मछली पकड़ने के लिए चार्टर परमिटों की स्वीकृति

6760. श्री दौलतसिंहजी जडेजा :
श्री सोडे रमैया :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट रक्षक दल ने विदेशी चालक दल और नौकाओं को भारत में मछली पकड़ने के लिए चार्टर परमिटों की स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या छोटे उद्यमियों को इस संबंध में स्वीकृति लेने के लिए बहुत दिनों तक इन्तजार करना पड़ रहा है;

(ग) क्या फर्मों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से इस प्रयोजनार्थ दिल्ली आने का अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इस प्रकार के आवेदन-पत्र तटरक्षक दल कार्यालय में बिना किसी विलम्ब के निपटाए जाएं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का वित्त पोषण

6761. **डा० कृपासिंधु भोई : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तपोषण के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना के दौरान वर्तमान नीति में कुछ परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) इस समय केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के योजना परिव्ययों का वित्तपोषण उनके संसाधनों के आंतरिक उत्पादन, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों तथा बजटीय समर्थन के जरिए से किया जा रहा है। निधियों के आंतरिक उत्पादन को अधिकतम करने की नीति है।

(ख) और (ग) आठवीं योजना अभी तैयार की जा रही है।

सिक्किम के नागरिकता विहीन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना

6762. **श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या गृह** मंत्री सिक्किम की मांगों के बारे में 11 मई, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10589 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम के नागरिकता विहीन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के मामले में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) सिक्किम (नागरिकता) संशोधन आदेश, 1989 के नाम से ज्ञात एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है :

(क) सिक्किम (नागरिकता संशोधन) आदेश, 1969 के उपबंधों के अनुसार आवेदन आमंत्रित करना :

(ख) उक्त आवेदनों की संवीक्षा करने तथा या तो अपने आप या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अभिकरण के माध्यम से ऐसी जांच कराना और

(ग) निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदकों की पात्रता निर्धारित करना।

जबलपुर और खमरिया में आयुध कारखानों को सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा सामान की सप्लाई

6763. **श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर और खमरिया में आयुध कारखानों को काफी लम्बे समय से सरकारी क्षेत्र के विभिन्न एककों से विभिन्न प्रकार के सामान की सप्लाई के लिए निविदाएं प्राप्त हो रही हैं;

(ख) क्या आयुध कारखाने सरकारी क्षेत्र की इन कम्पनियों द्वारा की जा रही इस सप्लाई को सुविधाजनक बनाने के लिए समुचित सहायता प्रदान नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के निर्माता एककों से अपनी आवश्यकता के सामान वस्तुओं की सप्लाई को स्वीकार करने के लिए आगे क्या तत्काल कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) जबलपुर और खमरिया स्थित आयुध निर्माणियां सामान की विभिन्न मदों की सप्लाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक सरकारी यूनिटों से निविदाएं आमंत्रित करती हैं। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की मदें गुणता के अनुरूप होती हैं और उनकी समय पर डिलीवरी दे देते हैं तो उन्हें सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उन्हें कीमतों में तरजीह दी जाती है तथा उन्हें प्रतिभूत अथवा बैंक गारंटी देने की भी आवश्यकता नहीं होती है। उनके लिए "अनिवार्यता प्रमाणपत्र" भी जारी किए जाते हैं जिससे उन्हें कच्चा माल प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से लोहे और स्टील के पिण्ड, गढ़ी हुई वस्तुएं, बेयरिंग और धातु की बनी वस्तुएं खरीदी जाती हैं।

कानपुर छावनी में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को आबंटित क्वार्टरों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना

6764. **श्री बी॰ श्रीनिवास प्रसाद :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर छावनी बोर्ड ने अनुसूचित जातियों से संबंधित कर्मचारियों को आबंटित क्वार्टरों में जल सप्लाई बिजली और व्यक्तिगत शौचालय जैसी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं;

(ख) क्या अधिकांश कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली के अधिकृत मीटर कनेक्शन नहीं हैं और इसके परिणामस्वरूप गैर कानूनी रूप से बिजली की लाइनें ली गई हैं;

(ग) यदि हां, तो बोर्ड द्वारा आबंटित क्वार्टरों की कुल संख्या और उपलब्ध कराई गई बिजली मीटरों की कुल संख्या सहित तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) श्रेणी चार और दो के सभी स्टाफ क्वार्टरों में तुरन्त व्यक्तिगत शौचालय, जल कनेक्शन और बिजली मीटर उपलब्ध कराने के लिए और क्या कदम उठाए जाएंगे ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) जिन क्षेत्रों में क्वार्टर बने हुए हैं वहां पर सार्वजनिक पानी के नलों, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था की गई है। बिजली के अनधिकृत कनेक्शनों के बारे में कोई सूचना नहीं है। कुछ आबदियों ने, छावनी बोर्ड की मंजूरी से कानपुर विद्युत सप्लाई प्रशासन से बिजली के कनेक्शन प्राप्त किए हैं। फिलहाल, बोर्ड पानी और बिजली के व्यक्तिगत कनेक्शन प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र में पर्याप्त जल और सीवर सुविधाओं के साथ व्यक्तिगत शौचालयों की व्यवस्था की गई है।

होटल निर्माण के लिए राज सहायता

6765. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन हेतु वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान, स्टारवार, कितने होटलों का निर्माण कार्य आरम्भ हुआ था; और वह कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इन होटलों को निर्माण कार्य हेतु कितनी राज सहायता/सहायता मंजूर की गई थी;

(ग) क्या इन होटलों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन पार्टियों पर सरकार की कितनी धनराशि बकाया है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पर्यटन विभाग प्राइवेट उद्यमकर्ताओं को अपनी रूचि के स्थानों पर निर्मित की जा रही होटल परियोजनाओं को ही अनुमोदन प्रदान करता है।

वर्ष 1986-87 में कुल 65 तथा वर्ष 1987-88 में 71 होटल परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया था। सितारावार वर्गीकरण इस प्रकार है :

सितारा श्रेणी	1986-87 में अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	1987-88 में अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या
पांच	10	16
चार	11	10
तीन	24	20
दो	18	18
एक	2	7

ये परियोजनाएं कोडाइकनाल, बम्बई, विशाखापत्तनम, पुणे, गोआ, बंगलौर, नैनीताल, परवानु, मनोरी समुद्री-तट, दिल्ली, गाजियाबाद, गुवाहाटी, कालीकट, इंदौर, लोनावाला, मद्रास, हरिद्वार, मरकारा, गांधीनगर, गांधी धाम, नागरकोइल, शिलांग, आगरा, गुंटूर, कोचीन, नागपुर, त्रिचि, सूरत, सपुतारा, पानवेल, पलानी, करनूल, कड्डपा, सुलतान बैटरी, माहाद, नासिक, तिरूपति,

नालगोंडा, ऊटी, विल्लुपुरम, चिदाम्बरम, हैदराबाद, गुलमर्ग, पहलगाम, औरंगाबाद, लखनऊ, श्रीनगर, जयपुर, चैल, अजमेर, मसूरी, दुर्गापुर, देहरादून, दार्जिलिंग, कलकत्ता, चिपलून, मैथरान, डलहौजी, फरीदाबाद, निर्मल, विजयवाड़ा, हलोल, सिरडी, ओंगोल, रुद्र प्रयाग, बोंगाईगांव, पटना, वेलांकनी, ममापट्टिमम, प्रोड्डूतर, बेतला और पाराकूर में स्थित हैं।

(ख) संघ सरकार होटलों के निर्माण हेतु कोई अनुदान नहीं देती।

(ग) और (घ) 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान अनुमोदित 136 परियोजनाओं में से अब तक 47 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। होटलों के निर्माण में कम से कम दो से तीन वर्ष लग जाते हैं।

सामान की खरीद लिए इंडियन एयरलाइंस द्वारा निविदा आमंत्रित करना

6766. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा खरीदी जाने वाली प्रमुख मदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक मद के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है और निविदा आमंत्रित की जाती है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1988 के दौरान जारी की गई सूचनाओं/निविदाओं और मदों का ब्यौरा क्या है और उनका अनुमानित मूल्य और चुने गए सप्लायर का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी मामले में निम्नतम निविदा को अस्वीकृत भी किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्राप्त की जाने वाली भंडार की प्रमुख मदों को निम्नलिखित व्यापक शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है :

— विमान के अतिरिक्त पुर्जे और सामग्री जैसे कि विमान इंजन/विमान फ्रेम, घूर्णन करने वाले पुर्जे तथा अतिरिक्त पुर्जे;

— पूंजीगत मदें जैसे कि मोटर गाड़ियां, इंजीनियरी/कार्यालय/साधारण/विद्युत/खान-पान उपकरण, फर्नीचर और जुड़नार, विशेष औजार आदि,

— गैर विमान उपयोग्य भंडार जैसे कि इंजीनियरी वाणिज्यिक मदें, केबिन और खान-पान भंडार, मोटर परिवहन भंडार, लेखन-सामग्री और मुद्रण भंडार, वर्दी भंडार, चिकित्सा भंडार, स्नेहक/रंग-रोगन/मिश्रण आदि।

(ख) प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले भंडार को उनके विनिर्माता स्रोत, जैसे कि उन विमान विनिर्माताओं और मूल उपकरण विनिर्माताओं से खरीदा जाता है जिनकी वस्तुएं विमान में संस्थापित की गई हैं, शेष दो श्रेणियों के भंडार निम्नलिखित से खरीदे जाते हैं :

— इंडियन एयरलाइंस द्वारा खरीद के लिए मानकीकृत की गई मदों के मामले में महानिदेशक, आपूर्ति और निपटान/सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर विनिर्माता स्रोतों से।

— मदों के विनिर्माण के लिए मानी जाने वाली कम्पनियों से सीमित निविदाएं जारी करने के पश्चात ।

— सार्वजनिक/प्रेस निविदाओं द्वारा/सार्वजनिक/प्रेस या सीमित निविदा जारी करने का निर्णय प्राप्त किए जाने वाले भंडार के देश भर में उपलब्ध हो सकने वाले पूर्ति के सम्भावित स्रोतों, उनके मूल्य और किस्म को ध्यान में रखने के बाद लिया जाता है ।

(ग) इंडियन एअरलाइंस बड़ी संख्या में मदें प्राप्त करती है और समय-समय पर सूचनाएं/निविदाएं जारी करती है । ऐसी सूचनाएं और निविदाएं इंडियन एअरलाइंस के न केवल मुख्यालय द्वारा ही जारी की जाती हैं बल्कि पूरे भारत में स्थित इंडियन एयरलाइंस के फील्ड कार्यालयों द्वारा भी जारी की जाती है । इसलिए सूचनाओं तथा निविदाओं की संख्या असामान्य रूप से अत्यधिक होती है तथा 1988 के दौरान जारी की गई सभी निविदाओं के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने में लगने वाले प्रयास प्राप्त किए जाने वाले प्रयोजन के अनुरूप नहीं होंगे । यदि किसी विनिर्दिष्ट सूचना/निविदा के सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित है, तब उसे एकत्र किया जा सकता है और सभा पटल पर रखा जा सकता है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) कभी-कभी आमंत्रित निविदाओं में दिए गए कम कोटेशनों को विशिष्टियों के अनुरूप न होने, डिलिवरी लीड समय, आपूर्ति का स्रोत (सार्वजनिक या निजी क्षेत्र) स्त्रोत की विश्वसनीयता आदि जैसे कारणों से अस्वीकृत कर दिया जाता है । कम दर की निविदा के अस्वीकृत होने के कारणों को रिकार्ड किया जाता है और ऊंची कोटेशनों के निविदाकारों को आदेश देने से पूर्व वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है ।

केरल में अवैध रूप से रह रहे अफगानिस्तान के नागरिक

6767. **श्री के० मोहनदास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान केरल में अवैध रूप से रह रहे अफगानिस्तान के कितने नागरिकों का पता लगाया गया; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) इस अवधि के दौरान भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले, महिलाओं और बच्चों सहित, 40 अफगान नागरिकों को केरल में पाया गया ।

(ख) इन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया । इनमें से 17 व्यक्तियों के पास जाली यात्रा-दस्तावेज पाए गए । 23 व्यक्तियों के पास कोई भी यात्रा-दस्तावेज नहीं था । इन लोगों के खिलाफ स्थानीय पुलिस द्वारा विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है ।

दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जल पूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान, के कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के वेतन मानों में असंगतता

6768. **श्री केशवराव पारधी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से पहले दिल्ली जल पूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के वेतन मान, दिल्ली नगर निगम

के सामान्य विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान के समान थे और क्या इन वेतनमानों को चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद उनके समान नहीं रखा गया;

(ख) यदि हां, तो ऐसी श्रेणियों की संख्या क्या है और सामान्य विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान के समान वेतनमान देने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं; और

(ग) सरकार का मामले की जांच करने के बाद समान वेतनमान कब तक देने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वियन के समय दिल्ली जल आपूर्ति और मल निकास उपक्रम के लगभग सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमान दिल्ली नगर निगम के जनरल विंग के कर्मचारियों के बराबर थे । चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते समय (1) हिन्दी सहायक और वरिष्ठ आशुलिपिक (2) सहायक मुख्य लेखाकार और (3) डाक्टरों के वेतनमान भिन्न-भिन्न हो गए । ये कार्यभार तथा पदों की आवश्यकताओं पर आधारित थे ।

(ग) इन मामलों की दिल्ली जल आपूर्ति और मल निकास उपक्रम तथा दिल्ली नगर निगम के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है ।

विशेष पुलिस अधिकारियों का तथाकथित रूप से आपराधिक मामलों में शामिल पाया जाना

6769. **श्री एम० महफूज अली खां** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वर्ष 1988 के दौरान कुछ विशेष पुलिस अधिकारियों को आपराधिक मामलों में उनके तथाकथित रूप से शामिल होने के कारण हटाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में सभी विशेष पुलिस अधिकारियों की, इस बात का पता लगाने हेतु कि कहीं उनमें से किसी का कोई आपराधिक रिकार्ड तो नहीं है, कोई विस्तृत जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणामों का क्या ब्योरा है तथा सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान् । एक गहन संवीक्षा की गई, जिसमें विभिन्न अधिनियमों के तहत 22 विशेष पुलिस अधिकारियों को अपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त पाया गया । उन्हें वर्ष 1988 के दौरान सेवा से हटा दिया गया है ।

विवरण

निम्नलिखित विशेष पुलिस अधिकारियों को उनके अपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त होने के लिए वर्ष 1988 के दौरान सेवा से हटाया गया :

सर्वश्री

1. प्रदीप कुमार, निवासी हरीनगर, दिल्ली।
2. के. एस. राठी, नि. जनकपुरी, नई दिल्ली।
3. किरपाल सिंह, नि. नामधारी कालोनी, कीर्तिनगर, नई दिल्ली।
4. आर. के. गुप्ता, नि. लोहामंडी, नरेला, नई दिल्ली।
5. कमल शर्मा, नि. मोतीनगर, नई दिल्ली।
6. के. एल. शर्मा, नि. न्यू मोती नगर, नई दिल्ली।
7. एस. के. सोंधी, नि. जनकपुरी, नई दिल्ली।
8. अनिल मोदी, नि. शिवाजी पार्क, नई दिल्ली।
9. गंगा बिशन, नि. पंजाबी बाग, नई दिल्ली।
10. पवन कुमार, नि. वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली।
11. राज शर्मा, नि. न. दि. न. पा. मार्किट पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली।
12. हर भगवान वाधवा, नि. अमर कालोनी, नई दिल्ली।
13. ताज मोहम्मद, नि. कालू सराय, नई दिल्ली।
14. जगन नाथ खन्ना, नि. लोदी कालोनी, नई दिल्ली।
15. ईश्वर सिंह, नि. डी. डी. ए. फ्लैट, कालकाजी, नई दिल्ली।
16. खेम चन्द, नि. राम मोहन्नर बैंड, नई दिल्ली।
17. नत्थू राम गुप्ता, नि. एस. जे. इंक्लेव, नई दिल्ली।
18. रमेश भूटानी, नि. आई. एन. ए. मार्किट, नई दिल्ली।
19. राधे श्याम, नि. आई. एन. ए. मार्किट, नई दिल्ली।
20. अब सिंह, नि नन्दनगरी, दिल्ली।
21. श्रीमती शकुंतला राठौर, नि. नन्दनगरी, दिल्ली।
22. श्री प्रमोद कुमार, नि. यमुना विहार, दिल्ली।

लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा बंगाराम द्वीप संबंधी पट्टा

6770. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप प्रशासन और निजी क्षेत्र के एक होटल के बीच बंगाराम द्वीप के संबंध में कोई पट्टे पर समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पट्टा की शर्तें क्या हैं;

(ग) पट्टे पर समझौता कब हुआ था;

(घ) क्या पट्टा समझौता करते समय निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या संरक्षित क्षेत्र में गैरद्वीप निवासी को कानून और नियमों के विरुद्ध संपत्ति के हस्तान्तरण की शर्तें भी पट्टे में सम्मिलित हैं, यदि नहीं, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है;

(च) क्या उक्त पट्टे की स्वीकृति लक्षद्वीप की शराबबंदी क्षेत्र नीति का उल्लंघन है और इसका वहां की स्थानीय जनता ने विरोध किया है, यदि नहीं तो तत्संबंधी स्थिति क्या है; और

(छ) क्या सरकार का विचार उक्त पट्टे संबंधी पूरे मामले की जांच तथा समीक्षा करने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (छ) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1982 में लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा स्थापित सोसाइटी फार प्रोमोशन आफ रिक्रेशनल टूरिज्म (स्पोर्टस) नामक स्वायत्त संस्था और केसिनो होटल, कोचीन के मालिकों के मध्य बंगाराम से संबंधित पट्टा समझौता पर 22 अक्तूबर, 1988 को हस्ताक्षर किए गए। समझौता बंगाराम पर स्पोर्टस द्वारा ली गई सुविधाओं से संबंधित पट्टे का है, जिनमें केसिनो, होटल की हट्स फर्नीचर तथा उपस्कर शामिल हैं तथा जो पांच वर्ष तक होटल को चलाने के लिए है तथा इसके लिए उन्हें इंपोर्ट्स को रायल्टी के रूप में प्रतिवर्ष 1.20 लाख रुपए और कुल टर्नओवर का 16.67 प्रतिशत देना है, जिसकी कम से कम राशि 7.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगी। समझौते में पर्यावरण संबंधी विभिन्न प्रकार की सुरक्षा, लेखा परीक्षण के प्रावधान, न्यूनतम स्थानीय रोजगार के सुअवसर, स्थानीय उत्पादित माल की खरीद की वचनबद्धता शामिल है। प्रमुख होटल प्रचालकों से निविदाएं आदि आमंत्रित करने के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे। केसिनों होटल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को वित्तीय रूप से अन्यों की अपेक्षा अधिक अनुकूल पाया गया। पट्टे में संघ शासित क्षेत्र में लागू नियमों और विनियमों के विपरीत सम्पत्ति आदि का हस्तान्तरण करने का प्रावधान नहीं है। जहां तक लक्षद्वीप में मद्यनिषेध का संबंध है, इस बारे में यह उल्लेखनीय है कि लक्षद्वीप मद्य निषेध विनियम, 1979 के अनुसार बंगाराम को छोड़कर लक्षद्वीप में सभी द्वीप समूहों में मद्य निषेध लागू किया गया था। बंगाराम में मद्यनिषेध कभी लागू नहीं किया गया। यह एक गैर आबाद द्वीप समूह है, जो 1974 से अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। केसिनो होटल के साथ किए गए पट्टा समझौते से मद्य निषेध, निविदा आमंत्रण, उनका मूल्यांकन समझौते, ठेका देने आदि से संबंधित स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है यह समझौता द्वीप विकास प्राधिकरण की संचालन समिति द्वारा स्थापित एक समिति के पर्यवेक्षण के अधीन किया गया था। पर्यटन मंत्रालय ने किए जाने वाले अनुबन्ध के फारमेट के बारे में कानूनी राय भी प्राप्त की थी।

मध्यम आय-वर्ग के पर्यटकों के लिए ठहरने के स्थान

6771. श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्यम आय-वर्ग के स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन-स्थलों पर यात्री निवासों का निर्माण किया जाना था;

(ख) निर्माण किये जा चुके, निर्माणाधीन एवं निर्माण किए जाने वाले यात्री-निवासों का राज्य-वार, स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके लिए कितना प्रभार रखा गया है एवं इन्हें बुक कराने इत्यादि के लिए किस अधिकारी से सम्पर्क करना चाहिये; और

(घ) कब तक ऐसे यात्री-निवासों की व्यवस्था सभी स्थानों पर की जायेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

यात्री निवास का नाम	राज्य	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपयों में)
1. कुरुक्षेत्र	हरियाणा	49·69
2. किवलांन	केरल	35·35
3. त्रिवेन्द्रम	केरल	26·43
4. कोचीन	केरल	35·00
5. कांचीपुरम	तमिलनाडु	35·00
6. त्रिचूर	केरल	29·95
7. नागापत्तनम	तमिलनाडु	37·27
8. कोणार्क	उड़ीसा	29·25
9. सतपदा	उड़ीसा	26·50
10. पोर्ट ब्लेयर	आइजलैंड	45·78
11. पणजी	गोआ	28·70
12. पालम गांव	दिल्ली	45·00
13. डाकोर	गुजरात	41·22
14. दार्जिलिंग	पश्चिमी बंगाल	47.39
15. जालन्धर	पंजाब	23·97
16. पांडिचेरी	पांडिचेरी	26·90
17. पहलगाम	जम्मू और कश्मीर	31.18
18. हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	25·29
19. शेगांव	महाराष्ट्र	25·98
20. इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	29·42
21. एजवाल	मिजोरम	30·13
22. अगरतला	त्रिपुरा	41·52
23. कोहिमा	नागालैंड	37·73
24. मैसूर	कर्नाटक	36·02
25. गंगतोक	सिक्किम	30·43
26. तुरा	मेघालय	46·25
27. हेव लाक आइजलैंड	ए. और एन. आइजलैंड	41·44

क्रम सं० 1 पर उल्लिखित यात्रिका पूरी तथा चालू हो गई है, अन्य निर्माणाधीन हैं।

(ख) कुरुक्षेत्र में स्थित यात्री निवास का किराया इस प्रकार है :

डोरमीटरी	:	20 रु० प्रति व्यक्ति
डबल रूम	:	80 रु०
वातानुकूलित डबल रूम		225 रु०
आरक्षण प्राधिकारी		प्रबंधक, कृष्णधाम यात्री निवास, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)

(ग) यात्री निवासों की पहले से चल रही परियोजनाओं के पूरा होने की विशिष्ट तारीख के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

दिल्ली से राजकोट/जामनगर के लिए सीधी विमान सेवा

6772. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से राजकोट अथवा जामनगर के लिए सीधी विमान सेवा नहीं है;

(ख) क्या दिल्ली से राजकोट अथवा जामनगर के लिए इंडियन एयरलाइन्स की सीधी विमान सेवा शुरू किए जाने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) इंडियन एअरलाइंस ने 20.4.89 से अहमदाबाद होकर दिल्ली और राजकोट के बीच सप्ताह में तीन दिन की बोइंग 737 सेवा (आई० सी०-419/420) आरम्भ कर दी है। इस समय दिल्ली और जामनगर के बीच सेवाओं को आरम्भ करने की इंडियन एअरलाइंस की कोई योजना नहीं है।

नारियल के पेड़ के मालिकों को मुआवजा

6773. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लक्षद्वीप समूह में इसके विभागीय प्रयोजनों के लिए नारियल के पेड़ के मालिकों को प्रत्येक नारियल के पेड़ के लिए 1000 रुपये का भुगतान किया गया है;

(ख) क्या कार निकोबार द्वीपसमूह में मालिकों को प्रत्येक नारियल के पेड़ के लिये केवल 350 रुपये का भुगतान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो नारियल पेड़ के मालिकों को भिन्न-भिन्न धनराशि का भुगतान करने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) विभिन्न पहलुओं, जैसे प्रति वर्ष की उपज, खोपरा का बाजार मूल्य, पेड़ की वर्तमान आयु, पकने तक का समय, पेड़ की संभावित लाइफ, वृक्षारोपण और प्रति वृक्ष रख रखाव की लागत, जो भू-गर्भीय परिस्थितियों और बाजार-संचालन बलों पर निर्भर करती है, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होती है। कार

निकोबार में इसे 350 रुपये प्रति वृक्ष निर्धारित किया गया है, जबकि लक्षद्वीप में यह 60 रुपये से 2903 रुपये प्रति वृक्ष तक है।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अंडमान और निकोबार प्रशासन में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पदों पर नियुक्ति

6774. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने अंडमान और निकोबार प्रशासन में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद के लिए परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित की थी और अक्तूबर, 1987 में उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार की थी;

(ख) क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार की गई चयन सूची में दो ऐसे उम्मीदवारों के भी नाम थे जो अयोग्य थे : यदि हां, तो इनके नाम शामिल करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या चयन सूची में से किसी उम्मीदवार को नियुक्त किया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चुने गये उम्मीदवारों को कब तक नियुक्त किये जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक पद के लिए परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को 26 उम्मीदवारों के नाम भेजे थे। कर्मचारी चयन आयोग ने 26 में से 7 उम्मीदवारों की एक चयन सूची तैयार की। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की संवीक्षा करने पर यह पता चला कि दो उम्मीदवार भर्ती नियमों में यथा-निर्धारित शैक्षिक/अनुभव संबंधी योग्यता पूरी नहीं करते। भर्ती पदों को भरने पर लगी रोक संबंधी आर्थिक अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए चयन सूची में से किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

6775. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 10 करोड़ रुपये से अधिक राशि की बिजली की तथाकथित चोरी के बारे में कुछ माननीय संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कुछ अधिकारियों की मिली भगत से बिजली की चोरी के आरोपों के बारे में माननीय सदस्यों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आरोप आधारहीन पाए गए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी क्षेत्र में विमानों का प्रयोग

6776. श्री एन० डेनिस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया द्वारा तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री को उपचार के लिए मद्रास से अमरीका ले जाने के लिए प्रयोग किया गया "फ्लाइंग हास्पिटल" विमान को यथास्थिति में रखा गया है; और

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी विभागों में व्यक्तियों, अस्पतालों द्वारा इस विमान की मांग की जाती है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। तमिलनाडू के तत्कालीन मुख्यमंत्री के, एअर इंडिया ने बोइंग 707 विमान का प्रयोग किया था जिसमें एक बिस्तर और कुछ चिकित्सा संबंधी उपकरण जोड़ दिए गए थे। उनकी इस यात्रा के बाद बिस्तर और अन्य उपकरण हटा दिए गए थे और विमान का सामान्य ढांचा फिर से कायम कर दिया गया था।

(ख) जी, नहीं। एअर इंडिया से इस विमान के लिए निजी व्यक्तियों/अस्पतालों द्वारा कोई पूछताछ नहीं की गई।

लीबिया में हवाई अड्डे के निर्माण से भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को घाटा

6777. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लीबिया में एक हवाई अड्डे के निर्माण की परियोजना का निष्पादन किए जाने में भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अब तक अनुमानतः कितना घाटा हुआ है;

(ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लीबिया में छोड़े गए उपकरणों का अनुमानित मूल्य कितना है, जिनको यह कम्पनी प्राप्त नहीं कर सकी;

(ग) लीबिया सरकार के साथ वस्तु विनिमय प्रणाली की व्यवस्था के उद्देश्य से ऐसा समझौता किस प्रकार किया गया जिसके अन्तर्गत लीबिया को उस पर बकाया धनराशि के बदले तेल की सप्लाई की जानी थी। उस तेल के सौदे के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में उक्त निर्माण कार्य में और भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कितना नुकसान हुआ; और

(घ) लीबिया की सरकार से बकाया देय राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लीबिया में हाथ में ली गई हवाई अड्डा परियोजनाओं पर उन्हें 31. .1988 तक 7.77 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

(ख) लीबियाई परियोजनाएं पूरी करने के लिए भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 25.63 लाख एल० डी० की कीमत के उपस्कर और मशीनें खरीदी थी। उन्हें 1981 में प्राप्त किया गया था और इन्हें दुबारा प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था। 31.3.1988 को बाकी बचे उपस्कर और मशीनों की मूल्यह्रासित कीमत शून्य बराबर थी। तथापि, उपस्कर और मशीनों की दशा सुधारकर उन्हें 2.18 लाख एल० डी० में एक स्थानीय कम्पनी को दे दिया गया था।

(ग) और (घ) सभी देयताओं का तेल के रूप में भुगतान किये जाने के लिए लीबियाई प्राधिकारियों के साथ कोई नियमित करार नहीं किया गया है। लीबिया से भुगतान में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, सरकार ने यह निर्णय लिया था कि लीबिया में कार्य कर रही भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य भारतीय कम्पनियां बकाया राशि के भुगतान के बदले में कुछ शर्तों के अधीन कच्चा तेल स्वीकार करें। भारत अन्तर्राष्ट्रीय वितानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए समझौते के परिणामस्वरूप, लीबियाई प्राधिकारी लीबिया द्वारा दिए जाने वाले लगभग 300.0 लाख अमरीकी डालर की बकाया के आंशिक भुगतान के रूप में दो बार लदान करके 185 लाख अमरीकी डालरों की कीमत का कच्चा तेल देने पर सहमत हो गए थे। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अगस्त, 1987 में 92.6 लाख अमरीकी डालर का समायोजन करते हुए कच्चे तेल की पहली खेप प्राप्त की, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ी कम कीमत पर बेच दिया गया। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हुई हानि तेल की पहली खेप की बिक्री से प्राप्त 5.05 लाख अमरीकी डालर के साथ लीबिया से ली जाने वाली रकम के समायोजन के फलस्वरूप थी। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण शेष देयताओं का निपटान करने के लिए लीबियाई प्राधिकारियों पर जल्दी से जल्दी तेल के रूप में भुगतान करने पर जोर दे रही है।

भुवनेश्वर, गंजेश्वर, उड़ीसा के लिए वायुदूत सेवा

6778. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या नागर विमानन **और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट जाने वाली वायुदूत सेवा की उड़ान को भुवनेश्वर से बेशामपुर गंजेश्वर तक बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया गया है;

(ख) क्या बेशामपुर/गोपालपुर हवाई अड्डे की हवाई पट्टी वायुदूत सेवा के लिए उपयुक्त है; और

(ग) यदि हां, तो क्या बेशामपुर के लिए वायुदूत सेवा आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र में होटल

6779. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या नागर विमानन **और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बंगाल, सिक्किम, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों क्षेत्रों में पांच सितारा, तीन सितारा तथा अन्य प्रकार के होटलों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में तीन सितारा होटलों की स्थापना के लिए गत तीन वर्षों के दौरान किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में तीन सितारा होटलों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहनों वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किए गए उन अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है जिससे इस क्षेत्र में अधिक पर्यटक आएं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) क्षेत्र के प्राइवेट सेक्टरों में विभिन्न सितारा श्रेणी के होटलों की संख्या, 5 सितारा शून्य, 4-सितारा दो, 3-सितारा चार, 2-सितारा 3, 1 सितारा 1 है, चार होटलों को अभी वर्गीकृत किया जाना है। पब्लिक सेक्टर में गुवाहाटी में एक तीन सितारा होटल है।

(ख) और (ग) 3-सितारा होटलों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने प्रोत्साहनों का एक पैकेज चलाया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(I) ऋणनिधियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यटन वित्त निगम की स्थापना;

(II) 1, 2 एवं 3 सितारा होटलों हेतु संपूर्ण ऋण राशि पर 3 प्रतिशत तक ब्याज़ इमदाद को बढ़ाना (जबकि पहले 1 प्रतिशत थी) सभी श्रेणियों के अनुमोदित होटल, विदेशी मुद्रा अर्जन के मामले में आय कर रियायतों के लिए तथा उनकी विदेशी मुद्रा आय पर निर्भर रहते हुए संस्थान ऋणों पर ब्याज छूट के भी हकदार हैं।

(III) एल० पी० गैस एवं टेलीफोन कनेक्शनों के आबंटन में प्राथमिकता की भी व्यवस्था है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान गृह मंत्रालय ने पर्यटन विभाग के अनुरोध पर विदेशी पर्यटक ग्रुपों के लिए बहुत से नए क्षेत्रों को खुला घोषित किया है तथा ठहरने की स्वीकृत अवधि में भी वृद्धि की है।

क्षेत्र के प्रचार हेतु बहुत से मीडिया अभियान चलाये गये हैं तथा नौ नई विवरणिकायें एवं आठ नये फोल्डर्स प्रकाशित किए गए हैं।

त्रिवेन्द्रम/बंगलौर/मद्रास हवाई अड्डों से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

6780. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम, बंगलौर और मद्रास हवाई अड्डों से प्रत्येक सप्ताह कितने अंतर्राष्ट्रीय विमान उड़ान भरते हैं; और

(ख) इन हवाई अड्डों पर प्रतिदिन आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की औसत संख्या कितनी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) त्रिवेन्द्रम और मद्रास हवाई अड्डों से प्रति सप्ताह कुल अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या क्रमशः 23 और 30 है। बंगलूर हवाई अड्डे से कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं भरी जाती हैं।

(ख) त्रिवेन्द्रम में विमान में सवार होने वाले और उतरने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की दैनिक औसत संख्या क्रमशः 435 और 416 है जबकि मद्रास में यह संख्या क्रमशः 480 और 498 है।

रक्षा मुख्यालय में आग लगने की घटनाएं

6781. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा मुख्यालयों के सुरक्षा क्षेत्र में भवन और ब्लाकवार आग लगने की कितनी घटनाएं घटी;

(ख) घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आग लगने के कारणों की जांच की गई है, यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रक्षा सुरक्षा क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं को रोकने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में रक्षा मुख्यालय के सुरक्षा क्षेत्र में आग लगने की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। लेकिन आग लगने की छोटी-छोटी 3 घटनाए हुईं। इस संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) रक्षा मन्त्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, फायर ब्रिगेड, सेक्टर फायर अफसरों आदि जैसी अन्य एजेंसियों के सहयोग से समय-समय पर आग बुझाने के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा करते हैं। आग लगने से उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने के लिये अग्निशामकों, पानी की बाल्टियों, रेत की बाल्टियों आदि जैसे अग्निशामक उपस्करों को चालू हालत में हर समय सुविधाजनक जगहों पर रखा जाता है। इसके अतिरिक्त अग्निशामक उपस्करों की क्षमता और संबंधित एजेंसियों की योग्यता की जांच करने के लिए समय-समय पर आग बुझाने का अभ्यास भी किया जाता है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान आग लगने की जो छोटी-छोटी घटनाएं हुई हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(क) 24 अगस्त, 1987 को सेना भवन में नौसेना सिगनल केन्द्र के कार्यालय में थोड़ी-सी आग लग गई। आग का तुरन्त पता लग गया और आग पर काबू पाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। इस सम्बन्ध में की गई जांच से पता चला कि आग पास में रखे रद्दी कागजों के ढेर के कारण लगी। मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने नौसेना सिगनल केन्द्र और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई और आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए गए।

(ख) 9 नवम्बर, 1987 को साउथ ब्लाक में विदेश मंत्रालय के एक कमरे के बाहर लगे जंक्शन बाक्स में थोड़ी-सी आग लग गई। नजदीक के कमरे में कार्य कर रहे रक्षा मन्त्रालय के अफसर और स्टाफ को तत्काल इसका पता चल गया और उनमें से एक कर्मचारी ने तत्काल मेनलाइन को बन्द कर दिया ताकि आग और न फैलने पाए तथा कुछ ही मिनटों में आग बुझा दी गई और इससे सरकारी सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी की जान की हानि हुई। इस संबंध में की गई जांच से पता चला है कि आग लगने का मुख्य कारण जंक्शन बाक्स पर अधिक भार होना था। इस बारे में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता से सम्पर्क किया गया और उसने जंक्शन बाक्स का भार कम करने के लिए उचित कार्रवाई की।

(ग) 27 जनवरी, 1989 को "बी" ब्लाक की बैरकों में स्थित आयुध निदेशालय एम० जी० ओ० के एक कार्यालय में आग लगने की मामूली घटना हुई। इस कमरे के सतर्क कर्मचारियों ने तत्काल मेनलाइन को बन्द करके और आग पर रेत डालकर आग पर काबू पा लिया। इस घटना के बाद की गई जांच से पता चला है कि आग बिजली की तारें कटी-फटी होने के कारण लगी थी। इन्हें बाद में बदल दिया गया।

सिक्किम में हवाई अड्डा

6782. **श्रीमती डो० के० भंडारी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है और उसका मौके पर जाकर निरीक्षण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक और क्या प्रगति हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) गंतोक के निकट एक स्टोल प्रकार के विमान क्षेत्र के निर्माण का एक प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एक प्रारंभिक सर्वेक्षण किया गया है। तथापि हवाई अड्डे का निर्माण किया जाए अथवा न किया जाए, यह बात संसाधनों और पर्याप्त यातायात की उपलब्धता और आर्थिक साध्यता इत्यादि पर निर्भर करेगी।

योजना आयोग में महिला सैल गठित करना

6783. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज कल्याण और पोषण संबंधी प्रभाग को सशक्त बनाने के लिए योजना आयोग में एक महिला सैल गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा सैल कब से काम करना आरम्भ कर देगा ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) योजना आयोग में महिलाओं के विकास और कल्याण से संबंधित कार्य इसके समाज कल्याण तथा पोषाहार प्रभाग द्वारा देखा जाता है। इस प्रभाग को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है ताकि महिलाओं के विकास तथा कल्याण संबंधी कार्य अधिक प्रभावी ढंग से किए जा सकें। सुदृढ़ीकरण की इस प्रकार की विविधताएं परीक्षाधीन हैं।

इंडियन एयरलाइंस के पोतनीस (पर्सर) द्वारा चोरी

6784. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 28 मार्च, 1989 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित इंडियन एयरलाइंस के पोतनीस (पर्सर) द्वारा तथाकथित चोरी के समाचार को देखा है जिसमें बताया गया है कि इस गम्भीर अपराध को रफा-दफा किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस घटना की कोई जांच पड़ताल की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस ने आवश्यक छानबीन की है और संबंधित उड़ान पर्सर को आरोप-पत्र दिया गया है। अनुशासनिक कारंवाई पूरी होने के बाद यदि संबंधित कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध उपयुक्त कारंवाई की जाएगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार

6785. **श्री सोडे रमैया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी का हमारी लोक परम्परा के अनुरूप रख-रखाव करने के लिए क्या मार्गनिर्देश जारी किये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों से उचित मूल्यों की स्थापना के प्रति एक अति अनौपचारिक दृष्टिकोण अपनाया जाता रहा है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि पाठ्यचर्या तथा प्रशिक्षण में संबंधित पहलुओं पर जोर दिया जाये तथा पश्चिमी प्रशिक्षण देने पर कम दबाव डाला जाये; और

(घ) क्या बेहतर पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रेषक अकादमी का दौरा करते हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्य मुख्यतः निम्नलिखित हैं : —

(1) व्यावसायिक कौशल तथा मानवीय मूल्यों का विकास करने के उद्देश्य से परिवीक्षाधीनों को प्रेरणा देना,

(2) विभिन्न सेवाओं के परिवीक्षाधीनों के बीच मिल जुलकर काम करने की भावना को प्रोत्साहन देना और अन्तः निर्भरता पर बल देना,

(3) राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था की मूल जानकारी देना।

2. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सैद्धान्तिक जानकारी की अपेक्षा व्यावहारिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। परिवीक्षाधीनों को ग्रामों के दौरा कार्यक्रमों के माध्यम से निम्नतम स्तर के जीवन स्तर की परिस्थितियों का परिचय कराया जाता है। भारत के इतिहास तथा संस्कृति की शिक्षा उनकी पाठ्यचर्या का एक अंग होता है। इन परिवीक्षाधीनों को अध्ययन दौरों के दौरान ऐतिहासिक महत्व के स्थानों में ले जाया जाता है और ये दौरे भी उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण का अंग होते हैं। समग्र विकास तथा पाठ्येतर क्रियाकलापों में भाग लेने को सक्रिय रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के अधिकारियों तथा मन्त्रालय के अधिकारियों के बीच विचारों का आदान प्रदान एक सतत तथा अविरल चलने वाली प्रक्रिया है। अकादमी की कार्यात्मक स्वायत्तता को भी महत्व दिया जाता है।

जम्मू तथा कश्मीर के पर्वतीय एवं कांडी क्षेत्रों का विशेष सर्वेक्षण

6786. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा कश्मीर के पर्वतीय तथा कांडी क्षेत्र की विशेष रूप से डोडा उधमपुर और कठवा क्षेत्रों की स्थलाकृति, जलवायु एवं सिंचाई में कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार का इन क्षेत्रों को विशेष सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराने एवं इनके तेजी से विकास के लिए कोई विशेष योजना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सिक्किम में बधिरों और गूंगे व्यक्तियों के लिए संस्थाएं

6787. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण और शहरी अलग-अलग क्षेत्रों के लिए बधिरों और गूंगों से सम्बन्धित आंकड़ों का हिसाब रखती है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1989 तक सिक्किम में जिला-वार ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित ऐसी कुछ संस्थायें है जहां बधिरों और गूंगों को पढ़ाया जाता है;

(घ) यदि हां, तो सिक्किम में ऐसी संस्थाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ यदि नहीं, तो सिक्किम में ऐसी संस्थायें स्थापित करने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) 198। की जनगणना के अनुसार सिक्किम में ग्रामीण क्षेत्रों में 1875 और शहरी क्षेत्रों में 66 मूक व्यक्ति थे। जिला वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं —

	ग्रामीण	शहरी	कुल
पूर्व	726	56	782
उत्तर	110	—	110
पश्चिम	500	6	506
दक्षिण	539	4	543
	1875	66	1941

मार्च, 1989 तक की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) कल्याण मन्त्रालय बधिर व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास केन्द्र को चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान देता है। इस योजना के अन्तर्गत सिक्किम को कोई भी अनुदान नहीं दिया गया चूंकि किसी भी स्वयंसेवी संगठन ने इसके लिए आवेदन नहीं किया।

12.00 मध्याह्न

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इससे पहले कि आप श्री बूटा सिंह को उन पत्रों को पटल पर रखने की अनुमति दें, मैं कुछ प्रक्रिया संबंधी मुद्दे उठाना चाहता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम भी कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : पहले उस मुद्दे पर पहुंचा जाए।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आगे कैसे बढ़ा जाए इसका निर्णय लेने से पूर्व क्या आप हमारी बात सुनने की कृपा करेंगे **(व्यवधान)**

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : महोदय, ऐसी सूचना मिली है कि लन्दन में उग्रवादियों और खालिस्तान समर्थकों की बैठक हुई है··· **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ प्रक्रिया संबंधी मुद्दे उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप श्री बूटा सिंह द्वारा सभा पटल पर पत्र रखे जाने से पूर्व यह मामला उठाना चाहते हैं। हम अभी उस मुद्दे पर पहुंचे ही नहीं हैं।

(व्यवधान)

———

12.01 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 1989

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : श्री बूटा सिंह की ओर से मैं पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 2), जो 3 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7766/89]

इस्पात और खान मन्त्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगे

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : मैं, श्री एम० एल० फोतेदार की ओर से इस्पात और खान मन्त्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7767/89]

वायुयान अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं, भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण और नागर विमानन विभाग तथा पर्यटन विभाग की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं, श्री शिवराज वी० पाटिल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 1988, जो 12 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 886 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 1988, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 63 में प्रकाशित हुए थे तथा तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7768/89]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7769/89]

(3) नागर विमानन विभाग की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 7770/89]

(4) पर्यटन विभाग की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7771/89]

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं, श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (राजस्व प्राप्तियां-प्रत्यक्ष कर)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7772/89]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (राजस्व प्राप्तियां अप्रत्यक्ष कर)—मोडिफाइड फार्म ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स मोडवार योजना।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7773/89]

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7774/89]

सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड नई दिल्ली की वर्ष 1987-88 की वार्षिक रिपोर्ट और उसके कार्यकरण की समीक्षा और महासागर विकास विभाग, इलैक्ट्रानिकी विभाग और विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगे

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7775/89]

(2) महासागर विकास विभाग की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7776/89]

(3) इलैक्ट्रानिकी विभाग की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7777/89]

(4) विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7778/89]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी 7779/89]

———

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आपको बारी-बारी से बोलना है। मैं केवल तभी सुन सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, हजारी-बाग में कम्युनल वाएलेंस हो रहा है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : केवल हजारीबाग में ही नहीं बल्कि अनेक अन्य स्थानों पर भी साम्प्रदायिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप एक-एक करके बोलेंगे ? मैं केवल तभी सुन सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, क्या आप पहले देश में बिगड़ती साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा की अनुमति देंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक-एक करके बोलें।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : हम साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा करना चाहते हैं। साम्प्रदायिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप सभी एक साथ बोल रहे हैं। यदि एक समय में एक ही व्यक्ति बोले तो हम हर चीज ले सकेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा को प्रथम प्राथमिकता मिलनी चाहिए।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके मुद्दे पर आ रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : देश में साम्प्रदायिक स्थिति काफी खराब हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : बनातवाला जी क्या आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए। मैं आपके मुद्दे पर आ रहा हूं।

श्री बनातवाला : महोदय, कृपया जल्दी आइये

अध्यक्ष महोदय : अगर एक-एक करके सदस्य बोलेंगे तो सदन ध्यान देगा। इससे सभी ध्यान भी देंगे। मैं जानता हूं आप उत्तेजित हैं। जो कुछ हो रहा है उससे प्रत्येक समझदार व्यक्ति उत्तेजित होगा। मैं इस पर चर्चा कराना चाहता हूं मेरे विचार से हम इस मामले को ले सकते है यहां दो बातें हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : आज साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा की जानी चाहिए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप एक-एक करके बोलेंगे। अगर आप उत्तेजित न हों तो इस समस्या का समाधान अभी आपसी बातचीत तथा पूर्ण एकमत से किया जा सकेगा।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह संकट पूर्ण स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं। अगर आप इस तरह उत्तेजित होंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। 20 अप्रैल, 1989, को इंडिया एक्सप्रेस (बम्बई संस्करण) में अडोल्फ हिटलर के लिए बधाई प्रकाशित की गई है। यह बहुत आश्चर्य की बात है और ऐसे प्रकाशन की सदन को निन्दा करनी चाहिए

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब दो मिनट रथ जी आप चुप हो जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बनातवाला जी, सारी बातें एक साथ कैसे हो जायेगी, इसीलिए तो झगड़ा पड़ जाता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर हाउस इस पर राजी हो जाये तो;

[अनुवाद]

यह किया जायेगा। हमें निर्णय लेना होगा हमें इसे कैसे करना है।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : साम्प्रदायिक स्थिति पर प्राथमिकता के आधार पर चर्चा की जानी चाहिए।

हजारीबाग में अभूतपूर्व घटनाएं हो रही है

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दो चीजें है एक तो कम्युनिल सिचुएशन पर करना चाहते हैं और प्रोक्लोमेशन भी आनी है, वह भी लाजमी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूं, आप बीच में बोलते है। मैं आप की ही बात कह रहा हूं, आप चिल्लाते जा रहे है, मैं कह रहा हू,

[अनुवाद]

हम इस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

एक फैसला करने दीजिए।

[अनुवाद]

हमें इसका हल ढूंढ़ने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर कुरियन, मैंने आपसे कह दिया है कि आप लिखकर दीजिए तो मैं देखूंगा।

[अनुवाद]

अगर आप मुझे लिखित रूप में दें तो मैं इस पर विचार करूंगा। कोई समस्या नहीं है मैं इस विषय पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां दो बातें है। अब इसे स्पष्ट करने दीजिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जयपाल जी, मैंने सुन लिया है, आपकी बात अभी करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मि० कुरियन, दो मिनट ठहरिये, क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं। आप केवल उस तरफ ध्यान दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कम से कम इसमें प्राथमिकता प्राप्त है। आप सत्तारूढ़ दल से है और आपको इन्तजार करनी चाहिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : इसीलिए मैं इन्तजार कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको इन्तजार करनी पड़ रही है क्योंकि आप सत्तारूढ़ दल के हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : लेकिन सदन में, हम सब बराबर हैं।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन कई बार, आपको कुछ देना पड़ता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : इसलिए मैं सुन रहा हूं। मैं इन्तजार कर रहा हूं। क्या आप मुझे समय देंगे ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं पूछूंगा आपसे, आपकी बात भी सुनूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मैं कार्य सूची के बारे में एक प्रक्रिया संबंधी मुद्दा उठाना चाहता हूं

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना) : महोदय, आपने माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहा है और आप भी खड़े हैं । मेरा आपसे केवल यह अनुरोध है कि जब आप बोल रहे हों तो विपक्ष के माननीय वरिष्ठ नेताओं सहित हम सब को बैठ जाना चाहिए ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं क्या बताऊं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी राय तो बहुत बढ़िया है, सब आपकी राय मान लें तो सब ठीक हो सकता है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात का समाधान सदन के साथ करने का प्रयास करता हूं क्योंकि यह सदन की इच्छा पर है कि हम कौन सा रास्ता अपनाएं ।

श्री जी० एम० बनातवाला : आज ही हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब हमारे सामने दो बातें हैं । एक बात उद्घोषणा के बारे में है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : आज हमें साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन के समक्ष बातें रख रहा हूं । दो बातें करनी हैं ।

श्री जी० एम० बनातवाला : इसे उचित क्रम से किया जाना चाहिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बात नहीं सुनना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, हम सब के लिए यह बहुत चिन्ता की बात है···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक चीज को खत्म होने दीजिए मिस्टर कुरियन ।

(व्यवधान)

श्री पी० जे० कुरियन : हम सब के लिए, आपके लिए भी और विपक्ष के लिए यह बहुत चिन्ता की बात है । महोदय, लन्दन में खालिस्तान समर्थक···

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे लिखित में दीजिए । मैं समाधान ढूंढूंगा और फिर देखूंगा ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : उन्होंने देश में उग्रवादियों को अपना संदेश भेजा है कि वे खालिस्तान के लिए लड़ाई जारी रखें और अन्य बात यह है···

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे लिखित में दें, मैं देखूंगा···

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरी बात सुनिए (व्यवधान) अफगान मुजाहीद के एक प्रतिनिधि ने उसमें भाग लिया है और आश्वासन दिया है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो वे खालिस्तान को मान्यता देंगे । ऐसी बातें वहां हो रही हैं । यह अखबार में प्रकाशित किया गया है । क्या आप नहीं सोचते यह गम्भीर मामला है ? मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी और विदेश मंत्री तथ्यों का पता लगाएं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन आपको इसे मुझे लिखित में देना होगा और मुझे गृहमंत्री जी से कहना होगा । इस तरह नहीं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, आप उनसे कहिए। मैं केवल आप से अनुरोध कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दीजिए आप बिना वजह आग्रह कर रहे हैं

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह क्या है ? ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आप इस तरह टिप्पणी कर रहे हो ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं एक प्रक्रिया संबंधी मुद्दा उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, मैंने आपकी बात सुनी है । आपको मुझे लिखकर देना होगा । तब मैं करूंगा ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : जी हां, मैं ऐसा करूंगा

अध्यक्ष महोदय : तब मैं देखूंगा ।

श्री जी० एम० बनातवाला : हमारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव का क्या हुआ ? **(व्यवधान)**

आप कृपया पहले निर्णय दीजिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है । हमें अपना निर्णय बताइए ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं वही बात कर रहा हूं, एक दफा करके फिर आपसे बात करते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके सामने टैकल करेंगे आप गर्म होंगे तो काम ठीक नहीं होगा ।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह तो गर्म होने की बात हो गई है, हालात ऐसे हो गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : गर्म होने से ही तो सब खराब हो रहा है, गर्म न हों तो सारा काम ठीक हो जाए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह केवल हजारीबाग का प्रश्न नहीं है । ये उपद्रव हर रोज होते ही रहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं जानता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप कृपया इस विषय पर शीघ्र चर्चा कराने का प्रबंध कीजिए ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दो बातें हैं जो मैं पूछने जा रहा हूं ।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हमारा प्वाइंट यह है कि कम्युनल सिचुएशन को प्रायोरिटी दी जाए । ·· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हाऊस करेगा तो प्रायोरिटी दी जायेगी ।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप हाऊस से पूछिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूछ रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझ पर इस प्रकार दबाव डालेंगे तो मैं इसे नहीं कर सकता; यदि आप मुझसे जबरदस्ती कुछ करवाएंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : लोग मर रहे हैं। वहां केवल पुलिस राज है (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : ऐसा इसलिए है क्योंकि जनता दल राष्ट्रीय स्वंय सेवक ताकतों का समर्थन कर रहा है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं यहां बहस नहीं चाहता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां कोई बहस नहीं होगी

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : आप पहले श्री बनातवाला से फैसला कर लें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चर्चा के लिए तैयार हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालयमें राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : आप चर्चा के लिए जो भी समय निश्चित करें हम उसके लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : आपको पहले निन्दा प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : पहले हमारे निन्दा प्रस्वाव पर विचार किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : आप पहले हमें साम्प्रदायिक स्थिति पर विचार का समय बता दें। उसके पश्चात् आप दूसरा प्रस्ताव लें।

श्री तम्पन थामस : हम श्री बनातवाला से सहमत हैं किन्तु पहले आपको निन्दा प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप साम्प्रदायिकता पर चर्चा के लिए पहले समय निर्धारित क्यों नहीं करते ? तत्पश्चात हम इस पर आगे विचार कर सकते हैं। यदि आप समय निश्चित नहीं करते तब तक ऐसे ही चलेगा।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार से इसका फैसला करूंगा ! मैं एक मिनट और लूंगा । मैं कुछ निर्णय करने का प्रयत्न कर रहा हूं । आप एक मिनट प्रतीक्षा करें ।

श्री बसुदेव आचार्य : आप इसे 4 बजे क्यों नहीं ले सकते ?

अध्यक्ष महोदय : सवाल यह है कि दो बातें करनी होंगी । पहली बात साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में है जो आप कह रहे हैं । मेरे विचार से सम्पूर्ण सभा का यही विचार है कि इस पर विचार किया जाए । इस बारे में कोई परेशानी नहीं है । दूसरी बात संवैधानिक उपबन्धों के बारे में है, जो पूरे करने हैं, अर्थात् उद्घोषणा के बारे में । इसीलिए, दो बात हैं जो मुझे करनी है । अब आप ही मुझे बताएं कि हम इसे कैसे करें ?

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : एक मार्ग यह है कि पहले आप साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करें । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उससे पहले ही हम उस पर चर्चा करेंगे ।

श्री जी० एम० बनातवाला : इस पर 4 बजे चर्चा की जाए ।

श्री बसुदेव आचार्य : हम चार बजे इस पर चर्चा कर सकते हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : चार बजे ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय : 4 बजे साम्प्रदायिक स्थिति पर और उससे पहले उद्घोषणा पर चर्चा होगी ।

श्री तम्पन थामस : निन्दा प्रस्ताव के बारे में आप क्या कहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसलिए 4 बजे साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा होगी और अब हम उद्घोषणा पर विचार करते हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में ?

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : मैं प्रक्रिया संबंधी एक मुद्दा उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन चुका हूं । मैं पहले ही सुन चुका हूं आप कहना चाहते हैं कि आप आलोचना नहीं कर सकते वगैरह ··

प्रो० मधु दंडवते : मैं जो कहना चाहता हूं मुझे कहने दें ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, ठीक है ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप मेरी बात सुनेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हालांकि मैंने आपको अनुमति नहीं दी किन्तु जो कुछ आपने कहा मैंने आपकी बात सुनी । यदि आप बार-बार कहना चाहते हैं तो कहें ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने सोचा शायद आपने इस शोर में न सुना हो ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पूरी तरह से सुन लिया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : हमें, इस सभा पटल पर रखे जाने वाले आज सुबह के पत्रों से इस अधिसूचना और अन्य बात के बारे में पता चला है। एक कठिनाई यह है कि हम इस बात के लिए उत्सुक हैं कि हमारा निंदा प्रस्ताव विचार के लिए लिया जाए और उसके प्रक्रिया संबंधी तथा राजनैतिक और संवैधानिक कारण भी हैं। एक समस्या यह है कि नियम 352 कहता है :

"बोलते समय कोई सदस्य –और तत्पश्चात प्वाइंट (i) से (iv) और (v) में कहा गया है :

आप प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप न करेगा जब तक चर्चा उचित रूप से रखे गए मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो।"

प्रश्न काल के दौरान जब मैंने कहा कि हमारे कई सदस्यों ने एक निन्दा प्रस्ताव रखा है कि राज्यपाल के पक्षपात पूर्ण रवैये के कारण उसकी निन्दा की जानी चाहिए और उसे राज्यपाल के पद से हटा दिया जाना चाहिए, तो आपने कुछ टिप्पणी की थी। किन्तु, इसके लिए यदि मैं इसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं, हम सभी इसकी कड़ी निन्दा करना चाहते हैं किन्तु यदि आप केवल मंत्री महोदय को अनुमति देते हैं और हमारा प्रस्ताव बाद में रखते हैं तो नियम 352 आड़े आएगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : कैसे ?

प्रो० मधु दण्डवते : प्रो० रंगा आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार। इस नियम 352 के अन्तर्गत हम उच्च प्राधिकार वाले किसी व्यक्ति के आचरण पर आक्षेप तभी कर सकते हैं जब यह मूल प्रस्ताव पर आधारित हो। आम बहस में हम उनके आचरण पर आक्षेप नहीं कर सकते और इसलिए यदि माननीय मंत्री महोदय एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो यह एक मूल प्रस्ताव का स्थानापन नहीं हो सकता, जो कि हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम राज्यपाल की अपनी निन्दा के अपने अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं और उनके पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण उन्हें हटाने की मांग करना चाहते हैं। इसलिए, केवल यह कहना कि मंत्री महोदय एव प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और हम सब उसमें भाग लेंगे, पर्याप्त नहीं है।

दूसरे, एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया संबंधी मुद्दा भी मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। हमारे पास यहां शुक्रवार का कार्यवाही वृत्तांत है। (**व्यवधान**)

यह शुक्रवार का कार्यवाही वृत्तांत है :

"**श्री बी० आर० भगत** (आरा) : आप गलत न समझें। वे संसदीय कार्य मंत्री नहीं हैं।"

श्री बी० आर० भगत (आरा) : मुझे बाद में बोलने की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : क्या हम 6 बजे के बाद भी चर्चा जारी रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, हम सोमवार को जारी रखेंगे।"

उपाध्यक्ष महोदय ने यही कहा था।

श्री सोमनाथ चटर्जी बोलपुर) : सभापति ने यह कहा था। (व्यवधान)

अध्य - महोदय : आप बीच में क्यों बोल रहे है ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, काफी सोच विचार के बाद, यह जानते हुए कि यह गैर-सरकारी सदस्यों का दिन है, और सामान्यत: हम बार-बार समय बढ़ाने के लिए नहीं कहते, इसलिए, यह निर्णय लिया गया। एक बार जब निर्णय दिया गया बहुत से सदस्य 6 बजे से पहले जा चुके थे। कुछ और सदस्य 6 वजे के आस-पास चले गए। हमें यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि कर्नाटक की स्थिति के बारे में यह मद इतनी गुप्त रूप से आ जाएगी।(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) खड़े हुए—

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया ठहरिए, में अपनी बात कह रहा हूं। हम दोनों अपनी बात एक साथ नहीं कह सकते। हम दोनों एक साथ नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) . एक मिनट ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बीच में गड़बड़ न करें। आप बैठ क्यों नहीं जाते ?

[हिन्दी]

आप क्यों गड़बड़ कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : महोदय, "गुप्त रूप से" शब्द असंसदीय है ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पुरुषोत्तमन, आप कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, जब वह वहां बैठते हैं तभी सभापति है, अब नहीं ··(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष के निर्णय के पश्चात हम उनकी बात को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितनी की अध्यक्ष महोदय की। जब उन्होंने यह कहा कि 6 बजे के पश्चात कोई कार्यवाही नहीं होगी बहुत से सदस्य बाहर चले गए, विपक्ष के तीन या चार सदस्य ही उपस्थित थे, उन्होंने चुपचाप तीन बार, 6 बजे, 6.30 बजे और 7 बजे समय बढ़ाया। और रात को 8 बजे के बाद—वह हमेंशा रात के अन्धेरे में काम करना पसंद करते हैं—उन्होंने चुप चाप यह घोषणा कर दी··· (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह सभा का निर्णय था गुप्त ढंग से नहीं ·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें टोकिए नहीं। आप मेरा स्थान लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ? मैं अपना निर्णय लूंगा आप नहीं श्री चार्ल्स आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा आरोप आपके खिलाफ नहीं है, अपितु सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध है··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : अध्यक्ष जी, यह पार्लियामेंट है कि पंचायत घर है ।

अध्यक्ष महोदय : इसे कुछ ज्यादा ही कर रखा है आपने ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, इसलिए इस स्थिति के अन्तर्गत ···(**व्यवधान**)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : क्या इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जा रहा है ?···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा विचार है कि वह एक मंत्री है···(व्यवधान) इसलिए मैं आपको यह कह रहा था कि उस समय···(**व्यवधान**)

प्रो० पी० जे० कुरियन : "क्लेनडोस्टाईन" शब्द का प्रयोग करना सभा का अपमान करना है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात में व्यवधान मत डालिए ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, "क्लेनडेस्टाईन" शब्द कतई असंसदीय नहीं है···(**व्यवधान**) सचिवालय द्वारा प्रकाशित सूची में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि "क्लेनडेस्टाईन" शब्द असंसदीय है । विश्व के सभी भागों में "क्लेनडेस्टाईन" शब्द का प्रयोग किया जाता है ··(**व्यवधान**) इसलिए उस अवसर पर हम जो कुछ कहना चाहते थे, अनुपस्थित होने के कारण हमें वह मौका नहीं मिला । राज्यपाल के आचरण पर चर्चा करने सम्बन्धी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकारी प्रस्ताव को प्राथमिकता दी गई है जबकि हम उनकी निन्दा करने और उन्हें हटाने के लिए बहुत उत्सुक हैं ·· (**व्यवधान**) मैं राज्यपाल को हटाने की बात कर रहा हूं, आपका जिक्र नहीं किया गया है··· (**व्यवधान**) इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना विनिर्णय दें ताकि राज्यपाल के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पर चर्चा करने का हमारा अधिकार ··(**व्यवधान**)

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, उपाध्यक्ष महोदय ने कल 3.30 म० प० पर फिर कहा था कि "आप सोमवार को अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।"···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है । आप जबरदस्ती क्यों बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : निश्चित रूप से नहीं । मैंने आपको अनुमति नहीं दी है और मेरी अनुमति के बिना आपको नहीं बोलना चाहिए ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, संसद में हमारे वरिष्ठ साथी, माननीय प्रो० मधु दंडवते द्वारा की गई टिप्पणियां भ्रामक तथा आश्चर्यजनक हैं···(**व्यवधान**) घोषणा उस दिन की गई थी । यह सही और उचित था कि सरकार

उस घोषणा को उसी दिन सभा पटल पर रखे। ऐसा करने पर हमें अब दोष दिया जा रहा है······ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब बैठ जाइये। उनकी बात में व्यवधान मत डालिए। श्री तम्पन थामस जी, बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, आपको अपने सदस्यों पर नियन्त्रण रखना चाहिए। यह बहुत अनुचित है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसी तरह जबरदस्ती करते रहे तो मैं आपको नाम लेकर पुकारूंगा··

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : दूसरा प्रश्न यह है कि 6 बजे हमने ऐसा क्यों नहीं किया, और उनके अनुसार, यह गुप्त रूप से किया गया था ·· (व्यवधान) महोदय, "क्लेनडेस्टाइन" शब्द निश्चित रूप से असंसदीय नहीं है। मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि श्री मधु दंडवते द्वारा रखे गए सभी तर्क बिल्कुल गुप्त··· (व्यवधान) मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। फिर, यह कहना भी गलत है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। उनके साथी जानते थे और मैं श्री जयपाल रेड्डी तथा कुछ अन्य लोगों की प्रशंसा करता हूं। वे दो या तीन सभी खड़े हो गए थे और उन्होंने बहुत साहसपूर्वक इसका विरोध किया था··· (व्यवधान) और सभा की बैठक की अवधि बढ़ाना कोई असाधारण बात नहीं है। उनके दूसरे तर्क के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि घोषणा पर चर्चा के लिए यह प्रस्ताव ही एक मूल प्रस्ताव है और प्रो० मधु दंडवते को अपनी टिप्पणियां करने पर किसी ने भी मना नहीं किया है। घोषणा पर मतदान भी होना है। पूर्ण अवसर मिलेगा। चाहे उनका तर्क कुछ भी है उसमें कोई औचित्य नहीं है। स्वीकृत मानदंडों के अनुसार सरकारी प्रस्ताव को वरीयता मिलती है और इसे वरीयता मिलनी चाहिए ·· (व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : जो सदस्य शुक्रवार को सभा में उपस्थित थे, आप उन्हें अनुमति क्यों नहीं देते। मुझे एक बात कहने की अनुमति दीजिए। मन्त्री सभा को भ्रमित कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय की इस घोषणा के बाद कि सभा 6.00 म० प० के बाद नहीं बैठेगी ··

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में सुना है ··यह सब व्यर्थ है। आप सभा का समय बरबाद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : सत्तापक्ष के सभी सदस्य, जो दिल्ली में थे, निर्देश मिलने पर सभा में उपस्थित थे। (व्यवधान) सत्तापक्ष के सभी सदस्यों को सभा की अवधि बढ़ाने की सूचना दी गई थी··· (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : प्रस्ताव के प्रक्रियात्मक मुद्दे पर मैं भी निवेदन करना चाहता हूं। इस सभा में निरन्तर इस परम्परा का अनुसरण किया गया है कि जब कभी अवधि बढ़ाई जाती है, अथवा जब कभी हम मध्याह्न भोजन के समय भी सभा की बैठक जारी रखना चाहते हैं, सत्तापक्ष तथा विपक्ष दोनों तरफ से इस पर सहमति होती है। मैं जानना चाहता हूं कि घोषणा पर

हस्ताक्षर किस समय हुए थे ! यदि घोषणा पर हस्ताक्षर 6.00 म० प० से पहले हुए थे तो श्री भगत को इस सभा को यह बता देना चाहिए था कि घोषणा पर हस्ताक्षर हो गये हैं और ईमानदारी के साथ वे इसे सभा में रखना चाहते हैं और इसलिए, वे सभा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं। वास्तव में, मैंने कार्यालय से पूछताछ की थी। मेरे दल के एक सदस्य विदेश मंत्रालय के वाद-विवाद में हिस्सा लेना चाहते थे। मुझे बताया गया था कि गैर-सरकारी सदस्यों के मामलों के बाद सभा का समय नहीं बढ़ाया जायेगा। मैंने उन्हें बताया कि उन्हें आने की जरूरत नहीं है। हमें यह नहीं बताया गया था कि सभा की बैठक की अवधि बढ़ाई जाएगी। यह कैसे बढ़ाई गई थी ? क्या आप सभा की अवधि मत विभाजन द्वारा बढ़ाना चाहते हैं ? यदि सभा की अवधि मत विभाजन द्वारा बढ़ाना चाहते हैं ? यदि सभा की अवधि मत विभाजन द्वारा बढ़ाई जाती है तो यह खतरनाक पूर्वोदाहरण होगा, इस सभा में ऐसा कभी नहीं किया गया ··(व्यवधान) दूसरी बात यह कि हमारे मूल प्रस्ताव को लिया जाना चाहिए क्योंकि यदि घोषणा को स्वीकृति दे दी जाती है तो मूल प्रस्ताव अर्थहीन होगा। इसलिए मूल प्रस्ताव को घोषणा पर वरीयता मिलनी चाहिए। यह खतरनाक उदाहरण है जिसका उन्होंने अनुसरण किया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री सिंह को अनुमति दे चुका हूं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना) : प्रोफेसर, जिनकी संख्या दो है, भाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश, हर समय अपनी बात मनवाने में सफल हो जाते हैं। आज प्रश्नकाल में शान्ति नहीं रखी जा सकी क्योंकि प्रो० दंडवते कार्यवाही को तत्काल शुरू होने देना नहीं चाहते थे और अपनी बात कहना चाहते थे ··(व्यवधान) परन्तु सभा का समय व्यर्थ गया। मत-विभाजन हुआ। उसके अतिरिक्त एक वरिष्ठ सांसद होने के नाते प्रोफेसर काफी हाजिर जवाब रहे हैं। परन्तु कभी-कभी वह विषय से हट जाते हैं। वह फिर सभा का समय बरबाद कर रहे हैं ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह वहां ठीक हैं—अब नहीं परन्तु तब।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : महोदय, इससे पहले कि साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा के लिए फिर दबाव पड़े, क्योंकि देश का अस्तित्व बनाए रखना है, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। मैंने एक चर्चा के लिए नोटिस दिया है जो इस देश के अस्तित्व का आधार है और जो सभा के समक्ष नहीं आ रहा है, जो शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 के सम्बन्ध में है। मैंने आधे घंटे की चर्चा के लिए कहा है···(व्यवधान) यदि राष्ट्र की गोपनीय बातें प्रकट हो जाती हैं तब यह होता है कि देश की सुरक्षा को ही खतरा हो जाता है···(व्यवधान) मैं केवल यही कहूंगा कि इस सभा के नियम हैं कि जब आप खड़े होते हैं तो एक व्यक्ति से अधिक को खड़ा नहीं होना चाहिए। जब एक मन्त्री बोल रहा होता है तो कांग्रेस पक्ष का कोई भी सदस्य खड़ा नहीं होता है, परन्तु यदि बोलने वाला विपक्षी सदस्य होता है तो पूरा विपक्ष ही चर्चा चाहता है। उस समय नेता कौन होता है, क्या वे स्वयं पर नियन्त्रण नहीं रख सकते और सभा के नियमों तथा प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर सकते ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब जो कुछ वहां हो हो रहा है, मैं सब कुछ सुन चुका हूं ·····(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया, रूलिंग देने दीजिए।

[अनुवाद]

अब मुझे विनिर्णय देने दीजिए······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या अब कुछ और बात बाकी है ?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमने एक स्थगन प्रस्ताव भी रखा है··· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया साहब ।

श्री बसुदेव आचार्य : कहां सुने हैं आप ?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है । नियम 352 देखिए··· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने देखा है ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी नहीं, महोदय । संसदीय कार्य मन्त्री, श्री भगत ने क्या कहा है ? उन्होंने कहा है कि एक सरकारी प्रस्ताव पर एक राज्यपाल के आचरण पर चर्चा की जा सकती है । ऐसा कैसे हो सकता है ? नियम में कहा गया है : "· जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो—"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उसी पर तो मैं रूलिंग देने जा रहा हूं ।

[अनुवाद]

मैं इसी बात पर तो अपना विनिर्णय देने जा रहा हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है । मैं जानना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत ही मौलिक मुद्दा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या सभा को नियमित समय के बाद सत्ता पक्ष के प्रचण्ड बहुमत का प्रयोग करके सरकार की नीति के प्रति विपक्ष को अन्धकार में रखकर सभा की बैठक को जारी रखा जायेगा ? क्या इस ढंग से सभा को चलाना चाहिए । यह एक मौलिक प्रश्न है । हम यह जानना चाहते हैं··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं । मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं । मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे अपना विनिर्णय देना है···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् जी, इधर देखिये । प्रश्न यह है···

(**व्यवधान**)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, मैंने अपना प्रस्ताव रखा है···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फिर वही गड़बड़ हो जाती है । आ गए मेरे पास ।

[**अनुवाद**]

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय मैंने अपना प्रस्ताव पेश किया है और वह कर्नाटक में विद्यमान स्थिति के बारे में है ··(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् जी, आपने मुझसे यही कहा है कि आपने अपना प्रस्ताव रख दिया है···

(**व्यवधान**)

श्री सी० माधव रेड्डी : यह निंदा प्रस्ताव है, जिसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए । यहां तक कि उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव भी हमारे समक्ष नहीं रखा गया है । अब कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है । अतः उस प्रस्ताव को स्वीकार करने और उस पर चर्चा का प्रश्न ही नहीं उठता···(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : उद्घोषणा के अनुमोदन का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान्, यह प्रस्ताव रखा गया है । ऐसा प्रस्ताव है ··

(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अतः राज्यपाल के आचरण की निंदा किए जाने के हमारे प्रस्ताव पर पहले चर्चा की जानी चाहिए । उन्होंने अनुमोदन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा है, उन्होंने केवल दो अधिसूचनाएं रखी हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह केवल सभा-पटल पर रखने के लिए है ।

प्रो० मधु दंडवते : अपने प्रस्ताव के लिए पूर्वाधिकार प्राप्त करने के लिए ही केवल उन्होंने हमारे प्रस्ताव से पहले अपना प्रस्ताव सभा पटल पर रखा है···(**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, अपने प्रस्ताव को सभा-पटल पर रखने के लिए उन्होंने बाद में सोचा है । (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए । मैंने सुन लिया है ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : और क्या सुनूं ।

श्री बसुदेव आचार्य : आप सुनिए तो ।

अध्यक्ष महोदय : कोई नई बात नहीं है ।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमने एक प्रस्ताव रखा है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इसी तरह बाध्य करते रहे, तो मैं क्या कर सकता हूं ।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने अभी-अभी कहा है—मानो हमें तथ्य की जानकारी हो—कि राष्ट्रपति ने उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं और गृह मंत्री इस सभा में वक्तव्य देंगे । मुझे इस तथ्य की जानकारी नहीं थी क्योंकि राष्ट्रपति जी से मुलाकात के समय हमने उन्हें कुछ दिन प्रतीक्षा करने के लिए कहा था ।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री बसुदेव आचार्य : हमने उन्हें कुछ दिन रुकने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि विधान सभा का सत्र शुरू होने वाला था और बहुमत का निर्धारण सभा में ही किया जाना चाहिए ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए । मैंने सुन लिया है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बोल चुके हैं । अब आप अपनी सीट पर बैठिए ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उपाध्यक्ष महोदय ने सभा की समयावधि दो बार बढ़ाई ।

अध्यक्ष महोदय : आप वह मुद्दा बार-बार क्यों उठा रहे हैं ?

श्री बसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय ने जो कुछ कहा है मैं वह उल्लेख करना चाहता हूं, कि सभा की बैठक की समयावधि और नहीं बढ़ायी जाएगी । उन्होंने ऐसा क्यों कहा ?

अध्यक्ष महोदय : एक बात को दोहराने का क्या फायदा है ?

श्री बसुदेव आचार्य : हमने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है । हम राज्यपाल के आचरण पर चर्चा करना चाहते हैं कि उन्होंने कैसा कार्य किया और हमने कर्नाटक के राज्यपाल को हटाए जाने की मांग की है । उनकी कार्यवाही पक्षपातपूर्ण है । कर्नाटक में लोकतन्त्र की हत्या की गई है । अतः हम चाहते हैं कि हमारे प्रस्ताव पर पहले चर्चा कराई जाए क्योंकि सरकार ने कोई प्रस्ताव परिचालित नहीं किया है । अतः हमें अपना प्रस्ताव पहले रखने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् अनिल बसु, आपके नेता पहले ही इस मुद्दे के बारे में कह चुके हैं । अब आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, शुक्रवार को मैंने और श्री जयपाल रेडडी ने उपाध्यक्ष महोदय से पूछा था सदन की बैठक का समय क्यों बढ़ाया जा रहा था । उन्होंने कहा कि ऐसा केवल विदेश मंत्रालय की अनुदानों पर चर्चा करने के लिए किया गया था । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कर्नाटक के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा का निरानुमोदन किए जाने के बारे में कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुझे उद्घोषणा के अनुमोदन से संबंधित सरकारी प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है।

कुछ माननीय सदस्य : कहां से ?

अध्यक्ष महोदय : पहले मेरी बात सुनिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपको वह प्रस्ताव कहां से प्राप्त हुए ?

अध्यक्ष महोदय : पहले आप मेरी बात सुनिए। आप हर वक्त मेरी बात में बाधा डालते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि सरकारी प्रस्ताव को हमेशा वरीयता दी जाती है, मैं उनके प्रस्ताव को अनुमति देता हूं।

पहले जो मैं कह रहा हूं, वह सुनिए। आप लोग चुप क्यों नहीं बैठ सकते ? प्रश्न यह है, मुझे मेरे अन्य मित्रों से भी नोटिस मिला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे श्री मधु दंडवते और अन्य सहयोगियों से भी नियम 184 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव का नोटिस मिला है और उन्होंने......के बारे में प्रश्न पूछा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझे मूल प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब सुनिए। एक मिनट के लिए चुप हो जाइए। मैं आपके मुद्दे पर विचार करूंगा। यह क्या हो रहा है ?

वे इस बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं कि क्या वे राज्यपाल के आचरण के बारे में आलोचना कर सकते हैं या नहीं—क्या यह ठीक है ?...और क्या नियम 352 उनके रास्ते में बाधक है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम सरकार की निंदा करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी यही कहा है। किन्तु मेरा विनिर्णय है......

श्री एस० जयपाल रेड्डी : ...**...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको यह कहते हुए शर्म आनी चाहिए। आपको ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। यह आपके लिए बहुत अपमानजनक और असंसदीय है। मैं इसकी निंदा तथा भर्त्सना करता हूं। यदि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : हम चाहते हैं कि हमारे निरानुमोदन के प्रस्ताव पर मत-विभाजन कराया जाए। आपको हमें हमारे प्रस्ताव पर मत-विभाजन का अवसर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह मूल प्रस्ताव है, यह भी मूल प्रस्ताव है और मैं आपको अनुमति देता हूं कि आप इस प्रस्ताव के बारे में जो चाहें कह सकते हैं और मत विभाजन करा सकते हैं। मुझे इतना

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

ही कहना है। आप मत-विभाजन करा सकते हैं और जिन शब्दों में चाहें निंदा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

12.42 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र-[जारी]

कर्नाटक राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा तथा उक्त उद्घोषणा के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश के बारे में अधिसूचनाएं तथा कर्नाटक के राज्यपाल का प्रतिवेदन तथा संदेश

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : महोदय, सरदार बूटा सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 460 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 21 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के बारे में है।

(दो) अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 461 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 21 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उप खण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश के बारे में है।

(2) कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए 19 अप्रैल, 1989 के प्रतिवेदन तथा सन्देश की एक प्रति।

(व्यवधान)

[इस समय श्री अनिल बसु और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा-पटल के निकट खड़े हो गए]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अमलदत्ता—अनुपस्थित। श्री आर० एस० स्पैरो

12.43 म० प०

लोक-लेखा समिति

152वां, 153वां, 154वां और 160वां प्रतिवेदन

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिंदी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कर वसूली के लिए कुर्क की गई स्थावर सम्पत्ति के निपटान के संबंध में 95वें प्रतिवेतन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में एक सौ बावनवां प्रतिवेदन।

(2) "पैलेस ऑन व्हील्स"—विशेष पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में 89वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में एक सौ तिरपनवां प्रतिवेदन।

(3) ढलवां लोहे के निर्यात के लिए नकद सहायता के संबंध में 75वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में एक सौ चौवनवां प्रतिवेदन।

(4) नेशनल बुक ट्रस्ट के सम्बन्ध में 99वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में एक सौ साठवां प्रतिवेदन।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। आप हमें इसका अवसर दें...

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रस्ताव में आपको सरकार की निन्दा करने की अनुमति दूंगा।

श्री तम्पन थामस : प्रस्ताव को मतदान द्वारा अस्वीकृत करना तथा सरकार की निन्दा करना दो अलग-अलग बातें हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति दी है। मैंने आपको नियम 352 के अन्तर्गत अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : हमारा निन्दा प्रस्ताव पहले आना चाहिए। (व्यवधान)

12.44 म० प०

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1986-87

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : महोदय, मैं 1986-87 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

12.44½ म० प०

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक*

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

नियम 69 के परन्तुक के अन्तर्गत मुझे सदन की जानकारी में यह बात लानी है कि विधेयक का खण्ड 2, जो भारत की समेकित निधि से व्यय के बारे में है, मोटे अक्षरों में छापा जाना चाहिए था।

*दिनांक 24.4.1989 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति दी है। मैंने आपकी बात सुनी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप वैसे ही इन्टरवीन कर रहे हैं। यहां खड़े होना आपको अच्छा लगता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : हम इस सरकार की निन्दा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार से काम नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सन्तोष मोहन देव।

———

12.47 म० प०

कर्नाटक राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

कर्नाटक के राज्यपाल के व्यवहार के बारे में प्रस्ताव

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 21 अप्रैल, 1989 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

कर्नाटक के राज्यपाल ने दिनांक 19 अप्रैल, 1989 के अपने पत्र में सूचित किया है कि सत्ताधारी जनता पार्टी में विघटन हो गया है तथा जनता दल के गठन के कारण टकराव की स्थिति

[श्री संतोष मोहन देव]

उत्पन्न हो गई है। **(व्यवधान)** 139 विधायकों में से, अध्यक्ष सहित 112 विधायकों ने जनता दल का गठन कर लिया है तथा श्री देवे गौड़ा के नेतृत्व में 27 विधायक अभी भी जनता पार्टी में हैं। राज्यपाल ने आगे यह भी बताया है कि जनता दल के गठन के दौरान कई सदस्यों को जनता पार्टी से जनता दल में शामिल करने के लिए अनैतिक तरीके अपनाए जाने की सूचना भी मिली है। **(व्यवधान)** 1.2.1989 को, जब जनता दल को विधान सभा में मान्यता दी गई, तो इसके सदस्यों की संख्या 111 थी। इसके अतिरिक्त, 7 निर्दलीय सदस्यों ने भी जनता दल की सरकार को अपना समर्थन दिया था। **(व्यवधान)**

राज्यपाल महोदय ने आगे बताया कि विधान सभा में जनता दल के 18 सदस्य तथा भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने उन्हें लिखा है कि उन्होंने श्री एस० आर० बोमई के नेतृत्व में जनता दल की सरकार को अपना समर्थन देना बन्द कर दिया है। राज्यपाल ने उनके हस्ताक्षरों की जांच की है। यह समर्थन वापस लेने से जनता दल के सदस्यों की संख्या 118 (7 निर्दलीय विधायकों सहित) से कम होकर अल्पमत में हो गई। कर्नाटक विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 225 है; अध्यक्ष को छोड़कर, दो रिक्त स्थानों सहित प्रभावी संख्या 222 थी। राज्यपाल के अनुसार, इसलिए श्री एस० आर० बोमई के नेतृत्व वाली सरकार का सदन में बहुमत नहीं रहा **(व्यवधान)** तदनुसार राज्यपाल ने अपने को आश्वस्त किया कि राज्य में व्याप्त परिस्थितियों के अनुसार, कर्नाटक में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें, संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्य की सरकार नहीं चलाई जा सकती। राज्यपाल ने इस बात का भी उल्लेख किया कि राज्य में और कोई दल भी सरकार बना सकने की स्थिति में नहीं था। इसलिए, राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत कार्यवाही करने तथा राज्य विधान सभा भंग करने की सलाह दी। **(व्यवधान)**

राज्यपाल ने आगे यह सन्देश भी भेजा कि राज्य में वातावरण खराब है और विधायकों की खरीद-फरोख्त कर धंधा भी चल रहा है और कुछ सदस्य, जिन्होंने बोमई सरकार को अपना समर्थन वापस लेने वाले पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उन पर अपना निर्णय बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। राज्यपाल ने इस बात पर बल दिया कि उन्होंने यह रिपोर्ट भेजते समय अपने आपको संतुष्ट कर लिया है कि श्री एस० आई० बोमई की सरकार को राज्य विधान सभा में बहुमत का समर्थन नहीं है। **(व्यवधान)**

कर्नाटक के राज्यपाल की रिपोर्ट और राज्य में व्याप्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत के राष्ट्रपति ने 21 अप्रैल, 1989 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत एक उद्घोषणा जारी की और राज्य विधान सभा को भंग कर दिया। **(व्यवधान)**

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 21 अप्रैल, 1989 को जारी की गई उद्घोषणा पर इस पुनीत सदन का अनुमोदन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि यह सभा कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 21 अप्रैल, 1989 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या आपने प्रो० मधु दंडवते को उनका प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी है या आप केवल सरकारी प्रस्ताव की अनुमति दे रहे हैं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीत जी, मैंने ऐसा बोला है कि यह भी सबसटेंटिव मोशन है। आप जो कुछ करना चाहें, इस पर कर लें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह भी वही बात है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक निन्दा प्रस्ताव नहीं रखा जाता··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, आपको इसकी पूरी छूट है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैंने राज्यपाल के व्यवहार का जिक्र किया है।

श्री राजकुमार राय (घोसी) : आपने किस नियम के अन्तर्गत यह प्रस्ताव अस्वीकृत किया है ?

श्री दिनेश गोस्वामी : हम राज्यपाल के विरुद्ध एक विशेष प्रस्ताव पर मतदान चाहते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। नियम 352 के अन्तर्गत जब तक कि मैं प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता, मुझे राज्यपाल के आचरण का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में जो कुछ मैं कर रहा था वह भी यही बात थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिये। विचारों में कोई भेद नहीं है। यह देखिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़ी देर भी शांत नहीं रह सकते।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसमें इससे अधिक कुछ भी नहीं है। यह वही बात है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फिर वही शुरू कर दिया। मेरी बात तो सुन लीजिए। आप यही तो गड़-बड़ी करते हैं कि शांति नहीं रख सकते। हिम्मत कहने की होनी चाहिए तो हिम्मत सुनने की भी होनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इसी में बात बनती है तो आप कहें कि आपका भी मोशन मूव हो। मैं दोनों को अलाऊ कर देता हूं। इसमें कोई झगड़ा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बेलट कर लें, जिसका नाम आएगा, उससे हो जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या प्वाइंट आफ आर्डर है?

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया इसे परिचालित कीजिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यही मैं कह रहा था आपको। अगर आज ही सुरक्षा करना चाहें तो आज ही कर लें। वरना कल कर लेंगे। अगर आपको सहूलियत हो तो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दंडवते।

प्रो० मधु दंडवते : प्रस्ताव यह है कि यह सभा कर्नाटक के राज्यपाल के सुस्पष्ट पक्षपातपूर्ण व्यवहार की निन्दा करती है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसमें आपका भी नाम है। लेकिन बेलट करना है। यही मैं कह रहा था कि कल कर लेते हैं। बेलट भी करना है। दोनों चीजें हो जायेंगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, एक मिनट। बैलट कर लेते हैं, जिसका नाम निकलेगा, उससे हो जायेगा। प्रो० साहब, अभी बैलट नहीं किया है।

[अनुवाद]

हमें कुछ करना है। आप इसे कल कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह आज ही किया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : इस पर कोई भी आपत्ति नहीं कर रहा है। यह एक तकनीकी मुद्दा है। हम सभी इस पर सहमत हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कर लेते हैं, आपको बाद में टर्न मिलेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बैलट हो गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश गोस्वामी ··

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कल्याण मंत्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम बोलती हूं, लेकिन आज एक बात कहना चाहती हूं। जो लोग यहां पर प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग शोर क्यों कर रहे हैं। सही बात बहुत कड़वी लगती है। इनकी बात कड़वी क्यों लगती है, मीठी लगनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इनको बोलने दीजिए।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि अभी जो कुछ इन्होंने किया, क्या वह प्रजातांत्रिक था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, आपने मेरे नाम से ड्रा निकाला इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं क्योंकि पहली बार मुझे बैलेट में वरीयता प्राप्त हुई है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज से नक्शा बदला कि नहीं आपका ?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्योंकि उनकी सरकार अगला लक्ष्य होगी। वह बहुत चुस्त हैं। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : वे उसके लिए योजना बना रहे हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य के मुख्यमंत्री को विधान सभा में अपना बहुमत प्रदर्शित करने के लिए अवसर दिए बिना राज्य सरकार के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल के सुस्पष्ट पक्षपातपूर्ण व्यवहार की निन्दा करती है और कर्नाटक के राज्यपाल को उनके पद से तत्काल हटाने की मांग करती है।"

क्या मैं अपना भाषण दोपहर के भोजन के पश्चात् जारी रखूं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दोनों को साथ ही चलने देते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, लंच के बाद कर लेते हैं, काफी थक गए होंगे आप, लंच करके आइए।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मैं केवल एक मिनट लूंगा। मैं एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं क्योंकि यह पूर्वोदाहरण न बन जाए। मुझे शुक्रवार को पहली बार यह बताया गया, जब मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, आपने कहा था : "इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है" आपने यह नहीं कहा था कि आपने इसे अस्वीकृत कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मेरे पास कार्यवाही वृत्तान्त है। इसलिए, आपके कार्यालय ने यह जान लिया है कि मेरा प्रस्ताव पहले ही अस्वीकृत हो चुका है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उस वक्त ऐसा था प्रो० साहब, उस वक्त कोई चीज थी नहीं। अब तो कर दिया है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : आप इसका पक्ष ले रहे हैं। मैं यह नहीं चाहता। भविष्य में इसे उदाहरण मत बनाइए। मेरे प्रस्ताव के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है, अगर नहीं होता तो क्या होता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित करता हूं।

12.58 म० प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.04 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.04 म०प० पर पुन: समवेत हुई

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

कर्नाटक राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प—[जारी]

और

कर्नाटक के राज्यपाल के व्यवहार के बारे में प्रस्ताव--[जारी]

सभापति महोदय : श्री दिनेश गोस्वामी बोलेंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : सभापति महोदय मुझे खेद है कि जब हम प्रजातन्त्र की हत्या पर चर्चा कर रहे हैं तो आपको इस बैठक की अध्यक्षता करनी पड़ रही है। मध्याह्न भोजन के ठीक पहले मुझे एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार मिला था ··(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : शोक सभा की अध्यक्षता किसी को तो करनी पड़ती है।

श्री दिनेश गोस्वामी : ·· जिसमें कर्नाटक विधान सभा को भंग करने के लिए सिफारिश करने के उनके असंवैधानिक कार्य हेतु राज्यपाल, श्री पी० वैंकटसुबैया की निन्दा की गई थी। अनुच्छेद 356 का प्रावधान तथा राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले प्रावधान ऐसे प्रावधान हैं जिनका व्यापक स्तर पर दुरुपयोग किया गया है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष यह शिकायत कर रहा है, परन्तु आनुक्रमिक आयोगों, समितियों और यहां तक कि सरकारिया आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में बहुत से उदाहरण दिये हैं जहां अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया था और यहां तक कि इसका उपयोग केन्द्र में सत्तारूढ पार्टी द्वारा तुच्छ दलगत स्वार्थों के लिए किया गया था। सरकारिया आयोग ने 75 मामलों की एक तालिका दी है और मेरे विचार में अब यह संख्या बढ़कर 80 हो गई है और जिस ढंग से राजीव सरकार चल रही है शायद अगले चुनाव तक इनकी संख्या 100 हो सकती है। मेरे मन में कोई शक नहीं है और विपक्ष के मन में कोई शक नहीं है कि अगला निशाना आन्ध्रप्रदेश तथा असम में गैर कांग्रेसी सरकारें होंगी पश्चिम बंगाल तथा हरियाणा सरकारें भी हो सकती हैं। मेरे मन में यह भी शक नहीं है कि लोगों की वही प्रतिक्रिया होगी जो एन० टी० आर० मंत्रीमंडल को गिराने के बाद आन्ध्र प्रदेश के लोगों में हुई थी। कर्नाटक विधानसभा को भंग करके उनको जो अस्थाई लाभ हुआ है, उन्हें कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी बहुत महंगी कीमत चुकानी होगी।

[श्री दिनेश गोस्वामी]

महोदय सरकारिया आयोग ने 13 मामलों का उल्लेख किया है जिनमें निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए अनुच्छेद 356 या संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग किया गया था। मैं उन सभी मामलों का उल्लेख नहीं करना चाहता। किन्तु सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 177 पर यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अन्दरूनी विवादों के समाधान के लिए भी अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था।...

एक माननीय सदस्य : अन्दरूनी विवाद।

श्री दिनेश गोस्वामी :... कांग्रेस पार्टी के अन्दरूनी विवाद। इसलिए सरकारिया आयोग ने बहुत ही सोच समझकर राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में, राज्यपालों का चयन करने के लिए उनकी योग्यताओं के संबंध में, नियुक्ति के तरीके के संबंध में और भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के संबंध में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। मैं सभी पक्षों की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी। किन्तु मैं सरकारिया आयोग की सिफारिशों के पृष्ठ 136 पर दिए गए प्वाइंट संख्या 4.1613 में सरकारिया आयोग द्वारा की गई एक सिफारिश का हवाला विशेष रूप से अवश्य दूंगा। इसमें कहा गया है : "जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो तो बहुमत के प्रश्न का परीक्षण सदन में किया जाना चाहिए। यदि विधान सभा की सत्रावसन अवधि के दौरान राज्यपाल को इस बात के विश्वसनीय प्रमाण मिलते है कि मंत्री परिषद् अपना बहुमत खो चुका है तो उसे संविधानिक औचित्य के तौर पर तब तक मंत्री परिषद को बर्खास्त नहीं करना चाहिए जब तक कि सभा सदन में विश्वास की कमी को अभिव्यक्त न करे। उसे मुख्यमंत्री को यथासंभव शीघ्र सभा बुलाये जाने की सलाह देनी चाहिए ताकि बहुमत का परीक्षण किया जा सके।" इसमें आगे कहा गया है कि जब तक बजट पास करने आदि जैसा कोई आवश्यक कार्य न किया जाना हो तब तक सामान्यत: मुख्यमंत्री को सभा बुलाने के लिए 30 दिन की अवधि का समय दिया जाना युक्ति युक्त होगा। इसलिए सरकारिया आयोग की सिफारिश अत्यधिक स्पष्ट है कि सभा का सत्र जारी हो तो राज्यपाल को इस बात का पता लगाने का काम अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए कि किसी मंत्री परिषद् का सदन में बहुमत है या नहीं। यह कार्य स्वयं संसद पर छोड़ दिया जाना चाहिए और यदि विधान सभा का सत्रावसान किया गया हो—यदि मैं सही हूं मुझे बताया गया है कि कर्नाटक में विधान सभा का सत्रावसान नहीं किया गया था बल्कि इसे केवल स्थगित किया गया था—तो भी राज्यपाल को यह सुनिश्चित करने का कार्य अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए कि मंत्री परिषद का बहुमत है या नहीं। उसे मुख्यमंत्री को विधान सभा का शीघ्र ही सत्र बुलाने के लिए कहना चाहिए और सरकारिया आयोग के अनुसार 30 दिन उपयुक्त समय है जिसके भीतर विधान सभा बुलायी जानी चाहिए। कर्नाटक में विधान सभा का सत्रावसान नहीं किया गया था बल्कि इसे स्थगित किया गया था और यदि समाचार पत्रों की रिपोर्ट सही है--और मुझे उन पर संदेह नहीं है—मुख्यमंत्री ने उस माह की 27 तारीख को सभा बुलायी थी। विधान सभा को भंग करने के बजाय यदि राज्यपाल विधान सभा के अन्तिम निर्णय के लिए 27 तारीख तक रुक जाते तो कोई आसमान नहीं गिर जाता। यह तथ्य कि केन्द्र सरकार ने 27 तारीख तक प्रतीक्षा नहीं की, विधान सभा को अपना निर्णय देने का अवसर नहीं दिया कि क्या

बोमई सरकार अपना बहुमत खो चुकी है या नहीं, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार की कार्रवाई पूर्णतः दुर्भावपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त शुक्रवार को सदन में जिस ढंग से इस संदेश की सूचना दी गई थी उससे भी सरकार की बदनीयती झलकती है। हमने इसका विरोध किया था। हमने कार्यालय से यह पूछा था कि क्या सदन की अवधि बढ़ाई जाएगी। हमें यह बताया गया था कि सदन की अवधि बढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं है। किन्तु सदन की अवधि तीन बार बढ़ाई गई ताकि यह सूचना दी जा सके।

अब मैं गृह मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि राष्ट्रपति ने इस उद्घोषणा पर किस समय हस्ताक्षर किए थे। यदि भारत के राष्ट्रपति ने इस उद्घोषणा पर 6.00 म० प० से पहले हस्ताक्षर किए थे तो सदन को सूचित करने की संविधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सदन को इस बात की सूचना देने का कर्त्तव्य गृह मंत्री का था कि राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण कर्नाटक विधान सभा भंग कर दी गई है इसलिए सदन की अवधि बढ़ायी जा रही है। किन्तु सदन को यह सूचित नहीं किया गया। सदन की अवधि किसी न किसी बहाने से बढ़ा दी गई।

राज्यपाल का कर्त्तव्य क्या है ? प्रायः ऐसा कहा जाता है कि राज्यपाल केन्द्र सरकार का एजेंट होता है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह केन्द्र सरकार का एजेंट नहीं होता बल्कि उस सरकार के प्रति, जिसका वह राज्यपाल है वास्तव में मेधावी सलाहकार होना उसका कर्त्तव्य होता है। संविधान सभा में राज्यपाल की शक्ति, उसकी नियुक्ति के ढंग और उसके कर्त्तव्यों के प्रश्न पर व्यापक बहस हुई थी। "संविधान सभा में ही इस बात का वास्तविक भय और संकोच व्यक्त किया गया था कि अनुच्छेद 356 के इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है और हमारे संविधान के संघीय स्वरूप को खत्म करने के लिए इसका दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। डा० अम्बेडकर, जिन्होंने विभिन्न प्रावधानों को रूप दिया था, ने यह आशा व्यक्त की थी कि यद्यपि इस प्रावधान को बड़े अन्यहात के तौर पर, संविधान में शामिल किया गया है, तथापि इसका कभी भी प्रयोग नहीं किया जाएगा किन्तु तीन या चार वर्ष के बाद जब वर्ष 1953 में पैप्सू सरकार गिरायी गई तो डा० अम्बेडकर को बड़े दुःख के साथ कहना पड़ा कि चार वर्षों के भीतर ही संघ सरकार द्वारा अपने फायदे के लिए इस अनुच्छेद के प्रावधानों का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया है।

राज्यपाल की भूमिका और उसके कर्त्तव्यों के संबंध में यह कहा गया था कि इसका केन्द्रीय कारक यह है कि राज्यपाल संविधानिक प्रमुख, मेधावी सलाहकार और मंत्री परिषद का परामर्शदाता या ऐसा व्यक्ति होगा जो मामले को शान्त कर सकता है। वास्तव में राज्यपाल उस समय मामले को शान्त करता है जब कांग्रेस मन्त्री परिषद मुसीबत में फंसी होती है। किन्तु जब कभी विपक्षी सरकार मुसीबत में फंसी होती है तो वह मामले को शान्त नहीं करता बल्कि आग में घी डालने का काम करता है और उस सरकार को बर्खास्त करने में अपना योगदान देता है।

अब राज्यपालों का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जब संविधान सभा में वाद-विवाद चल रहा था तो उस समय इस बात पर व्यापक चर्चा हुई थी कि राज्यपाल किस प्रकार का व्यक्ति

[श्री दिनेश गोस्वामी]

होना चाहिए। हर सदस्य ने यह मत व्यक्त किया था कि वह उच्च नैतिक स्तर का व्यक्ति होना चाहिए, राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तटस्थ रूप से कार्य कर सके। किन्तु हम आज क्या देखते हैं। स्थिति बदल गई है। राजनीतिक कल्चर बदल गया है। एक समय ऐसा था जब बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्रियों या अत्यधिक योग्य प्रशासकों को केन्द्र में लाया जाता था। केन्द्रीय मंत्रीमंडल के अत्यधिक योग्य प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठित श्री फखरुद्दीन अली अहमद असम से आए थे। श्री जी० बी० पन्त को यहां लाया गया। वर्ष 1962 के बाद योग्य मुख्य मंत्री श्री वाई० बी० चव्हाण को संघ सरकार में लाया गया। किन्तु आज स्थिति बदल गई है। यदि कोई मुख्य मंत्री राज्य में असफल हो जाता है तो उसे केन्द्रीय मंत्री के रूप में केन्द्र सरकार में लाया जाता है। यदि वह केन्द्र में असफल हो जाता तो उसे मुख्य मंत्री बनाकर राज्य में भेजा जाता है। यदि वह दोनों जगह असफल हो जाता है तो उसे राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है।

महोदय, संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल की स्थिति बहुत ही विचित्र है। इसका लाभ है तो दूसरा नुकसान भी है। इसका नुकसान यह है कि उसके कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं है। संविधान में राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं या उसके कार्यकाल के बारे में नियम निर्धारित नहीं है। किन्तु सुरक्षा यह है कि आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं; आप उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के खिलाफ प्रस्ताव ला सकते हैं। आप प्रधान मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं या मुख्यमंत्रियों के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव ला सकते हैं किन्तु संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल की जवाबदेही का कोई प्रावधान नहीं है और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है यदि राज्यपाल जिनका स्तर गिर गया है, जिनकी सुरक्षा नहीं है, वे पूर्ण रूप से संघ सरकार के कथनानुसार कार्य करते हैं। यह मैं ही नहीं कह रहा हूं कि राज्यपालों का स्तर गिर गया है। उत्तरोत्तर प्रशासनिक सुधार आयोगों ने इस पर टिप्पणी की है और मैं इस पद के अवमूल्यन के संबंध में की गई कुछ अधिक महत्वपूर्ण टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं।

वर्ष 1967 में देश के अत्यधिक सम्माननीय न्यायधीश श्री एम० सी० सेटलवाद की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग को यह कहना पड़ा :

"परिस्थितियों ने पद का अवमूल्यन कर दिया है और मेरे विचार में राज्यपालों के चयन स्तर में गिरावट आ गयी। इस पद को साधारण व्यक्ति के लिए आरामदायक नौकरी या निस्तेज राजनीतिज्ञों के लिए सान्त्वना पुरस्कार माना जाने लगा।"

इसी प्रकार वर्ष 1969 के प्रशासनिक सुधार आयोग ने टिप्पणी की थी :

"स्थिति अधिक खराब हो गई है क्योंकि सत्ताधारी दल के कम से कम दो सदस्यों को जिन्हें न्यायिक कटु आलोचना के कारण अपने मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा था, बाद में राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया।"

केवल प्रशासनिक सुधार आयोगों ने ही ऐसी टिप्पणी नहीं की है केवल विधिवेत्ताओं ने ही ऐसी टिप्पणी नहीं की है बल्कि राज्यपाल के पद की इस देश के उच्च न्यायालयों ने कड़ी आलोचना की है। मैं उड़ीसा उच्च न्यायालय और गोहाटी उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई कटु आलोचनाओं का हवाला देता हूं।

महोदय, आप उडीसा से हैं और आपको श्री बीजू पटनायक तथा अन्य बनाम भारत का राष्ट्रपति के मुकदमे के बारे में अवश्य जानकारी होगी जैसा कि 1974, उडीसा 52 में प्रकाशित हुआ है, जिसमें न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी—मैं तथ्यों का उल्लेख नहीं करूंगा बल्कि एक-दो वाक्य पढता हूं;

> "इस निर्णय पर पहुचने में कि श्री बीजू पटनायक का बहुमत नहीं था, राज्यपाल ने मंत्रीमंडल के गठन के मामले में ग्रेट ब्रिटेन में प्रचलित परम्पराओं का सम्मान नहीं किया।"
> न्यायालय ने आगे कहा है :
>
> "कि जब विपक्ष के नेता ने यह कहा कि उसका बहुमत है तो राज्यपाल के लिए श्री बीजू पटनायक को अवसर न देने अथवा उसे कुछ कहने का अधिकार नहीं था।"

फिर नागालैंड विधान सभा को भंग करने के प्रश्न पर गोहाटी उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की। हमने यहां इस उदघोषणा पर चर्चा की थी। अध्यक्ष महोदय ने यह विनिर्णय दिया था कि कांग्रेस दल को छोड़ने वाले सदस्य एक तिहाई से अधिक थे और दल का विभाजन हुआ था परन्तु राज्यपाल महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला था कि अध्यक्ष महोदय का यह निष्कर्ष गलत था कि कांग्रेस दल का विभाजन हुआ था। दल बदल विरोधी कानून से सम्बन्धित संविधान संशोधन में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस बारे में अन्तिम निर्णय का अधिकार केवल अध्यक्ष महोदय का है जोकि यह निर्णय करने के लिए अन्तिम प्राधिकारी है कि विभाजन हुआ है अथवा नहीं, किसी अन्य प्राधिकारी यहां तक कि सदन को भी यह निर्णय करने का अधिकार नहीं है परन्तु यह निर्णय लेने में कि वह विघटन एक उचित विघटन नहीं था, नागालैंड के राज्यपाल ने अपनी संवैधानिक शक्तियों के बाहर कार्य किया है और गोहाटी उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्यपाल की कार्यवाही युक्तिसंगत नहीं थी।

अतः यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस देश में आजकल केन्द्र में सत्ताधारी दल के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है और कर्नाटक इसका अन्तिम उदाहरण है, और यह अन्तिम उदाहरण नहीं रहेगा अन्य राज्यों में भी इसका अनुकरण किया जायेगा।

कर्नाटक के बारे में मैं आंकड़ों की जांच करने नहीं जा रहा हूं परन्तु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह निर्णय लेना राज्यपाल का वैधानिक दायित्व नहीं है कि किसी राज्य में अच्छी सरकार है अथवा नहीं। संविधान सभा में इस बात पर चर्चा की गई थी कि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत यह निर्णय लेना राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं है, यह इसका कर्त्तव्य भी नहीं है कि किसी राज्य में अच्छी सरकार है अथवा बुरी सरकार। अच्छी अथवा बुरी सरकार के बारे में निर्णय लेना लोगों का अन्तिम उत्तरदायित्व है। यदि सरकार अच्छी है तो उसे पुनः सत्ता में लाया जायेगा, और यदि सरकार बुरी है तो उसे लोगों द्वारा सत्ता से बाहर कर दिया जायेगा। राज्यपाल का उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना है कि एक संवैधानिक सरकार विधान मण्डल में कार्यरत है।

[श्री दिनेश गोस्वामी]

यह कहा गया है कि विधायकों की सौदेबाजी हुई है। किस प्रकार की सौदेबाजी हुई है? जनता दल के कुछ सदस्यों ने जनता दल को छोड़ दिया और फिर उसमें वापस आ गए। मैं जनता दल के सदस्यों की कार्यवाही का समर्थन नहीं कर रहा हूं परन्तु यह वास्तविकता है कि विधान सभा भंग होने के दिन बोम्मई सरकार को सदन में बहुमत प्राप्त था। राज्यपाल ने यह रिपोर्ट दी थी कि विधायकों की सौदेबाजी की गई थी। इस देश में एक विचित्र राजनैतिक शब्द कोष है। जब एक विपक्षी राजनैतिक दल का सदस्य यह कहता कि वह सरकार का समर्थन नहीं कर रहा है और फिर वह वापस आ जाता है तो यह सौदेबाजी बन जाती है। जब कांग्रेस दल के सदस्य अपने दल को छोड़ते हैं और पुन: कांग्रेस दल में वापस आते है तो यह घर वापसी बन जाती है। ऐसी घर वापसी कितनी बार हुई हैं। सभापति महोदय इसका नवीनतम उदाहरण श्री राम नरेश यादव हैं जिन्होंने राज्यसभा से त्यागपत्र दिया है। अगले दिन ही समाचार पत्रों में यह समाचार आया था कि उन्हें उप-मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था। क्या इस कार्यवाही से दल-बदल कानून का पूर्णतया उल्लंघन नहीं हुआ है?

मुझे इस बात को भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं है कि सरकार का सदन में बहुमत होना चाहिए। यदि सदन सरकार को गिराना चाहता तो वह अल्पमत में भी जारी रह सकती है। हमें वर्ष 1969 से 1971 तक की अवधि को नहीं भूलना चाहिए। वर्ष 1969 से 1971 तक श्रीमती इन्दिरा गांधी का सदन में बहुमत नहीं था तथा साम्यवादी दल तथा अन्य वामपंथी दलों द्वारा लिखित रूप से यह नहीं कहा गया था कि वे श्रीमती गांधी का समर्थन करेंगे। परन्तु श्रीमती गांधी ने इस देश पर शासन करना जारी रखा क्योंकि सदन ने उनके प्रति अविश्वास व्यक्त नहीं किया। अत: ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें सरकार को बहुमत प्राप्त न हो परन्तु उसे फिर भी सदन का विश्वास प्राप्त हो। वर्ष 1969—71 की अवधि के दौरान ऐसी ही स्थिति थी। श्रीमती इन्दिरा गांधी अपने शासन को वर्ष 1972 तक जारी रख सकती थी परन्तु उन्होंने पहले ही चुनाव की मांग रख दी। अब मैं यह जानना चाहूंगा कि श्री वेंकटसुब्बैया के पास ऐसा क्या प्रमाण था कि श्री बोम्मई को सदन का विश्वास प्राप्त नहीं था। वास्तव में जनता पार्टी ने स्वंय यह कहा था कि यदि उन्हें समर्थन देने के लिए कहा जाता तो वे सरकार को अपना समर्थन देते। तब विधान सभा का अधिवेशन बुलाया जा सकता था जिसमें शक्ति परीक्षण हो सकता था। अत: यह उदघोषणा पारित की जा रही है क्योंकि केन्द्रीय गृह मन्त्री यह जानते थे कि श्री बोम्मई विधानसभा परीक्षण में सफल होंगे। एक तरह से मैं बहुत असुन्तुष्ट अनुभव नहीं करता। क्योंकि श्री बोम्मई को जो हानि हुई है उससे विरोधी पक्ष को लाभ हुआ है। आपको आंध्र प्रदेश में इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी, जैसाकि मैंने पहले कहा है। आपको अपनी इस कार्यवाही के लिए अब भी न केवल कर्नाटक में अपितु लोकसभा चुनावों में भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

परन्तु यह मुद्दा बहुत आगे तक जाता है। यह मुद्दा हमारे संविधान के संघीय स्वरूप से जुड़ा है।

एक अन्य मुद्दा जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा और जिसके लिए मैं श्री किशोर चन्द्र देव का आभारी हूं, विधान सभा में परीक्षण के परिणाम के बारे में है। मान लीजिए यदि सभा में

सदस्यगण श्री बोम्मई के विरुद्ध मतदान करते तो उसका क्या परिणाम होता ? जो सदस्य श्री बोम्मई के विरुद्ध मतदान करना चाहते थे उनकी संख्या जनता दल को कुल संख्या के एक तिहाई से कम थी। अतः वे यह दावा नहीं कर सकते थे कि दल में विघटन हुआ है और उन्हें आयोग्य घोषित कर दिया जाता और विधानसभा की कुल संख्या 224 से घटकर 204 हो जाती, यह मानते हुए कि जनता दल के 19 सदस्यों ने श्री बोम्मई को समर्थन न देने का निर्णय लिया है। उस स्थिति में भी क्या श्री बोम्मई को आंकड़ों के आधार पर बहुमत प्राप्त नहीं होता ? ऐसी स्थिति में राज्यपाल महोदय ने क्या किया ? उन्होंने सदस्यों को ऐसी कार्यवाही करने की अनुमति दी जिसे वे सदन में बिना दंड प्राप्त किए नहीं कर सकते थे। उन्होंने उन्हें दल-बदल विरोधी कानून का उल्लंघन करने की अनुमति दी। इस प्रकार राज्यपाल महोदय ने दल-बदल को प्रोत्साहन दिया। अब गृह मन्त्री श्री चिदम्बरम द्वारा एक नई प्रवृति, एक नई राजनैतिक संस्कृति का विकास किया जा रहा है। सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए प्रधान मन्त्री महोदय द्वारा बड़े जोर-शोर से दल-बदल विरोधी विधेयक को लाया गया था। परन्तु आज हम क्या देख रहे हैं। आप सदन के बाहर ऐसे कार्यों की अनुमति दे रहे हैं जिन्हें विधान मण्डल के अन्दर भी नहीं किया जा सकता है। और राज्यपाल इसमें एक सहायक बन गया है। सभापति महोदय यही कारण है कि हम इस उद्घोषणा का विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि श्री वेंकटसुब्बैया की भर्त्सना की जाये।

मुझे श्री वेंकट सुब्बैया पर तरस आता है क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसे सभी मामलों में राज्यपाल की रिपोर्ट यहां दिल्ली में बनाई जाती है और उसे राज्यपाल के पास मात्र हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। यदि वह हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसे निश्चित रूप से इसके लिए दंड भुगतना पड़ता है। यदि सभी क्षेत्रों में असफल व्यक्ति को अपना अस्तित्व कायम रखना है तो उसे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। अपने अस्तित्व के लिए वह और कर ही क्या सकता है ?

जैसाकि मैंने कहा है एक अच्छी सरकार के दृष्टिकोण के मूल्यांकन के आधार पर कार्यवाही करना राज्यपाल का दायित्व नहीं है। यदि किसी राज्य में अच्छी सरकार के आधार पर कार्यवाही करना राज्यपाल का दायित्व है तो राष्ट्रपति महोदय का दायित्व भी केन्द्र में एक अच्छी सरकार को सुनिश्चित करना होना चाहिए। यदि राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित करने की शक्ति दे दी जाती है कि क्या केन्द्र सरकार भली प्रकार कार्य कर रही है अथवा नहीं तो सम्भवत श्री राजीव गांधी की सरकार अब तक कई बार बर्खास्त हो चुकी होती।

संविधान का दुरुपयोग हुआ है और मैं जान बूझकर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि विगत में इस शब्द का उपयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया गया था जोकि न केवल राजनैतिक क्षेत्र में अपितु सविधान सभा में अति सम्माननीय व्यक्ति थे।

महोदय, अनुच्छेद 356 के इस दुरुपयोग से और संघीय सरकार द्वारा विपक्ष की सरकारों को सहन न करने के दृष्टिकोण से हमारे संविधान के संघीय स्वरूप की जड़ों पर कुठाराघात हुआ है। मैं जानता हूं कि सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों से अनुरोध करने के बावजूद भी हमारा प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जायेगा परन्तु मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट या संदेह नहीं है कि इसे समर्थन नहीं मिलेगा। मैं इस सभा के माध्यम से देश और बाहर के आम लोगों से अपील करता हूं, कि वे सचेत रहें और संविधान के संघीय स्वरूप के लगातार कुठाराघात का विरोध करें तथा जोर

[श्री दिनेश गोस्वामी]

देकर कहें कि इस देश की जनता संघीय स्वरूप पर आगे कुठाराघात या संघीय अधिकारों के अतिक्रमण को सहन नहीं करेगी। मुझे आशा है कि सरकार सचेत हो जायेगी और यदि ऐसा करेगी तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस सभा के समक्ष प्रस्ताव रखता हूं कि श्री वेंकट सुब्बैया की निंदा की जाए और उन्हें उनके पद से हटाया जाए क्योंकि उन्होंने अपनी सिफारिश से चार या पांच दिन पहले श्री बोम्मई को विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिये बिना कर्नाटक विधान सभा को भंग करने की सिफारिश करके असंवैधानिक कार्य किया है तथा वे संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध भी कार्य कर रहे हैं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राज्य के मुख्यमंत्री को विधानसभा में अपना बहुमत प्रदर्शित करने के लिए अवसर दिए बिना राज्य सरकार के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल के सुस्पष्ट पक्षपातपूर्ण व्यवहार की निंदा करती है और कर्नाटक के राज्यपाल को उनके पद से तत्काल हटाने की मांग करती है।"

श्री वीरेन्द्र पाटिल (गुलबर्गा) : सभापति महोदय, मैं कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा का समर्थन करता हूं। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो परेशान थे···(**व्यवधान**) मैंने अभी अपनी बात शुरू की है। आपको मेरी बात सुननी चाहिए। मैं यह कह रहा हूं कि राष्ट्रपति शासन से उन लोगों को राहत मिली है जो जनता सरकार के अकुशल, भ्रष्ट और कुप्रशासन से परेशान थे।

केवल दल और पार्टी का भेद है। बाद के शब्द में 25 जनवरी, 1988 से परिवर्तन हुआ है। परन्तु मैं 1983 के बाद से समूचा विवरण बता रहा हूं। इसलिए मैं केवल जनता दल नहीं कह सकता। इससे पहले यह सिर्फ जनता पार्टी थी।

महोदय, 2265 दिनों के कुप्रशासन के पश्चात मुझे यह कहते हुए खुशी है कि यह 24.4.1989 को समाप्त हो गया। जब मैंने यह कहा कि इससे कर्नाटक की जनता को काफी राहत मिली है तो कुछ सदस्यों को अप्रसन्नता हुई। मैं यह प्रमाणित कर सकता हूं और सबूत दे सकता हूं। श्री एस० निजलिंगप्पा जो कर्नाटक के वयोवृद्ध नेता हैं और देश के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हैं। आपको जानना चाहिए कि इस राष्ट्रपति शासन के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है? उनकी प्रतिक्रिया 23.4.89 के स्थानीय समाचार पत्र **डेक्कन हेराल्ड** में प्रकाशित हुई है।

'भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री एस० निजलिंगप्पा ने आज कहा कि उन्हें जनता दल की सरकार की बर्खास्तगी का कोई दुख नहीं है, इसे एक वर्ष पहले बर्खास्त किया जाना चाहिए था क्योंकि अनुशासन हीनता और स्वार्थ बहुत बढ़ गया था।"

उन्होंने इसे प्रेस विज्ञप्ति में बताया है। यह संक्षिप्त समाचार अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। (**व्यवधान**)*

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री वीरेन्द्र पाटिल के अलावा किसी की बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी। हम वाक्यवार अथवा शब्दशः टिप्पणियां सम्मिलित नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि मुझे अनेक बातें पूछनी हैं। मेरा विपक्ष के माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि जैसे हमने उनकी बातें धैर्यपूर्वक सुनीं वैसे उन्हें भी सुननी चाहिएं। वे मेरे दृष्टिकोणों से सहमत या असहमत हो सकते हैं। उन्हें उनकी बात कहने का अवसर दिया जाएगा। परन्तु मैं अपनी बात कहने के लिए अपने अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि मेरी बात में व्यवधान न करें। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि जनता पार्टी ने जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार कर्नाटक की जनता को धोखा दिया है। 1983 में उन्होंने जनता पार्टी को चुना परन्तु उस समय पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण क्रांति रंगा और अन्य दल आपस में मिल गए। मुख्यमंत्री को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सुबह से शाम तक कठिन संघर्ष करना पड़ा। वह जनता को समझाते रहे कि मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक अच्छा प्रशासक नहीं बन सकता क्योंकि हम पूर्ण बहुमत में नहीं हैं और मुझे अपने अस्तित्व के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर, निर्भर रहना पड़ता है। फिर, 1985 में जनता ने उन्हें पुनः चुना और अनेक आशाओं के साथ बहुमत दिया। उन्होंने अपने चुनाव के इतिहास में पहली बार सोचा कि अगर किसी पार्टी ने नैतिक मूल्यों पर निर्धारित राजनीति का नारा लगाया है, तो यह जनता पार्टी थी जिसने 1983 में नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति के नारे के आधार पर चुनाव कराए। पुनः, 1985 में नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति का नारा दिए जाने के आधार पर जनता ने सोचा कि जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसने महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के नाम पर काम करने की प्रतिज्ञा की है और उसे राज्य का शासन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अब मैं आपको विगत छः वर्ष की घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूं। जनता पार्टी के प्रशासन से लोग बड़े परेशान और उदास हैं। उन्होंने विगत छः वर्षों से कैसा प्रशासन चलाया है? उन्होंने दो बार 35 सदस्यों के विशाल मंत्रीमंडल का गठन किया जबकि यह दल नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति की प्रतिज्ञा कर रहा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : जी, नहीं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : व्यवस्था के प्रश्न के बारे में मन्त्री विनिर्णय कैसे दे सकता है?

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है?

*कार्यवाही—वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह गृहमंत्री और श्री दिनेश गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में चर्चा है। यह भूतपूर्व जनता पार्टी के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में चर्चा नहीं है··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : नहीं, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है : उन्हें बोलने दें।

(**व्यवधान**)

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं अपनी बात को प्रमाणित करता हूं। मैं कोई बेबुनियादी आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं कल्पना में नहीं कह रहा हूं। मैं सुनी सुनाइ बात नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी बात को प्रमाणित कर सकता हूं इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने किस प्रकार प्रशासन चलाया। जनता दल राष्ट्रीय विकल्प होने की महत्वाकांक्षा कर रहा है जो पहले जनता पार्टी के नाम से था। वे 1990 के चुनाव के बाद इस तरफ आने का स्वपन देख रहे हैं। इसलिए मैं उस प्रशासन का एक नमूना पेश करना चाहता हूं जो उन्होंने कर्नाटक में दिया। मैं आंकड़े प्रस्तुत करूंगा।

श्री बोम्मई से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री जब सत्ता में थे··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : हमें उनकी बात सुननी चाहिए। उन्हें अपनी तरह से बोलने दें। आप किसी माननीय सदस्य से यह नहीं कह सकते कि उन्हें किस प्रकार बोलना चाहिए। कृपया उन्हें बोलने की अनुमती दीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह·· सम्बन्ध में चर्चा नहीं है··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप अपने आदमी को उचित ठहराना चाहते हैं। एक माननीय सदस्य, दूसरे माननीय सदस्य को यह नहीं बता सकते कि उन्हें क्या कहना चाहिए।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप माननीय सदस्य को यह नहीं बता सकते कि उन्हें क्या कहना है। उन्हें अपने तरीके से बोलने दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : जो वह कहना चाहते हैं वह कह सकते हैं।

सभापति महोदय : बशर्ते वह नियमानुसार हो।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जनता पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इस रनिंग कमेन्ट्री के साथ मैं अपना भाषण जारी कैसे रख सकता हूं? रनिंग कमेन्ट्री के साथ भाषण जारी रखना बहुत कठिन है। मुझे बहुत-सी बातें कहनी हैं और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। श्री रामकृष्ण हेगड़े, जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री 2,005 दिन तक सत्ता में रहे थे, वह 1,403 दिन तक राज्य से बाहर रहे, कर्नाटक में 607 दिनों तक और जब वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे 2,005 दिनों में से 266 दिन तक विधान सभा में उपस्थित रहे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप यह कैसे जानते हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरे पास आंकड़े हैं।

सभापति महोदय : जो सदस्य बोलता है यह उसकी जिम्मेदारी है।

श्री तम्पन थामस : क्या हम श्री हेगड़े के विरुद्ध, एक प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं ? हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं ? (व्यवधान)*

सभापति महोदय : ये व्यवधान कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जो कुछ श्री पाटिल कह रहे हैं केवल वही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। जो कुछ अन्य माननीय सदस्य कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं किसी अन्य व्यक्ति को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

श्री तम्पन थामस : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जो आंकड़े मैं दे रहा हूं, ये आंकड़े हमारे सदस्य ने प्रश्न पूछकर राज्य विधान सभा में एकत्र किए हैं और ये आंकड़े राज्य विधान सभा में एकत्र किए गए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं दोहरा रहा हूं। (व्यवधान)

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : कृपया आंकड़े फिर से बताइए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अब ये सब सदस्य इसलिए व्यवधान डाल रहे हैं क्योंकि वे इन आंकड़ों को सुनना नहीं चाहते हैं। यह मामला है (व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने पहले ही बताया था कि जो कुछ श्री पाटिल कहेंगे केवल वही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। जो कुछ अन्य सदस्य कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : सदन का समय नष्ट न कीजिए।

(**व्यवधान**)

श्री तम्पन थामस : *

सभापति महोदय : जो कुछ श्री तम्पन थामस कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)

श्री बी० आर० भगत (आरा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह उस प्रक्रिया के बारे में है जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं। अब माननीय सदस्य ने कुछ जानकारी दी है। यह प्रक्रिया है कि माननीय सदस्या द्वारा दी गई जानकारी को इस प्रकार चुनौती नहीं दी गई है। अगर उनके पास अन्य जानकारी है तो प्रक्रिया यह है कि उन्हें आगे आना चाहिए और जब उन्हें मौका मिले कहना चाहिए कि यह सच है। उन्हें इस तरह व्यवधान नहीं डालना चाहिए।···(**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : *

सभापति महोदय : जो कुछ श्री जयपाल रेड्डी कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने केवल वीरेन्द्र पाटिल को अनुमति दी है। जो कुछ अन्य सदस्य कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)*

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, अगर माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो मैं नामों का उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन मैं कहूंगा कि जनता पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री 2005 दिन तक सत्ता में थे···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : जो कुछ अन्य माननीय सदस्य कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने केवल श्री वीरेन्द्र पाटिल को बोलने की अनुमति दी है।

(**व्यवधान**)

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं करूंगा। मैंने कहा था कि जनता पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री 2005 दिन तक सत्ता में थे। वह 1403 दिन तक राज्य से बाहर थे और कर्नाटक में 602 दिन तक और वे 266 दिन विधान सभा में उपस्थित रहे। अन्तिम मुख्यमंत्री या दूसरे मुख्यमंत्री···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री जयपाल रेड्डी मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम संख्या 349 (नौ) की ओर आकर्षित करता हूं। इसमें लिखा है :

"जब सभा की बैठक हो रही हो तो कोई सदस्य···

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(नौ) "कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेगा, सीत्कार नहीं करेगा या बाधा नहीं डालेगा और जब सभा में भाषण दिए जा रहे हों तो साथ-साथ उनकी टीका नहीं करेगा।"

अतः किसी प्रकार की टीका साथ-साथ न कीजिए।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था··· **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं पहले ही अपना विनिर्णय दे चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : *

सभापति महोदय : जो कुछ श्री जयपाल रेड्डी कहेंगे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अन्तिम मुख्यमन्त्री 251 दिन तक पदासीन रहे। उनमें से उन्होंने 176 दिन राज्य से बाहर बिताये थे। वह कर्नाटक में केवल 75 दिन तक थे। उन 75 दिनों में से वे विधान सभा में केवल 33 दिनों तक उपस्थित रहे··· **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं नियम 353 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न करता हूं··· **(व्यवधान)** कोई मानहानिकारक और अभियोगात्मक तरह का आरोप नहीं लगाया जा सकता ·· **(व्यवधान)** श्री आर०के० हेगड़े और श्री बोमाई यहां उपस्थित नहीं है। हम में से किसी के पास भी वह तथ्य मौजूद नहीं है जो श्री पाटिल के पक्ष में या विपक्ष में हो **(व्यवधान)** वे सदन के सदस्य नहीं है।

सभापति महोदय : इसी कारण से माननीय सदस्य ने 'मुख्यमंत्री' कहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम का उल्लेख किया है··· **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं देखूंगा ·· **(व्यवधान)** कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। जो कुछ श्री पाटिल कहेंगे उसे ही कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जायेगा।

(व्यवधान)*

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : सरकार के एक प्रस्ताव में इस उद्घोषणा को स्वीकृति देने के लिए कहा गया है ··

श्री तम्पन थामस : वह किस नियम के अधीन बोल रहे हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम : वह किस नियम के अधीन बोल रहे थे **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं उनके व्यवस्था के प्रश्न पर विनिर्णय दे चुका हूं।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसीलिए, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। मैंने केवल प्रथम मुख्यमंत्री और अन्तिम मुख्यमंत्री कहा है। मैं नहीं जानता कि क्या उन्हें इस कथन पर भी आपत्ति है·· (व्यवधान)

कृपया इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं जानता हूं चर्चा को चालू कैसे रखा जा सकता है।

मैंने ये उदाहरण केवल कर्नाटक में जनता पार्टी सरकार और जनता दल सरकार के कार्यकरण का तरीका दिखाने के लिए दिए हैं···(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री पाटिल के कथन को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा···।

(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, कर्नाटक की जनता पार्टी और जनता दल के नेताओं पर मेरा यह आरोप है कि उनकी सरकार ने छः वर्ष तक कर्नाटक का निर्दयतापूर्वक दोहन किया है और उसे दिवालिया बना दिया है। मुझे इस बात का दुःख है कि उनके कुप्रशासन के कारण कर्नाटक पहले जैसा समृद्ध नहीं रहा। यह अब चिन्नाडा नाडू नहीं रहा। यह मात्र पहले जैसा समृद्ध ही नहीं रहा बल्कि जनता पार्टी और जनता दल के शासन काल में इसकी भूमि भी बंजर हो गयी है··· (व्यवधान)। क्या वे इस कथन का भी विरोध कर रहे हैं···(व्यवधान)।

सभापति महोदय : दूसरे सदस्यगण जो भी कह रहे हैं, वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा···

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पाटिल कृपया आगे बोलें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, उनके अनाप-शनाप खर्च के कारण राजकोष खाली हो गया, और कर्नाटक के इतिहास में पहली बार सरकार को दिवालिया बना दिया गया। यहां तक कि 5,000 रुपये और 10,000 रुपये *जैसी कम राशि वाले चेकों का भी राजकोष से भुगतान नहीं हो पाया। महीने की पहली और दूसरी तारीख को वेतन देना जनता पार्टी और जनता दल सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। उन्होंने सारे प्रशासन की वित्तीय व्यवस्था को नष्ट कर दिया था। वे फिर मुझे इसे सिद्ध करने को कहेंगे। मेरे पास प्रमाण हैं। यह प्रमाण पिछले मुख्यमंत्री द्वारा 'इंडिया टुडे' के 15 सितम्बर, 1988 के अंक में दिए साक्षात्कार का एक वक्तव्य है। उन्होंने कहा है : "मैं हेगडे का प्रशंसक हूं और उन्हें नेता के रूप में स्वीकार करता हूं, लेकिन राज्य में उनकी ढुल-मुल प्रवृत्ति के कारण इन पद के लिए अनेक दावेदार सामने आ गए। श्री दंडवते जी, आपके विगत मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कहा है कि राज्य में अस्थिरता किसने फैलायी है और आप कह रहे हैं कि यह अस्थिरता हमने फैलायी है। पिछले मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्री हेगड़े ने राज्य में यह अस्थिरता

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पैदा की है और राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में वह क्या कहते हैं ? वह कहते हैं : "किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसे अभूतपूर्व संकट का सामना नहीं किया है जैसा कि मैंने किया है। सरकार की स्थिति बहुत ही खराब है। वहां वित्तीय और प्रशासनिक संकट है और विकेन्द्रीकरण को प्रारम्भिक जटिल समस्याओं का सामना पड़ रहा है। आपकी पार्टी में अनुशासन नहीं है—पार्टी का मतलब आपकी पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल से है यह सभी मन-मुटाव ऐसे समय हैं जबकि चुनाव होने में मात्र 1½ साल शेष है।" यह जनता सरकार का प्रशासनिक विवरण पिछले मुख्यमंत्री द्वारा इंडिया टुडे को साक्षात्कार में दिया गया है, जिस समय दल का विभाजन—जनता पार्टी और जनता दल में—नहीं हुआ था। उस समय जनता पार्टी और जनता दल के नेता एक ही दल के अंग थे। मैं यह सब अपनी बातों को प्रमाणित करने लिए कह रहा हूं। मेरे विचार से इस विषय पर हमें गहन रूप से अध्ययन करना चाहिए— (व्यवधान)। जब लोग दल को चुनकर उन्हें सत्ता सौंपते हैं तो राज्य की समूची जनसंख्या के न्यासी होने के कारण उन्हें राज्य कोष में एकत्र होने वाले एक-एक पैसे का हिसाब रखना होता है— (व्यवधान, यहां मैं उदाहरण के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि विश्व के सब देशों और राज्यों में अपने यहां के खिलाड़ियों को ओलम्पिक में भाग लेने हेतु विदेश भेजा जाता है जबकि कर्नाटक की जनता सरकार ने दो दर्जन विधायकों को लांस एंजिलस में आयोजित 1984 के ओलम्पिक में भेजकर एक इतिहास बनाया है। क्या वे राज्य सरकार के एक दल के नाते ओलम्पिक खेलों में भाग लेने गए थे ? वे 1986 के एशियाई खेलों में भी भाग लेने गए थे (व्यवधान)। महोदय, प्रत्येक व्यक्ति कर्नाटक के ऊर्जा संकट से भलिभांति परिचित है और कर्नाटक में ऊर्जा की अत्यंत कमी है तथा लगभग 80 से 90 प्रतिशत तक बिजली की कटौती की जाती है। इससे उद्योगों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। (व्यवधान)*

सभापति महोदय : दूसरे माननीय सदस्यों ने जो भी कहा है, वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मैं उनके दल द्वारा कार्य करने की प्रणाली को दर्शा रहा हूं। मुझे यह कहना पड़ रहा है कि कर्नाटक के लोग जनता सरकार से ऊब चुके हैं। वे क्यों ऊब चुके हैं ? मैं इसका कारण बतलाना चाहता हूं। महोदय, ऊर्जा की कमी के कारण जब वर्तमान उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है तब मुख्यमंत्री अपने दो-तीन मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ पूंजी निवेशकों की तलाश में विदेश गए थे, और परिणामस्वरूप वे कुछ अनिवासी भारतीयों को लेकर आए। लेकिन किस मकसद से ? बंगलौर शहर, जहां सोने की खाने हैं, वहां मकान बनाने के लिए, जहां हर इंच की कीमत बहुत ऊंची है, वे कुछ अनिवासी भारतीयों को लाए जिन्होंने अपना एक संगठन बनाया और जनता सरकार ने बड़ी उदारतापूर्वक उन्हें 110 एकड़ जमीन का आवंटन करते हुए कहा, "ठीक है, आप बहुमंजिली इमारतें बनायें और करोड़ों रुपये कमायें"। ऐसी ही बातें वे वहां कर रहे थे। राजकोष को पूर्णतया खाली कर दिया गया था। महोदय, हर व्यक्ति अपने घोषणा-पत्र के द्वारा चुनाव के समय वायदा करता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, वे सब बातें यह क्यों कह रहे हैं ?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आप कृपया बातें नोट करते जाइए, जब आपको अवसर मिलेगा तब आप बोल सकते हैं।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, जानना चाहता हूं कि क्या वाद-विवाद का स्तर ऐसा ही होगा ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, 75% से ज्यादा समय उन लोगों के द्वारा उपयोग किया गया है। (**व्यवधान**)। महोदय, चुनावी वायदों का उल्लंघन किया गया है।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, अगर जनता दल की सरकार को कुप्रशासन के कारण या फिर लोगों का विश्वास खोने के कारण हटाया गया है, तब श्री पाटिल काफी अच्छी स्थिति में होंगे। लेकिन सरकार को बहुमत नहीं प्राप्त होने के कारण बर्खास्त किया गया है। लेकिन अब प्रश्न सरकार की कार्य-प्रणाली का नहीं है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, सदस्यों के द्वारा मेरे वक्तव्य को अवरुद्ध करना बहुत अनुचित है। मैं जानता हूं कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। मैं माननीय सदस्य श्री दिनेश गोस्वामी द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। लेकिन उन्हें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह यह कहें कि मुझे यह कहना चाहिए और वह नहीं कहना चाहिए। मैं कह रहा था कि चुनाव वायदों को तोड़ा गया। उनका उल्लंघन किया गया था। उनके द्वारा दिए गए घोषणा-पत्र में यह वायदा किया गया था कि शुल्क के ऊपर आधारित शिक्षा को समाप्त किया जाएगा और इसे प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाएगा। जब वे सत्ता में आए तो क्या हुआ ? शुल्क पर आधारित व्यवस्था का अनुपालन करने वाले दस मेडिकल कालेजों को शुरू करने की अनुमति प्रदान की गयी और आज पूरे विश्व में अगर कोई ऐसा राज्य है जहां नर्सरी से लेकर मेडिकल कॉलिज की कक्षाओं या विश्वविद्यालय की कक्षाओं तक शिक्षा का व्यवसायिकीकरण हो चुका है तो वह कर्नाटक है। अगर एक बच्चा भी नर्सरी कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है तो उनके माता-पिता को उसके प्रवेश के लिए शुल्क के रूप में मोटी रकम देनी पड़ती है।

(**व्यवधान**)*

3.00 म० प०

सभापति महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, इन आठ महीनों में, तीन बार मंत्रालय का विस्तार किया गया। 19 विधायकों ने 19 ता० को अपना समर्थन वापस ले लिया। (**व्यवधान**)*

सभापति महोदय : ये व्यवधान कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होंगे।

(**व्यवधान**)*

सभापति महोदय : ये सब बातें कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेंगी।

(**व्यवधान**)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आए तब आप बोलें ।

(**व्यवधान**)*

सभापति महोदय : ये टिप्पणियां कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित की जायेंगी । श्री पाटिल आप अब आगे बोलें ।

(**व्यवधान**)*

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आए तब आप अपने विचार रखें; इस तरह नहीं । यह स्वीकार्य नहीं है ।

(**व्यवधान**)*

सभापति महोदय : कोई भी व्यवधान कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा । श्री पाटिल कृपया आप आगे बोलें ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर वाद-विवाद को चालू रखने का यही तरीका है तो ठीक है । उनकी बारी आने पर हम यही व्यवधान उत्पन्न करेंगे । (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया जारी रखें ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मैं बोल रहा हूं । मैं क्या कर सकता हूं ? जब भी मैं एक शब्द बोलूंगा, तो पुनः मुझे कोई रुकावट डालना शुरू कर देगा । इस प्रकार मैं कैसे बोल सकता हूं ?

सभापति महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि बीच में कही गई बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । कृपया आगे बोलें ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने कहा है कि 19 ता० को 19 विधायकों ने समर्थन वापस लेने के बारे में व्यक्तिगत तौर से राज्यपाल को सूचित किया । मैं जानना चाहता हूं कि वे विधायक कौन थे और वे किस दल से थे ? और वे क्या चाहते थे ? उन्होंने समर्थन क्यों वापस लिया ? (**व्यवधान**)। क्या मुझे यह नहीं कहना चाहिए ? मैं अपनी बात कहूंगा, आप अपनी बात बाद में कहें । वह क्या है जो वे चाहते थे ? (**व्यवधान**) । तब मैं भी यही करूंगा कि जब भी आप एक शब्द बोलेंगे, मैं आपको रुकावट डालूंगा । मैं समझता हूं कि अगर आप इससे सहमत है, तो ठीक है, ऐसा ही चलने दें । आप जानते हैं कि मैं बहुत कम खड़ा होता हूं, बहुत कम बोलता हूं और फिर भी वे मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं जबकि यह विषय मेरे राज्य से सम्बन्धित है । मैं अपनी बात जरूर कहूंगा । अतः मैं जानना चाहता था कि···(**व्यवधान**) । आप इसका पता करें, आप अंतःनिरीक्षण कर सकते हैं, आप अपने अन्दर झांकिए, आप अपनी अंतरात्मा से पूछकर बतलायें कि इन 19 विधायकों ने अपना समर्थन क्यों वापस लिया । वे क्या चाहते थे ।

(**व्यवधान**)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सभापति महोदय : उनके किसी भी कथन को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। पाटिल जी, आप भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, क्या मैं इस सभा, विशेषकर विपक्ष के सदस्यों से एक अपील कर सकती हूं ? हम वाद-विवाद कर रहे हैं और मैं समझती हूं कि यह एक गंभीर वाद-विवाद है। इस वाद-विवाद को तो विपक्ष चाहता था। इसलिए क्या आप कुछ नियमों का पालन करेंगे ? माननीय सदस्य बोलेंगे। आपको भी अवसर मिलेगा। उन्हें अपनी बात कहने दें। मैं कभी-कभी यह महसूस करने लगती हूं कि आप श्री वीरेन्द्र पाटिल को सुनना नहीं चाहते क्योंकि उनकी बातों का आपके पास कोई उत्तर नहीं है। इसलिए आप शोर करके उनकी आवाज अनसुनी करना चाहते हैं। इसलिए मैं अपील करती हू कि कृपया उनकी बात सुनिए, आपको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा।

प्रो० मधु दंडवते : जब आप हमारी बात सुनेंगी तब जान जाएंगी कि इन मुद्दों का उत्तर दिया गया या नहीं।

श्रीमती शीला दीक्षित : यह ठीक है, मैं सहमत हूं वे सभी कह रहे हैं कि वे भी इसके इच्छुक हैं। लेकिन कृपया कुछ नियमों का पालन कीजिए, हमें उचित वाद-विवाद करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं ताकि वे हमें बताएं कि अपना समर्थन वापस लेने के लिए राज्यपाल को व्यक्तिगत पत्र देने वाले 19 विधायकों के लिए कौन उत्तरदायी है। महोदय, मैंने बार-बार कहा है कि इसमें मेरी, मेरी पार्टी की कोई भूमिका नहीं रही है, हम इस सरकार को अस्थिर करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं। मैं बताता हूं कि वे कौन-से मुद्दे थे जिनके कारण उनकी पार्टी में यह संकट आया। मेरे अनुमान के मुताबिक उच्च स्तर के नेताओं में आपसी झगड़े के कारण ऐसा हुआ। मुझे खेद है कि मैं इन नेताओं का नाम नहीं ले सकता हूं। इस संकट के लिए आपके उच्च नेता उत्तरदायी हैं। यदि आप इस बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो मैं श्री दंडवते तथा जनता पार्टी से सम्बन्धित अन्य सदस्यों को यह सुझाव दूंगा कि वे कल के दैनिक समाचार पत्र 'दि टेलीग्राफ' में छपे अपने एक अति निकट सहयोगी का लेख पढ़ें तथा 22 और 23 तारीख के 'इंडियन एक्सप्रेस' के सम्पादकीय भी पढ़े। और भी अनेक रिपोर्टें हैं। यह मतभेद क्यों हुआ ? उच्चतम स्तर पर यह प्रतिद्वंद्विता क्यों है ? यह पिछले मुख्यमंत्री के कारण है। वह स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते थे। वह किसी के अन्तर्गत नहीं रहना चाहते थे, कोई अन्य उनके पीछे रहकर नियंत्रण रखना चाहता था। पिछले मुख्यमंत्री ने अप्रवासी भारतीयों को आवंटित 110 एकड़ भूमि के आवंटन को रद्द कर दिया और उनका आवास सहकारी समितियों को दान में अथवा बहुत सस्ती दर से 11,000 एकड़ भूमि देने के बहुत बड़े कांड से संबंधित जी० वी० के रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने में भी हाथ था, जिसमें करोड़ों रुपये की लेनदेन निहित थी। पिछले मुख्यमंत्री ने ऐसी अनेक कार्यवाहियां की। इससे उच्चतम स्तर पर नेताओं का क्रोधित

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

होना स्वाभाविक था और वे स्वयं ही उन्हें हटाना चाहते थे। मैं कहानियां गढ़ना नहीं चाहता हूं। मैं तो पूर्ण आदर के साथ यह बात श्री दंडवते को भी बताना चाहता हूं कि यदि वह इस संकट पर विस्तृत जानकारी चाहते हैं, यह जानना चाहते हैं कि यह संकट क्यों और कैसे आया और क्या घटित हुआ, बंगलौर में दो नेताओं के मध्य एक होटल में किस प्रकार यह झगड़ा हुआ इत्यादि, तो उन्हें बंगलौर जाकर जनता पार्टी के विधायकों से मिलकर पता लगाना चाहिए। वे सारी घटना सुना देंगे। मैं यह क्यों बता रहा हूं? यदि कोई इस सरकार को गिराने का उत्तरदायी था तो यह अन्य कोई नहीं था बल्कि जनता दल और जनता दल के सदस्य ही थे। फिर मैं यह पूछता हूं कि: अगले दिन 24 घंटे के अन्दर आधा दर्जन विधायकों ने राज्यपाल को लिखा और ये पत्र जनता पार्टी के अध्यक्ष और जनता विधायक दल के सचिव को दे दिए गए। वे इन पत्रों को लेकर गए और जो विधायक पहले तो 19 तारीख को लिख चुके थे अब इन पत्रों में यह कहते हैं "हमें खेद है; हमने 19 तारीख को समर्थन वापस लेने के लिए जो आपको लिखा था वह गलती से लिखा गया था।" उन्होंने राज्यपाल के सम्मुख लिखित में इसे माना। इसके बाद समर्थन वापस लेने वाले 19 में से 12 विधायकों ने लिखित में माना कि 19 तारीख को उन्होंने गलती से समर्थन वापस लेने के बारे में लिखा था। मैं इसका औचित्य समझ सकता हूं, मैं उस व्यक्ति को समझ सकता हूं जो विधान सभा में पहली बार आ रहा है। इन 7 या 12 विधायकों में वे लोग हैं जो 5 या 6 वर्षों तक मंत्री रह चुके हैं। वे किस आधार पर रहे? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि उनमें 24 घटे में ही समझ आ गई? अथवा विधायकों की क्या खरीद-फरोख्त हो रही थी और कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव था? बाजार दर क्या थी? दूसरे दिन यह 15 लाख रुपये या और तीसरे दिन यह 20 लाख रुपये तथा उनके इच्छानुसार 10 स्थानान्तरण या नियुक्तियां एवं आगामी चुनाव में आर्थिक सहायता तथा चुनाव टिकट की गारंटी···(व्यवधान)।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: आपने कितने का प्रस्ताव रखा था?···(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र पाटिल: ये तीन प्रस्ताव उन लोगों को दिए गए थे जिन्होंने बाद में 20 ता० को पत्र लिखा था। महोदय, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनता दल राष्ट्रीय विकल्प होने का दावा करता है। क्या आप नहीं सोचते हैं कि ऐसे विधायकों के कारण हमें शर्म आनी चाहिए? क्या आप नहीं सोचते हैं कि दुर्भाग्यवश आप भी इतने निम्न स्तर के हो गए हैं?

आपके विधायकों का स्तर इतना निम्न हो गया है कि वे बाजार में बिकाऊ हो गये हैं जैसे हम सब्जी, फल आदि खरीदते हैं वैसे ही हम उन्हें खरीदते हैं। विधायक खरीदे जा रहे हैं। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि राजनीतिक दल स्वयं अपने दल के विधायकों को खरीद रहे थे। अन्य दलों के विधायकों की खरीद के बारे में तो मैं समझ सकता हूं। जनता दल स्वयं अपने जनता दल विधायकों को खरीद रहा था और उन्हें बहुत अधिक पैसे दे रहा था। यह सब हो रहा था। एक बार फिर इन सबके द्वारा यह प्रमाणित हो गया है और यही कारण है कि मैंने कहा कि 1979 की बात दोहरायी गयी है। आपने यह प्रमाणित कर दिया है, सारे राष्ट्र को यह जता दिया है कि पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बावजूद भी आप एक स्थायी और अच्छी सरकार कायम करने में विफल रहे हैं। 1979 के बाद आपने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है। 1989 में आपने पुनः इस बात को प्रमाणित कर दिया है और आपने राष्ट्र को, मतदाताओं को जिसका सामना आप बहुत शीघ्र करने

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

जा रहे हैं इस बात का द्वितीय प्रमाण दिया है। (**व्यवधान**)

यह बात सही है कि मुख्यमंत्री ने जाकर राज्यपाल से भेंट की। लेकिन इस भेंट का क्या उद्देश्य था ? वे राज्यपाल से इसलिए नहीं मिले कि उन्हें बहुमत सिद्ध करने की अनुमति दी जाये बल्कि वे उनसे इस कारण मिले कि उन्हें बहुमत पुनः प्राप्त करने के लिये समय दिया जाये और सिद्ध करने को नहीं कहा जाये क्योंकि वे जानते थे कि 19 तारीख को वे बहुमत खो चुके हैं। वे पुनः बहुमत प्राप्त करना चाहते थे और उन्हें विश्वास था कि 24 घंटे के अन्दर वे 7 विधायकों का समर्थन प्राप्त कर सकते हैं और अगले 3 या 4 दिनों में वे सभी 9 विधायकों का समर्थन प्राप्त कर सकते हैं।

श्री तम्पन थामस : इसलिए आपने वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया।

प्रो० मधु दंडवते : चूंकि आपने उस प्रश्न को बहुत ही स्पष्ट रूप से किया है कि वे इस बात के लिये समय चाहते थे कि क्या वे असहमत हुए विधायकों का मत पुनः प्राप्त कर सकते हैं अथवा नहीं तो मैं ऐसा कहना हूं। वास्तव में राज्यपाल से भेंट कर उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बता दिया था कि जैसा कि सरकारिया आयोग द्वारा कहा गया है, मैं 27 तारीख को इस सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए तैयार हूं। लेकिन यदि आप चाहें तो मैं और पहले भी यह प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने यह बात भी बहुत स्पष्ट रूप से कह दी थी।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : आप जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। यह सब कुछ कह लेने के बाद मैं आपको अपनी बात समझाना चाहता हूं। 16 मार्च, 1971 को जब मैं कर्नाटक में कांग्रेस (ओ) के नेता के रूप में मुख्य मन्त्री था तो चुनाव के परिणाम प्रकाशित हुये और सभी संसदीय सीटों पर हमारी हार हुई थी। 2 दिनों के अन्दर मेरे दल के करीब 3 दर्जन विधायक कांग्रेस में नामांकन के लिए आए। आसूचना स्रोतों से मैंने यह बात जानी। मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त विधान सभा सत्र में थी। किसी भी विपक्षी दल ने मेरे त्याग पत्र की मांग नहीं की और किसी भी प्रकार का शोर-शराबा नहीं हुआ था। तीसरे दिन अर्थात् 18 तारीख की सुबह जब मैंने यह जाना कि मैं बहुमत खो चुका हूं तो मैंने तुरन्त अपने मंत्रीमंडल की बैठक बुलाई और कहा, "मैं बहुमत खो चुका हूं। अतः मन्त्री पद पर बने रहने का मेरा कोई नैतिक अधिकार नहीं है।" उस दिन 12 बजे दोपहर में मैं राज्यपाल के पास गया और अपना त्याग पत्र दे दिया। फिर, क्या हुआ, विपक्ष दल के नेता कांग्रेस (आर)—मैं उन भद्रपुरुष का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उनका स्वर्गवास हो चुका है—ने वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए जल्दबाजी में प्रयास किया। लेकिन एक सप्ताह के बाद दल के आला कमान ने यह निर्णय लिया, "दल बदलुओं के साथ सरकार बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।" फिर क्या हुआ ? रातों रात ही अनेक विधायक भी वापस इस दल में शामिल होने लौट आये और कहा, "अभी एक वर्ष का समय बाकी है। आप क्यों वापस जाना चाहते हैं, आप हम लोगों को भी वापस भेजना क्यों चाहते हैं। कृपया अपना पुनः सरकार बनायें।" मैं यह बात आपको बता रहा हूं, ऐसा रिकार्ड में है। तत्कालीन राज्यपाल ने पुनः मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, "ये सब लोग, जो अपना समर्थन वापस ले चुके थे अथवा जो दूसरे दल में चले गये थे, वापस आ गये हैं और अब वे आपको समर्थन देने के लिये तैयार हैं। क्या आप पुनः सरकार बनाने के लिए तैयार हैं" तब मैंने

उनसे कहा और मैंने प्रेस में भी यह बता दिया, "इन दल बदलू और अस्थायी चित्र वाले विधायकों को साथ लेकर एक स्थायी सरकार बनाना असंभव है। एक बार त्यागपत्र दे देने के पश्चात् मैं फिर इस मामले में पड़ना नहीं चाहता हूं।" पूरी नम्रता और जिम्मेदारी के साथ मैं आपको यह कहता हूं कि इन 40 विधायकों में से किसी को भी जो मेरे दल से दूसरे पक्ष में चले गए थे, अपनी ओर मिलाने के लिए मैंने कोई प्रयत्न या प्रलोभन नहीं दिया। मैं बहुमत खो चुका हूं। अतः मेरी जिम्मेवारी खत्म हो गयी है। मैं अपने पदभार से मुक्ति चाहता हूं। यही परम्परा रही है। यही प्रथा है। (व्यवधान) इसी परम्परा को प्रत्येक को अपनाना है। (व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतांत में इसे दर्ज नहीं किया जायेगा। कृपया अपनी बात आगे कहें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अब, दूसरे पक्ष से यह बात कही गयी कि यह लोकतन्त्र का हनन है। लोकतन्त्र का हनन किया गया है और लोकतन्त्र अब रहा ही नहीं। इस प्रकार से सभी विपक्ष की सरकारों को सत्ताच्युत कर दिया जाएगा।

मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1984 के संसदीय चुनाव में—मैं चूंकि कर्नाटक राज्य से सम्बन्धित हूं और अभिलेखों के लिये भी मुझे ये सारी बातें आपको बतानी चाहिए—दिसम्बर 1984 के संसदीय चुनावों के समय आप जानते हैं कि कौन मुख्यमंत्री था और कौन सा दल सत्ता में था। जनता पार्टी सत्ता में थी। प्रथम मुख्य मंत्री वहां मुख्यमन्त्री के रूप में पदासीन थे। विपक्ष में होते हुए भी कांग्रेस ने 28 में से 24 सीटों पर विजय हासिल की और जनता पार्टी को सिर्फ 4 सीटें प्राप्त हुई और तब मुख्यमन्त्री ने नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार की। उन्होंने कहा, "अब आप देखें! मैंने लोगों का समर्थन खो दिया है। लोगों ने मेरे विरुद्ध मतदान किया है। अतः पद पर बने रहने का मुझे कोई नैतिक अधिकार नहीं है।" उन्होंने राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे दिया। जनवरी 1985 के शुरू में ही चुनाव परिणाम आने के तुरन्त बाद ही उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे दिया। राज्यपाल ने सिर्फ यही कहा होगा, "ठीक है, धन्यवाद! आपने त्यागपत्र दिया है। मैं इसे स्वीकार करता हूं और मैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करूंगा।" लेकिन फिर क्या हुआ? हमारे प्रधानमन्त्री ने कहा, "कुछ नहीं किया जायेगा। आगामी चुनाव होने तक उन्हें ही शासन चलाने दिया जाये।" यह रिकार्ड में है। मैं बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। उन्हें सत्ता में बने रहने की स्वीकृति दी गयी थी। राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देने के बाद भी प्रथम मुख्यमन्त्री को शासन चलाने दिया गया था। उन्होंने कहा, "नहीं, कुछ नहीं किया जायेगा। उन्हें सत्ता में रहने दिया जाये। उन्हें आगामी चुनाव का सामना करने दिया जाये और हम लोग जनता के पास जायेंगे और जनता का निर्णय सुनेंगे। जनता द्वारा किया गया निर्णय भिन्न था। अलग परिस्थितियों और कारकों के लिए यह एक अलग बात है। मैं यह कह रहा हूं कि यदि हमारे प्रधानमन्त्री सभी गैर कांग्रेसी सरकारों को समाप्त करना चाहते, यदि वे सभी गैर कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त करना चाहते, यदि वे सभी गैर कांग्रेसी सरकारों की समाप्ति चाहते तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही शानदार मौका था और जबकि मुख्यमन्त्री ने स्वयं कहा, "मैं सत्ता में नहीं रह सकता हूं। मेरा त्यागपत्र स्वीकार किया जाये। हमें विधान सभा भंग कर देनी चाहिए।" उन्होंने कहा, 'नहीं'।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि झूठा आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है। मान लीजिए प्रधानमंत्री कुछ करते हैं तो इसे अपनाने और स्वीकारने का नैतिक बल आप में होना चाहिए। यही कारण है कि मैंने सारी बातों का जिक्र किया।

एक अन्तिम मुद्दा यह है (व्यवधान) प्रेस तथा दूसरे पक्ष का प्रत्येक व्यक्ति, यह बात पूछ रहे हैं कि अन्तिम मुख्यमंत्री को सभा में अपने बहुमत प्रदर्शित करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई थी। यह एक न्यायालय है। मैं सिर्फ यह कह सकता हूं और नम्रतापूर्वक यह सलाह देता हूं कि जिनमें स्वयं कोई त्रुटि होती है उन्हें दूसरों में खामियां नहीं निकालनी चाहिए।

मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। 1977 में देवराज अर्स मुख्यमंत्री थे। श्री देवराज अर्स के नेतृत्व में वहां कांग्रेस मंत्रीमंडल था। मैं समझता हू कि श्री देवराज अर्स का नाम मेरे द्वारा लिए जाने पर श्री जयपाल रेड्डी जी को कोई आपत्ति नहीं है। कर्नाटक में देवराज अर्स का मंत्रीमंडल था और 27 तारीख को कुछ विधायकों ने राज्यपाल के पास जाकर कहा, "हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं और हम श्री देवराज अर्स को मुख्यमंत्री को रूप में नहीं चाहते। इस विधान-सभा को भंग कर दिया जाए।" फिर क्या हुआ? 27 तारीख को यह बात हुई। इसके पहले ही विधानसभा की बैठक बुलाई गई थी और 3 जनवरी 1988 को इसकी बैठक होनी थी। जब उन्हें इसकी जानकारी हुई, स्वर्गीय देवराज अर्स राज्यपाल के पास पहुंचे और कहा—"मुझे समर्थन मिल गया है। मुझे बहुमत प्राप्त हो गई है। मैं अपना बहुमत सिद्ध करने की स्थिति में हूं और तीन दिनों में विधानसभा की बैठक होने जा रही है। मुझे 72 घंटे की मोहलत दी जाए।" मैं सभा में अपनी शक्ति, अपना समर्थन और अपना बहुमत प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं।" फिर क्या हुआ? उस समय केन्द्र में किसकी सरकार थी? मैं सोचता हूं प्रो दंडवते हमें इसके बारे में बतायेंगे! उस समय यहां किसकी सरकार थी? वहां राज्यपाल कौन थे? मैं श्री जयपाल रेड्डी और प्रो० दंडवते को भी 31 दिसम्बर 1977 की राज्यपाल की रिपोर्ट पढ़ने की सलाह देना चाहूंगा और उन्होने सीधे विधानसभा भंग किए जाने और उस सरकार को बर्खास्त किए जाने की सिफारिश की। (व्यवधान) परिणामस्वरूप तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवराज अर्स द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद 31.12.1977 को इसे अस्वीकार कर दिया गया था और जनता दल जो कि इस ओर विराजमान हैं, की तत्कालीन सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। इस प्रकार 1977 में उन्होंने श्री देवराज अर्स के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बर्खास्त किया था···(व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं कि किस अधिकार से— दूसरों के बारे में मैं समझ सकता हूं – प्रो० दंडवते और श्री जयपाल रेड्डी सरकार के इस पक्ष के सदस्यों को यह सलाह देते हैं कि हमें अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए · (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, उन्होंने मेरा जिक्र किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दल-बदल विरोधी कानून उस वक्त नहीं बना था। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सिर्फ यही बात नहीं है। 1977 में विधिवत् निर्वाचित करीब आधा दर्जन कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को उन्होंने बर्खास्त किया था। मैं कोई उदाहरण नहीं पेश कर रहा हूं। मैं समझता हूं उन्हें यह सब अच्छी तरह याद है और मुझे फिर से उन्हें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उस समय आप कहां थे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं कहीं भी था, आपको इससे क्या मतलब ? आप मुझसे यह क्यों पूछ रहे हैं ? (व्यवधान) उन्होंने आधे दर्जन कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को इस आधार पर बर्खास्त कर दिया था कि वे लोगों का समर्थन खो चुके हैं। अन्त में, मैं एक परामर्श देना चाहूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : वे उस समय कांग्रेस दल में शामिल नहीं हुए थे। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र पाटिल : प्रश्न इस बात का नहीं है कि कौन व्यक्ति इस पक्ष में है और कौन उस पक्ष में है। प्रश्न तथ्यों का है। यह आपका दायित्व है कि उन तथ्यों की जांच करें जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं।

श्री दिनेश गोस्वामी : यदि यह सब जनता पार्टी द्वारा किया जाए तो भी क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे ? मैं वस्तुतः यही जानना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं यह कह रहा हूं कि स्वयं गलती करने के बाद वे हम पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैंने यही बात कही है।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आपस में बात न करें। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, अब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं नेताओं से, विशेष रूप से जनता दल के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे दूसरों में त्रुटियां ढूंढने के बजाये स्वयं में सुधार लायें। उन्हें अपनी अन्तरात्मा में झांकना चाहिए। उन्हें यह मालूम करना चाहिए कि जनता दल में क्या त्रुटियां है। इनका पता उन्हें अवश्य लगाना चाहिए क्योंकि मैं समझता हूं कि इस दल में अनेक नेता हैं और प्रत्येक नेता, चाहे वह संसदीय चुनाव में निर्वाचित होने की स्थिति में नहीं भी है, प्रधानमंत्री बनने के लिए लालायित है। यही समस्या है। जनता दल की मुख्य त्रुटियां इसी समस्या के कारण हैं। अतः वे अनावश्यक रूप से इस सरकार और अन्य लोगों पर आरोप क्यों लगाते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : गुजरात, राजस्थान और बिहार में क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, फैसला करना जनता के हाथ में है। अब लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने, अपनी मनपसंद पार्टी निर्वाचित करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं एक परामर्श दूंगा। हम सभी को जनता के समक्ष जाना चाहिए और उनका समर्थन प्राप्त करना चाहिए। जहां तक मैं और मेरे दल का सम्बन्ध है, हम चाहते हैं कि चुनाव जल्दी करायें जायें ! इतना कहने के बाद अब मैं अपनी बात उर्दू के प्रसिद्ध शेर में व्यक्त करता हूं :

[हिन्दी]

'दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से,
इस घर को आग लगी है, इस घर के चिराग से।"

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

[अनुवाद]

जनता दल की वर्तमान परिस्थितियों पर यह शेर बिलकुल सही बैठता है। उस दल में अनेक चिराग हैं। प्रत्येक चिराग दल को नष्ट करना चाहता है। इस दल में एक या दो चिराग नहीं बल्कि सैकड़ों चिराग हैं। अत: यह उनकी जिम्मेवारी है कि वे अपने दल पर ध्यान दें और विवाद की स्थिति का समाधान करने का प्रयास करें। वे साफ छवि के साथ जनता के समक्ष आना चाहते हैं। यही कारण है कि मैंने सोचा कि मुझे अपने विचार बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देने चाहिएं।

महोदय, मैं आपके और अन्य सदस्यों के प्रति बहुत कृतज्ञ हूं यद्यपि उन्होंने बहुत व्यवधान उत्पन्न किए लेकिन अन्तत: मैं अपनी बात कहने में सफल हो सका।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि पांचवीं या छठी दफा ऐसा हुआ है कि वर्तमान सरकार ने अनुच्छेद 356 का सहारा लिया है। जिस प्रकार अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर संविधान का दुरुपयोग किया गया है उसी प्रकार अब बेकार की बातों की चर्चा कर इस पूरी बहस के महत्व को भी कम किया जा रहा है। यहां प्रश्न यह नहीं है कि जनता सरकार अथवा जनता दल की सरकार ने कर्नाटक में एक अच्छी और सक्षम सरकार की व्यवस्था की थी अथवा यह सिर्फ भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता और विधायकों की खरीद-फरोख्त में ही लिप्त थी।

प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 356 का सहारा लेकर और जिस तारीख को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, क्या वह उचित था। यही मुख्य बात है। किसी भी व्यक्ति को पागल कह कर उसे मार दें। किसी मुख्यमंत्री को बुलाकर, यह कह कर कि उन्होंने सभा में अपना बहुमत खो दिया है विधानसभा भंग कर दें। क्या विधानसभा भंग करने का यही तरीका है? क्या एक सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत यही तरीका अपनाया जाना चाहिए? वास्तविक मुद्दों का विश्लेषण और उत्तर सरकार का पक्ष लेने वाले किसी अखबार में नहीं बल्कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अखबार 'दि हिन्दू' में दिया गया है। आज इसमें एक सम्पादकीय प्रकाशित हुआ है। मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय मंत्री 'दि हिन्दू' के सम्पादकीय का उत्तर दें। (व्यवधान)

अब प्रश्न यह है कि चलो मान भी लिया कि निश्चित रूप से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि श्री बोम्मई अपना बहुमत खो चुके हैं तो भी यह कहने का अधिकारी कौन है कि वे अपना बहुमत खो चुके हैं। राज्यपाल इस बात का निर्णय नहीं कर सकते। इस बात का उत्तर कर्नाटक विधान सभा को देना है। मान लीजिए की कर्नाटक विधान सभा अथवा कर्नाटक के लोगों ने रावण को अपना मुख्यमंत्री निर्वाचित कर लिया तो दिल्ली में हम यह कहते हैं कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, वह आप लोगों का शासन चलाने के योग्य नहीं है और उसे बर्खास्त कर देते हैं। यदि मुख्य मन्त्री वास्तव में राम भी है और उस राज्य की विधानसभा उसमें अपना विश्वास नहीं प्रकट करती है तो हम उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बनाये रख सकते हैं।

उन्हें पद त्यागना ही होगा। उन्हें त्याग पत्र देना ही होगा। विधान सभा को प्राप्त अधिकार ही लोकतन्त्र की जान है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है

तथा वे अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। सिवाए विधान सभा के, जिसने उन्हें सभा का नेता निर्वाचित किया है, कोई भी किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता है। अतः आवश्यक प्रश्न यह है कि क्या विधान सभा की उपेक्षा करके निर्वाचित मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है। यह प्रश्न अचानक ही नहीं उठाया गया है बल्कि यह प्रश्न शुरू से ही विवादास्पद रहा है। यह उन प्रश्नों में से एक है जिन्हें न्यायमूर्ति श्री सरकारिया के पास स्पष्टीकरण के लिये विशेष रूप से भेजा गया था और न्यायमूर्ति श्री सरकारिया ने कुछ सिफारिशें भी की हैं। यहां तक कि आपने भी यह नहीं कहा है कि सरकारिया आयोग की सिफारिशें अस्वीकार्य हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यायालयों में भी इस प्रश्न को उठाया गया था। उन्होंने सभा में बहुमत परीक्षण की बात कही है। इस प्रश्न का परीक्षण सभा में ही किया जाना है।

वाद-विवाद के दौरान, सदस्य प्रत्यक्षतः कोई विचार प्रकट कर सकते हैं लेकिन अन्ततः जब मतदान का प्रश्न आता है - उस विशेष समय तक—उन्हें यह अधिकार प्राप्त होता है कि एक विशेष मुद्दे के पक्ष में उन्हें मत देना चाहिए अथवा नहीं। प्रत्यक्षतः वह कोई भी विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अन्तिम परीक्षा तभी होती है जब वे मतदान का निर्णय लेते हैं। विपक्ष के सदस्यों द्वारा और सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा अनेक बार आलोचनायें की जाती हैं। वे विभाग की आलोचना करते हैं, लेकिन जब मतदान का समय आता है तो वे अनुदान को मांगों के पक्ष में ही मतदान करते हैं। सिर्फ इसलिये कि उन्होंने इसकी आलोचना की है, क्या हम यह कह दें कि मंत्रालय ने अपना विश्वास खो दिया है? उन्हें आलोचना का अधिकार प्राप्त है लेकिन अन्तिम अधिकार वही है जब कोई विधायक या सांसद निर्णय लेते हैं और यह कहते हैं कि अपनी आलोचना के बावजूद वे इसके पक्ष में मत देंगे। उन्हें अन्तिम रूप से यह निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है कि उन्हें कोई निर्णय करना है या नहीं। अन्ततोगत्वा इस बात से ही मामला पलट जाता है।

3.32 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

अतः सिर्फ इसलिये कि सदस्य अपने दल की आलोचना करते हैं अथवा अपने विचार प्रकट करते हैं - केन्द्रीय कक्ष में मैं जाता हूं और किसी बात की आलोचना करता हूं अथवा माननीय मंत्री या अन्य व्यक्ति को कुछ कहता हूं—इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने अपने दल का त्याग कर दिया है अथवा अपने दल के विरूद्ध मतदान का निर्णय किया है।

सभा में बहुमत परीक्षण, जिसकी सिफारिश न्यायालयों और सरकारिया आयोग द्वारा की गयी है, इस बात से सम्बद्ध है कि मुख्यमंत्री को सदन का बहुमत प्राप्त है अथवा नहीं, इसका निर्णय सभा में ही किया जाए। कोई पत्नी अपने पति के साथ रहने के लिये तैयार है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय घर में ही किया जाना चाहिए। सिर्फ इसलिये कि उसने कुछ नाराजगी प्रकट की हैं, वह खुश नहीं है, यही इतना बड़ा कारण नहीं है कि आप तलाक की बात करें और दोनों को अलग कर दें।

अतः मुख्य प्रश्न यह है कि आप श्री बोम्मई के प्रति अविश्वास प्रकट करने का अधिकार कर्नाटक विधान सभा से नहीं छीन सकते हैं। श्री बोम्मई ने स्वयं 27 ता० तक का समय मांगा है। वस्तुत सरकारिया आयोग ने 30 दिनों की सिफारिश की है। किसी भी मुख्यमंत्री को विश्वास का

[श्री ई० अय्यपू रेड्डी]

मत प्राप्त करने के लिये कम से कम 30 दिनों का समय अवश्य दिया जाना चाहिए। आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? आखिरकार, सात दिनों की सूचना के बाद ही विधानसभा की बैठक बुलायी जा सकती है।

एक माननीय सदस्य : अब आप विधायकों की खरीद-फरोख्त की बात करें।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : जी हां, अब मैं विधायकों की खरीद-फरोख्त की बात करूंगा और बिकाऊ विधायक कौन है तथा उन्हें खरीदने वाले कौन हैं इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा।

इसमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता कहां थी? जैसा कि मैंने कहा, शायद सदस्य वहां गये हों और उन्होंने कहा हो कि वे असंतुष्ट हैं। लेकिन अपने विचार में परिवर्तन करने का भी उन्हें अधिकार है। वास्तव में शुरू में मतदाता यह कह सकते हैं कि वे अमुक दल के पक्ष में मतदान करेंगे लेकिन अन्ततः जब वे मतदान के लिये जाते हैं और मतदान पेटी में अपना मत डालते हैं, तब भी वे अपने विचारों में परिवर्तन कर सकते हैं और किसी अन्य दल के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका मत अवैध हो जाता है। अतः मत परिवर्तन का आग्रह करने तथा विचार परिवर्तन का अधिकार लोकतन्त्र में अन्तर्निहित है।

कुछ लोगों ने राज्यपाल के पास अपने विचार प्रकट किये थे। इसके कारण प्रत्यक्षतः वह मुख्यमन्त्री को सभा की बैठक बुलाकर अपना बहुमत प्रकट करने के लिये कह सकते हैं। इससे उन्हें मुख्यमंत्री को अपना बहुमत प्रकट करने को कहने का आधार तो मिलता है पर मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। यह तो अन्तर्निहित है।

मैं अपनी बात उदाहरण द्वारा कहता हूं। 'क' ने एक हत्या की है। चार लोग इसके गवाह हैं। उनकी गवाही पुलिस अधिकारी द्वारा रिकार्ड कर ली गई है। वह उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, उनकी गवाही रिकार्ड कर सकते हैं और उन्हें न्यायालय के समक्ष उपस्थित करवा सकते हैं। तब उन्होंने स्वतः घोषणा की, "उसका दोष सिद्ध कर उसे फांसी दें।" तब कह सकते है कि जब तक यह मामला विचार के लिये आता है, तब तक इन चारों गवाहों को सौदेबाजी कर बरगलाया जा सकता है और साथ ही अभियुक्तों द्वारा भी उन पर काबू किया जा सकता है अतः मैं अपनी प्रक्रिया को संक्षिप्त कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : ऐसा हुआ है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : हां, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग उस प्रक्रिया को नहीं छोड़ रहे हैं। उनके पास एक स्वतन्त्र न्यायपालिका है उनका एक स्वतंत्र विधान मण्डल है और इसकी कार्यवाही को संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है। अब यह यहां हो सकता है। सत्ता पर किसी भी दल का एकाधिकार नहीं है। कल या बाद में कोई अन्य दल केन्द्र में सत्ता पर आ सकता है। क्या आप चाहते हैं कि वह भी ऐसा सिद्धांत अपनायें? क्या आप चाहते हैं कि वे किसी निर्वाचन सरकार को बर्खास्त करने के लिये ऐसी प्रकिया अपनायें।

श्री पाटिल जी ने श्री उर्स की सरकार की बर्खास्त की बात कही है। क्या वह न्यायसंगत है? क्या यह एक अच्छा पुर्वोदाहरण है? क्या वह ऐसे पूर्वोदाहरण की सिफारिश करते हैं? (व्यवधान)

सभापति महोदय : यहां कोई टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या आप ऐसा गलत पूर्वोदाहरण चाहते हैं और इसे न्यायसंगत सिद्ध करना चाहते हैं ? मैंने यही कहा है। किसी को बदनाम कर उसे मारने की जरूरत नहीं है। यह ऐसा सिद्धान्त नहीं है जिससे भारत जैसे महान प्रजातन्त्र देश को अपना कार्य निष्पादन करना पड़े। केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भारत के प्रजातांत्रिक काम करने के ढांचे पर निगरानी रखते हुए यह देख रहा है कि हम निर्वाचित सरकार को बर्खास्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। यह केवल श्री बोम्मई सरकार द्वारा या कुछ विधायकों द्वारा किये गये मामले से सम्बन्धित नहीं है। यह एक सैद्धान्तिक बात है जो संविधान के कार्यों को निष्पादित करने और उसे कार्यान्वित करने से संबंधित है। संविधान के महान् विद्वानों ने जिन्होंने इस प्रश्न की जांच की है, उन्होंने विधि वेत्ताओं की प्रत्येक सभा में और बैठक में कुछ सिद्धांत निर्धारित किये हैं जिससे मात्र न्याय किया ही नहीं जाना चाहिये बल्कि न्याय किया गया ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने अपना बहुमत खो दिया है या नहीं, इसका पता राज्यपाल द्वारा बैठक कक्ष में नहीं लगाया जा सकता। इसका निर्णय केवल सभापटल पर होना चाहिये न कि कहीं और। मान लीजिए की आज यहां कोई शक्तिशाली राष्ट्रपति होता और वह यह कहता कि निर्वाचित प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने सदन का विश्वास खो दिया है, तो क्या हम प्रधानमंत्री कीस्थिति को स्पष्ट करने के लिये अपने अधिकारों का त्याग कर देंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति यह घोषणा करता है कि उन्होंने विश्वास खो दिया है तो क्या हम उन्हें बर्खास्त कर देंगे। वह बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। हम विपक्ष के लोग भी इसका विरोध करेंगे। क्योंकि यह सदन और विधान मंडल का अधिकार है कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाय न कि और किसी को।

श्री पाटिल जी ने कहा है कि जनता दल सरकार एक बहुत ही खराब सरकार है। इस निर्णय का अधिकार, मात्र जनता को है कि उनकी सरकार अच्छी है या खराब है। अगर सही में जनता दल की सरकार खराब है, तो भी इसकी पुष्टि निर्धारित कानून और प्रक्रिया द्वारा की जानी चाहिये। तब कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि श्री राजीव गांधी को, इस राज्य, और तमिलनाडु के उप-चुनावों में पराजय का सामना करना पड़ा है अत उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिये। क्योंकि उन्होंने भारत की जनता का विश्वास खो दिया। क्या हम इस तर्क को प्रस्तुत कर सकते हैं ? इसकी अलग एक प्रक्रिया और व्यवस्था है। इसके लिये एक आम-चुनाव होना चाहिये। क्या अच्छा है और क्या खराब वह अन्ततः भारत की जनता द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिये न कि हमारे द्वारा। श्री वेंकट सुबैया कौन हैं जो यह निर्णय करें की श्री बोम्मई ने विश्वास खोया है या नहीं ? श्री वेंकट सुबैया मेरे एक अच्छे मित्र हैं। वह मेरे जिले के है। (व्यवधान)

वह 1985 में गृह मंत्री थे। वह चुनाव हार गए थे। श्री सुब्बा रेड्डी ने उनको करीब 60 हजार मतों से पराजित किया था। लेकिन यह उनका भाग्य है कि वह राज्यपाल बनाए गए। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से वह कर्नाटक में शासन करने जा रहे हैं। (व्यवधान)

1985 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री यहां थे, मैंने उनसे आग्रह किया था कि चुनाव में हारे हुए संसद के सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त ना किया जाए क्योंकि इससे राज्यपाल के पद की गरिमा कम होगी। इसके अतिरिक्त लोगों के मन में यह विचार भी आयेगा कि आपके मन में प्रजातंत्र के प्रति कोई आदर नहीं है क्योंकि उन्होंने जिस व्यक्ति को ठुकरा दिया

[श्री ई० अय्यपू रेड्डी]

है उसे आप राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं। कांग्रेस में सैंकड़ों सक्षम व्यक्ति विद्यमान हैं। उनकी नियुक्ति की जा सकती है। अतः हारे हुए को ही क्यों चुना जाए। (व्यवधान)। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वे जानते हैं कि जो व्यक्ति लोगों का विश्वास खो चुका होता है उसे नियुक्त करने से उसे एक नया राजनीतिक जीवन प्राप्त होता है और वह हमेशा उनका आभारी रहेगा। उसे उन लोगों का आभारी रहना होगा जिन्होंने उसे नया राजनीतिक जीवन प्रदान किया है। (व्यवधान) समाचारपत्रों में से इस बात का पता चलता है कि श्री वेंकटसुबैया को एक महीना पहले ही बुलाया गया था और जनता दल को स्वीकृति प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश किए थे। प्रेस में यह भी आया था कि उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को दे दिया है और बंगलौर वापस आने पर जब लोगों ने इसकी पुष्टि करनी चाही कि क्या उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को दे दिया है अथवा नहीं तो उन्होंने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया था उन्होंने कहा था कि मैं इसका उत्तर सही वक्त पर दूंगा। उन्होंने इस बात से कभी इंकार नहीं किया कि उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है। बाद में ऐसा कहा गया कि वे अपना त्यागपत्र देने जा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ पर अब यह हो गया। (व्यवधान)

दूसरी ओर से कुछ लोगों ने खरीद-फरोख्त की बात कही है। यह खरीद-फरोख्त कहां हैं? क्या वह एक ऐसा आदमी है जिसे राज्यपाल का पद इसलिए दिया गया कि दिल्ली से जो भी निर्देश दिये जाएं वह उसे करें यह खरीद-फरोख्त ही तो है? क्या यह यह खरीद-फरोख्त नहीं है कि जब एक मुख्यमंत्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है या फिर लोगों का विश्वास खोने के बाद भी उसे मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जाता है तो क्या यह खरीद-फरोख्त नहीं है कि उस व्यक्ति, जिसने इस तरह की हरकत की हो और फिर उसे आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महा-सचिव नियुक्त कर दिया जाए? अतः खरीद-फरोख्त का उल्लेख करना बहुत आसान है। इस बात का क्या प्रमाण है कि वहां खरीद-फरोख्त की गयी थी केवल इस बात को छोड़कर कि ये लोग अपनी बात से मुकर गये थे? (व्यवधान)। जब आपको किसी बात के लिए सहमत किया जा रहा है या फिर आपको अपना विचार बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है तो वहां भी तो खरीद-फरोख्त की गुंजाइश है। मेरा मतलब यह नहीं है कि हमें खरीद-फरोख्त में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए लेकिन क्या प्रत्येक राजनीतिक दल का घोषणा पत्र एक तरह की खरीद-फरोख्त नहीं होता। (व्यवधान)। घोषणा पत्र में राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि अपने पक्ष में बहुमत कैसे हासिल किया जाए। अतः दूसरों के कामों को खरीद-फरोख्त कहना बहुत आसाम है पर स्वयं को उच्च नैतिकता और उच्च सिद्धांतों में ढालना बहुत मुश्किल है। मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि मैंने श्री बोम्मई या श्री हेगड़े के कार्यों को युक्तिसंगत बताया है। मैं उनकी सरकार के गुण और दोषों में नहीं जा रहा हूं। इस विषय पर निर्णय करना अन्ततः कर्नाटक के लोगों का काम है।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : ऐसा ही किया गया है। लोग अपने निर्णय देंगे। राज्यपाल ने कोई निर्णय नहीं दिया है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : अब मैं सच्चे दिल से आपसे अनुरोध करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके—तीन महीने के अन्दर आप इससे फायदा उठा लें और मुझे बहुत खुशी होगी यदि आपके दल

के आदमी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया जाए।...(व्यवधान)

तीन महीने के अन्दर आप चुनाव करवाने का प्रयत्न करें और अगर आप चुनाव जीतने में सफल होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है; हम लोग आपको पहले से ही बधाई दे देते हैं।

श्री बी० आर० भगत (आरा) : सभापति महोदय, मुझे बहुत दुःख के साथ इस अवसर पर बोलना पड़ रहा है; दुःख इसलिए कि यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र खराब हो जाता है तो यह प्रजातंत्र और प्रजातंत्र के समर्थक के लिए दुःख की बात है। लेकिन मुझे ज्यादा दुःख इस बात का है कि हमारा रवैया वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। ज्यादा तटस्थ न होते हुए हमें कोई ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने से रोका जाए, लेकिन हमारे दूसरी ओर बैठे हुए माननीय मित्रगण दोषारोपण करने के मूड में हैं।

महोदय, यह राज्यपाल का कर्तव्य है कि वह संविधान के अधीन रिपोर्ट बनायें। यदि वह रिपोर्ट नहीं बनाता तो वह अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करने का दोषी होता है, लेकिन उसके लिए राज्यपाल पर अनेक लांछन लगाए गए, अनेक असंसदीय शब्द कहे गए, जिसके लिए मैं समझता हूं कि हम सभी को पश्चाताप करना चाहिए। यह आत्मविश्लेषण का समय है।

जहां तक कांग्रेस दल का संबंध है, कर्नाटक के बारे में हमें प्रामाणिक जानकारी मिली है। यह विपक्षी दल था जो कर्नाटक में शासन कर रहा था। श्री वीरेन्द्र पाटिल, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी कांग्रेस (आई) ने हमें कर्नाटक के बारे में प्रामाणिक छवि प्रस्तुत की है। उन्होंने अखंड तर्क और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। उनका खंडन करने के बदले हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यगणों ने उन्हें दबाने की कोशिश की है; उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया। उन्हें बड़ी कठिनाई से अपनी बात कहने की अनुमति दी गई, उन्होंने अपनी बातें प्रभावशाली ढंग से कही।

विपक्ष की प्रमुख आपत्ति है कि राज्यपाल ने विधान सभा में बहुमत की जांच करने के बजाए अपने आप निर्णय किया जो उनके ख्याल से उनका अपराध है। इस बुनियादी बात के बारे में इस विवाद में भाग लेना चाहता हूं।

यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 356 में क्या उल्लेख किया गया है ?

> "यदि राष्ट्रपति का राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है..."

अतः बहुमत का निर्णय करने का प्रश्न और संविधान के भंग होने से सम्बन्धित प्रश्न का निर्णय विधान सभा द्वारा करने का प्रश्न नहीं है। मैं यही बात कह रहा हूं। हम केवल एक बात कह रहे हैं कि विगत में कभी यह मामला विधान सभा ने निपटाया था परन्तु अधिकांश मामलों में राज्यपाल ने अपना निर्णय दिया, वह अपने तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यही प्रक्रिया रही है।

सरकारिया आयोग का उल्लेख किया गया था। सरकारिया आयोग ने सिफारिश की है। हमने इस पर चर्चा की है और जब तक सभा इसे स्वीकार नहीं करेगी, यह देश का कानून नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिशें भी की गई हैं। हम नहीं कह सकते कि सरकारिया आयोग

[श्री बी० आर० भगत]

ने सिफारिश की है कि सभी मामले तथा बहुमत का मामला विधान मंडल को निपटाने चाहिए तथा इनमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सिफारिश के बिना भी यह एक संवैधानिक उपबंध है। सरकारिया आयोग ने कोई नया संविधान निर्धारित नहीं किया है। उसने संविधान का विश्लेषण किया है। यह कहने से क्या लाभ है। संविधान कानून है।

श्री बी० आर० भगत : मैं यही कह रहा हूं। अनुच्छेद 356 मे कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि विधान मंडल को बहुमत की जांच करनी चाहिए। राज्यपाल ऐसा कर सकता है। विगत में राज्यपाल ने अनुमति दी है कि सभा में इसकी जांच की जाए परन्तु अधिकतर मामलों में राज्यपाल ने स्वयं निर्णय किए हैं और रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। इस मामले में भी उन्होंने रिपोर्ट पेश की है हम उस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं और उसके आधार पर उद्घोषणा की गई है।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : क्या आप यह कह रहे हैं कि राज्यपाल अपनी इच्छा से कार्य कर सकता है और सरकार को बर्खास्त कर सकता है ?

श्री बी० आर० भगत : राज्यपाल अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी के अनुसार काम करता है। यह एक उच्च पद है और उसमें जिम्मेदारी की अधिक भावना है। वह अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकता। उसे ठोस तथ्यों के आधार पर कार्य करना है और जिम्मेदारीपूर्ण निर्णय करना है जो राज्यपाल की रिपोर्ट में सम्मिलित है।

अब मैं राज्यपाल की रिपोर्ट का उल्लेख करता हूं जो चर्चा का विषय है। कोई भी रिपोर्ट का उल्लेख नहीं कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति निरुद्देश्य बात कर रहा है। हमारे संविधान में यह व्यवस्था नहीं है कि बहुमत की सभा में जांच की जाए।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : रिपोर्ट कहां है ? आपको कहां से मिली है ?

श्री बी० आर० भगत : इसे सभा पटल पर रखा जा चुका है। यह गोपनीय दस्तावेज नहीं हैं। श्री वीरेन्द्र पाटिल ने भी इसका उल्लेख किया है।

उन्नीस सदस्यों ने उन्हें पत्र लिखे हैं कि वे मंत्रिमंडल से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। राज्यपाल ने विधान मंडल के सचिव से हस्ताक्षर प्रमाणित कराए जो एक स्वतंत्र व्यक्ति है। उन्होंने उन्हें बताया कि ये हस्ताक्षर यथार्थ हैं। उन्होंने उनकी बात मान ली कि उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। उसके बाद जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि सात विधायक और अन्य पांच विधायकों ने उन्हें बताया कि उन्होंने गलत धारणा से समर्थन वापसी के पत्र दिए थे। इससे उनके समर्थन वापसी की बात की पुष्टि हो गई। इसका तात्पर्य है कि पत्र तथा हस्ताक्षर असली हैं परन्तु उन्होंने गलत धारणा से लिखे थे अब वे पुनः समर्थन दे रहे हैं तथा एक सप्ताह बाद 27 तारीख को मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है उनसे विधान मंडल में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाए। राज्यपाल को आगे जानकारी मिली। उन्होंने इसके बारे में भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि विधायकों की खरीद-फरोख्त पहले से ही हो रही है। उन्हें अपना निर्णय करना है और निष्कर्ष

निकालना है। यह व्यक्तिगत और वस्तुपरक निर्णय हो सकता है। वह इससे संतुष्ट थे कि सरकार ने बहुमत खो दिया है क्योंकि उन्हें 19 सदस्यों ने पत्र लिखे थे। इसलिए विधान सभा में जांच का प्रश्न ही नहीं उठता। आप और देश के लोग जानते हैं कि सदस्य विधानमंडल में कैसे कार्य करते हैं। मेरे पास अनेक समाचार पत्रों की कतरनें है। जिनमें इन घटनाओं के बारे में क्या कहा गया है? अनेक समाचार पत्र विपक्ष के समर्थक हैं। परन्तु उन्होंने क्या लिखा है? "दि सन्डे ऑबजेंवर" इसे "कर्नाटक में हारा-कीरी" लिखता है। श्री वीरेन्द्र पाटिल ने भी यही कहा है। कुछ लोगों ने कहा कि श्री देव गौड़ा ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। पहले वह उस पार्टी में थे। अब वह विपक्ष के जिम्मेदार और वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनकी बात को अन्त में उद्धृत करूंगा। "दि इंडियन एक्सप्रेस" लिखता है "यह उनके कार्यों का फल" है। यह जनता की राय है। अब मुझे श्री मधु लिमये की बात उद्धृत करनी चाहिए आखिरकार वह पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते। वह प्रतिष्ठित नेता और महान सांसद हैं। आप सब उनके बारे में जानते हैं। यदि आप हमारे निर्णय को नहीं मानते तो कम से कम उनका निर्णय मान सकते हैं। "गिल्टी" शीर्षक के अन्तर्गत उन्होंने उनके बारे में बताया है जिन्होने कर्नाटक में जनता दल का विभाजन किया वह कहते हैं कि श्री देव गौड़ा को कर्नाटक जनता दल का अध्यक्ष बनाने का आश्वासन दिया गया। समझौते का पालन नहीं किया गया तो श्री देवगौड़ा ने दल को छोड़ दिया। यह एक ऐसा कारक है जिसकी वजह से इसका विभाजन हुआ। तत्पश्चात वह दूसरे नेता के बारे में उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि हेगड़े श्री बोम्मई की जांच की रिपोर्टों से बड़े परेशान थे। श्री वीरेन्द्र पाटिल ने भी श्री राव समिति की रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टों का उल्लेख किया है। श्री मधु लिमये के अनुसार श्री हेगड़े ने इस सरकार को बदलना चाहा। जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो बोम्मई सरकार द्वारा शुरू की गयी सभी जांचें केन्द्र पूरी करेगा और तब वह कह सकते हैं कि केन्द्र ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है इसलिए यह उनके विरुद्ध कार्य कर रहा है ताकि राजनैतिक मामले निपटाए जा सकें। यह मेरा नहीं श्री लिमये का निर्णय है। कम से कम इसे तो स्वीकार कीजिए। इसलिए श्री वीरेन्द्र पाटिल ने ठीक कहा है कि स्वार्थ, भ्रष्टाचार और बड़े नेताओं में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण लोकतंत्र की हत्या हुई है। आप लोकतंत्र के हत्यारों का समर्थन कर रहे हैं। यह वास्तव में बड़ी शोचनीय स्थिति है। यह एक ऐसी पार्टी है जो अपने दुष्कर्मों के कारण विफल हुई है तथा राज्यपाल ने उचित कार्य किया है।

मैं आपकी दोहरी नीति को सिद्ध करने के लिए एक बात और बताना चाहता हूं। इससे पहले अफवाह उड़ी कि राज्यपाल से त्यागपत्र देने के लिए कहा गया है। यह अफवाह थी कि केन्द्र राज्यपाल से नाराज है क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में जनता दल को स्वीकार किया है। उस समय अर्थात् 13 मार्च को कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने यह अफवाह उड़ायी कि राज्यपाल से त्यागपत्र देने के लिए कहा गया है और कर्नाटक में सरकार को अस्थिर बनाने के लिए लिए किसी अन्य व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में भेजा जाएगा और वह राज्यपाल का समर्थन कर रहे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल को नहीं हटाया जाना चाहिए। परन्तु उन्हीं राज्यपाल से प्रत्येक व्यक्ति नाराज है क्योंकि उन्होंने संविधान के अनुसार कार्य किया है। अपने निर्णय के अनुसार उन्होंने कहा है कि कर्नाटक की सरकार ने केवल बहुमत ही नहीं खोया है बल्कि यदि उन्हें तीन दिन और टिकने दिया गया होता तो विधायकों की खरीद-फरोख्त अधिक होती। इससे पहले 1970 में भी इसे तीन दिन की भी

[श्री बी० आर० भगत]

अनुमति नहीं दी गयी थी। अब राज्यपाल ने निर्णय किया है कि इस मामले की जांच विधानमंडल में नहीं की जा सकती क्योंकि इस दौरान विधायकों की खरीद-फरोख्त अधिक होगी।

सभापति महोदय : अब चार बजे हैं। हमें नियम के अधीन चर्चा शुरू करनी है। आप अगली बार अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री बी० आर० भगत : महोदय, ठीक है।

4.00 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति

सभापति महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में चर्चा शुरू करेंगे।

श्री रामूवालिया बोलें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : इसके लिए कितना समय नियत किया गया है ?

सभापति महोदय : दो घंटे का समय नियत किया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या किसी घोषणा के लिए समय बढ़ाया जाएगा ?

सभापति महोदय : यदि सभा चाहेगी तो इसे बढ़ाया जा सकता है।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : क्या सभा में कोई और क्रूर घोषणा की जाएगी ?

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : क्या कर्नाटक के बारे में चर्चा कल भी जारी रहेगी ?

सभापति महोदय : इसका निर्णय सभा करेगी।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : क्या इस चर्चा के लिए समय बढ़ाया जाएगा ?

सभापति महोदय : श्री कुरूप इसकी चर्चा अभी नहीं छ बजे भी की जा सकती है। हां, श्री रामूवालिया बोलें।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : चेयरमैन साहब, आज हम इस महामान्य सदन में एक ऐसे विषय पर विचार कर रहे हैं जो इस देश की बुनियाद है, हस्ती और मान-मर्यादा है। इस देश का भविष्य और कमिटमैंट है, उसके लिए कौमुनल सिचुएशन एक खतरनाक चेलेंज है। निर्दोष लोगों का फिरकापरस्ती की आग लगाने वाले लोगों के हाथों मर जाना, कत्ल हो जाना और देश का नुकसान होना यह भी एक खतरनाक बात है।

भारतवर्ष के 80 करोड़ लोग, जिन्होंने इस देश के लिए स्वतंत्रता का संघर्ष किया, जो हमारे महामान्य नेता थे महात्मा गांधी, और आजादी के संग्राम में भाग लेने वाले बड़े-बड़े नेताजन और जितनी भी पार्टियों ने विदेशी साम्राज्यवादियों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, उन्होंने

इस देश के लिए एक सपना लिया था कि हमारी देश की बुनियाद सैकुलरजिम होगी। सैकुलरजिम की बुनियाद पर हमारा संविधान स्थापित हुआ, हमने अपने प्रोग्राम तय किए, देश में रीजनलिज्म और दूसरे धर्मों को बराबरी का आधार संविधान के माध्यम से दिया। हमारे बड़े-बड़े नेताओं ने अपना सुख, आराम और जिन्दगी न्यौछावर की, लेकिन दुःख की बात है कि जिस बुनियाद पर इस देश को खड़ा किया गया था, आज देश के विभिन्न इलाकों में मुट्ठी भर लोग जगह-जगह अपने को आर्गेनाइज कर के उस बुनियाद को खत्म करने के लिए देश के लिए एक चेलेंज बने हुए हैं।

मैं शुरू में ही कहना चाहता हूं, यह लिखा गया है—

[अनुवाद]

"गड़बड़ी पैदा करने वालों की संख्या अब काफी अधिक है। वे जवान हैं, निडर हैं और बहुत उत्साहित हैं तथा गुप्त तोड़-फोड़ और हथियारों और विस्फोटकों को इस्तेमाल करने में प्रशिक्षित हैं तथा उनके पास आधुनिक हथियार हैं।"

[हिन्दी]

यह काश्मीर के बारे में जो मैंने जिक्र किया कि वहां कत्ल हुए और झगड़े हुए मैं इन शब्दों में इस बात को स्थापित करना चाहता हूं कि हर जगह जब हिंसा होती है तो कम्युनल लीडरशिप के जरिए यह सब होता है। उनके पास आधुनिक हथियार होते हैं और वह खुले आम कत्ल करते हैं। मैं इन सब बातों को बाद में विस्तार से लूंगा। एक बात यह कहना चाहूंगा कि बहुत-सी जगहों में पुलिस और सरकारी मशीनरी का रोल इन लोगों का साथ दे रहा होता है। आज इस देश को और इस सदन को सोचना है कि आखिर बीदर, हाशिमपुर, हजारीबाग, जम्मू, दिल्ली, कानपुर, बोकारो और अन्य दूसरी जगहों पर यह जो कत्लेआम हो रहे हैं इनको कौन करवा रहा है। एक बात बहुत स्पष्ट रूप में सामने आई है और वह यह है कि विदेशी हाथ भी इस देश की हस्ती को डीस्टैबेलाइज करना चाहता है।

हमारे यहां दिन प्रतिदिन धर्म की कट्टरता बढ़ती जा रही है। हमें इन चीजों को गम्भीरता से लेना होगा। आखिर हम साईंस के युग में है। हम अपने बच्चों को तालीम देशभक्ति की देते हैं। हमने अपने प्रचार साधनों के माध्यम से भ्रातृभाव और सद्भावना का प्रचार किया। मैं यह जानना चाहूंगा कि फिर यह चीजें क्यों बढ़ रही हैं? मैं अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहता हूं कि थोड़ी-थोड़ी गिनती के लोग फंडामैंटलिज्म को बढ़ावा देकर जब उनको सरकारी या पालिटिकल सरण्स्ती हासिल होती है तब उसमें वह बहुत आगे आकर यह दंगे करवाते हैं।

मैं बहुत गौरव के साथ कह सकता हूं कि जिस पार्टी को मैं बिलोंग करता हूं—अकाली दल, उसने 1922 से देश की मान-मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए लगातार संघर्ष किया। अकाली दल को इसका गौरव भी प्राप्त है। यह बात ठीक है कि हम बहुत से राजनीतिक दलों में बंटे हुए लोग हैं लेकिन अकाली दल को यह गौरव प्राप्त है कि उसने सैकुलरिज्म का झंडा उठा कर आजादी के संघर्ष में आगे होकर खून बहाया और इसकी तारीफ श्री मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्री किचलू, श्री गिड़वानी और मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े-बड़े नेताओं ने की। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि छोटे-छोटे लोग राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए इस देश में धर्म की कट्टरता का प्रयोग कर रहे हैं। श्री जर्नैलसिंह भिंडरावाले ने फंडामेंटलिज्म को एडॉप्ट किया और सरेआम धार्मिक स्थानों में यह प्रचार किया कि दूसरे धर्म के लोगों का कत्ल कर दो। इसी प्रकार बम्बई में बैठकर ठाकरे ने कहा कि फलां लोगों का कत्ल कर दो, फलां धर्म के लोगों का बायकाट कर दो।

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

उसने तो यहां तक कहा कि फलां लोगों से कोई चीज न खरीदी जाए। कहने का मतलब यह है कि वह दूसरी जगहों में बैठकर धर्म पर हमला करते हैं। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आखिर इतने लम्बे समय के बाद यह बातें क्यों हो रही है। मैं गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे द्वारा शुरू की गई चर्चा का उत्तर देते समय इन सब बातों पर अवश्य प्रकाश डालें और उन पर अवश्य गौर करें। वह बहुत जोर से कहेंगे कि हम इसको चलने नहीं देंगे, वह बहुत जोर से कहेंगे कि सरकार सख्त हाथों से ऐसे तत्वों को कुचल देगी जो देश में धर्म के नाम पर लोगों में आग लगाते हैं लेकिन इसके बावजूद गृह मंत्री जी भी जोर से कहते जायेंगे, वह भी जोर से चलते जायेंगे। यह दोनों बातें क्यों हो रही है। मैं गृह मंत्री जी से सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूं कि पिछले 40 वर्षों में लाखों लोग कत्ल हो गए, मैंने शुरू में ही अर्ज की है कि वह आर्गेनाइज्ड हैं, वह बोल्ड हैं, उनके पास आर्म्स हैं, वह सबोटाज की ट्रेनिंग लिए हुए हैं, इतना कुछ वह करते हैं सब कुछ उनके पास है, 40 वर्षों में कम्यूनल टेंशन बढ़ाकर कत्ल करने वालों में से कितनों को फांसी हुई, कितनों को जेल हुई, मैं यह आपसे पूछूंगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार देश को इस बात का जवाब दे, हम सब अपोजीशन वालों को मैं समझता हूं सारे सदन को देश को जवाब देना है, सरकार मैजोरिटी में है, उसकी गवर्नमेंट है कि आखिर शरारती और कातिल लोग कानून का भय क्यों नहीं मानते, कानून का डर, कानून के डण्डे का डर कातिलों, शरारतियों, गुण्डों, लुटेरों के दिमाग में धर्म के नाम पर कत्लेआम करने वालों का, इन तत्वों का डर क्यों चला गया है।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि लोगों के मन में यह है कि कितना भी कुछ हो जाए, यहां किसी को सजा तो होनी नहीं इसीलिए इन्साफ भी खत्म होता जा रहा है। मैंने शुरू मे अर्ज किया इस देश की बुनियाद सैकुलरिज्म है, जो हमारी बुनियाद को चैलेंज करने वाले तत्व, नीतियां, शरारती तत्व हैं, उनके विरुद्ध कितने जोर से हमने क्या कदम उठाए हैं? एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मेरे ख्याल में अंधविश्वास से शरारत करने वालों का इलाज तो है लेकिन पोलिटिकल एम्स से जो लोग शरारत करेंगे उनका इलाज या तो हम करना नहीं चाहते या किसी राजनैतिक पार्टी को उसका फायदा होता है इसलिए उसको जारी रखने में उसकी दिलचस्पी है, ऐसे इल्जामों को भी हमें रोकना होगा।

क्या सरकार इन दो बातों के लिए तैयार है, पहली बात तो यह है कि जो लोग कत्लो गारत का बाजार गर्म करते हैं, इनको बड़ी से बड़ी सजा देने के लिए समरी ट्रायल करने का कोई आपका विचार है? नम्बर दो—क्या ऐसा नहीं हो सकता कि स्पेशल कोर्ट्स बनें और जो लोग इन धन्धों में गिरफ्तार किए जाएं, जिन पर शक हो उनका ओपन ट्रायल हो, समरी कोर्ट्स में हो ताकि सारे देश के सामने उनको एक्सपोज किया जाए कि यह श्रीमान अपने आपको किस तरह से पेश करते हैं। यह दरिन्दा है जो इन्सानियत का खून पीता है, क्या ऐसे, प्रावधान का आपका कोई विचार है?

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में 1984 में दंगे हुए और दिल्ली के दंगों में हजारों निर्दोष सिख भाई कत्ल हो गए लेकिन अब पोजीशन क्या है। पोजीशन यह है कि मिश्रा कमीशन बनाया, उसने जैन-बनर्जी कमेटी बनाई उन लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए, पैरवी करने की कमेटी कि आप सुझाव देंगे और कार्यवाही तेज करेंगे, जिन पर कत्लों में कुछ बुनियादी बात बनती है। मगर हुआ क्या। 1987 से वह कमेटी जेम कर दी गई है और हाई कोर्ट में कोई एक

आदमी चला गया और डिफन्कट हो गई वह कमेटी और खुद लैफ्टिनेंट गवर्नर मि० रमेश भंडारी ने कहा है कि हम बेबस हैं कि हम आगे क्या करें। वह कमेटी खुद सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। इसीलिए मैंने समरी ट्रायल की बात कही है और इसीलिए मैंने स्पेशल कोर्ट की बात कही है और इसके बारे में सरकार के सामने अपना सुझाव रखा है। जब तक सजा मिलने का भय नहीं होगा, तब तक ये लोग ऐसा ही करते रहेंगे।

अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पीछे से किसी ने कहा, मैं सरदार बूटा सिंह से विनती करना चाहता हूं. किसी दोस्त ने पीछे से इनाम का जिक्र किया कि इनाम मिलता है। मेरे पास एक केस है श्री जगती राम, ए. एस. आई. का। वह हिन्दू ब्रादर है। जगती राम उसका नाम है। उसने 1984 के दंगों में 25 सिखों को, जिनका कत्ल किया जाने वाला था, अपनी जीप में ले जा कर बचाया और उसके अफसर ने ड्यूटी लगाई थी कि इधर जाओ, वह वहीं नहीं गया और उनको बचाकर ले आया। उसको इनाम क्या मिला ? उसको सस्पेंड कर दिया गया। फिर पार्लियामेंट के कुछ मेम्बरों ने, कुछ दूसरे हाऊस के और कुछ इस हाऊस के, गृह मंत्री जी से इसके बारे में कहा और वह बाद में बहाल हो गया। अब उसका जो लड़का है, वह पिछले 6 साल से नौकरी के लिए मारा-मारा फिर रहा है। वह कहता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है अपनी ड्यूटी के साथ लेकिन मेरे लड़के को नौकरी नहीं मिल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को डिस्करेज क्यों किया जाता है।

एक और बात कहना चाहता हूं। शुरू में मैंने कहा है कि पुलिस तमाशी बन कर रह जाती है और हाशिमपुरा में खुद पुलिस ने लोगों को मारा है। मैं आनरेबिल गृह मन्त्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वह सदन को बताएं कि ऐसे कितने अफसर हैं, जिन पर यह इल्जाम आयद हुआ है कि उन्होंने खुद दंगाकारियों की मदद की और दंगाकारियों के खिलाफ अपनी ड्यूटी नहीं की और आप यह बताएं कि उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है। मेरे बयान से एक सिपाही भी सस्पेंड नहीं किया गया। अगर मैं गलत हूं, तो गृह मन्त्री जी ठीक कर दें।

अगली बात मैं कम्पेंसेशन के बारे में कहना चाहता हूं। अभी मकराना में राजस्थान में, संगमरमर का 200 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। मैं विजयवाड़ा गया था। आंध्र प्रदेश में एक एम० एल० ए० की डेथ हो गई थी। वहां पर लोग उंगली उठाते हैं बड़े-बड़े लोगों पर और उनका नाम लेते हैं कि उन्होंने यह कराया। दिल्ली में करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि कम्पेंशन की जो रकम है, दंगाकारी के दौरान प्रोपर्टी जो जल जाती है, बरबाद हो जाती है, तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए सरकार अगर 100 परसेन्ट कम्पेंशन देने का प्रोग्राम बनाए, तो इससे गुंडे यह सोचेंगे कि इसको जलाने का क्या फायदा, इसका पूरा पैसा तो मिल ही जाएगा और इसका शायद साइकोलोजीकल प्रभाव उन पर पड़े। मैं सदन के अपने मित्रों से कहूंगा कि वे इस पर विचार करें कि अगर कम्पेंसेशन फुल कर दिया जाए, तो जो गुंडे हैं या फंडामेन्टेलिस्ट्स हैं या वायलेंस करने वाले हैं, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

एक बात और कहना चाहता हूं। जो लोग खुलेआम, जैसा मैंने शिव सेना के बाल ठाकरे वगैरह के बारे में कहा, प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के लोगों के खिलाफ लड़ने-झगड़ने के लिए करते हैं और हमलावर होने की प्रेरणा देते हैं, क्या उन लोगों के खिलाफ स्पेशल कानून के जरिए कुछ सख्त से सख्त एक्शन लिए जाने का ख्याल है।

एक बात आखिर में कहना चाहता हूं। अभी मिस्टर कुलदीप नैयर ने लिखा है कि एक करोड़ रुपये से ज्यादा बाहर से रोजाना यहां आ रहा है। विदेशों से भारतवर्ष में आ रहा है। कुछ

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

संगठनों के नाम पर आ रहा है और ये वे संगठन हैं जो फंडामेंटेलिज्म, नफरत और धर्म वालि की भावना लोगों में फैलाते हैं और दूसरी इसी तरह की बातें करते हैं। क्या सरकार सदन को बताएगी कि क्या बाकायदा एक करोड़ रुपया आ रहा है? अगर आ रहा है तो क्या उसका प्रयोग देश की समृद्धि के लिए हो रहा है, क्या इस देश को बर्बाद करने के प्रयत्नों के लिए हो रहा है? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है?

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब में भी टेरेरिज्म है जिसमें कि पाकिस्तान के हाथ है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा कोई सेल रेडियो, टेलीविजन और प्रेस के बारे में बनाने पर विचार करेगी जिससे कि किसी धर्म के जो सिर-फिरे लोग हैं, मैं फिर इसको रिपीट करता हूं कि किसी धर्म के जो सिरफिरे लोग हैं, जो कि पागलपन में अंधे होकर के गलत बात करते हैं और फिर सारी कम्युनिटी को गलत पेंट करते हैं। ऐसे पेंट करने वाले, सिरफिरे लोगों को उस कम्युनिटी में आईसोलेट किया जाए। ऐसा कोई सेल रेडियो, टेलीविजन और प्रेस मीडिया में, प्रचार माध्यमों में होना चाहिए जिससे कि इस प्रकार के ख्यालात को, विचारों को और प्रभाव को खत्म किया जा सके जिससे कि सारी कम्युनिटी आईसोलेशन और एलिनियेशन में न चली जाए। इसीलिए सारे देश में धर्म के नाम पर लड़ाई-झगड़े होते हैं। मैं इन झगड़े-फसादात को कंडेम करते हुए और मैंने जो विचार अभी रखे हैं उन पर जोर देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : चेयरमैन सर, मिस्टर रामूवालिया जी से मैं बिलकुल मुत्तफिक हूं कि एक ही विचारधारा सेक्युलरिज्म की है जो कि हमारे देश की है और जिसकी कि हमारा कांस्टीच्युशन गारन्टी देता है। उन तमाम लोगों की जो कि मायनोरिटीज में हैं या दूसरे तबकों में हैं भावनाओं को देखते हुए इस कांस्टीच्युशन में पूरा इंतजाम किया गया है। लेकिन फिर भी कम्युनल फसादात आए दिन हो रहे हैं।

जब तक मुल्क आजाद नहीं हुआ था तब यह विचार था ब्रिटिश की डिवाईड एण्ड रूल की जो पालिसी थी इसका असर वह फाल आउट है। लेकिन बड़ा दुःख है कि आजादी के बाद भी ये कम्युनल फसादात साल-ब-साल बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। इनके बारे में मैं समझता हूं कि सरकार को तो चिन्ता है ही, अपोजिशन के कुछ लीडरों को भी चिन्ता है। जब हम सब लोगों को इस बात की चिन्ता है तो फिर इनका हल क्यों नहीं निकलता है? क्यों ये कम्युनल फसादात हो रहे हैं? कौन करा रहे हैं? कौन इनके पीछे है? कौन वह ताकतें हैं जो हमें एक-दूसरे से लड़ाना चाहती हैं? और जो हमारा नेशनल फैब्रिक है उसको तोड़ना चाहती हैं? उससे फायदा उठाना चाहती हैं। ऐसी ताकतों का हम सब को मिलकर सामना करना और उनके बारे में देश के लोगों को बताना है कि ये वे ताकतें हैं जो देश को कमजोर कर रही हैं, देश की यूनिटी को तोड़ रही हैं और हमारे नेशनेलिज्म के खिलाफ काम कर रही हैं।

सर, इसके कई काजिज हैं। सबसे बड़ा इसका काज जो है वह है फंडामेंटेलिज्म। हमने देखा है कि धर्म में जो कट्टरपन है ये सब उसकी आफशूट हैं। चाहे रीजन का कट्टरपन हो, चाहे लेंग्वेज, धर्म या और कोई कट्टरपन हो, यही कट्टरपन सब जगह फैला है, उसकी वजह से ऐसी भावनाएं देश में आई हैं, जिससे कम्युनल फसाद हो रहे हैं।

हमें देखना है कि इसके पीछे कौन-सी ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं या हम में से ही कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो कम्युनलिजम से फायदा उठाती हैं, एक दूसरी कौमों को लड़ाकर, मजहबों को लड़ाकर सियासी फायदा उठाना चाहते हैं, इस बात को देखना होगा। माननीय गृह मंत्री जो बहुत बड़े

कौमपरस्त हैं, माइनारटी से इनका संबंध है, इनको उन फोर्सेस को देश के सामने नंगा करना होगा, उनका नाम लेना होगा और देश को बताना होगा कि ये लोग हैं जो देश को कमजोर कर रहे हैं, कम्युनल फिजा बना रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं और सियासी फायदा उठा रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि उनको संकोच नहीं करना चाहिए, देश सबसे बड़ा है, कौम सबसे बड़ी है. अगर महदूद चंद आदमी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो खुले तौर पर उनका नाम लेने से उनको इंकार नहीं करना चाहिए, ताकि देशवासी इस बात को समझ लें कि ये लोग हैं जो देश की ताकत को कमजोर कर रहे हैं, कौमियत को बरबाद कर रहे हैं, एक-दूसरे से हमको लड़ाते हैं। गृह मंत्री जी देश में मशरूम ग्रोथ हो गई है, बहुत-सी सेनाएं बन गई हैं, शिव सेना, आदम सेना, अली सेना, बजरंग सेना, नाना प्रकार की सेनाएं बन गई हैं, ये कोई एक दिन में तो नहीं बनी हैं, काफी देर से चल रही हैं, कुछ पुरानी शक्तियां भी हैं जैसे आर० एस० एस० और जमायते इस्लामी, दूसरी जमातें भी हैं, इनके बारे में आपकी क्या पालिसी है, क्या विचारधारा है, क्या आपका प्रोग्राम है जिसमें सब लोगों को बांधकर इन जमातों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैं समझता हूं कि इस बारे में होम मिनिस्टर साहब अपोजीशन लीडर्स के साथ बैठकर तय करें, मैं समझता हूं कि अपोजीशन के मेजारटी लोग इसमें आपका साथ देंगे और चाहेंगे कि कम्युनल फोर्सेस को दबाया जाए, इनको बेनकाब किया जाए। अपोजीशन लीडर्स के साथ बैठकर कोई कार्यक्रम बनाइए और इस मशरूम ग्रोथ, सेनाओं जमातों जो मुख्तलिफ विचारधाराएं फैलाकर देश को अलग करने की कोशिश कर रही हैं, इनको समाप्त करने के लिए यह काम हम अवश्य करें।

एक मेरा सुझाव है कि बाबरी मस्जिद का मामला बहुत देर से लटका हुआ है। ऐसे मामलों को बहुत देर तक नहीं लटकाना चाहिए, जल्द फैसला करना चाहिए, दोनों वर्गों को बैठकर इसका कोई हल निकालना चाहिए, शीघ्र कोई निर्णय करना चाहिए, क्या इसको नेशनल मानूमेंट बनाना है तो बताइए, कोर्ट का कोई फैसला होना है तो उसको जल्द करवाइए। जितना भी मामला लेट हो रहा है, कम्युनलिजम के से लोग फायदा उठा रहे हैं, कम्युनलिजम का जहर फैल रहा है और उसके असर से दंगे-फसाद हो रहे हैं। कभी कहीं दंगा हो रहा है, कभी कहीं दंगा हो रहा है, कुछ लोग हैं जो इससे फायदा उठा रहे हैं। कई तरह की जमातें इसको डिफेंड करने के लिए बन गई हैं, वे अपने नजरिए से इसको पेश करती हैं और लोगों को गुमराह कर रही हैं। इसलिए इन बातों का जल्द हल निकालना चाहिए।

मैं समझ ा हूं कि जहां पर कम्युनल फसाद होते हैं, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर भी इसकी कुछ जिम्मेदारी जरूर होती है। कोई एक दिन में तो फसाद नहीं हो जाता बहुत लम्बी लिस्ट मेरे दोस्त ने दी है और बताया है कि कहां-कहां फसाद हुए, वाकयी यह बात ठीक है, बीदर में हुआ, जम्मू में हुआ, अलीगढ़ में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, फैजाबाद में हुआ, मेरठ की मिसाल हमारे सामने है, जिससे सब लोग दुखी हैं, जिन हालात में वहां फसाद हुआ। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो इस तरह का कुछ सिस्टम बनाना चाहिए कि जहां फसाद होता है तो इस तरह की नेशनल पालिसी अडाप्ट करनी चाहिए कि सब लोगों पर जुर्माना हो, जिस जगह फसादात हों वहां के डी० सी० और एस० एस० पी० को उसी वक्त बदलिए, ताकि अफसरों को भी मालूम हो कि अगर यहां फसाद हुआ तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यह तो कई साल पहले इसी हाउस में तय हो चुका है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं तो उसी पर जोर दे रहा हूं। जहां फसाद होता है वहां सब लोगों को जुर्माना करें, पूरी कम्युनिटी को करें। जुर्माने के डर से लोग रुकेंगे। आपको पीस कमेटीज

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

बनानी चाहिए, जहां बार-बार फसाद होते हैं। जैसे—मेरठ कम्युनल फसाद का निशाना बन गया है। वहां के शरीफ और इन्नोसेंट लोगों को एक्सप्लायट किया जाता है। इसलिए ऐसे स्थान चुनिए जहां पर बार-बार फसाद होते हैं वहां पर पीस कमेटीज बनाइए। उन लोगों पर जिम्मेदारी डालिए कि वे फसाद होने से पहले मिलें और फसाद होने के बाद उनसे कंसल्ट करके तत्काल एक्शन लें तो जरूर इसका फायदा पहुंचेगा। माइनोरिटीज का कांफिडेंस बहाल करने के लिए उनको पुलिस में तथा दूसरी सरकारी नौकरियों में लें। यह देश हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों का है। उन सबको इस लेवल पर सेटीसफेक्शन देना चाहिए ताकि कुछ लोग जो इन बातों को एक्सप्लायट करके कम्युनल फसाद करायेंगे वे कहेंगे कि आपको इस देश में आपका हक नहीं मिल रहा है इसलिए, आपको इसको भी देखना चाहिए। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि धर्म की जगह को मिस-यूज किया जा रहा है, चाहे वह मन्दिर, मस्जिद या गुरुद्वारे हों। धर्म युद्ध का नाम लेकर प्लान बनाया जाता है कि आपका धर्म खतरे में है। लेकिन उनका मुद्दा सियासी होता है। जो लोग धर्म में यकीन रखते हैं उनका फायदा उठाया जाता है। इस बात का हल निकालें चाहे सभी राजनैतिक पार्टियों से बात करें कि धर्म की जगह मिस-यूज न हों।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मजेरी) : जब प्लेस आफ वरशिप की बात की जाती है तो उसमें सभी को लिया जाता है चाहे वह गुरुद्वारा, मन्दिर या मस्जिद हों। लेकिन एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिल सकती जहां मस्जिद के जरिए किसी मजहब के खिलाफ प्रपोगंडा किया गया हो। मस्जिद में ऐसा कभी नहीं होता। सबको मिला देना गलत है।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : दिल्ली का जामा मस्जिद एक उदाहरण है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : मन्दिरों में भी नहीं होता।··· (**व्यवधान**)

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मेरे दोस्त ने यह कहा कि मस्जिद में नहीं होता है।··· (**व्यवधान**)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : इतनी बड़ी बहस कर रहे हैं, क्यों किसी को गलत बोलकर बचाना चाहते हो। मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में भी होता है। सच क्यों नहीं बोलते। मैं कहता हूं कि हर जगह होता है, सभी में नहीं बल्कि किसी-किसी में होता है। ··(**व्यवधान**)

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : अगर नहीं होता है तो अच्छी बात है। अगर होता है तो उस पर क्यों नहीं कहते कि यह नहीं होना चाहिए।····(**व्यवधान**) धर्म की जगह धर्म के प्रचार के लिए है। ईमानदारी से क्यों नहीं कहते कि नहीं होना चाहिए। धर्म की जगह पर अपना पूजा-पाठ कीजिए लेकिन उसको सियासी अखाड़ा न बनाइए। जब मैं गुजरात का इंचार्ज था तो मैंने अहमदाबाद में राइट्स के बारे में बड़ा डीपली स्टडी किया। कुछ स्मगलर्स और बूटलैगर्स भी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। जहां किसी पुलिस आफिसर ने उनके गलत काम को रोकने की सख्ती की तो वे अटेन्शन डाइवर्ट कर देते हैं और शोर मचा देते हैं तथा फसाद करा देते हैं और यह कहते हैं कि इस पुलिस आफिसर को बदला जाए क्योंकि यह इंतजाम नहीं कर सकता। जो स्मगलर्स हैं इनमें कोइ भी

आदमी उसके हिमायती नहीं हैं। अगर होंगे तो पता लग जायेगा। क्योंकि उसकी हिमायत पर वह खड़े होंगे। जो देश में स्मगलर्स हैं, बूट लेगर्स हैं उनको सख्ती से नहीं दबाया जाता तो वे लोगों को भड़काते रहेंगे और अपने पीछे लगाने की कोशिशें करते रहेंगे। क्योंकि ये लोग धर्म की आड़ लेकर लोगों की भावनायें उकसाते हैं। अगर आप इनका नाश करना चाहते हैं तो जो छोटे-बड़े तस्कर हैं, बूट लैगर्स हैं इनको गिरफ्तार कीजिए। आपके पास पावर है, इतनी दफायें आपने लगाई हैं, संसद ने आपको समर्थन दिया है, लेकिन वह क्यों बच जाते हैं, क्यों दंगे करा रहे हैं। इन सबके पीछे वही आदमी हैं। इसलिए आपको साम्प्रदायिक फसादों को रोकना है तो सबसे पहले उनको गिरफ्तार करिए, चाहे वे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों। आखिर में मैं मीडिया को भी लेना चाहता हूं। जहां कहीं भी साम्प्रदायिक दंगे या फसाद होते हैं तो उनको बड़ी-बड़ी सुर्खियों में न छापा जाए। इधर-उधर से सुनकर किसी पर इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। आप रिसर्च कीजिए, फिर खबरें छापें। मैं आखिर में होम मिनिस्टर साहब से फिर दरख्वास्त करूंगा कि जो मैंने आपको सुझाव दिए हैं उन पर गौर करें और खासकर विरोधी पार्टियों से बात करके इसको हल करें। यह कौमी मसला है और इस पर सबको मिल-बैठकर विचार करना है। आप किसी की हिमायत न करें चाहे सिख हो, हिन्दू हो या मुसलमान हो, तभी हम इस समस्या को हल कर पायेंगे।

[अनुवाद]

श्री तरुण कान्ति घोष (बारसाट) : सभापति महोदय, आजादी के 40 वर्षों के बाद भी साम्प्रदायिकता हमारे देश पर एक कलंक है मैं समझता हूं कि समय आ गया है जब हमें इतना अधिक बोलने की बजाय अपने देश से इस वायरस को समाप्त करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए।

जैसा कि आप जानते हैं मैं समाचार पत्रों से संबद्ध हूं जब मेरे विद्वान मित्र प्रचार माध्यमों के बारे में बात कर रहे थे तो सर्वप्रथम मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस देश में अधिकांश समाचार पत्र असांप्रदायिक है। इस देश में अधिकांश समाचार पत्र किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिकता के विरुद्ध है। परन्तु मैं जानता हूं कि कुछ थोड़े समाचार पत्र है जो सांप्रदायिकता में लिप्त हैं। यह गृह मन्त्री का कार्य है कि वे न केवल सरकारी तन्त्र, समाचार पत्र संघों बल्कि पत्रकार संघ के जरिए उचित कार्यवाही करें मुझे आशा है कि वह समाचार पत्र भी साम्प्रदायिक नहीं रहेंगे। जब हम यह कहने की कोशिश करते हैं कि कुछ गुन्डे या कुछ समाज विरोधी तत्व हैं जो साम्प्रदायिकता के लिए जिम्मेदार हैं तो क्या यह सच है? यह सच नहीं है। राजनैतिक दल, राजनैतिक नेता अपने फायदे के लिए, राजनैतिक फायदे के लिए···

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : क्या यह कांग्रेस (ई) है।

श्री तरुण कान्ति घोष : यह नहीं कहिए। मैं इस तरह किसी दल को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। परन्तु कांग्रेस (ई) दल नहीं कहें। कांग्रेस (ई) इस देश में सबसे अधिक असांप्रदायिक राजनैतिक दल है। इसलिए ऐसा नहीं कहें कि यह कांग्रेस (ई) दल है। मैं तो कह रहा हूं कि ये राजनैतिक नेता अपने राजनैतिक और सामाजिक स्वार्थों के लिए लोगों की अशिक्षा का फायदा उठाते हैं। धर्म क्या है? क्या मुसलमानों के लिए एक भगवान हिन्दुओं के लिए दूसरा, सिखों के लिए कोई और है? ईश्वर एक है। चाहे आप इसे अल्लाह कहें, चाहे कृष्ण कहें, इसे चाहे कुछ भी कहें लेकिन ईश्वर एक है। लेकिन हम क्या करते हैं? चुनाव जीतने के लिए, लोगों में राजनैतिक प्रभाव जमाने के लिए हम बहुत ही गर्म भाषण दे देते हैं और जब हम समुदायों के बीच झड़प देखते हैं तो हम यहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं "कितनी शर्म की बात है कि अभी तक साम्प्रदायिकता चल रही है।"

श्री शाहबुद्दीन मेरे मित्र हैं। मैं हाल ही में उनसे कह रहा था "बाबरी मस्जिद और राम

[श्री कान्ति तरुण घोष]

जन्म भूमि में क्या अन्तर है ? चाहे आप अल्लाह की प्रार्थना करते हों या राम की, आप एक ही ईश्वर की प्रार्थना करते हैं । इस तरह करने की बजाय आप इस समस्या को हल क्यों नहीं करते हैं ? मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं उन्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहरा रहा हूं । लेकिन जब आप गांवों में लोगों के पास जाते हैं तो उन्हें यह समझाने की बजाय कि मन्दिर और मस्जिद एक ही चीज है आप उनकी भावनाओं को गलत ढंग से भड़काते हैं । यह गलत बात है ।

मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं । मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र डंगानगा थाना में एक मस्जिद थी वहां मुसलमानों ने अजान के लिए एक लाऊडस्पीकर लगाया । फिर कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और माईक उतार लिया । फिर इसे दुबारा नहीं लगाया गया क्योंकि वहां तनाव था । मैंने एक भाषण दिया कि अजान का अर्थ है प्रार्थना की सूचना देना और अल्लाह की प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना है । इसमें गलत क्या है ? ऐसा समाज हमने पैदा किया है । धर्म एकता के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं है । सिख कौन है ? मैं सिखों की बहुत इज्जत करता हू, मैंने देखा है कि कितनी धार्मिकता से सिख गुरुद्वारों में जाते हैं । मैं प्रत्येक सप्ताह गुरुद्वारे में कड़ी परसाद लेने के लिए जाया करता था । मुझे यह अच्छा लगा । लेकिन फिर कुछ दोस्तों ने मुझे बताया 'आप एक कांग्रेसी संसद सदस्य है आपको गुरुद्वारे में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे तनाव पैदा हो सकता है । इसलिए, बहुत खेद है कि फिर मैं वहां नहीं गया । लेकिन जब कभी मैं वहां से कार में गुजरता हूं और मन्दिर या मस्जिद या गुरुद्वारा देखता हूं तो मैं इन्हें प्रणाम करता हूं क्योंकि मैं प्रत्येक धर्म को बराबर इज्जत देता हूं ।

हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी ने साम्प्रदायिकता के विरुद्ध अपना जीवन बलिदान किया, हम जानते हैं कि जवाहर लाल नेहरू ने साम्प्रदायिकता से कैसे लड़ाई लड़ी । क्या आप ऐसा एक प्रधान मन्त्री बता सकते है जिसकी नेहरू से तुलना की जा सके ? एक दिन पंडित जवाहर लाल नेहरू कार में जा रहे थे । उन्होंने देखा कि एक दुकान को लूटा जा रहा है । वह कार से उत्तरे और गुन्डों के सामने चले गये । उनके सुरक्षा कर्मी उनसे काफी पीछे थे लेकिन वे बिना किसी की परवाह किये वहां चले गये । यह हमारे देश का इतिहास है । मैं जानता हूं कि इंदिरा गांधी साम्प्रदायिता के विरुद्ध कैसे लड़ी । मैं जानता हूं कि जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तरह राजीव गांधी के साम्प्रदायिकता से लड़ने के लिए कैसे विचार है । इसलिए यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम भारत के लोगों के प्रतिनिधि है । यह सब देखकर बहुत दुख होता है । आप जानते हैं मेरे घर में एक दर्जी था जो हमारे कुर्ते और अन्य चीजें बनाता था । साम्प्रदायिक तनाव के दौरान एक दिन वह हमारा घर छोड़ कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया । वह परिवार के एक सदस्य की तरह था । मैं इस भावना को कैसे व्यक्त करूं कि जो सदियों से हिन्दुओं और मुसलमानों में है जब वे भाईयों और परिवार के सदस्यों के रूप में रहते थे ? गलत मार्ग दर्शन करने वाले नेताओं ने हमारे देश में इस साम्प्रदायिक वायरस को पैदा किया है और हम भारत के लोग अमरीका की, नीग्रो लोगों के साथ उनके व्यवहार के लिए निन्दा करते हैं । हम काले लोगों के साथ किये व्यवहार के लिए दक्षिण अफ्रीका की निन्दा करते हैं । हम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की निन्दा करते हैं । लेकिन हम अपने देश में आजादी के 40 वर्षों के बाद भी साम्प्रदायिकता को खत्म नहीं कर पाये हैं । यह हमारे लिए शर्म की बात है । इसलिए मैं प्रत्येक व्यक्ति से, मिलकर इसका हल ढूंढने के लिए अनुरोध करता हूं । यह हजारी बाग या किसी अन्य स्थान का प्रश्न नहीं है । यह भारत के लोगों की साम्प्रदायिकता या विभाजनकारी ताकतों के विरुद्ध एक दृढ़ निश्चय और अपने देश राष्ट्र को एक साथ रखने का सवाल है । हमारा विभाजन तो केवल यही होना चाहिए कि हम भारतीय है ।

मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं एक भक्त हूं लेकिन अपने परिवार में हम चैतन्य महा प्रभू और श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे मन में अन्य धर्मों के लिए कम इज्जत है। मैं तो कहूंगा कि हमें एक हो जाना चाहिए और साम्प्रदायिक वायरस को बाहर निकाल देना चाहिए। मैं समझता हूं यदि हम सब एक रहे तथा एक दूसरे पर आक्षेप लगाने के बजाय उस पर आक्षेप लगायें जो साम्प्रदायिक है तो हम इस लड़ाई को जीत पायेंगे और भारत को अच्छी स्थिति में ले जा पायेंगे तथा हम इस पर गर्व कर सकेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, आज हम एक अत्यंत गम्भीर राष्ट्रीय समस्या पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर हम इस सभा में अनेक बार चर्चा कर चुके हैं। अनेक भाषण दिये गए लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि इसका परिणाम क्या रहा। आज देश के जीवन, एकता और अखंडता के के लिए यह सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन लोग महसूस करते हैं कि इस समस्या का कोई हल नहीं है और वे केवल झूठी सहानुभुति दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पहला प्रश्न यह है कि यह समस्या कहां से शुरू हुई है? हम जानते हैं कि हमारे स्वतन्त्रता संघर्ष के दिनों से ही लोग एक होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे और जलियांवाला बाग में हिन्दू-मुस्लिम और सिखों का खून बहा था। लेकिन आज क्या हो गया है? भारतीयों में हिन्दू और सिख के रूप में पृथकता आ गई है। अंग्रेजों ने हमारे लोगों को सफलतापूर्वक हिन्दुओं और मुस्लिमों में बांट दिया। लेकिन आजादी के 40 वर्षों के बाद हिन्दु और सिख में बंटवारा हो गया है। हम हिन्दु और मुस्लिमों को एक दूसरे के और नजदीक नहीं ला सके, और इसके साथ ही हिन्दुओं और सिखों में तथा हिन्दुओं और इसाईयों में भी और अन्य समुदायों को बीच एक नया तनाव उत्पन्न हो गया है। हम हर रोज समाचार पत्रों में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं जिनमें हमारे गरीब भाई मारे जा रहे हैं। एक वर्ग का दूसरे वर्ग के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे यह मकराना का मुद्दा हो या कोई अन्य स्थान हो, यहां पर पृथकतावादी शक्तियों ने रशदी की पुस्तक के मुद्दे पर मुस्लिमों में तनाव उत्पन्न करने का प्रयास किया। इस क्षेत्र में कुछ समय से शांति थी। लेकिन कुछ समय बाद किसी भगवान की मूर्ति अथवा किसी धार्मिक नेता की मूर्ति क्षतिग्रस्त पाई गई और इसके आधार पर कुछ तनाव उत्पन्न हो गया, कुछ लोग मारे गए, करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई। हम जानते हैं कि किस प्रकार से अलीगढ़ में लघु स्तर का ताला उद्योग, जिस पर अनेक गरीब लोग निर्भर थे, नष्ट हो गया। मैं समझता हूं कि साम्प्रदायिक तनाव के कारण नष्ट हुए उद्योगों में अधिकांश लघु स्तर के उद्योग थे। इसी तरह मकराना में संगमरमर उद्योग को क्षति पहुंची। यह नष्ट हो गया है। हम इस प्रकार की घटनाए प्रतिदिन देख रहे हैं। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से एक नई स्थिति उत्पन्न की जा रही है। सामुदायिक शक्तियां अपनी आवाज उठा रही हैं। हमें यह समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फूट डालकर शासन करने की यह नीति निश्चित रूप से सत्ता-धारी पार्टी के संकुचित राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भिन्न अवधारणाएं भी हैं। हमारे देश में कुछ लोग भारत को तो संगठित चाहते हैं लेकिन लोगों को विभाजित देखना चाहते हैं। वे सारे देश को लूटने के लिए एकीकृत बाजार चाहते हैं ताकि देश भर से कच्चा माल प्राप्त कर सकें। उनके प्रतिनिधि बढ़ चढ़ कर यह कहते है "हम एकता चाहते हैं।" लेकिन उन्हें डर है कि यदि लोग संगठित हो हो गए तो वे विभाजित हो जायेंगे। वे एक संगठित राष्ट्र और विभाजित लोग चाहते हैं। हम संगठित लोग चाहते हैं और यदि लोग संगठित हैं तो देश विभाजित नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, पहले हिन्दु और मुस्लिम विभाजित हुए थे। फिर पाकिस्तान बना। पहले लोग विभाजित होते हैं। निहित स्वार्थ तो चाहते हैं कि पहले लोग विभाजित हों और फिर अन्ततः देश विभाजित हो जाएगा। हमारी आजादी के 42 वर्षों के बाद हम आज इसी खतरे का

[श्री हन्नान मोल्लाह]

सामना कर रहे हैं। कश्मीर में क्या हो रहा है? हम जानते हैं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया गया है। वहां पर सरकार द्वारा स्थिति से गलत तरीके से निपटने के कारण उन्हें काफी समर्थन मिल रहा है। सरकार लोगों को संगठित करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही है। जैसाकि श्री रामूवालिया ने कहा है, बाहर से करोड़ों रुपया देश में आ रहा है और इससे अस्थिरता उत्पन्न की जा रही है।

दूसरा मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ और जमायते इस्लामी जैसी कुछ शक्तियां परम्परागत रूप में साम्प्रदायिकता का प्रचार कर रही हैं। विश्व हिन्दू परिषद, शिव सेना, बजरंग दल जैसी नई शक्तियां आ गई हैं। ये सभी अन्तरिक शक्तियां है और इन्हें बाहरी शक्तियों से मदद मिलती है। जब कभी भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये शक्तियां एक हो जाती है। वे संगठित हो जाती हैं और इनके हमारे देश की सीमा के पार कुछ संबंध हैं। हमारा मत है कि बहुसंख्यकों द्वारा साम्प्रदायिकता भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। यह सबसे बड़ा खतरा है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से डरते हैं क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उनकी सुरक्षा, उनकी नौकरी और उनका भविष्य खतरे में है। लेकिन आज अल्पसंख्यक भी उग्र रवैया अपनी रहे हैं। आज हम देखते हैं कि बहुसंख्यकों की साम्प्रदायिकता नियंत्रित नहीं हो सकी और अल्पसंख्यकों की साम्प्रदायिकता भी हमारे लोगों की एकता के लिए एक नया खतरा बन रही है। उन्हें भी विदेशी ताकतों से सहायता मिल रही है और वे सुरक्षात्मक होने की बजाय उग्र रवैया अपना रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम समस्या सुलझाने में असफल रहे हैं। इससे राजनैतिक व्यवस्था को और अधिक खतरा उत्पन्न हो रहा है। हमारे सम्मुख यह एक और चुनौती है।

तीसरा मुद्दा यह है कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी कुछ साम्प्रदायिक शक्तियों ने कुछ नारे लगाए हैं। उन्होंने तीन नारे लगाए। एक तो यह है कि वे अयोध्या, मथुरा और वाराणसी को बचाना चाहते हैं और यहां हिन्दुओं के अधिकारों के प्रति वचनबद्ध हैं। वे संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने तथा अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। ये नारे हाल ही में लगाए गए हैं। इन बातों से लोगों को संगठित करने में मदद नहीं मिलेगी। इनसे और अधिक समस्यायें उत्पन्न होंगी। साम्प्रदायिक शक्तियां इन सभी नारों का उपयोग कर रही हैं। उन्होंने ये नारे लगाए हैं। कहा गया है कि इस वर्ष 10 नवम्बर को वे श्री राम मन्दिर बनाने जा रहे हैं। वे हर गांव से इसके लिए ईंटें लाएंगे। इन्हें पवित्र जल से धोया जाएगा। फिर वे इन्हें रथ में ले जायेंगे। हर जगह लोग एकत्र होंगे और बोलेंगे। फिर क्या होगा? इसके बाद सांप्रदायिकता की भावना भड़केगी। हम नहीं जानते कि इस वर्ष के अन्त में क्या होगा। अवसरवादी शक्तियां अपने संकुचित राजनैतिक उद्देश्यों के लिए विभाजक और सांप्रदायिक शक्तियों के सम्मुख समर्पण करके तथा उनसे समझौता करके सारी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। हमें इन अवसरवादी शक्तियों द्वारा उत्पन्न एक नई चुनौती का सामना करना है। सभी धर्म-निरपेक्ष, गैर-साम्प्रदायिक तथा लोकतांत्रिक शक्तियों को एक होकर इन समस्याओं का सामना करना चाहिए। लेकिन यहां मुद्दा यह है कि सत्ताधारी पार्टी अपने दायित्व से बच नहीं सकती है। इसके द्वारा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की संकुचित व्याख्या करना भी एक कारण है कि ये सांप्रदायिक शक्तियां पनप रही हैं। सत्ताधारी पार्टी धर्म को राजनीति से पृथक रखने में असफल रही है। धर्म को राजनीति से अलग रखने की बात हर रोज और हर जगह हो रही है। धर्म-निरपेक्षता के बारे में सभी उल्टी-सीधी बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं।

धर्म को राजनीति से अलग रखने का मुद्दा सही है और धर्म को राजनीति से अलग रखना ही वास्तविक धर्म-निरपेक्षता है। लेकिन सभी धर्मों पर पाबन्दी लगाना धर्म-निरपेक्षता नहीं है और सभी धर्मों को राजनैतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना भी धर्म-निरपेक्षता नहीं है। दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों से धर्म का कोई सरोकार नहीं है। जब धर्म प्रशासन पर हावी हो जाता है तो ऐसी बातें होती हैं। जब प्रशासन और पुलिस साम्प्रदायिक हो जाए तब क्या होगा? हम देख चुके हैं कि मलियाना और मेरठ में क्या हुआ। वहां पर स्वयं प्रशासन साम्प्रदायिक दंगों में शामिल था। अलीगढ़ में दूसरा पहलू यह था कि एक पार्टी के हिन्दू विधायक तो हिन्दू साम्प्रदायिक दंगाइयों का नेतृत्व कर रहे हैं और इसी पार्टी के मुस्लिम विधायक मुस्लिमों की साम्प्रदायिक शक्तियों का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं बिहारशरीफ और अन्य जगहों पर भी हो रही हैं। उदाहरण के लिए हजारीबाग और मथुरा जैसे स्थानों पर ऐसी नवीन घटनाएं हो रही हैं। आजादी के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं कहना चाहूंगा कि हर धर्म एक व्यक्ति को पूर्ण बनाता है तथा अन्य लोगों से प्यार करना सिखाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है। इस सरकार को धर्म की रक्षा के लिए गुंडों की जरूरत पड़ती है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो धर्म और भगवान स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते हैं और तब भगवान की रक्षा के लिए सरकार को गुंडों की आवश्यकता होती है। **(व्यवधान)** इन भगवानों को अपनी रक्षा के लिए गुंडों की आवश्यकता क्यों है।

महोदय, ज्यादातर दंगों की अगवाई गुंडे करते हैं। गुंडे आगे हैं। कुछ राजनैतिक लोग और निहित स्वार्थ शस्त्रों की सप्लाई करते हैं और गुंडों को जेलों से छुड़ाने में मदद करते हैं। इस प्रकार ये राजनैतिक शक्तियां इनकी मदद करती हैं। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि आजादी के 42 वर्षों के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों है।

सभापति महोदय, यह अच्छी बात है कि आपने इस समस्या को समझा है। आपके राज्य में साम्प्रदायिकता को संस्थागत रूप दे दिया गया है। वे इस प्रकार की धर्म-निरपेक्षता के सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं। यह बहुत गलत अवधारणा है।

महोदय, लोग रामायण और महाभारत महाकाव्य पढ़ते हैं और इन्हें पढ़ते समय अत्यधिक आनन्दित होते हैं। जब हम टेलीविजन पर रामायण दिखाते हैं तो लोगों को राम के बारे में पता लगता है और वे अपनी याद को ताजा कर लेते हैं। लेकिन रामायण दिखाने के तत्काल बाद राम जन्मभूमि का अध्याय शुरू हो जाता है और दूसरी ओर राम चुनाव अभियान के लिए भी जाते हैं। जब हम महाभारत देखते हैं तो हमें श्रीकृष्ण के बारे में पता लगता है—**(व्यवधान)** जब लोग महाभारत देखते हैं और श्रीकृष्ण को देखते हैं तो वे श्रीकृष्ण के शारीरिक रूप को देखते हैं। लेकिन इसके तत्काल बाद मथुरा की घटनाएं हो रही हैं। मैं नहीं जानता कि क्या इनमें कोई संबंध है। हमारा टेलीविजन साम्प्रदायिकता का सबसे बड़ा प्रचारक है। हम इस **इडियट बॉक्स** को साम्प्रदायिकता का और अधिक प्रचार करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।

5.00 **म० प०**

यह एक अन्य समस्या है। एक अन्य प्रश्न निष्पक्षता के अभाव के बारे में है। अल्पसंख्यकों के साथ रोजगार के अवसरों में भेदभाव, असुरक्षा, असमानता और असन्तोष, विवाद उत्पन्न करने वाले ऐसे आधार हैं जिनका प्रयोग साम्प्रदायिक शक्तियां करती है और परोक्ष उद्देश्य से उन्हें भड़काती हैं। वे वास्तविक मांगों के लिए नहीं अपितु साम्प्रदायिक उद्देश्य के लिए उनका प्रयोग करती हैं। यह कारक भी एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसके बारे में हमें विचार करना चाहिए और यदि हम उस हानि की पूर्ति नहीं करते हैं तो हम इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकते हैं।

[श्री हन्नान मोल्लाह]

दूसरा प्रश्न यह है कि इन समस्याओं को हल करने के लिए तत्कालीन कार्यवाही की जानी चाहिए। सभी पूर्व वक्ताओं ने यह उल्लेख किया है कि औरंगाबाद, पैंठान, बिडकिन, बहरामपुर, बीदर, मुजफ्फरपुर, अलीगढ़, करौली, फैजाबाद और बहुत से अन्य स्थानों पर गत वर्ष प्रमुख घटनाएं कैसे घटित हुई। पिछले 3-4 महीनों में हमने जम्मू में पहली बार दंगे देखे हैं। जम्मू में पहले कभी भी हिन्दू और सिखों के बीच झगड़े नहीं हुए थे। जब मैंने जम्मू का दौरा किया तो मैंने यह सुना कि वहां पुलिस बल तैनात था और पुलिस मुख्यालय के सामने ही सिखों की हत्या कर दी गई थी। हमारी ऐसी स्थिति क्यों है ? हमें इस समस्या के समाधान के लिए अपने अन्दर झांकना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई थी। इस सत्ताधारी दल को राष्ट्र के समक्ष इसका उत्तर देना चाहिए। तुरन्त ही इस बारे में कुछ कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। श्री रामूवालिया जी द्वारा कुछ मांगें रखी गई हैं और मैं उन्हें दोहराने नहीं जा रहा हूं। मैं उन मांगों का समर्थन करता हूं। कुछ मुद्दे हमारे सामने हैं। यह सरकार निष्क्रिय बैठकर झूठी सहानुभूति क्यों दिखा रही है ? वे राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक क्यों नहीं बुला रहे हैं ? उन्हें ऐसे बैठक बुलाने से कौन रोकता है ? आप इस राम जन्मभूमि समस्या को जारी रहने की अनुमति क्यों दे रहे हैं ? एक बार हमारे मंत्री महोदय ने हमें यह आश्वासन दिया था कि वे राम जन्मभूमि विवाद को हल करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ नियुक्त करने के बारे में कहेंगे। परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने आर० एस० एस० और विश्व हिन्दू परिषद के सामने हार मान ली और वे पीछे हट गए। इस मुद्दे को हल करने के लिए तुरन्त ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय को एक विशेष पीठ नियुक्त करने के लिए कहा जाना चाहिए और उन्हें साम्प्रदायिक धमकी के सामने हार नहीं माननी चाहिए।

राजनीति को धर्म से अलग करना भी बहुत जरूरी है। मैं नहीं जानता कि क्या वे ऐसा करेंगे अथवा नहीं। परन्तु यह एक आवश्यकता है और यही वास्तविक धर्मनिरपेक्षता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक स्थान पर जाकर अपने भगवान की पूजा करने का अधिकार है। परन्तु किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने भगवान का उपयोग किसी अन्य धर्म के विरुद्ध करे। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है और उच्च पदाधिकारियों को धार्मिक स्थान का दौरा करने के लिए अपनी सरकारी स्थिति का उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें वहां सरकारी दौरे के समय विशेष रूप से चुनाव के समय क्यों जाना चाहिए ? (व्यवधान) हम यह देखकर शर्मिन्दा होते हैं कि बहुत से उच्च पदाधिकारी कुछ निरक्षर स्वामियों के पैरों में अपना सिर रखते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति जारी है। आप सत्ताधारी लोगों से साम्प्रदायिक दबाव के सामने हार मानने की आशा कैसे कर सकते हैं ? अन्धविश्वास का बोलबाला है। यदि आपका धर्म अन्धविश्वास प्रधान है यदि आपका धर्म साम्प्रदायिक प्रधान धर्म है तो फिर बात ही क्या है। इन परिस्थितियों में धर्म को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। वे इस मुद्दे के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मैं यह नहीं जानता कि क्या वे ऐसा करने के बारे में सहमत होंगे अथवा नहीं। यह एक अन्य प्रश्न है। साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती है। श्री रामूवालिया ने कुछ प्रश्नों को उठाया है और पुलिस अधिकारियों एवं कुछ अन्य लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप क्या कड़ी कार्यवाही करने का प्रस्ताव रखते हैं ? कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। मैं समझता हूं कि साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती क्योंकि साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ समझौता करने से संबंधित शक्तियों को नया जीवन मिल जाता है।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि कट्टरपंथियों को प्राप्त करने के लिए न केवल सैद्धातिक संघर्ष के प्रचार की आवश्यकता है अपितु सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने की भी आवश्यकता है। ऐसा हमारा अनुभव है। जब साम्प्रदायिक शक्तियों के हाथों हमारे बहुत से मित्र और साथियों को मारा गया था तब हमने ऐसा अनुभव किया था। जब कोई साम्प्रदायिक दंगा भड़कता है तो हम लोगों को एकत्रित करते हैं और हस्तक्षेप करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि दंगाई कायर होते हैं। जब आप उनका पीछा करते हैं तो वे भाग जाते हैं। परन्तु लोग हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को चुप रखे हुए हैं। हम उन्हें सचेत नहीं करते, उन्हें प्रशिक्षण नहीं देते और उन्हें देशभक्ति, भ्रातृभाव और एकता के लिए प्रेरित नहीं करते। इन 42 वर्षों में यह हमारी सबसे बड़ी विफलता रही है। इस विफलता के कारण ही हमारा देश साम्प्रदायिक जातिवादी और विघटनकारी शक्तियों के हाथों विघटन की स्थिति में पहुंच गया है।

मैं यह कहूंगा कि इस स्थिति में भौतिक हस्तक्षेप को संगठित किया जाना चाहिए। सभी ईमानदार राजनैतिक शक्तियों को संगठित होकर हस्तक्षेप करना चाहिए और साम्प्रदायिक शक्तियों और दंगाइयों को खदेड़ देना चाहिए। पुलिस को इन दंगाइयों को तुरन्त गोली मार देनी चाहिए। इन दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। ये गुंडे होते हैं। दंगाई हिन्दू, मुस्लिम, सिख अथवा ईसाई नहीं होते, वे देश के दुश्मन होते हैं। अत: उन्हें गोली मार दीजिए। आप पांच हजार, दस हजार, एक लाख अथवा एक करोड़ दंगाइयों को गोली मार दीजिए ताकि देश को उनके हाथों से बचाया जा सके। परन्तु खेद की बात तो यह है कि आप उन्हें चुनाव के लिए अपने संकीर्ण राजनैतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं। आप उन्हें नहीं मार सकते।

5.07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसके साथ लोगों का हस्तक्षेप ही उन्हें बचा सकता है।

मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इन मांगों पर विचार करेंगे और मुझे यह सूचना देंगे कि वे विशेष रूप से राम जन्मभूमि के प्रश्न पर क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं और क्या सरकार राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक को बुलाने जा रही है अथवा नहीं।

इन शब्दों के साथ मैं इस देश में व्याप्त साम्प्रदायिक स्थिति की निन्दा करता हूं।

श्री अजीज कुरैशी (सतना) : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य रामूवालिया जी के प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां और साथियों ने देश में बढ़ हुए सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिकता पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है, मैं चाहूंगा कि 1986 से अगर हम पिछले तीन साल का लेखा-जोखा निकालें, तो यह बात सही है कि साम्प्रदायिक दंगे समाप्त नहीं हुए हैं लेकिन यह बात थोड़ी हमारी फिक्र को कम करती है कि उन सांप्रदायिक घटनाओं में कमी जरूर आई है।

उपाध्यक्ष जी, 1986 में सारे देश में 764 दंगे हुए, जिसमें 418 लोग मारे गए और 5,389 लोग जख्मी हुए। उसके अगले वर्ष यानी 1987 में दंगों की संख्या 764 से घटकर 711 हो गई और मरने वालों की संख्या 418 से कम होकर 383 हो गई और जख्मी होने वालों की संख्या 5,389 से कम होकर 3,860 हो गई। 1988 में अगर आप देखें, तो दंगों की संख्या 711 से घटकर 610 हो गई, मरने वालों की संख्या 223 है और जख्मी होने वाले 3120 हैं। यह जो मैं कह रहा हूं, तो मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि पूरे हालात, पूरी परिस्थिति जो है, वह अच्छी है और हमें बेफिक्री

[श्री अजीज कुरेशी]

है। यकीनन यह चिंता की बात है जो तनाव और फिरकापरस्ती इस मुल्क में हुई। यह चिंताजनक तो है लेकिन जो वास्तविक आंकड़े हैं उनको देख करके कम से कम इस बात की खुशी हम महसूस करते हैं कि ये दंगे बढ़े नहीं हैं। खासतौर से जो यह बात कही गई कि दंगों के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट जिम्मेदार होंगे, यकीनन इसमें इनसे कमी आना बहुत मुमकिन है।

उपाध्यक्ष जी, अगर दंगों के कारणों और वजूहात को हम एनेलाईज करें, उनको जानना चाहें तो मेरे ख्याल से चार मोटी-मोटी बातें हैं जिनकी बुनियाद पर सारे मुल्क में दंगे हुए हैं। यही वजह होती है. यही कारण होते हैं जिनकी वजह से अलग-अलग ठिकानों पर, मुख्तलिफ जगहों पर फिरकेवाराना दंगे होते रहते हैं।

पहली वजह है कि धार्मिक प्रोसेशन, जुलूस कहां से निकले, उनके रास्ते क्या हों, किस तरह से वे निकाले जाएं। क्या उनका रूप हो। दंगा इस बात पर शुरू होता है।

दूसरे इस बात पर होता है कि कुछ मुकामात पर बाजा बजाने पर मतभेद होता है। जिससे कि तनाव पैदा हो जाता है और उसके कारण दंगा हो जाता है।

तीसरी वजह यह रही है कि आम तौर पर लाऊड स्पीकर का मजहबी मुकामात पर इस्तेमाल किया जाता है। रस्म अदा करने के लिए या और बातों पर जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर भी तनाव पैदा हुए हैं।

चौथी बात यह बतायी जाती है कि बहुत सी धार्मिक रस्में उन मुकामात पर पूरी की जाती हैं जहां पर कि परम्परागत तौर पर उनको अदा करने की मनाही है।

इन वजूहात की वजह से इस मुल्क में अनेक स्थानों पर दंगे हुए हैं।

अभी हमारे साथी हन्नान मोल्लाह ने बोलते हुए कांग्रेस सरकारों पर आरोप लगाए। उन्होंने पूरे जोर से कांग्रेस की हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराया। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि 20.6.88 को बुरहानपुर, जिला मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ, जिसमें कि 54 लोग मारे गए और 40 लोग जख्मी हुए और करीब 6 लाख की प्रापर्टी का नुकसान हुआ। उसके लिए कौन जिम्मेदार था? इसी तरह से 14.5.88 को बीदर में 40 लोग मारे गए और 52 लोग जख्मी हुए और 50 लाख की प्रापर्टी का नुकसान हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार था?

अगर हम इन फिरकेवाराना दंगों की वजूहात पर गौर करते हुए, इनके मसायल पर ईमानदारी से ख्याले इजहार नहीं करेंगे और सयासी मकसद से विचार करेंगे तो मेरे ख्याल में नामुनासिब बात होगी और इन मसलों का कोई हल नहीं निकल पाएगा।

मैं चाहता था कि यहां जो लोग बोलें, वे खास तौर पर इस बात को देखें कि दंगों की सबसे बड़ी वजह है इस देश के फंडामेंटेलिस्ट लोग। जिनमें मैं खासतौर पर विश्व हिन्दू परिषद् का नाम लेता हूं। विश्व हिन्दू परिषद् का चाहे जलसा हो, मीटिंग हो, प्रोसेशन हो, उसके बाद अगले दिन दंगा होना जरूरी है। मैं नहीं जानता क्यों लोग विश्व हिन्दू परिषद् का नाम नहीं लेते? मैं चाहता था कि यहां लोग इस बात को बोलें कि विश्व हिन्दू परिषद का प्रोपेगण्डा इस मुल्क में दंगा कराने के लिए जिम्मेदार है।

इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों बी० जे० पी० और उसके नेता ने जो भाषण

दिए हैं, वे भी इस मुल्क के इतिहास का एक बदनुमा दाग हैं। हमारे आदरणीय···** जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, ने बम्बई में बोलते हुए कहा, एक आम सभा में कहा कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के सवाल पर चाहे सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, चाहे हाई कोर्ट फैसला करे, बी० जे० पी० और इस देश की हिन्दू आबादी उसका समर्थन करने वाली नहीं है। मैं चाहूंगा कि विश्व के इतिहासकार,······**······ये देश के लोगों को किस तरह गुमराह करते हैं। तमाम लोग जो उनके साथी हैं इस मुल्क में नाम कांग्रेस गवर्नमेंट कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके किसी नेता की इस माननीय सदन में यह हिम्मत नहीं हुई कि उनकी इस तकरीर को पब्लिकली कन्डेम कर सके और कह सके कि इस मुल्क में यह फिरकापरस्ती का जहर घोला जा रहा है, इसका इलाज नहीं हो पाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से खुले तौर पर प्रोपेगंडा किया गया कि हर गांव से एक ईंट लायी जायेगी और राम जन्मभूमि में मंदिर बनाया जाएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे, सरकार कुछ कहे, हाई कोर्ट कुछ कहे, इस पर कोई पाबन्दी किसी प्रकार से नहीं लगाई गई, यह बदकिस्मती की बात है।

जहां मैं यह कहता हूं तो इसके साथ-साथ यह भी कहता हूं कि मुस्लिम फिरकापरस्त जमातें मौकापरस्त लोगों की निंदा करता हूं, कंडेम करता हूं, मजम्मत करता हूं जो इस काम में लगे हुए हैं। आदम सेना या और तरह की सेनाएं बनाकर मजहबी जजबातों को उभारने वाले फिरकापरस्तों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस फिरकापरस्ती की वजूहात को आप देखना चाहेंगे तो आप पायेंगे कि ये फिरकापरस्त ताकतें आपस में अन्दर से ही पैदा होती हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जनता पार्टी के शासन में इस देश में अनेक नगरों में, जमशेदपुर में, अलीगढ़ में और कई नगरों में दंगे हुए तो दिल्ली से निकलने वाले अखबारात जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्टों द्वारा निकाले जाते हैं, उर्दू का दावत और इंगलिश का रेडिएंस, ये कांग्रेस सरकार के समय कहीं भी थोड़ा सा दंगा हो तो उसको सुर्खियों में छापते हैं और जनता पार्टी के शासन के दौरान जितने भी दंगे हुए इन दोनों अखबारों ने उनके बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा। फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। यह इस बात का सुबूत है अन्दर से फिरकापरस्त ताकतें आपस में मिली-जुली हैं, इनका आपस में समझौता है और जानबूझ कर किसी खास मकसद के तहत ये काम करती आई है।

मुल्क की तारीख एक बात और लिखेगी, बड़े अफसोस के साथ लिखेगी कि इस देश में वे लोग जिनको इन्कलाबे अमेरिका और फ्रांस की दास्तानें जुबानी याद थीं, जो इस मुल्क में तरक्की पसंदी तहरीक का झंडा उठाकर आगे बढ़ रहे थे, उन लोगों ने अपने को फिरकापरस्त ताकतों के आगे सरेंडर कर दिया, पूरी तरह से समर्पित कर दिया। मुझे याद आ रहा है कहीं मैंने पढ़ा था कि प० जवाहर लाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनसे कहा गया कि यह आदमी कम्युनिस्ट विचारधारा का है, इसलिए इसको नौकरी में न रखा जाए, इसको निकालकर बाहर किया जाए। पंडित नेहरू ने फाइल पर लिखा—

[अनुवाद]

"साम्यवादी होना कोई अपराध नहीं है। इस देश को वास्तविक खतरा आर० एस०

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला गया।

[श्री अजीज कुरेशी]

एस० से है साम्यवादी दल से नहीं।"

[हिंन्दी]

लेकिन कम्युनिज्म का प्रचार करने वाले कौमपरस्ती का झंडा उठाने वाले, तरक्की पसन्दी का झंडा उठाने वाले आज कहां हैं। उन्होंने आज फिरकापरस्तों के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया है। यहां वे लोग मौजूद हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के मरने के बाद मांग की कि आर० एस० एस० पर पाबंदी लगाई जाए, आज वे बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने इस देश के सबसे बड़े जुलूस का नेतृत्व किया, जिसमें सबसे आगे स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण थे, लेकिन इतिहास के पन्ने कहां खो गए, तारीख के सफादात को कहां गुम कर दिया गया, वही लोग महात्मा गांधी के कातिलों पर पाबंदी लगाने के लिए सबसे आगे आये थे, उन लोगों ने महात्मा गांधी से हाथ मिलाकर इस मुल्क में नई हुकूमत की बुनियाद डाली, ताकि कांग्रेस राज खत्म हो जाए। सारे कायदे, सारे खयालात, सारी विचार-धाराएं कुरबान कर दीं। सरकार उस पर तुरन्त कार्यवाही करे और इसको तुरन्त किसी कोर्ट के हवाले कर दे और उसके फैसले पर जल्दी अमल करे तब ही इस मुल्क में सही रूप से शांति हो सकती है। अन्त में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जो इस मुल्क में फिरकापरस्तों के हाथों शहीद हो गए, उनकी याद में श्री एन० एम० रशीद उर्दू के शायर को याद करते हुए यह प्रतीज्ञा करें कि यह लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा था :

"आज दरवाजे खुले रखो, याद की आग बहक उठी है,
शायद इस रात हमारे शोहदा आ जाएं,
अपने दरवाजे खुले रखो।"

[अनुवाद]

अंग्रेजी में उसका अर्थ यह है :

"आज रात अपने दरवाजे खुले रखो, याद की आग बहक उठी है,
शायद इस रात हमारे शोहदा आ जाएं,
अपने दरवाजे खुले रखो।"

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि हमारे देश में साम्प्रदायिक शक्तियां मजबूत होती जा रही हैं। हम सभी लोगों के लिए हाल ही के साम्प्रदायिक उपद्रव, आगजनी, हत्यायें और लूटपाट खेद का विषय बन गई है। मैं समझता हूं कि इस सम्पूर्ण प्रश्न के बारे में हमें अपने दृष्टिकोण को ठीक करना चाहिए।

हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित धर्म निरपेक्षता की परिभाषा को पर्याप्त रूप से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रश्न के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है? मैंने प्रधान मंत्री महोदय को कई बार यह कहते सुना है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता किसी अन्य स्थान की धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। यहां हम सभी धर्मों की अनुमति देते है और सभी धर्मों के लोगों को खुश करने का प्रयास करते हैं। हम इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। हम कहते हैं कि हम सभी धर्मों के सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। धर्मों के प्रभाव को बढ़ाना भारत में धर्मनिरपेक्षता है। यह अत्यन्त खतरनाक बात है। जब मैं निचली कक्षाओं में पढ़ता था तो हम ऐसा अनुभव किया करते थे कि धर्मों से सम्बन्धित होना प्रगति शील बात नहीं है। परन्तु आज ऐसी स्थिति नहीं है। आजकल आप देखते हैं कि अलग प्रकार की वर्दी पहने हुए और चिन्ह लगाए हुए विभिन्न धर्मों का प्रचार करने वाले लोग स्कूलों और कालेजों में धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होते है और नवयुवकों

को प्रभावित करते हैं। वास्तव में वर्तमान समय में ऐसी स्थिति में वृद्धि हो रही है। ऐसी धार्मिक गतिविधियों से हमारे नवयुवक आकर्षित होते हैं और वे उनमें अधिकाधिक सम्मिलित होते हैं जिनका व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास से कोई वास्ता नहीं है। अतः यह उचित समय है जब हमें अपने दृष्टिकोण को पुनः निर्धारित करना चाहिए। हमें अपने वर्तमान दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धर्म को अलग रखा जाए। मुझे व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए धर्म के उपयोग किए जाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है और मैं इस बात से सहमत हूं कि धर्म व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में अपनी भूमिका अदा करता है, परन्तु जीवन की आर्थिक और अन्य भौतिक गतिविधियों में इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि भारत में हमने धर्म को आर्थिक और अन्य गतिविधियों में भी अनुमति दी हुई है। हमें इसके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए और यदि हम इसे शीघ्र ही समाप्त कर दें तो यह बेहतर होगा।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि धर्म का उपयोग राजनैतिक लाभ के लिए किया जाता है। हाल में दो चुनाव तमिलनाडु और मिजोरम में हुए हैं। मैं मिजोरम गया था और मैंने यह देखा कि कांग्रेस (आई) के इस्तिहार में यह उल्लेख किया गया था "इसाई धर्म निरपेक्षता की रक्षा के लिए कांग्रेस (आई) को मत दीजिए।" तमिलनाडु में कांग्रेस (आई) के पोस्टरों में कहा गया था कि "आदि शंकराचार्य के सिद्धान्तों के समर्थन के लिए कांग्रेस (आई) को वोट दीजिए।" इन पोस्टरों का क्या मतलब है। धर्म के प्रति हमारा यह दृष्टिकोण है और हम व्यक्तिगत हितों के लिए धर्म का समर्थन कर रहे हैं। हमें किसी न किसी तरह से इसे रोकना चाहिए। वास्तव में मैं यह अनुभव करता हूं कि हाल ही में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के आधार पर तमिलनाडु और मिजोरम में हुए चुनावों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। यदि हम इन इश्तिहारों को उच्चतम न्यायालय में पेश करें तो उच्चतम न्यायालय निश्चित रूप में उन पर विचार करेगा और चुनाव संबंधी कानूनों की वही व्याख्या करेगा जो बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा किए गए हैं। बम्बई उच्च न्यायालय में शिव सेना के विधायक के चुनाव को यह कह कर रद्द कर दिया था कि उसने लोगों को प्रभावित करने के लिए धर्म का सहारा लिया और उसके द्वारा प्रकाशित किए गए इश्तिहारों से देश के चुनाव कानून का उल्लंघन हुआ है न केवल बम्बई उच्च न्यायालय बल्कि केरल उच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही किया है। एक चुनाव क्षेत्र-मातंजरी में एक मुस्लिम उम्मीदवार को धार्मिक प्रचार करने में लिप्त पाया गया और न्यायालय ने कहा कि चुनाव को रद्द कर दिया जाए क्योंकि उम्मीदवार ने धर्म का उपयोग किया था। उन्होंने राष्ट्रपति से उसे छः वर्षों के लिए अयोग्य घोषित करने की भी सिफारिश की थी।

हमारे संविधान के निर्माताओं, इस सम्मानीय सदन में विधिनिर्माताओं और सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए लोगों ने धर्म और राजनीति को दो विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा है और इन्हें अलग रखने का प्रयास किया है। परन्तु दुर्भाग्यवश आज जो लोग सरकार को चला रहे हैं और उच्च पदों पर आसीन है, वे लोग धर्म को, धर्मांध व्यक्तियों को खुश करने और लोगों की धार्मिक भावनाओं का अपने संकीर्ण स्वार्थों की प्राप्ति के लिए उपयोग करते हैं। जरा देखिए, उनके द्वारा कैसे-कैसे तरीके अपनाए जाते हैं। जब कभी कोई चुनाव होता है, वे उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण मंदिरों और गिरजाघरों में जाते हैं और इस प्रकार मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। मैं प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर अथवा मंदिर जाने का विरोध नहीं करता हूं। यदि आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आप पूजा स्थल में जा सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। परन्तु इसका संबंध चुनाव के साथ नहीं होना चाहिए। चुनाव के समय यदि प्रधान मंत्री अपने सारे ताम-झाम के साथ किसी

[श्री तम्पन थामस]

गिरजाघर अथवा मंदिर में जाते हैं तो ऐसा करने पर उनका विशेष मकसद होता है। वह लोगों के दिमाग में एक इस प्रकार की धारणा बैठाते हैं कि देश में वह धर्म को इतना अधिक महत्व दे रहे हैं। हमारे दैनिक जीवन से धर्म को असंबद्ध करने का यह बहुत उपयुक्त समय है। इसे असंबद्ध किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। आप को धर्म को अपने स्थान पर रखना है। यदि हम ऐसा कर पायें तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। ऐसा करने के लिए, राजनैतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। परन्तु यहां वह राजनैतिक इच्छा शक्ति ही नहीं है। जबकि जो भी व्यक्ति सत्ता में आता है, वह अपने उद्देश्य से हमेशा धर्म का प्रयोग करता है। अब इसका उल्टा असर होना शुरू हो गया है। जम्मू और काश्मीर में इसका उल्टा असर हुआ है। पंजाब में इसमें पहले से ही उल्टा असर हो रहा है। सर्वत्र इसका उल्टा असर हुआ है। हमने दिल्ली में भी धर्म का उपयोग किया है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के हर भाग में इसका उल्टा असर हुआ है। जहां भी हमने इस संकीर्ण प्रयोजन के लिए धर्म का उपयोग किया है वहां पर इसका उल्टा असर होना शुरू हो गया है। आज यह ऐसी चरम स्थिति पर पहुंच गया है कि अब हम इसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। और अब विदेशी शक्तियों द्वारा भी इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। समाचार पत्रों में हाल ही में यह बात सामने आई है कि जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं और जो धर्मान्धता को बढ़ावा देते हैं, उन्हें विदेशी एजेंसियां भारी सहायता देती हैं। जम्मू और काश्मीर में ऐसा किया जा रहा है। पाकिस्तान के लोग युवा लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें धर्म के स्वयंसेवकों के रूप में वापिस भेज रहे हैं। ऐसा करने से ये युवा लोग देश में जन साधारण के लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं। हरेक स्थान पर ऐसा किया जा रहा है।

हाल ही में समाचार-पत्रों में यह बताया गया था कि धार्मिक संगठनों की सहायता के लिए विदेशों से 450 करोड़ रुपया भारत में आया है। इन देशों में जिमखाना था इसी प्रकार के अन्य संस्थान होंगे जोकि धन प्राप्त करते हैं और किसी अन्य राजनैतिक उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करते हैं। आपको याद होगा कि तीन वर्ष पहले केरल में क्या हुआ था। इस समय, कट्टरवादी जिन्हें देश में आने की मनाही थी, बहुत सा धन लेकर लौटे। उन्हें केरल के एक मंत्री ने, जोकि कांग्रेस (ई) सरकार के साथ भागीदार सहायता उपलब्ध कराई थी वे बंगलों में ठहरे। उन्होंने देश में तोड़-फोड़ की गतिविधियों के लिए पैसा लिया। हमारे देश में सभी जगहों पर ऐसा हो रहा है। क्या यह सच नहीं है?

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : यह मामला न्याय निर्णयाधीन है।

श्री तम्पन थामस : ठीक है। ऐसा देश में हुआ है। यह मामला राज्य सभा में भी उठा था। इसका उत्तर भी दिया गया था। एक माननीय सदस्य द्वारा उन कट्टरपंथियों, जिन पर यहां प्रवेश करने के लिए रोक लगा दी गई थी और इस देश में खर्च करने के लिए यहां पर भारी धनराशि लाए थे के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था इनके पास कोई वीसा नहीं था परन्तु फिर भी वे देश में प्रवेश पा गए! यदि ऐसी बातें होती रही तो वह चाहे कोई भी धर्म हो, मैं उसका विरोध करता हूं। यदि ऐसी पार्टियां केवल धर्म के आधार पर काम करती हैं तब तो मैं कहूंगा कि उन पर अवश्य प्रतिबंध लगना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक पार्टियों को ही हम देश में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए और दूसरी पार्टियों पर रोक लगा दी जानी चाहिए। ऐसी पार्टियां, जो साम्प्रदायिकता फैलाती है, उन पर चुनाव लड़ने के लिए रोक लगा दी जानी चाहिए। वे आध्यात्मिक कार्य करें, धर्म निरपेक्ष बातों में दखल न दें। आप उन स्थानों को देखें, जहां पर साम्प्रदायिक तनाव

हो रहा है। इसके कुछ कारण हैं। जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। आप इस बात पर नजर रखिए कि उन जांचों के आधार पर क्या कार्यवाही हो रही है? उदाहरण के लिए, मेरठ को लीजिए, वहां पर एक दगा हुआ था। वहां कितने मामले दर्ज किए गए? यदि उस समय लोग इस बात की मांग करते हैं तो मामले दर्ज किए जाते हैं परन्तु कुछ समय बाद उन्हें वापिस ले लिया जाता है। भिवन्डी में क्या हुआ? औरंगाबाद में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? मिश्रा समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ? अधिकांश मामले दर्ज किए जाने के बाद राजनैतिज्ञों के हस्तक्षेप से वापिस लिए जा रहे हैं। अतः राजनितिज्ञ, गुंडों अथवा उन लोगों को, जो उनके स्वार्थों के लिए दंगे भड़काते हैं, को बचा रहे हैं। यदि गुंडों के विरुद्ध कभी भी कोई जांच के आदेश जारी किए जाते हैं तो तदन्तर वह राजनैतिज्ञ का गुलाम बन जाता है क्योंकि वही उसको न्यायालय के शिकंजे से बचा सकता है अथवा सरकार द्वारा मामला भी वापिस ले लिया जाता है। अतः रिपोर्टों के आधार पर कार्यवाही न करने से लोगों के दिमाग में कुछ अविश्वास पैदा हो गया है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह दंगा करने वालों को बचा रही है अथवा वह दंगा पीड़ितों को बचा रही है। इसलिए हर जगह दंगे हो रहे हैं। यदि आप गहराई से देखें तो आप इस बात को अच्छी तरह से जान सकते हैं कि दगे क्यों हो रहे हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। हाल ही में हजारी बाग में क्या हुआ? वहां पर कुछ समारोह हो रहे थे। बताया गया है कि हमारे कुछ लोगों ने उन पर हमला किया। इसी कारण से उन्होंने अनेक लोगों की हत्या कर दी। समाचार पत्रों में बताया गया है कि कल ही लगभग 40 शव निकाले गये। मेरे और हमारे देश के लोगों के लिए वास्तव में यह एक हृदय विदारक घटना है। सर्वत्र यही तरीका अपनाया जा रहा है।

यदि कुछ शरारती तत्व कुछ कर देते हैं, तो कोई व्यक्ति कुछ लोगों को अबोध लोगों पर हमला करने के लिए उकसाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप अबोध लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसे किस प्रकार रोका जा सकता है? यह दृढ़ इच्छाशक्ति से कार्यवाही करने पर ही रोका जा सकता है। ऐसा कैसे किया जा सकता है? यह किसी क्षेत्र विशेष में दूसरी जाति के लोगों के बसाए जाने को बढ़ावा देकर किया जा सकता है जहां पर किसी विशेष जाति के लोग रह रहे हैं। हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। सरकार को इस प्रकार की बातों पर विचार करना चाहिए। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि जब हम एक कालेज में अध्ययन कर रहे थे, वहां पर एक छात्रावास था जहां सब राज्यों के लोग रहते थे तथा विभिन्न धर्मों के छात्र एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे इस प्रकार हम एकता लाने का प्रयास करते थे। परन्तु आज लोग धार्मिक संरक्षण के नाम पर अलग-अलग रहने में अधिक रूचि रखते है। और वे इसी आधार पर वहां जाते हैं। उनकी भावनाएं इसी ढंग से विकसित की गई है। और अंततः वे कट्टरपंथी बन जाते हैं। अतः सरकार को यह देखने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए कि विभिन्न धर्मों के लोगों को एक स्थान पर रहने और एक दूसरे के साथ मिल जुल कर रहने के अवसर दिए जायें। मैं दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत का दिखाया जाना पसन्द करता हूं परन्तु यदि आपके टेलीविजन और रेडियो केवल धर्म का प्रचार करते हैं और उस सब से सरकार लोगों के दिमाग में उत्तेजना पैदा करती है, धर्म के भावनात्मक पहलू को उभारती है, धर्म से कट्टरपंथियों को बढ़ावा देती है, यदि यह सब सरकार द्वारा किया जा रहा है तो क्या हम पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? और क्या इससे सरकार भी प्रभावित नहीं होगी। यदि आप ईसाई धर्म अथवा हिन्दू धर्म या रामायण या महाभारत दिखाते है तो क्या हम प्रभावित नहीं होंगे? यदि आप धर्मोपदेशकों को अपने-अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बढ़ावा देंगे तो क्या हम प्रभावित नहीं होंगे? अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उसे इस धार्मिक पहलू पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनको उन्मुक्त छोड़ दिया जाए। दूरदर्शन और रेडियो का उपयोग लोगों को उनके

[श्री तम्पन थामस]

स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देने पर किया जाना चाहिए। प्रचार माध्यमों का प्रयोग केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में ही किया जाए, न कि इस प्रकार की बातों पर। धार्मिक प्रयोजन के लिए उनका प्रयोग किए जाने के स्थान पर साक्षरता या कुछ ऐसी बातों को बढ़ावा देना चाहिए।

दूरदर्शन और रेडियो पर जो प्रचार किया जा रहा है, यहां तक कि राजनैतिज्ञ भी, वे लोग जो सत्ता पर हैं, उनका भी यही विश्वास है कि वे साधुओं और ज्योतिषियों की कृपा से सत्ता में है। जो लोग सत्ता में हैं, वे सोचते हैं कि वे सत्ता में इसलिए है क्योंकि वे किसी मंदिर में गए थे; वे सत्ता में इसलिए हैं कि वे किसी गिरिजाघर में गए थे, वे सत्ता में इसलिए हैं कि उन्हें किसी विशेष देवता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था।

उनका जनता में विश्वास नहीं है; उन्हें लोगों की चिन्ता नहीं है; उनकी उन लोगों के हितों की रक्षा करने में भी रुचि नहीं है जिनके लिए वे निर्वाचित हुए हैं। किन्तु वे उसी उद्देश्य के लिए निर्वाचित हुए हैं और वे वह नाटक कर रहे हैं। इसलिए उनके दिमाग पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। यह प्रभाव केवल तभी खत्म हो सकता है जब हम लोगों को दूसरे ढंग से शिक्षित करें।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमें देश की साम्प्रदायिक स्थिति पर बार-बार चर्चा करनी पड़ती है। सदन में बहुत बार देश की साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा की जा चुकी है। मैंने सोचा था कि यह चर्चा भी उच्च स्तर की होगी और लोग पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित में योगदान देंगे। किन्तु मुझे यह जानकर दुख हुआ कि, विपक्ष के उन कुछ वक्ताओं—जैसे मेरे अच्छे मित्र श्री तम्पन थामस और श्री हन्नान मोल्लाह भी, जिन्होंने अभी अपना भाषण समाप्त किया है, इस चर्चा में दलगत राजनीति लाना चाहते थे। श्री तम्पन थामस इससे भी आगे चले गए। मेरी समझ में यह नहीं आता कि उन्हें रामायण या महाभारत के प्रति इतनी एलर्जी या विद्वेष क्यों है। मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि रामायण और महाभारत मात्र धार्मिक पुस्तकें नहीं हैं बल्कि ये तो इस देश का अत्यधिक मूल्यवान खजाना है। विश्व के बुद्धिजीवी और विद्वान, जिनका नाम है, रामायण और महाभारत की प्रशंसा करते हैं। हमारे देश की ऐसी पुस्तकें हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई थीं और मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि श्री तम्पन थामस जैसे भारतीय को टी० वी० पर रामायण या महाभारत देखने में चिढ़ होती है। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री तम्पन थामस : मैंने ऐसा नहीं कहा है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आपने ऐसा कहा है। रामायण और महाभारत देखने से कोई व्यक्ति साम्प्रदायिक नहीं बनेगा।

श्री तम्पन थामस : धार्मिक प्रचार के लिए मीडिया का प्रयोग करना ठीक नहीं है। मैंने यह बात उठाई थी। यदि मेरे मित्र ने मेरा मन्तव्य नहीं समझा तो मुझे इसका खेद है। मैंने केवल मीडिया के उपयोग के बारे में कहा था।

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : वे हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। कौन कहता है कि इनका संबंध किसी धर्म से है?

प्रो० पी० जे० कुरियन : मुझे पहले इसी बात पर विचार करना पड़ेगा हालांकि यह मेरा मुख्य प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि रामायण या महाभारत पढ़ने से कोई व्यक्ति साम्प्रदायिक या

कट्टरपंथी नहीं बनेगा। क्या गांधी जी साम्प्रदायिक थे ? गांधी जी साम्प्रदायिक थे या कट्टरपंथी ? वे इस देश में रामराज्य लाना चाहते थे। इस देश में हजारों वर्ष से विदेशों से बहुत से लोग आए। इस देश में इसाई आए, मुसलमान आए और यहां उन सभी का स्वागत किया गया और उन्हें स्वीकार किया गया। रामायण और महाभारत इस देश में साम्प्रदायिकता या कट्टरतावाद की शिक्षा कहां दे रहे हैं ? मैंने इसी बात पर आपत्ति की है। ऐसी बात कहना ठीक नहीं है। मुसीबत यह है कि कुछ लोग इसे सांप्रदायवादी दृष्टि से देखते हैं और इसलिए उन्हें हर चीज में सांप्रदायिकता दिखाई देती है। यही नहीं, मैं यह कहना चाहूंगा कि धार्मिक होने से ही कोई व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं बन जाता। एक नया सिद्धांत लाया गया है। श्री तम्पन थॉमस और श्री हन्नान मोल्लाह दोनों ही धर्मनिरपेक्षता की नई परिभाषा देने का प्रयास कर रहे थे। वे कहते हैं कि गांधी जी, पंडित जी द्वारा परिभाषित धर्मनिरपेक्षता और विश्व भर में स्वीकृत धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता नहीं है। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता धर्म में विश्वास नहीं रखना है। उनका कहना है कि धर्म में विश्वास न रखने वालों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और धर्म में विश्वास रखने वालों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। नहीं। राज्य (देश) की नजर में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है—राज्य में हर व्यक्ति समान है चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान या फिर इसाई हो; हर व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। किसी धर्म को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाता और न ही सरकार किसी धर्म की उन्नति को रोकती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है। हम इस धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं।

मैं कुछ कहना चाहता था किन्तु श्री हन्नान मोल्लाह यहां उपस्थित नहीं हैं। सोवियत संघ के उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया था। अब वहां क्या हो रहा है ? श्री गोर्बाचोव क्या कर रहे हैं ? वह क्या कर रहे हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : श्री गोर्बाचोव को इससे क्या लेना है ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी भी भारत में स्वीकृत धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को स्वीकार कर रही है। यह वास्तविकता है। इस ओर से आंखें मूंदकर यह आरोप लगाना कि सरकार सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है, सबसे बड़ा मजाक है क्योंकि सरकार की नजर में तो सब बराबर हैं चाहे उसका धर्म कोई भी हो। मुझे इस बारे में यही कहना है।

हमें यह दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। यहां कुछ वक्ताओं ने सत्तारूढ़ पार्टी पर संप्रदायवाद को बढ़ावा देने, आत्मतुष्ट होने का दोष लगाया गया था। मैं एक प्रश्न पूछता हूं।

पिछले चालीस वर्षों में देश में सांप्रदायिक पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, भाषायी पार्टियां उभर कर आई हैं। यदि आप यह कहते हैं कि सांप्रदायिकता अलग है और भाषायी कट्टरपंथी या क्षेत्रीयवाद अलग है तो यह सत्य नहीं है। ये तीनों बातें समान हैं। सभी चोर-चोर मौसेरे भाई हैं। यदि आपका दिमाग संकीर्ण धार्मिक या भाषायी सांचे में ढल गया है, यदि आपकी सोच संकीर्ण है तो उस हद तक सांप्रदायिकता की भावना भी आसानी से पैदा हो जाएगी। यदि हम इन संकीर्ण विचारों से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें भाषायी, क्षेत्रीयता और सांप्रदायिकता की भावना से बाहर निकलना होगा। एक तरफ तो आप क्षेत्रीय पार्टियों और भाषायी पार्टियों को बढ़ावा देते हैं और दूसरी ओर उसी मंच से आप सांप्रदायिक पार्टियों से लड़ना चाहते हैं। यह तर्कसंगत नहीं है और न ही ऐसा सम्भव है। यदि आप सांप्रदायिकता से ईमानदारी से लड़ते हैं तो आपको क्षेत्रीयवाद और भाषायी भावना से भी लड़ना होगा। मुझे अपने मित्र श्री तम्पन थॉमस से पूछने दें। आप दक्षिण से हैं। ऐसी

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

अनेक पार्टियां हैं जिनका जनता दल प्रसार (प्रचार) कर रहा है। क्या आप उन पार्टियों का सदस्य बन सकते हैं ? यदि मेरे मित्र श्री तम्पन थॉमस जनता दल की सदस्यता छोड़ते हैं तो वह केवल कांग्रेस पार्टी में ही शामिल हो सकते हैं, वे डी० एम० के०, जो कि भाषायी और क्षेत्रीय पार्टी है, में शामिल नहीं हो सकते; वे असमगण परिषद् में शामिल नहीं हो सकते। इसलिए आप इन सभी क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। (व्यवधान)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : जब तक जनता दल क्षेत्रीय पार्टी नहीं बन जाता (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : जी, हां, यही होगा। एक मंच पर आप सांप्रदायिकता से लड़ रहे हैं और साथ ही ऐसी पार्टियों के क्षेत्रीयवाद और भाषायी कट्टरपंथी का समर्थन भी कर रहे हैं। क्या यह विरोधाभास नहीं है ? यही मुझे कहना है।

यहां यह कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक पार्टियों को बढ़ावा दे रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा। श्री हन्नान मोल्लाह ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है। आप जानते हैं तमिलनाडु के चुनावों में क्या हुआ था। हालांकि केरल राज्य की सी० पी० एम० पार्टी ने सांप्रदायिक पार्टियों की आलोचना की और उनके लिए कटु शब्द कहे और सदन में यह कहा है कि मुस्लिम लीग सांप्रदायिक पार्टी है किन्तु तमिलनाडु में मात्र 15 विधान सभा सीटों के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग गुट से गठजोड़ किया। आपकी बात में ही ईमानदारी कहां है ? आप हम पर दोष कैसे लगा सकते हैं ? मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं। क्योंकि आपने ऐसा कहा था ··(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हमने मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ नहीं किया था ····· (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : तमिलनाडु चुनावों में डी० एम० के० के साझेदार कौन थे ? सी० पी० एम०, मुस्लिम लीग, डी० एम० के० ···(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : तमिलनाडु में क्योंकि उन्होंने डी० एम० के० के साथ गठजोड़ किया अतः उन्हें विधान सभा में 15 सीटें मिल गईं। सदन में वे कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गठजोड़ नहीं किया था। मैं चुनावों से पूर्व तमिलनाडु में था···(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उन्होंने डी० एम० के० के साथ गठजोड़ किया और डी० एम० के० ने मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ किया (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : चलिए हम पुनः मूल विषय पर बात करें ··(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : केरल में आपके गठजोड़ के विषय में क्या हुआ···(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि इस देश में सांप्रदायिक स्थिति सत्तारूढ़ पार्टी के कारण नहीं बिगड़ रही है।

इसके लिए मेरे विपक्षी सहयोगी अधिक जिम्मेदार हैं। पिछले 40 वर्षों से हर घटना को सांप्रदायिक बनाया गया है। यहां तक कि छोटे-छोटे और तुच्छ कारणों से सांप्रदायिक दंगे हो जाते

हैं। यदि आप पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों पर नजर डालें तो आप पायेंगे कि ये दंगे मात्र छोटे-छोटे कारणों से हुए हैं। एक मामले में तो यह बताया गया कि एक लड़के ने एक लड़की को छेड़ा—लड़का मुसलमान था और लड़की हिन्दू। दूसरे मामले में एक ट्रक ड्राइवर ने मोड़ काटते वक्त एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। ट्रक का मालिक एक धर्म का था और जिस व्यक्ति को चोट आई थी, वह किसी अन्य धर्म का था। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि छोटी-छोटी दुर्घटनाओं से सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। इस तरह हमारे देश में सांप्रदायिक स्थिति को बिगाड़ा गया है। इस सबके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए मुख्यतः विपक्ष के सदस्य ही जिम्मेदार हैं।

यहां यह कहने का प्रयास किया गया था कि धार्मिक स्थलों पर जाने के कारण संप्रदायवाद पैदा होता है। ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थल में विश्वास कर सकता है अथवा वहां जा सकता है। इसके कारण संप्रदायवाद पैदा होता है। ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थल में विश्वास कर सकता है अथवा वहां जा सकता है। इसके कारण संप्रदायवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। श्री तम्पन थामस ने प्रधान मंत्री की विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा का जिक्र किया।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : यह यात्रा चुनाव के समय की गई थी।

प्रो० पी० जे० कुरियन : इस देश की जनता तथा पूरा विश्व जानता है कि प्रधान मंत्री राजीव गांधी तथा नेहरू परिवार देश में सबसे महान धर्मनिरपेक्ष परिवार है। मुझे विश्वास है कि स्वयं उनके नेता को भी इस पर आपत्ति नहीं होगी। हमने देखा है कि इंदिरागांधी ने देश में रूढ़िवाद के लिए लड़ते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। अतः यह नहीं कहा जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति के मन्दिर या गिरजाघर अथवा मस्जिद जाने से संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल रहा है।

आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि दंगे केवल कांग्रेस (आई) शासित राज्यों में ही हुए हैं। पिछले वर्ष पश्चिम बंगाल में 40 लोग मारे गए थे।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आप मृतकों को दल-वार क्यों बांटना चाहते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : कर्नाटक में पिछले वर्ष सांप्रदायिक दंगों के कारण 6 लोग मारे गए। उसका अर्थ है, पूरे देश में यह रोग व्याप्त है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम दलगत नीति से उठकर एक साथ मिलकर इसका सामना करें। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? हम सबको इस पर विचार करना चाहिए।

इस संबंध में, मुझे एक बात कहनी है। हम सबकी एक गलती है और वह है शिक्षा। यदि आप संप्रदायवादियों और दंगा करने वालों पर नजर डालें तो आप पायेंगे कि उनमें से अधिकांश युवा लोग हैं। युवा लोगों के मन में बड़ों की अपेक्षा सांप्रदायिकता की भावना अधिक होती है। पहले जिन दिनों मैं विद्यार्थी था, तब युवाओं का मन अधिक प्रगतिशील हुआ करता था किन्तु आज, युवकों का मन अधिक सांप्रदायिक है। ऐसा केवल पंजाब में ही नहीं अपितु अन्य स्थानों पर भी है। मुद्दा यह है कि हमारी शिक्षा में ही कहीं कुछ दोष है। इसका श्रेय हमारे प्रधान मन्त्री को जाता है कि उन्होंने सांप्रदायिकता रूपी इस रोग का पता लगाया और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई। संप्रदायवाद से लड़ने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शस्त्र है शिक्षा। यदि शिक्षा का सही उपयोग करना है तो केन्द्रीय सरकार का देश में शिक्षा नीति पर अधिक नियन्त्रण होना चाहिए। (व्यवधान) आप उस पर असहमत हो सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु मैं ऐसा ही महसूस करता हूं।

[प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन]

इसके लिए केवल राजनीतिक दलों को ही दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, इसकी दोषी हमारी शिक्षा प्रणाली है। स्कूल और कालेजों के छात्रों के दिमाग राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। इसके बजाय युवकों में सांप्रदायिक भावना पैदा करने को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा कई राज्यों में हो रहा है। मैं किसी राज्य विशेष पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कड़ाई से कार्यान्वित किया जाना चाहिए तथा सांप्रदायिकता का मुकाबला करने पर जोर दिया जाना चाहिए। कालेज या हाई स्कूल पास करने वाले युवा लोगों के मन में सांप्रदायिक भावना नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र के समक्ष यह एक बड़ा कार्य है और उसके संबंध में मेरा अनुरोध है कि सभी राजनैतिक दल मिलकर कार्य करें। राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस शिक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का समर्थन करना चाहिए।

इस संबंध में मुझे यह कहना है कि राज्यों को अधिक शक्तियां दिए जाने के बारे में तर्क दिया गया है। राज्यों को अधिक अधिकार देने में भी कठिनाइयां हैं। इसका अर्थ होगा क्षेत्रीय भावनाओं को प्रोत्साहन देना। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि जनता में भावनात्मक रूप से अखंडता हो। भावनात्मक अखंडता के बिना राष्ट्रीय अखंडता नहीं उपलब्ध हो सकती। अब कठिनाई यह है कि हम केवल राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता की बात कर रहे हैं। मेरे मित्र श्री हन्नान मोल्लाह ने कहा कि हम देश को जोड़ने और जनता का विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो राष्ट्रीय अखंडता की बात करने से पहले हमें भावनात्मक अखंडता के बारे में सोचना चाहिए। कुछ लोग जनता में फूट डालने में सफल क्यों हो जाते हैं? इसका कारण यह है कि हम भावनात्मक अखंडता के पहलू पर अधिक ध्यान नहीं देते। हमें जरूरत है भावनात्मक अखंडता की। इस संबंध में मुझे वहां से बताना पड़ेगा जहां से मैंने बोलना आरम्भ किया था अर्थात् रामायण और महाभारत देश में भावनात्मक अखंडता की भावना बढ़ाने में सहायता दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं। कई ईसाई महिलाएं अपने घरों में रामायण देखती हैं ··(व्यवधान) जी हां मैं मुसलमानों और ईसाइयों दोनों की बात कर रहा हूं। रामायण और महाभारत के प्रसारण से लोगों में भावनात्मक अखंडता को बढ़ावा मिल रहा है। प्रसारण माध्यमों से भावनात्मक अखंडता को बढ़ाने का सर्वांगीण प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी भावनात्मक अखंडता को बढ़ावा देने के लिए सर्वांगीण प्रयास किए जाने चाहिएं।

महोदय, इस देश में पत्रकारों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप कोई भी समाचार पत्र लीजिए, आपको सांप्रदायिक हत्याओं के कई समाचार पढ़ने को मिलेंगे। निश्चय ही वे उन्हें खबर देंगे, किन्तु इस देश के पत्रकारों को भावनात्मक अखंडता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए (व्यवधान)। जी हां, निश्चय ही उन्हें ऐसा करना चाहिए। मैं कुरान और बाइबल को भी इतना ही महत्व देता हूं। कुरान और बाइबल का जिक्र होना चाहिए। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी ऐसा चाहता हूं। पत्रकारों को सांप्रदायिक कारणों से हुई हत्याओं का समाचार देने के साथ ही समाचार पत्रों में भावनात्मक अखंडता का प्रचार भी करना चाहिए। राज्य के सभी प्रसारण माध्यमों को भावनात्मक अखंडता के प्रचार और उसे मजबूत करने के हर सम्भव प्रयास करने चाहिएं। हमारे देश के नागरिकों को अधिक देशभक्त बनाने, उन्हें सांप्रदायिकता की भावना से बाहर निकालने, भाषायी और क्षेत्रीय भावना से बाहर निकालने का यही एकमात्र तरीका है। ये सब बातें एक साथ चलती हैं। इस देश के हर देशभक्त नागरिक का कर्तव्य है कि वे इस देश

को महान बनाने के लिए उन आदर्शों का प्रचार करें और इन्हें बढ़ावा दें। जिनका यहां हमेशा समर्थन किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

———

5.59½ म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

70वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 70वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 25 अप्रैल, 1989/5 वैशाख, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली-110006

पी० एस० एस०—48/49/35/89 (एन०)
185

© 1989 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक,
गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित ।